राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] पंचम् विधान सभा के छठे सत्र का 10 वां दिवस [संख्या 8

बुधवार,

दिनांक 21-8-1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, अकाल सहायता, श्रम, गृह, विद्युत, समाज-कल्याण, विधि, उद्योग एवं यातायात विभाग)

श्रीमती उषा प्रकाश ।

शीत लहर से भरतपुर जिले में क्षति

146. **श्रीमती उषा प्रकाश** (वैर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष शीत लहर से भरतपुर जिले की रबी की फसलों को कितने प्रतिशत क्षति पहुंची ?

(2) कुल कितने रकवे में रबी की फसलें बोई गई थीं और उसमें से कितने रकवे में शीत लहर से कितने प्रतिशत क्षति पहुंची ?

(3) शीत लहर से कितने गांव प्रभाव-ग्रस्त घोषित हुए ?

(4) शीत लहर से प्रभावित कितने कृषक परिवारों को लगान में छूट अथवा अन्य प्रकार की सहायता अथवा ऋण दिये गये ?

राज्य मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) रबी संवत् 2030 में फरवरी के महीने में शीत लहर आ जाने से भरतपुर जिले में रबी की फसलों को नुकसान हुआ था। नुकसान का यह प्रतिशत भिन्न-भिन्न ग्रामों के लिए भिन्न-भिन्न था।

(2) जिलाधीश ने खराबे के बाबत प्रतिवेदन भेजा था जिसके अनुसार इस जिले में कुल 2022 ग्रामों में से 1694 ग्रामों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होना जाहिर किया था। 7,05,754 एकड़ क्षेत्रफल में रबी की फसल बोई गई थी, जबकि खराबा 3,77,890 एकड़ में रहा जिसका प्रतिशत 53 आता है।

(3) किसी ग्राम को प्रभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

(4) किसी कृषक को लगान में छूट, सहायता या ऋण नहीं दिया गया।

Page No 2

2

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, शीत लहर.......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : बहुत बढ़िया सरकार है।

श्रीमती उषा प्रकाश : शीत लहर से जब इतना खराबा सरकार मानती है और रेवेन्यू रिकार्ड भी यह कहता है कि 53 प्रतिशत पूरे जिले में खराबा हुआ है और मैं कहती हूं, अध्यक्ष महोदय, कि किसी-किसी गांव में अस्सी से नब्बे प्रतिशत तक नुकसान हुआ था तो क्यों कोई भी गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया और नहीं किया गया तो उनको रिलीफ किसी प्रकार की देने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई ? क्यों नहीं यह सोचा गया कि उनको किसी प्रकार की रिलीफ दी जाय जबकि खराबा 80 प्रतिशत से भी अधिक रहा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है वह बड़ा मिस-लीडिंग उत्तर है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर ओवर-हाल पिक्चर दे दी गई और औसत खराबा कितना हुआ यह पर्सेंटेज बता दिया। लेकिन बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि 80 से 90 प्रतिशत तक खराबा रिकार्ड किया गया है। इसके बावजूद सरकार ने जितनी वसूलियां थीं, काफी सख्ती से वसूल कीं और काफी सख्ती के साथ कार्यवाही की गई। रिलीफ देना तो दूसरी बात रही, लेकिन दो दफा का लगान भी एक बार में ही वहां के पटवारियों ने जबरदस्ती वसूल किया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपके फेमिन कोड के अन्दर क्या भरतपुर जिले के लिए कोई खासतौर से प्रावधान है कि वहां कोई सहायता नहीं दी जाय, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री शंकर लाल (पाली) : इस प्रकार का खराबा तो दूसरी जगह भी हुआ है लेकिन कोई रिलीफ नहीं दी गई।

श्री हरिदेव जोशी : जवाब आप देंगे या मैं दूंगा।

(व्यवधान, अश्रव्य)

मेरा निवेदन सुन लीजिये। यह निरर्थक सी बात है कि कोई वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दूसरा क्राइटेरिया है और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दूसरा क्राइटेरिया है। जहां पर भी खराबा होता है इस प्रकार का कि जिसमें रिलीफ देने की जरूरत होती है वहां पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निश्चितरूप से विचार करती है।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय कि भरतपुर की खास स्थिति है। वहां पर आमतौर पर बहुत सारा जमाना रबी की फसल से ही होता है। इस रबी की फसल का खराबा भरतपुर जिले के लिए बहुत महत्व रखता है, और रबी का खराबा होने पर आप किसी तरह की रिलीफ नहीं देंगे तो इससे भरतपुर जिले के किसान बहुत दुख पाते हैं और यहां तक कि लेवी के जो आंकड़े आपने तय किये उसमें भी क्या आपने जरूरत नहीं समझी कि जो रबी की फसल का खराबा हुआ है उसको दृष्टिगोचर रखते हुए लेवी की जो मात्रा है उसमें कमी की जाय। क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि जब फसल खराब हो गई है तो हम लेवी नहीं लें।

श्री हरिदेव जोशी : यह मिलीजुली बात है। अभी केवल यहां पर खराबा की बात कही गई है। जहां तक खरीफ की फसल के खराबे का सवाल है, खराबे को खराबा ट्रीट किया जाता है और जिस इलाके में किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है सरकार उस पर विचार जरूर करती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से-अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रसिंह।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : जिस गांव में खराबा हुआ है वहां........

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह।

श्री राजेन्द्रसिंह (उणियारा) : अध्यक्ष महोदय, खराबा दर्ज करने का क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर यह दर्ज किया जाता है और मैं यह जानना चाहता हूं कि रबी की फसल में जो खराबा होता है और खरीफ में जो खराबा होता है उसको ही खराबा माना जाता है या रबी के खराबे को भी खराबा माना जाकर रिलीफ दिया जाता है अगर वहां खराबा हो।

श्री करनसिंह (डीग :अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि फेमिन कोड में यह व्यवस्था है कि जहां साठ प्रतिशत खराबा हो जाता हैं वह एरिया फेमिन एरिया घोषित कर दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने गांव ऐसे थे जहां पर साठ प्रतिशत से अधिक खराबा था और फिर भी उनको अभाव-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी । अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि जिन गांवों में अस्सी प्रतिशत से भी अधिक खराबा दर्ज किया गया है वहां से भी पूरी लेवी वसूल की गई है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं कि जिलाधीश भरतपुर की रिपोर्ट के अनुसार कितने गांवों में अस्सी प्रतिशत से अधिक खराबा माना गया है और जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है और उसके अनुसार कितने गांवों को राज्य सरकार ने फेमिन कोड के तहत रिलीफ दी है ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय से कि यह तो स्पष्ट है कि 53 पर्सेंट अभावग्रस्त रहा है। भरतपुर जिला आपके आंकड़ों के अनुसार और कई गांवों के अन्दर आप भी मानते हैं कि साठ प्रतिशत से ज्यादा क्रॉप इफेक्टेड हुई है। क्या कारण है कि इसकी जानकारी देते हुए भी इसको खराबा नहीं मानकर रिलीफ नहीं दिया गया? कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है जिसने इसको खराबा नहीं माना और क्या इस रेमिशन के प्रश्न को रोककर रखने वाले अधिकारी के विरुद्ध गवर्नमेंट कार्यवाही करने की कोशिश करेगी ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) । अध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जब सरकार यह मानती है कि खराबा हुआ है फिर भी रिलीफ नहीं दी गई। जिन गांवों में अस्सी प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है तो फिर आपका कौनसा मापदण्ड है जिसके आधार पर आप मदद देते हैं और वह कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर साठ प्रतिशत खराबा होने के बाद भी मदद के लिए मूव नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामगोपाल : मेरा भी साथ में जवाब आजाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, वैसे पूरे राजस्थान भर में कहीं भी रबी के नुकसान के कारण से कहीं भी रेमिशन नहीं दिया गया है। जो एवरेज उन्होंने दिया ही नहीं है, कलेक्टर ने कुल मिलाकर 53 प्रतिशत एरिया इफेक्टेड बताया है, अलग 2 गांवों की डिटेल्स नहीं दी है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री निरंजननाथ आचार्य।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा संचालित मजदूर यूनियनें

147. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा संचालित राजस्थान में कुल कितनी मजदूर यूनियनें प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर में मान्यता प्राप्त होकर काम कर रही हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर्स में संचालित यूनियनों में कौन कौन पदाधिकारी हैं। प्रत्येक यूनियन के ऐसे पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान शाखा के तत्वाधान में गठित गणतांत्रिक समाजवादी मजदूर समाज उदयपुर नामक जाली संस्था ने एक करोड़ रुपया श्रमिकों से श्रमिक संघर्ष कोष के नाम पर इकट्ठा किया है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस जाली संस्था के कारनामों की जांच कराने की दिशा में कोई कदम उठा सकेगी?

(4) क्या उक्त गणतांत्रिक समाजवादी मजदूर समाज उदयपुर नामक संस्था ने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के नियमों के अन्तर्गत इसके आय व्यय की ऑडिट रिपोर्ट श्रम विभाग अथवा राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान के पास पहुंचाई है, यदि हां, तो सन् 1971-72 की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट क ।

(5) क्या यह सही है कि जनवरी 1973 के दरम्यान श्री बी. चौधरी, जनरल सेक्रेट्री राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, राजस्थान शाखा ने उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री के सभी श्रमिकों से 110) रुपये से लेकर 500) रुपये श्रमिक संघर्ष कोष से वसूल किए?

यदि हां, तो क्या उक्त जाली संस्था के द्वारा फर्जी ढंग से इकट्ठी की गई धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार जांच कराने को तैयार है?

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री): इस प्रश्न का सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिए पोस्टपोन्ड करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं कुछ मेटेरियल और आपको दे दूं ताकि आपको सहूलियत हो। ये जाली कागज और जाली रसीदें आप ले लें तो आपको सहूलियत हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक।

हिन्डोली के डॉक्टर के विरुद्ध दर्ज मामला

148. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिन्डोली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी एस. पी. ने एडिशनल एस. पी. ऐन्टी करप्शन विभाग कोटा को डॉ॰ पी. सी. जैन (पी. एच. सी. हिण्डोली) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच हेतु कोई मामला दिया था?

(2) यदि हां तो भ्रष्टाचार का विवाद क्या था ? यह घटना कब और कहां घटी तथा एस. पी. बून्दी ने यह ए. सी. डी. कोटा को कब दिया था ?

(3) एडिशनल एस. पी., ए. सी. डी. कोटा ने इस मामले पर क्या कोई प्राथमिकता के आधार पर जांच की है ? यदि हां, तो कब और इसका क्या परिणाम रहा ?

(3) क्या एडिशनल एस. पी., ए. सी. डी. कोटा ने इस मामले को अन्तिम जांच के लिए रजिस्टर्ड करा लिया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो अब तक यह मामला रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ है ?

(5) क्या यह भी सही है कि एडिशनल एस. पी., ए. सी. डी. कोटा ने रजिस्ट्रेशन के पश्चात् डी. एम. एण्ड एच. एस. को जांच करने के लिये स्वीकृति के लिये लिखा है ? यदि हां, तो कब लिखा गया और कब तक ए. सी. डी. को स्वीकृति प्रदान नहीं करने का क्या कारण है ?

(6) यदि स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तो ए. सी. डी. ने इस मामले की क्या जांच की ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : (1) जी नहीं। यह शिकायत सीधी ए. सी. डी. में पेश हुई।

(2) श्री पी. सी. जैन द्वारा घायलों के इलाज के लिये निर्धारित फीस से अधिक ली गई। यह घटना दिनांक 11-7-73 को ग्राम बावड़ी खेड़ा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी की है। पुलिस अधीक्षक बूंदी ने यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोटा को नहीं दिया।

(3) जी नहीं, प्राथमिकता के आधार पर जांच नहीं की गई। यह प्राथमिक जांच साधारण रूप से की गई।

(4) प्राथमिक जांच नवम्बर 73 में हुई जिसके आधार पर मुख्यालय पर केस रजिस्टर्ड कर दिया गया।

(5) जी नहीं। ए. सी. डी. द्वारा जांच करने से पूर्व विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह

Page No 6

6

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

मामला ए. एस. डी. को नहीं दिया तो क्या किसी और को दिया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह शिकायत सीधी ए. एस. डी. के दफ्तर को गयी है।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : सी. एम. ओ. के पत्र संख्या 10901 के जरिए यह बताया गया है कि यह एन्टी करप्शन के यहां केस रजिस्टर्ड हो गया है। उसके बाद ए. सी. डी. से पूछा और ए. सी. डी. ने परमिशन के लिए आगे लिखा है। आगे परमिशन के लिए लिखा है तो यह कैसे अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रश्न 4 के उत्तर में यह साफ लिखा है कि प्राथमिक जांच नवम्बर 73 में हुई जिनके आधार पर केस मुख्यालय पर रजिस्टर्ड कर दिया गया है। प्राथमिक जांच में कुछ कमियां थीं इसके लिए एडीशनल एस. पी. ने इनकी पूर्ति करने के लिए आदेश दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जांच का मुद्दा क्या था ? क्या डाक्टर करप्ट था ? क्या कोई कांक्रीट प्रूफ था ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : डाक्टर ने मरीजों से निर्धारित फीस से अधिक फीस ली ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक इन्क्वायरी हो चुकी है और यह मालूम हो चुका है कि डाक्टर ने कानूनी तौर से सही फीस ली है। प्राइमा फेसी यह रिजेक्ट हो चुका है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : इसमें गलतफहमी मालूम पड़ती है। केस सीधा एन्टी करप्शन को लिखा गया। एन्टी करप्शन का सिस्टम यह है कि वहां पहले केस को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। प्राइमा फेसी कोई केस है, यह मालूम हो जाता है, तब जाकर केस को रजिस्टर्ड करते हैं। इसलिए इसमें देर लग जाती है। डी. आइ. जी. ने यह कहा है कि अमुक प्रकार की कमियां हैं, उसको पूरा करा लिया जाए तब आगे जाकर कोई बात की जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे कमियां प्राइमा फेसी नहीं बनती है।

श्री हरिदेव जोशी : केस रजिस्टर्ड तभी किया जाता है जब केस प्राइमा फेसी ठीक हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह डाक्टर उस इलाके में पापुलर है और जानबूझ कर उसके खिलाफ यह केस बनाया गया है। प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है और डाक्टर ने करेक्ट फीस ली है। यह प्रीलिमिनरी जो जांच की गयी है, उस रिपोर्ट में भी है।

श्री हरिदेव जोशी : This way or that way I can't say it now.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इसकी निष्पक्ष जांच की जायेगी ? यह पोलिटिकली मोटिवेटेड है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स कमिश्नर ने तीन बार लिखा है। किसी की दरख्वास्त से यह जांच नहीं हो रही है। ए. एस. डी. ने डी. आइ. जी. को लिखा है परन्तु इस केस में डिले की जा रही है।

(श्री राजेन्द्र भारतीया)

इस पर सरकार को जल्दी कार्यवाही करना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिये।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। दिनांक 11-7-73 को यह घटना हुई है। एक आदमी घायल है, मरने वाला है डाक्टर उसको नहीं देख रहा है और 614 रुपये एक व्यक्ति से ले लिये। ए. एस. डी. को प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी में मिले हुई है। सी. एम. ओ, विजिलेन्स कमीशन भी यह चाहता है कि डाक्टर सस्पेन्ड हो किन्तु वह सस्पेन्ड नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय इसका कारण बतावेंगे।

श्री हरिदेव जोशी: पोजीशन यह है, जैसा कि मैंने निवेदन किया है केस गवर्नमेंट के पास नहीं भेजा गया है। ए. सी. डी. के पास केस है और हम उसमें इन्टरफियरेन्स नहीं कर सकते। अब किस स्टेज के ऊपर देरी हुई है, क्यों हुई है इसके लिए तो वे ही ज़बाबदार हो सकते हैं। मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि जानबूझ कर देरी हुई है। उचित तो यह होगा कि हम ए. सी. डी. को इन्फ्लुएन्स करने की कोई कोशिश न करें। इस मामले में मैं यह एडवाइज करूंगा कि जैसे यह केस ए. सी. डी. को भेजा उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास भी भेज दिया जाता ताकि गवर्नमेन्ट इसको एक्सपीडाइट कर सकती।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री जेठमल।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: श्री शिक्षा मंत्रीजी। जवाब हो चुका है।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक: एक बात बताना चाहता हूं.........

श्री अध्यक्ष: नो नो (शोरगुल)

श्री जेठमल प्रश्न संख्या 149.........

श्री राजेन्द्र भारतीया: आदरणीय अध्यक्ष महोदय.........

श्री अध्यक्ष: नो नो.........(शोरगुल) यह प्रश्न हो चुका.........

श्री राजेन्द्र भारतीया: यह लोक महत्व का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय.........

श्री अध्यक्ष: नो, नो.........

माननीय सदस्य इस सदन के सम्माननीय सदस्य रहे हैं। आज मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि यहां की परम्परा है कि अध्यक्ष के आदेश का पालन किया जाए। यह, मैं माननीय सदस्य से आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं अगर आप जैसे सीनियर आदमी भी उल्लंघन करेंगे तो नये आदमी से क्या आशा करूं।

सीनियर मेन है। शिक्षा मंत्रीजी। प्रश्न क्लोज कर दिया है। शिक्षा मंत्री.....

अग्रवाल शिक्षा समिति द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां

149. **श्री जेठमल आर्य (रेवदर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय अग्रसेन कटला जयपुर की अध्यापिकाओं व अध्यापकों को प्रतिवर्ष एक जुलाई को प्रत्येक अध्यापक

80

(श्री जेठमल आर्य)

को नई नियुक्ति दी जाती है और 30 जून को सेवा निवृत्त कर दिया जाता है ? यदि हां तो गत तीन वर्षों में इस विद्यालय की अग्रवाल शिक्षा समिति द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में किस किस को 30 जून को हटाया और किस किस को एक जुलाई को नई नियुक्ति दी ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) जयपुर में कुल कितनी अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं तथा उन्हें कौन चलाता है ? क्या कोई संस्था या व्यक्ति ?

श्री फारुक हुसेन (राज्य मंत्री, शिक्षा): (1) जी नहीं।

(2) जयपुर में कुल 107 अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, उन्हें संस्थाएं चलाती हैं।

श्री जेठमल आर्य: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर में जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अधिकतर अध्यापकों को 250 रुपयों पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और केवल उनको 155/- रुपये दिए जाते हैं। क्या इसकी जांच करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री फारुक हुसेन: ऐसी जानकारी राज्य सरकार के पास में नहीं है। यदि माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न सारे राज्यव्यापी है जिसने शिक्षा जगत को दूषित और विकृत कर दिया है। आपके विभाग को भी जानकारी है कि अधिकांश संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें तनख्वाह ज्यादा बतलायी जाती है और कम दी जाती हैं, रसीद ज्यादा की ली जाती है और वेतन कम दिया जाता है। शिक्षा मंत्री जी से एक दो दिन पहले ही इस विषय में बातचीत हुई थी और उन्होंने यह कहा था कि वे इसका चेक द्वारा पेमेन्ट कराने की व्यवस्था करेंगे। इस विषमता से स्वयं शिक्षा मंत्री अवगत हैं। क्या वे चेक के द्वारा तनख्वाह वितरित कराने की व्यवस्था करेंगे।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में आबू में कान्फ्रेन्स हुई थी और वहां हम ने निजी संस्थाओं के अन्दर काम करने वाले हैडमास्टर और कई व्यवस्थापकों को बुलाया था और वहां पर हमने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष से हम शिक्षकों को जो तनख्वाह बांटेंगे वह चेक के मार्फत बांटेंगे जिससे यह कठिनाई दूर हो सके।

श्री जेठमल आर्य : जो अध्यापक कार्य करते हैं उनको इन संस्थाओं से जब चाहे तब हटा दिया जाता है। दो-तीन साल की सर्विस हो जाने के बाद भी उनको स्थायी नहीं किया जाता है और टेम्परेरी ही रखा जाता है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : इस पर भी आपने आबू में निर्णय लिया है, कृपया वह भी बता दें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अध्यापकों को हटा नहीं सकते हैं, बिना नोटिस दिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनको नवम्बर तक रखते हैं, फिर डिस्कण्टीन्यू करते हैं।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
मैं चाहूंगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं में आपाधापी होती है । इसलिए पेमेण्ट चैक के द्वारा ही किया जाना चाहिए ।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षामन्त्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि बीमारी के मौके पर सरकारी अध्यापकों के समान ही निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि वह बीमारी की अवस्था में दवाई आदि का लाभ ले सकें ।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है कि लाखों रुपये अनुदान दिया जाता है ......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय .....

श्री दिनेशराय डांगी : मैं फलाना स्कूल के बारे में निवेदन कर रहा हूं । श्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय से वह छात्रावास था । उसको तोड़ दिया गया है । वहां पर फीस ली जाती है । इसलिए कि वहां खर्चा ज्यादा पड़ता है । ए. जी. ने उस पर आपत्ति की है । अनुदान देते हैं लेकिन शिड्यूलकास्ट और शिड्यूलट्राइब्स के स्टूडेण्ट्स हैं नहीं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या प्राइवेट स्कूलों में जो लोग काम करते हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी सर्विस कण्डीशन्स के बारे में क्या सरकार कानून बनाने का विचार रखती है । अगर नहीं रखती है तो इतनी बड़ी राशि क्यों देती है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में, जो गड़बड़ियां हैं, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उदाहरण के तौर पर ही बताइये ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : निजी शिक्षा संस्थाओं में 12-12 महीने काम करने के बाद उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है । कई पत्र लिखे हैं । आपने न उत्तर दिया है । किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है । राजस्थान महिला परिषद में एक अध्यापक के निकलने के बाद उसने जो स्कूल के अन्दर सर्विस की है । उसको तनख्वाह नहीं दी है ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सर्विस रूल्स के बारे में क्या राय है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसे गम्भीर प्रश्न है, इनके लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी जाये ताकि भविष्य में ऐसा न हो ।

श्री केदारनाथ : जब तक आप कानून नहीं बना पाते हैं, तब तक के लिए आप कोई ऐसा आदेश निकाल दें जिससे कि आपकी इजाजत के बिना या इन्सपेक्टर की इजाजत के बिना कोई भी किसी अध्यापक को हटा नहीं सकता है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में सर्विसेज को जो सिक्यूरिटी मिलनी चाहिये वह नहीं है । इसके साथ ही जो इन्स्टीट्यूशन्स रन करते हैं, उनकी भी कुछ शिकायतें हैं । उनकी भी ग्रिवेंसेज हैं । दोनों ही पक्ष

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं। लोगबाग इस प्रकार की शिकायतें आकर करते रहते हैं। इसी बात पर आबू में गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था। हमने यह फैसला किया कि एक तरफ काम करने वालों के प्रतिनिधि और दूसरी तरफ इन्स्टीट्यूशन्स के प्रतिनिधि, इनको हम बुलायेंगे और चर्चा करेंगे। इस बात को निश्चितरूप से देखेंगे कि काम करने वालों के साथ ऐसा नहीं हो। इस दृष्टि से हमने देखने की कोशिश की है। पिछले वर्षों में काफी प्रयत्न किया है। गवर्नमेंट की ओर से, जो 5 साल पहले हालत थी वह अब नहीं है। आज अध्यापकों को इस प्रकार से कोई नहीं निकाल सकता है। इन्सपेक्टर की मन्जूरी जरूरी है। फिर कुछ इसके लिए करना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

विद्युत दरों में बढोतरी

150. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का कब फैसला किया व लागू होने की तिथि क्या है ? इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त हो जाती है ?

(2) राज्य सरकार ने पिछले 3 मास (अप्रेल, मई व जून) में किन किन राज्यों में कितनी कितनी बिजली दी है ? क्या कोई अन्तर्राज्य समझौता हुआ ? यदि हां तो उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

श्री विद्युत मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) राज्य सरकार ने बिजली की बढ़ोतरी करने का फैसला मई, 74 में किया। नयी टैरिफ जुलाई, 74 के बिलिंग मास से लागू हैं। नयी टैरिफ लागू करने पर 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में करीब 67.3 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने का अनुमान है।

(2) माह अप्रेल, मई व जून, 74 में पड़ोसी राज्यों को बिजली सप्लाई की गई। उसका विवरण नीचे अंकित किया गया है:-

माह	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	मध्यप्रदेश
	(युनिट्स)	(युनिट्स)	(युनिट्स)
अप्रेल, 74	79,71,468	6,61,920	4,47,99,000
मई, 74	54,47,236	—	4,07,66,000
जून, 74	36,67,179	—	5,18,59,000

(श्री विद्युत मंत्री)

उपरोक्त बिजली सप्लाई करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल व पड़ोसी राज्यों के विद्युत मण्डलों के बीच कोई लिखित समझौता नहीं हुआ।

श्री केदारनाथ : टोटल प्रोडक्शन है, उसको युटिलाइज नहीं करते हैं इसलिए आप का यह परसेण्टेज है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है। कहां कहां कितनी कितनी सप्लाइ की है, वह विद्युत मण्डल के पास है। हम बताने जा रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पासिबिलिटी आफ युटिलाइजेशन कम है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह स्टेट, आपको बिजली देना चाहिए मजबूर तो नहीं करते रहेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : लेट भी रिप्लाई। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। हमेशा के लिए मांगने के लिए तैयार हो जायें। छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं। जहां जहां बिजली अवेलेबिल हो सकती है। हमेशा के लिए मना नहीं है। श्री हांडा साहब ने यह कहा है कि राजस्थान ने बिजली दी है। वह युटिलाइज करने के बाद दी है। लेकिन जो हमने दी है, एक्स्ट्रा जेनरेट करके की है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं आया कि पैसे का भुगतान हुआ या नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : एट व्हाट रेट्स यू चार्ज फ्रॉम देम ? आपने बिजली का किस रेट पर चार्ज किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हरियाणा से 18 पैसा। एग्रीमेंट होकर मिला है। मध्य-प्रदेश से हमारे कॉमन सम्बन्ध हैं। यू. पी. से 34 लाख का पेमेंट लेना था। 12 लाख हुआ है।

श्री केदारनाथ : यह 6 फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर बढ़ाये हैं या आपने बढ़ाये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी योजना जो बाहर देते हैं, लॉस में नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने 22 लाख का पेमेंट किया है।

श्री अध्यक्ष : यह डिस्कशन नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : डिस्कशन तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सवालात लिये जा सकते हैं।

श्री केदारनाथ : ट्यूबवैल से खेती के लिए जो बिजली देते हैं, उसके एडीशनल रेट्स बढ़ाये हैं। 12.30 बढ़ायें हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : ट्यूब वैल का क्या बताया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 12 से 21।

श्री केदारनाथ : 12 से 21।

श्री हीरालाल देवपुरा : नाट ऑन ट्यूब वैल। एग्रीकल्चर इरिगेशन की जो 13 पैसे थी, उसको बढ़ा कर 21 पैसे किया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गुरदयालसिंह संधु !

नहरी पानी के बंटवारे के विरुद्ध शिकायतें

152. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक्स. इ. एन. सिंचाई विभाग उत्तरी खण्ड, गंगानगर में इस समय नहर की पानी की बारी जो गांव में नहरी पानी का बंटवारा होता है उस सम्बन्ध में ता. 31 मई, 1974 तक कितने मामले विचाराधीन थे और उन्हें निबटाए न जाने का क्या कारण है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

(2) उपरोक्त गांवों के नहरी पानी के बंटवारे के संबन्ध में कितने ऐसे मामले हैं जिसमें एक्स. इ. एन. सिंचाई विभाग के आदेशों की पालना जिलेदारों द्वारा नहीं की गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे और बतलाया जावे कि उपरोक्त जिलेदारों द्वारा आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में किस किस जिलेदार के विरुद्ध और कब कब कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह सच है कि चक 2 डी. डी. के नाकेवार पानी की बारी पिछले 21 वर्षों से नहीं बनाई जा रही जिसके कारण एक पक्ष के लोगों को नहर का पानी पूरा नहीं मिल रहा ?

(4) क्या यह सच है कि नहरी पानी की बारी में जो धांधलीबाजी मची है उसका कारण एक्स. ई. एन. उत्तरी खण्ड है जो एक पक्ष के लोगों से साज बाज कर लेता हैं और दूसरे पक्ष के लोगों को नुकसान पहुंचाता है ? क्या सरकार एक्स. इ. एन. उत्तरी खण्ड सिंचाई विभाग, गंगानगर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और जिन्हे पानी पूरा नहीं मिला उन्हें पूरा पानी दिलाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) सिंचाई विभाग उत्तर खण्ड में 31 मार्च, 1971 के दिन 29 मामले विचाराधीन थे, उनकी सूची संलग्न है।

(2) एक मामला, सूची संलग्न है। जिलेदार का स्पष्टीकरण लिया गया है और कार्यवाही जारी है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट—1 देखिये)

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : मैं यह कहना चाहता हूं, यह जो सूची दी गई है, इस सूची में जिलेदार ने एक दफा एक ही मामले में अवहेलना की है एक्स. इ. एन. के हुक्म की, यह बिलकुल गलत है। ऐसे बहुत से मामले हैं, 2 डी. डी., 5 एन. एन. 8 एन. एन. ए. 2 एफ.सी, 2 ओ. ऐसे बहुत से मामले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह एक्स. इ. एन. हैं इनके द्वारा नाकेवार पानी

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

की रिश्वत लेकर बारी दी जाती है। जब तक रिश्वत पूरी नहीं हो जाय तब तक जिलेदार को नहीं कहता है कि यह पेश करो। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सूची है, यह गलत है। अभी तक बहुत से मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, ढाई साल से 2 डी.डी. का मामला पेंडिंग रहा है। यह जो सूची में बताया है, यह बिल्कुल गलत बताया है क्या इसकी जांच करने को तैयार हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सूचना, जो रिकार्ड के आधार पर थी वह दी है। माननीय सदस्य कहते हैं कि ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं। तो स्पेसिफिक केसेज बतायें, वह लिख कर दे दें तो मैं जांच कराऊंगा और अगर सूचना गलत दी गई तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी—मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैंने माननीय मंत्री महोदय को बहुत से पत्र लिखे हैं। आज तक कितने ही मामले पेंडिंग हैं। यह जो ढाई साल से पेंडिंग है, 2 डी डी का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके लिए बहुत दफा लिख चुका हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपका पत्र मिला है। लेकिन उसमें स्पेसिफिक केस नहीं था, जनरल शिकायत की है एक्स. ई. एन. की, इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिक केस आप मुझे बतायें तो कार्यवाही करने में सहूलियत होगी। जो आपने लिखा उसके आधार पर मैंने इन्फार्मेशन मांगी थी।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : जो मामले पेंडिंग पड़े हैं, यह सच है कि ढाई साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं और कुछ व्यक्तियों को नहर का पानी नहीं मिल रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मामला मुझे बताया गया है कि ढाई साल का नहीं है, इस साल का है।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : क्या सरकार इस मामले में जांच करायेगी कि ढाई साल से मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक्स. ई. एन. ने जो रिपोर्ट दी है वह रिपोर्ट गलत है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने जो सूचना दी है, उसके आधार पर इत्तला मंगा लेता हूं और उसने जो सूचना दी है वह गलत होगी तो कार्यवाही करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है, क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे, जिस तरह पंजाब ने इन सारे टाइप की बारीबन्दी के बारे में तथा सुधार के बारे में फिक्स रेट तय की हैं, वैसे बाराबन्दी की रेट तय हो जाती है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, तो सुविधा होगी। क्या सरकार इस प्रकार तय करने का इरादा रखती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पंजाब से मंगा लेंगे और पंजाब में क्या तरीका है क्या नहीं है, वह राजस्थान में एप्लीकेबल होगा तो देख लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सदन में प्रश्न रिपीट होता रहा है और यह मांग होती रही है, 1954 का जो इरिगेशन और ड्रेनेज एक्ट बना है, उसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस बाराबन्दी का तय किया जाय, वह

Page No 14

14

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो सके और एक प्रकार का करें, दो प्रकार का करें, वह लागू किया जाय। आप यह जल्दी से जल्दी लागू करेंगे तो हजारों झगड़े हैं गंगानगर के, तीनों प्रॉजेक्ट के राजस्थान कैनाल में भी ऐसे मामले होना शुरू हो गया है-उन सबका समाधान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल !

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु बोर्ड का गठन

153. **श्री ओंकारलाल चौहान** (झालावाड़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या राज्य सरकार अन्य राज्यों की भांति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण एवं विकास हेतु राजस्थान में एक बोर्ड के गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री समाज कल्याण (श्रीमती कमला बेनीवाल) : राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण एवं विकास के मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक अनुसूचित जाति कल्याण मंडल एवं एक अनुसूचित जनजाति मंत्रणा परिषद् का गठन किया हुआ है।

श्री मनोहरलाल : यह मन्त्री कल्याण बोर्ड हैं।

श्री ओंकारलाल : राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बोर्ड हैं वह अलग अलग बोर्ड हैं, मेरा निवेदन है कि इनके पूर्ण विकास के लिए एक बोर्ड का गठन किया जा सकता है, जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, दोनों का मिला कर, विकास सम्भव हो सके ?

श्री रणजीतसिंह : और इनको उसका चेयरमैन बना दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अलग अलग बोर्ड के गठन के कारण विशेष तवज्जह दे सकेंगे और उनके विकास की सम्भावना बढ़ेगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : दोनों बोर्ड के अन्दर कौन कौन लोग हैं, उनके नाम आप बता दीजिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बोर्ड के गठन का कार्य ओंकारलालजी के समय में प्रारम्भ हुआ था, उसकी क्या गति हुई ?

श्री ओंकारलाल चौहान : और उसकी कितनी मीटिंग हुई ?

श्री केदारनाथ : और उसमें क्या बाधा हुई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गति नहीं हुई है, दुर्गति हुई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अनुसूचित जनजाति मंत्रणा परिषद् है और अनुसूचित जाति कल्याण मण्डल है-इनकी बैठक आमतौर पर जो अनुसूचित जनजाति मंत्रणा परिषद् है, साल में एक बार होनी चाहिये क्वार्टरली, लेकिन पिछले कुछ सालों से सिर्फ एक एक बैठक हर साल में हुई है। इसके साथ अनुसूचित जाति कल्याण मण्डल है उसकी हाफइयर्ली होनी चाहिये वह भी साल में सिर्फ एक बार ही पिछले वर्ष में हो पायी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं उनके सदस्यों के नाम पूछ रहा हूं और उनके हैं कौन हैं यह जानकारी दे दें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : पिछली बार भीलवाड़ा में की थी, उसमें कोरम भी नहीं था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब मीटिंग रखें तो उपस्थित होवें, ताकि हम कार्यवाही कर सकें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गति को तीव्र करने के लिए क्या गति की जा रही है ? इस दुर्गति को दूर करने के लिए क्या गति कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सब मिल कर सहयोग करेंगे तब सम्भव होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दुर्गति आपके मिलने से होगी।

श्री रामकिशन : इस बोर्ड का गठन किया जाय, इसके चेयरमैन को मन्त्री का दर्जा देकर ओंकारलालजी को उसका चेयरमैन बना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल ! आपका सवाल नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसकी दुर्गति को देखते हुए श्री ओंकारलालजी को इसका चेयरमैन बनाना चाहिये, वह इसको गति प्रदान करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भावरमल सुंडा !
प्रश्न संख्या 154।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल !

बाली एवं देसूरी तहसीलों के दिवानी एवं फौजदारी के मामलों की सुनवाई

155. **श्री शंकरलाल (पाली)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की बाली व देसूरी तहसीलों के दीवानी व फौजदारी अपीलों के लिए सिरोही सिविल कोर्ट व सेशन्स जज अदालत में जाना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि क्षेत्राधिकार उस वक्त रखा गया था जब कि माउन्ट आबू सिरोही जिले का अंग न रह कर महाराष्ट्र का अंग बन गया था परन्तु अब माउंन्ट आबू पुनः सिरोही जिले का अंग हो जाने से इस क्षेत्राधिकार का कोई औचित्य नहीं रह गया है ?

(3) सिरोही में बाली व देसूरी तहसीलों के कितने मुकदमात पेंडिंग हैं और सिरोही की अदालत में कुल कितने मुकदमात हैं उसकी तुलना में पाली में कुल कितने मुकदमात हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार बाली व देसूरी तहसीलों में मुकदमों का क्षेत्राधिकार सिरोही से हटा कर पुनः पाली रखने का विचार रखती है।

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस प्रश्न के अन्दर माननीय सदस्य ने पाली में कितने केसेज हैं, देसूरी में कितने केसेज हैं और टोटल मिलाकर कितने केसेज चल रहे हैं, यह इन्फार्मेशन मांगी है। यह इन्फार्मेशन नहीं आ रही हैं, इसलिए इसका पोस्टपोनमेंट चाहता हूं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत असें से विचाराधीन है और बहुत महत्वपूर्ण है। कई रिप्रेजेंटेशन हैं बाली, देसूरी पंचायत, पंचायत समिति के और वहां के एम. एल. एज के। बाली देसूरी को जो मुकदमात होते हैं, उन लोगों को जाना पड़ता है सिरोही। मंत्री महोदय इसके महत्व को दिखवालें।

श्री अध्यक्ष : इसको पोस्टपोन कर दिया है, फिर भी आप समय ले रहे हैं। यू केन वेव दी टाइम आफ दी हाउस !

श्री शंकरलाल : मैं विधि मंत्री से चाहूंगा....

श्री भानुकुमार शास्त्री : ज्यादा महत्व है इसका इसलिए ही उत्तर नहीं आया है।

श्री शंकरलाल : विधि मंत्री इस संबंध में कुछ आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : अब क्या आश्वासन दें ? अगले सत्र में बात करें।

श्री शंकरलाल : अगला सत्र कब होगा और कब क्या कार्यवाही होगी ? यह बतादें कि इस प्रश्न के आने के बाद में क्या कार्यवाही की है, आप केसेज की बात को छोड़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन का उत्तर नहीं है, फिर भी आप लम्बी तकरीर कर रहे हैं, लम्बा समय ले रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उससे कौनसी बीमारी दूर हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

लोहे का माल उठाने के लिए जमा कराई गई राशि

156. **श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन, जयपुर के यहां सिटी एसोसियेशन जयपुर ने लोहे का माल उठाने के लिये जनवरी, फरवरी, 1974 व नवम्बर, दिसम्बर, 1973 में लगभग 8 लाख रुपये की रकम जमा कराई ?

(2) उपरोक्त रकम में से टाटा स्टाक वार्ड, अहमदाबाद में कितनी रकम जमा कराई ?

(3) क्या उपरोक्त रकम सम्बन्धित लोहे का माल चद्दर, गरार, चेनल प्लेट आदि लाने के लिये जमा कराई परन्तु वह माल जयपुर में नहीं आया व पहले ही ब्लैक में बेच दिया गया ?

(4) उपरोक्त माल में से सेल्स टैक्स विभाग द्वारा डाले हुए छापों में कितना माल निकाला व कितना गायब पाया गया ?

(5) क्या श्री एन. वहीद खान, प्रोप्राइटर, गुडएज मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने अपनी सात यूनिट के नाम से लगभग साढ़े पांच लाख का माल उपरोक्त कोर्पोरेशन के माध्यम से उठाया व यह माल सेल्स टैक्स विभाग द्वारा डाले गये छापों में नहीं मिला व ब्लेक करना साबित हुआ ?

(6) क्या आइरन स्टील कन्ट्रोलर ने 18,19 जून, 1974 को खान व सीताराम के कारखानों पर छापे मारे व माल न मिलने से

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इन्हें माल सप्लाई करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया ? कृपया कन्ट्रोलर की रिपोर्ट जो डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज की इस सम्बन्ध में दी गई, उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(7) क्या उपरोक्त मामलों में माल की आफर सरियों की थी व कोर्पोरेशन के माध्यम से कीमती माल प्लेटों का उठाया ?

(8) क्या लगभग 25 लाख रु. का माल इस समय में केवल 2 पार्टियों को मिला व आम मेन्युफेक्चरर को 2 टन भी नहीं मिला ?

(9) क्या जयपुर की 127 इन्डस्ट्रीज को बोगस मान कर डी-रजिस्टर किया गया है ? यदि हां, तो उनका विवरण मय कारण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(10) राज्य सरकार उपरोक्त घोटाले के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या राज्य सरकार इस स्टील की जांच सी. बी. आइ. से करायेगी ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिए इसको स्थगित करने के लिए निवेदन है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी सोमवार के दिन सारे समाचार-पत्रों में छप चुका है कि जयपुर के अन्दर एक करोड़ का स्टील स्केंडल हुआ है ....

श्री अध्यक्ष : यह सवाल में लिखा है। काफी और सवाल हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इसकी जांच सी. बी. आइ. से कराई जाय। इस प्रकार जो बोगस फर्म बना कर ....

श्री अध्यक्ष : जो शंकरलालजी से निवेदन किया, वही आपसे निवेदन करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष । प्रश्न का उत्तर नहीं है तो फिर बहस की जरूरत क्या है ? मैंने माननीय सदस्य से यह निवेदन किया है।

श्री मोहरसिंह।

श्री शंकरलाल : श्री गुमानमल लोढ़ा जी विरोधी दल के नेता हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने सी. बी. आइ. से जांच कराने की मांग की है। अब यह इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की नालेज में है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री मोहरसिंह।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह करोड़ों के गबन का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : और सवाल है। वैसे प्रश्नकर्ता ने कह दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गलत सील्ड क्यों कर रहे हैं ?

Shri Gumanmal Lodha : It is clear that you are shielding the guilty officers.

Page No 18

18

निगम की बसों का किराया

157. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि निगम की बसों का किराया रेलवे से ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या यह जन-सुविधा के विपरीत नहीं है ?

(ख) क्या यह सही है कि निगम की बसों के किराये की दरें भी समान नहीं हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह भी सही है कि जनता की मांग होने पर भी काफी स्थानों पर बस स्टेण्ड नहीं बनाये जा रहे हैं ? यदि हां तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (क) यह सही है कि बसों का किराया रेलवे के तीसरे दर्जे के किराये से अधिक है · · · ·

श्री मोहरसिंह : फिर से बतायें । शोर-गुल में सुनाई नहीं दिया ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हर स्टेण्ड पर जनता के चढ़ने व उतरने की सुविधा को देखते हुए यह किराया जन-सुविधा के विपरीत नहीं है ।

(2) निगम की बसों के किराये की दर, सामान्य, द्रुतगामी, सेमी डीलक्स एवं डीलक्स श्रेणी के अनुसार निर्धारित है ।

(3) जनता की मांग के आधार पर यात्रियों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त स्थानों पर नियमित बस स्टाप, स्टेण्ड व प्रार्थना बस स्टाप कायम किये जाते हैं ।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही नहीं है कि राजगढ़ से चूरू का किराया है उतनी ही दूरी पर से सादुलपुर है लेकिन उसका किराया ड्योढ़ा है ? साथ ही यह बताने की कृपा करें कि कितनी दूरी पर बस स्टेण्ड बनाने का कायदा है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब किराया तय करते हैं तो उसके लिए सरकार जब जब निर्णय लेती है और जो भी अनाउन्स करती है उसके बाद में आब्जेक्शन वगैरह इन्वाइट किये जाते हैं । इसके बाद जब आब्जेक्शन वगैरह आ जाते हैं उनकी सुनवाई हो जाती है उसके बाद आर.टी.ए. आर्डर निकालता है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि 15 जुलाई, 1974 क्रमांक की जरूरत नहीं है, को आर. एस. आर. सी. की बसों के किराये निर्धारित हुए हैं । इसकी मैं सूचना देदूं कि यह किराया फोर्स में है । सामान्य बस का 250 तक 3.5 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति आदमी, 250 के आगे 3 पैसे किलोमीटर प्रति आदमी, एक्सप्रेस और मेल के 250 तक 4 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति व्यक्ति, 250 से आगे 3 पैसे प्रति किलो-मीटर प्रति व्यक्ति, अर्द्ध डीलक्स के 250 तक 5 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री, 250 से आगे 4 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री, डीलक्स का 250 तक 6 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री और 250 के आगे 5 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री । अगर माननीय सदस्य को सूचना है कि इस किराये के अलावा अधिक किराया लिया जाता है तो मुझे अवगत करा दें ।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्नकर्ता।

श्री मनोहरसिंह : मैं प्रश्नकर्ता हूं, मैं माननीय मंत्री को सूचना दे रहा हूं कि राजगढ़ से चूरू किया है, उतनी ही दूरी पर चूरू से सादुलपुर है उसका किराया ड्योढ़ा है। मैं यह सूचना दे रहा हूं कि ऐसे अन्य भी स्थान हैं जहां किराया ड्योढ़ा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय सदस्य बताते हैं, तो मैं सूचना एकत्रित कर लूंगा। जो किराया है उससे अतिरिक्त किराया नहीं ले सकते। लेकिन इस हिसाब से नहीं ले रहे हैं और अधिक किराया ले रहे हैं तो सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्र भारतीया : मंत्री महोदय जवाब दें, जो किराया फिक्स है तो किराया अधिक कैसे लेते हैं जबकि उन्हें मालूम है कि किराये की रेट्स क्या हैं ? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि चूरू से राजगढ़ का किराया है, उतनी ही दूरी पर चूरू से सादुलपुर है फिर भी ड्योढ़ा किराया लिया जाता है। क्या यह मंत्री महोदय को इन्फार्मेशन नहीं है ? क्यों नहीं उस ओर ध्यान देना चाहते हैं ? मैं पिन पाइन्ट करना चाहता हूं व्हैदर ही हेज गोट देट इन्फार्मेशन और नोट

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने जैसा निवेदन किया, यह निर्धारित दर हैं किराये की, इन निर्धारित दरों से अधिक किराया नहीं ले सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : This is a Supplementary from the authority.

श्री मोहनलाल छंगाणी : जैसा माननीय राजेन्द्र भारतीया ने प्रश्न उठाया है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने उत्तर दिया कि निर्धारित किराये से अधिक किराया नहीं लिया जाता है। किसी रूट पर अधिक किराया लिया जाता है, जो आर एस. आर. सी. की बसों के लिए जो किराया तय होता है, जो आर. टी. ए. के जरिये तय होता है, उससे अधिक किराया लिया जाता है, जबकि जो निश्चित है उससे अधिक नहीं लिया जा सकता, मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आर. टी. ए. बाद में तय होगा। एकदम से बस शुरू हुई और किराया लेना शुरू कर दिया, तो आर. टी. ए. बाद में करेगा।

श्री अध्यक्ष : सबको सुन लें और फिर जवाब दे दें।

श्री माणकचन्द सोगानी : इसके साथ ही बस स्टेन्ड का सवाल है, अजमेर जैसी मशहूर जगह पर भी बस स्टेन्ड नहीं बना है, वह कब तक बन जायगा ?

श्री गोपाल जोशी : रोडवेज में भारी अव्यवस्था है। जो बस स्टाप की बात है तो जहां शिड्यूल्ड बस स्टाप हैं वहां स्टॉप नहीं करते हैं....

श्री अध्यक्ष : जानकारी दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री गोपाल जोशी : इससे ही सम्बन्धित है। स्टाप का सवाल है, तो जहां रोडवेज का स्टाप है, जहां पर स्टॉप नहीं करनी चाहिए वहां पर स्टॉप करते

(श्री गोपाल जोशी)

हैं। पता नहीं कन्डक्टर मिले हुए होते हैं या बीच में पैसा लेकर स्टॉप कर देते हैं। यह अहम् प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : क्या पूरा घण्टा इस पर बहस के लिए रख लिया जाय ?

श्री गोपाल जोशी : रोडवेज की बसों में बहुत अव्यवस्था है। बसें ओवर लोड चलती हैं, लोग बसों की छतों पर बैठे रहते हैं....

श्री अध्यक्ष : सूचना दे रहे हैं या ले रहे हैं ?

श्री गोपाल जोशी : दे रहा हूं। यह अव्यवस्था कब तक चलेगी ? इस अव्यवस्था को आप कब तक रोकेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : बसें ओवर क्राउडेड होती हैं, उनमें जितनी सिटिंग कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा आदमियों को बैठाया जाता है। डीलक्स बसों का किराया ज्यादा है, जो दो आदमियों के बैठने के लायक है, उस पर तीन बिठाते हैं। इस असुविधा को मिटाने के लिए क्या आप उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : रेलवे में ओवर क्राउडेड करते हैं तो रोडवेज वालों को भी करने दीजिये।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बसों के बारे में बताया, मैं आपको बताऊं कि डूंगरगढ़ की बसों का किराया अलग अलग है। मैं निवेदन करूंगा कि एक श्रेणी की बस हैं, उनका किराया अलग अलग क्यों है, उदाहरण के तौर पर बताऊं कि बीकानेर से डूंगरगढ़ का किराया 70 पैसे, 75 पैसे, 80 पैसे है ....

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजिये।

श्री लूणाराम : मैंने मंत्री महोदय को लिख कर दे दिया है, उदाहरण के तौर पर यहां तक बताऊं कि जो बस स्टेन्ड डूंगरगढ़ का है, वहां टिकट लें तो वह लेगा 70 पैसे और गाड़ी में टिकट लेने पर उसी बस का 1 रुपया 10 पैसे लेते हैं ...

श्री अध्यक्ष : No. Speech.

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा भी एक सप्लीमेन्ट्री है........ ..

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐतराज है ? क्या एक ही सवाल पर बहस होगी ?

श्री मनोहरलाल : दो घण्टे का प्रश्न-काल होना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो रूट्स नेशनेलाइज किये गये हैं ....

श्री अध्यक्ष : इस सवाल पर बहस होने वाली है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो रूट्स नेशनेलाइज किये गये हैं उन पर भारी भीड़ रहती है और बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहला प्रश्न उठाया कि कई जगह स्टॉप नहीं रखे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

निवेदन करना चाहता हूं, जो जो स्टॉप जिस जिस रूट पर आर. टी. ए. तय करती है, वहीं बस खड़ी होती है। अगर ऐसे उदाहरण हैं कि रोडवेज की बस वहां खड़ी नहीं होती है तो मुझे सूचित करें, मैं कार्यवाही करूंगा। जो स्टॉप मुकर्रर होते हैं वह आर. टी. ए. मुकर्रर करती है, जो रूट तय होते हैं वहां स्टाप मुकर्रर कर दिये, उसके बाद कोई सूचना दें कि यहां पैसेन्जर को उतारने चढ़ाने लग गये हैं तो ट्रान्सपोर्ट आथारिटी को लिखेंगे। तो इस तरह की सूचना दी जाय। इसके अलावा उठाया कि बसों में लोग अधिक होते हैं। बीच में जब रेल्वे स्ट्राइक हुई थी उस समय स्थिति अनमैनेजेबल थी ···

कई माननीय सदस्य : आज की बात है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप मेमोरी से बोल रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय चाहें तो आज भी अजमेरी गेट बस स्टैण्ड पर जाकर देख लें कि जो बसेज अजमेरी गेट से सांगानेर जाती हैं उन पर लोग बसों के अन्दर और ऊपर बैठ जाते हैं। आप उनको चाहें तो चैक कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय सदस्य मेरी सुनिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज लोग दो मन्जिलों की बसों पर चढ के चल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : (मुख्यमन्त्री) अध्यक्ष महोदय, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ है उसे हमें स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह बात जरूर है कि जिन रूट्स को गवर्नमेंट ने नेशनेलाइज किया वहां पर बसों की संख्या पहले जो प्राइवेट बसेज चलती थीं उससे कम है। आज जो आर. एस. आर. टी. सी. की बसेज चल रही हैं उनकी कमी इस बात से भी नजर आती है कि हमने जैसे जयपुर अजमेर बस रूट को नेशनेलाइज कर लिया और बीच में जो इन्टर रूट्स आते हैं जैसे जोबनेर जाना हो तो वहां पर नेचुरली भीड़ होती है। वहां पर ओवर लेपिंग आफ दी रूट होता है। मैं आपको जोबनेर का तो एक उदाहरण ही देता हूं। ऐसा वहां होता होगा। ऐसे बीच में जो गांव आते हैं उन रूट्स पर लोगों को तकलीफ होनी है यह हम मानते हैं लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि जब कोई बड़ा काम करते हैं तो थोड़ी बहुत कमजोरियां उसमें रहती हैं उनको दूर करने में थोड़ा समय लगता ही है। मेरी कल ही मन्त्री जी से इस बारे में बात हुई थी। मन्त्री जी का कहने का मतलब कोई गलत नहीं है। लेकिन यह भी बात सही है कि जब बसों की संख्या कम होगी या और कोई इन्टर रूट्स से कनेक्टेड जगह होगी वहां पर ज्यादा भीड़ हो सकती है। इस कठिनाई को राज्य सरकार दूर करने के प्रयास कर रही है। इसके लिए हम और आप बैठ कर बातचीत कर सकते हैं, इसके लिए मैं समझता हूं कि अगले माह में हम बैठकर अलग अलग रूट्स पर जो दिक्कत है उसके बारे में बातचीत करेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री पूनमचन्द बिश्नोई, श्री भंवरलाल भादाणी।

(श्री अध्यक्ष)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

प्रश्न संख्या 190।

राासायनिक खाद का वितरण

90. श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मई, 74 के आखिरी सप्ताह व जून, 1974 के पहले सप्ताह में राजस्थान के विभिन्न जिलों के कृषि अधिकारियों में से प्रत्येक ने कितना कितना रासायनिक खाद किन किन संस्थाओं व व्यक्तियों को दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) सन् 1973 में इन्हीं दो सप्ताह में प्रत्येक जिला कृषि अधिकारी ने कितना कितना खाद दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस वर्ष उपरोक्त अवधि में जो खाद बेचा गया उसकी कीमत किन किन जिलों में नकद कृषि अधिकारी के पास किस तारीख को जमा करवाई गई ? तथा नकद राशि खजाने में कब जमा करवाई गई ? किन किन व्यक्तियों व संस्थाओं से रकम ट्रेजरी में जमा करवाई व कौन सी तारीख को ? दोनों तरीके से जमा हुई रकम की मय तारीखों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि कई जिला अधिकारियों ने एक जून के पश्चात् पहले की तारीख में खाद बेचने का गलत इन्द्राज कर गलत कार्यवाही की है व उससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है ?

(5) क्या सरकार इस सम्बन्ध में पुलिस से जांच कराने का विचार रखती है।

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) :

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संलग्न तालिका में दर्शायी गई है।

(3) संलग्न तालिका में दर्शायी गई है।

(4) ऐसी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है।

(5) ऐसी कोई जानकारी मिलने पर विचार किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जेठमल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसी सूचना थी आबू रोड से फर्टीलाइजर के ट्रक गुजरात को जा रहे थे उसके बारे में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : इसकी जानकारी इनको नहीं है मुझे जानकारी है इसकी। क्योंकि जब मैं आबू रोड गया था तब मुझे वहां पर मालूम हुआ था। यह मामला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डील नहीं कर रहा है बल्कि होम डिपार्टमेंट डील कर रहा है। मैं जब यहां पर माउन्ट आबू से पहुंचा तो आते वक्त मैंने आबू के कलेक्टर को और

(श्री हरिदेव जोशी)

एस. पी. को भी आगाह कर दिया। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यहां पर पहुंचने के दो घन्टे बाद ही मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के डी. आइ. जी. सी. आइ. डी. को यहां से इस सारी कार्यवाही की इन्क्वायरी करने वहां पर भेजा। यह मामला जेरतफतीश है। इसलिए अभी इसकी विगत बताना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 168।

विद्युत क्षमता

158. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अप्रेल, 1974 तक समस्त स्त्रोतों से राजस्थान विद्युत मन्डल के पास उत्पादन करने की क्षमता थी तथा वास्तव में कितना विद्युत उत्पादन होता था?

(2) उपरोक्त विद्युत में से कुल कितनी बेची जाता है तथा कितनी बिना बिकी रहती है तथा ट्रान्समीशन में चोरी जाने से एवं अन्य तरीकों से कितनी प्रतिशत नुकसान होता है ? इस संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर कितना प्रतिशत नुकसान माना गया है तथा इस नुकसान को कम करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(3) उपरोक्त कारणों से विद्युत मंडल को प्रतिवर्ष कितना नुकसान होता है ?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : राजस्थान में अप्रेल, 1974 में समस्त स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन करने की दृढ क्षमता लगभग 562 मेगावाट थी। वर्ष 1973-74 में वास्तविक विद्युत उत्पादन करीब 250.13 करोड़ युनिट था।

(2) वर्ष 1973-74 में लगभग 209.28 करोड़ युनिट बिजली बेची गई। इस वर्ष का नुकसान लगभग 16.33 प्रतिशत आंका गया है जिसमें ट्रान्समीशन, डिस्ट्रीब्यूशन व ट्रान्सफोर्मेशन में होने वाला व अन्य प्रकार का (अन एकाउन्टेड नुकसान) शामिल है। यद्यपि इस प्रकार के नुकसान की कोई निश्चित प्रतिशत नहीं है। तथापि अखिल भारतीय स्तर पर यह नुकसान वर्ष 1971-72 में 5 प्रतिशत 28 प्रतिशत तक रहा है, विभिन्न राज्यों में परिस्थितियों के अनुसार ये नुकसान अलग 2 होता है। इस नुकसान को कम करने हेतु विद्युत मंडल अनेक उपाय जिनमें 13/11 केवी सबस्टेशनों व लाइनों का संवर्धन व केपेसिटर्स लगाना आदि शामिल है, कर रहा है।

(3) हर वर्ष का नुकसान अलग अलग रहा है। गत तीन वर्षों का नुकसान निम्न प्रकार है :

1971-72	20.70 प्रतिशत
1972-73	25.08 प्रतिशत
1973-74	16.33 प्रतिशत

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न संख्या 162 छोड़ दिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : दिस इज क्वश्चन नम्बर 158।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इन लोसेज के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : मोहरसिंह जी के बाद तो 158वां प्रश्न श्री भीमसेन जी का है।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो स्थगित प्रश्न था अब रेगूलर प्रश्न चल रहे हैं।

श्री भीमसेन : तो अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रान्समीशन में इतने ज्यादा लोसेज हो रहे हैं उसके बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि बिजली बोर्ड को ज्यादा लोसेज हो रहा है। यह बात सही है। क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम देंगे तो हमें पता लगेगा कि वहां पर सभी स्टेट्स को अगर हम लें तो वहां पर कम से कम हमें पांच परसेन्ट तो नहीं ज्यादा से ज्यादा लासेज जो हैं वह 28 प्रतिशत है। जबकि हमारे यहां पर अध्यक्ष महोदय सिर्फ, 16.33 प्रतिशत है। तो यह कहना कि हमारे यहां पर लोसेज अधिक है यह बात सही नहीं है। मैंने आपको अखिल भारतीय स्तर के आंकड़े दिये हैं। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां की स्थिति और दूसरी स्टेट्स की स्थिति में काफी फर्क है। हमारे यहां पर जो लाइन का ट्रान्समिशन हुआ है वह जनरेटिंग हैडक्वार्टर्स से बहुत ही दूर दूर तक लेजाया गया है। जिससे लाइन हमें लम्बी लम्बी दूर तक खींचनी पड़ती है उनमें आपस में डिसटेन्स बहुत ही दूर है। इसलिये ज्यादा दूरी होने की वजह से कहीं कहीं पर बिजली का चोरी भी हो सकती है और उसमें ज्यादा बिजली खर्च हो जाती है वैसे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लम्बी लाइनों में ट्रान्समीशन, डिस्ट्रिब्यूशन व ट्रान्सफोर्मेशन और अन्य प्रकार का नुकसान भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यह भी है कि सन् 72-73 में हमने बिजली का विस्तार भी बहुत तेजी से किया था। इसको करने का यह कारण भी था कि राज्य सरकार के सामने दो बातें थी एक तो यह कि जो नुकसान हो रहा है उसको पहले कम किया जाय और बिजली का विस्तार कम किया जाय। तो इसके लिये पहले राज्य सरकार के पास चूंकि बिजली की मांग अधिक थी इसलिये पहले राज्य सरकार ने बिजली का विस्तार बहुत अधिक किया। अध्यक्ष महोदय, जब बिजली का विस्तार अधिक किया तो नेचूरली लाइनें लम्बी खींचने की आवश्यकता रही। इसलिये यह लोसेज ज्यादा हुए। विद्युत मन्डल ने अध्यक्ष महोदय, फिर इन लोसेज को कम करने के लिये जहां जहां पर 33 और 11 के० वी लाइनें थी उन सब स्टेशनों पर केपेसिटर्स लगाये इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे लोसेज 73-74 में कम आये और मैं समझता हूं कि 74-75 में इससे भी कम लोसेज आयेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमने कन्डेक्टर्स भी लासेज के कम होने के लिये लगाये है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि लोसेज दूसरी भारतीय स्टेट्स से हमारे यहां पर ज्यादा हैं उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि बिजली की चोरी के लिये आप क्या चेकिंग व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय मंत्री महोदय, लम्बा भाषण देकर माननीय सदस्य को चक्कर में क्यों डाल रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके लिये हमने विजीलेन्स स्कूवेड रखे हैं जो पता लगायेंगे कि कहां चोरी हो रही है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि लॉसेज अधिक हैं और बिजली की चोरी अधिक हो रही है उसमें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि लॉसेज के लिये तो हमने जो बिजली की लाइन से हो रहे हैं उसमें हमने जिस प्रकार 33 व 11 के. वी. लाइन के केपेसिटर्स लगाये हैं उसी प्रकार 220 के. वी. लाइन के लिये हमने जगह जगह कन्डेन्सन लगाये हैं वैसे जहां तक सवाल चोरी होने का है वह जैसा माननीय सदस्य सोच रहे हैं उतनी नहीं हो रही है। वैसे जैसे मैंने आंकड़े दिये हैं जो 72-73 के अन्दर लोसेज के आंकड़े 25.08 प्रतिशत था वह अब 73-74 में 16.33 रह गया है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, बिजली की चोरी के लिये...

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह पता लगना मुश्किल है कि चोरी से कितने लॉसेज हुए। वैसे जनरल लोस का पता लग सकता है। वैसे इसके लिये हम काफी प्रयास कर रहे हैं उसके लिये विजीलेन्स स्कूवेड रखे है जो कि इसके लिये चेज करती हैं और मैं समझता हूं कि हमारा यह प्रयास सफल रहा है और अध्यक्ष महोदय....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब ठीक काफी हो गया आपका लोहा मान लिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आमेर थाने में दर्ज कत्ल का मामला

151. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दिनांक 19 मार्च, 1974 को आमेर थाने (जयपुर) में लाला नाम की विवाहिता के कत्ल किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई ?

(2) पुलिस ने इस केस के बाबत क्या जांच पड़ताल की ? क्या मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार लाला की मृत्यु उसके पति जगन्नाथ माली आमेर निवासी के साथियों, द्वारा घातक हथियार से वार करने से हुई है ?

(3) क्या पुलिस की तफतीश ठीक न होने की वजह से जनता में आक्रोश है तथा क्या पुलिस अनावश्यकरूप से दबाव डालकर मामले को कम्पाउन्ड करना चाहती है ?

(4) क्या सरकार इसकी जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा कराने का इरादा रखती है ?

(5) क्या यह सच है कि पुलिस साक्ष्य को नष्ट कर रही है ? क्या मृत लाला के पैरों के कड़े जो उतारने के प्रयास में टेढ़े-मेढे हो रहे थे पुलिस ने सबूत के रूप

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

में अपने पास रखने के बजाय अपराधियों को सौंप दिये ?

(6) क्या यह सच है कि अब तक मिली साक्ष्य के अनुसार लड़की को पहले घातक हथियारों से मार कर कुए में गिराया गया और फिर निकाल कर शराब पिलाई गई जिससे अपराधी बच सकें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मुकदमे की तफतीश अभी तक जारी है। लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती लाला की मौत चोटों के संदर्भ के कारण हुई, बताया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं। मृतक के पैरों को कड़ियों की तफतीश से कोई विशेष संबंध नहीं होने के कारण उन्हें कब्जा पुलिस में नहीं लिया गया था।

(6) तफतीश जारी है।

लोक आयुक्त को सौंपे गये मामले

154. श्री झावरमल सूंडा (फतेहपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लोक आयुक्त ने अपना कार्यभार किस तारीख को संभाला ?

(2) कार्यभार संभालने से आज तक विधिवत तौर से कितने मामले लोक आयुक्त को सौंपे गये हैं तथा किस किस व्यक्ति के खिलाफ ?

(3) क्या लोक आयुक्त ने किसी एक या अधिक मामलों में अपनी जांच पूर्ण कर ली है ? यदि हां, तो क्या नतीजा हासिल हुआ ?

(4) क्या लोक आयुक्त ने राज्य सरकार से लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिए कहा है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) लोक आयुक्त ने अपने पद की शपथ दिनांक 28-8-73 को ग्रहण की। राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत लोकआयुक्त स्वयं शिकायतें प्राप्त करने एवं जांच करने के लिए सक्षम है राज्य सरकार द्वारा जांच हेतु मामले सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) धारा 9 (1) के अन्तर्गत लोक आयुक्त सचिवालय में दिनांक 28 अगस्त, 1973 से 31 जुलाई, 1974 तक कुल 857 शिकायतें विचारार्थ प्राप्त हुई है।

चूंकि अधिनियम की धारा 10 (2) के अन्तर्गत लोक आयुक्त द्वारा की जाने वाली जांच गोपनीय पद्धति (Private) से करने का प्रावधान है और शिकायतकर्ता तथा अधिकारी जिसके विरुद्ध शिकायत आई है, के बारे में जानकारी न देने का विशेष प्रावधान है अतः उपरोक्त शिकायतों के बारे में जानकारी देने में कानूनी बाधा है।

(3) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोक आयुक्त के सम्मुख दिनांक 28-8-73 से 31-7-74 तक कुल 757 शिका-

(उत्तर)

यतें विचारार्थ प्रस्तुत हुई हैं। इन शिकायतों पर क्या क्या कार्यवाही हुई इसका पूर्ण ब्यौरा संलग्न तालिका 'क' एवं 'ख' में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

लोक आयुक्त ने अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट में जो राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की है, अधिनियम में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिये हैं।

(4) चूंकि वार्षिक प्रतिवेदन वर्तमान में गोपनीय है, अतः सुझावों का यहां उल्लेख कराना लोक हित में उचित नहीं होगा ?

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहायक अभियन्ता, विद्युत कार्यालय दौसा में प्राप्त प्रार्थना-पत्र

49. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक अभियन्ता विद्युत कार्यालय दौसा (जयपुर) में एडवांस स्कीम के अन्तर्गत गत एक साल में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? कृपया प्रार्थना-पत्र के दिनांक सहित प्रार्थियों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि गत कई महीनों से उक्त प्रार्थना-पत्रों में से कार्यालय द्वारा कोई इन्टीमेशन नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार एडवांस स्कीम के प्रार्थना-पत्रों को अतिशीघ्र किसी निश्चित अवधि में इन्टीमेशन देने के बारे में विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता, दौसा के अधीन एडवान्स स्कीम में कुल 49 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, जिनकी सूची 'ए' सदन को मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, अभी तक आवश्यक अनुमान बनाये जा रहे हैं जिनकी तकनीकी जांच होने के बाद ही इन्टीमेशन जारी की जावेगी।

(3) जी नहीं। जब तक पर्याप्त साधनों की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक समय की सीमा निर्धारण करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

लालसोट तहसील के बांध

50. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील के उत्तरी सागर (बिनोरी सागर), मोरेल सागर आदि बांध जो पूर्णतया लालसोट तहसील में हैं और इसी तहसील के अधिकांश भाग की सिंचाई करते हैं ?

(2) क्या यह सही कि उक्त बांधों के पूर्णतया लालसोट तहसील में होने के उपरांत

Page No 28

28

(श्री मीठालाल)

भी सिंचाई विभाग द्वारा उक्त बंधों को सवाईमाधोपुर जिले के ए. इ. एन. करोली क्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि लालसोट के किसानों व जन प्रतिनिधियों की बिना राय के ही उक्त बांधों की मोरियां खोल दी जाती हैं जिससे कम पानी रहने पर उक्त तहसील के किसानों को पानी नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार उक्त बांधों की देख-रेख सवाई माधोपुर जिले से हटाकर जयपुर जिले के अन्तर्गत रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह दोनों बान्ध जयपुर जिले के लालसोट तहसील में स्थित हैं परन्तु इनसे अधिकांश सिंचाई सवाई माधोपुर जिले में होती है।

(2) मोरेल सागर बान्ध सहायक अभियन्ता सवाईमाधोपुर एवं इसकी उत्तरी नहर तथा विनोरी सागर बान्ध सहायक अभियन्ता गंगापुर के अधीन अधिशाषी अभियन्ता सवाईमाधोपुर के नियंत्रण में है यह व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक है।

(3) जी नहीं। जन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित कर जल वितरण कमेटी द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाती है जिससे कम पानी होने पर लालसोट के किसान पानी से वंचित नहीं रखे जाते हैं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगानगर जिले के कुओं को बिजली

51. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) श्रीगंगानगर जिले में इस समय कितने कुएं बने कब से कहां कहां बने हुए हैं इनमें से कितने सेंक्शन्ड एरिया में व कितने अनसेंक्शन्ड एरिया में बने हुए हैं और जो अनसेंक्शन्ड एरिया में हैं उन स्थानों पर पहले से कितने ट्यूब व्हैल लगे हुए हैं ? उपरोक्त सब कुओं को बिजली न दिये जाने का क्या कारण है ?

(ख) इस समय जबकि नहर टूटी हुई है और नहर की लम्बी लम्बी बन्दियां चल रही हैं तो सरकार अन्न की उपज की ओर ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में अधिक बिजली कनेक्शन देना क्यों उचित नहीं समझती ?

उत्तर

(क) श्रीगंगानगर जिले में इस समय कितने कुएं कब से कहां कहां बने हुए हैं इसकी सूचना विद्युत् मण्डल के कार्यालय में नहीं रखी जाती। अनसेंक्शन्ड एरिया में 172 कुओं को कनेक्शन्स पहले से दिये हुए हैं। अनसेंक्शन्ड एरिया में कनेक्शन बोर्ड के आदेशों के अन्तर्गत अब नहीं दिये जाते।

सेंक्शन्ड एरिया में कन्डक्टर की कमी के कारण इस वर्ष अब तक कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

(ख) सरकार सीमित साधनों के अनुसार अधिक से अधिक कुओं को कनेक्शन दिलाने के लिये प्रयत्नशील है।

Page No 29

29

नहर का पानी

52. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सच है कि ता. 1-7-74 को एल. एन. पी. नहर चल रही थी और चक 42 एल. एन. पी. के मोगे में पानी चल रहा था और 11 बज कर 19 मिनिट रात के करीब 4 बजे सुबह तारीख 2-7-74 तक श्री गांधी सिंह की पानी की बारी थी।

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त पानी की बारी इस गरीब किसान को श्री सुरजाराम जिला प्रमुख ने लगाने नहीं दी ?

(3) क्या यह सच है कि उपरोक्त मामले की शिकायत श्री गांधीसिंह ने एक्स. इ. एन. साउथ, सिंचाई विभाग, श्रीगंगानगर के पास की मगर उसकी कोई सुनवाई न हो सकी ?

(4) क्या यह सच है कि उपरोक्त मामले की रिपोर्ट थाना पुलिस घमूड़वाली में की जिस पर पटवारी हल्का नहर से रिपोर्ट मांगी गई तो पटवारी हल्का ने यह गलत रिपोर्ट दी कि उस दिन नहर नहीं चल रही थी।

क्या सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और पटवारी हल्का को सस्पेन्ड करके कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। लेकिन 380 क्यूसेक्स की पूर्ण क्षमता के बजाय 69 क्यूसेक्स ही चल रहा था। यह सही है कि बताए गए समय पर श्री गांधी सिंह की पानी की बारी थी ?

(2) जी नहीं।

(3) कथित मामले की शिकायत मिली थी। सुनवाई नियमानुसार की गई और जांच के पश्चात् इसमें सचाई नहीं पाई गई।

(4) कथित मामले की रिपोर्ट थाना पुलिस में की गई थी पटवारी ने रिपोर्ट दी कि इस मोगे पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था।

प्रश्न नहीं उठता।

मकान मालिकों एवं किरायेदारों को बिजली का कनेक्शन

53. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विद्युत मंडल द्वारा मकान मालिकों एवं किरायेदारों को बिजली का कनेक्शन देने के क्या क्या नियम व शर्तें हैं और किरायेदार को क्या क्या अधिक शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है ?

(2) क्या इन नियमों एवं शर्तों के अनुसार मकान मालिक को बिजली का कनेक्शन दिये हुए होने पर भी किरायेदार को अलग से बिजली का कनेक्शन दिया जा सकता है ? यदि हां, तो उसके लिए किरायेदारों को क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(3) सहायक अभियन्ता (प्र) प्रथम, नगर उप संभाग, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर के यहां पर 1972 वर्ष में ऐसे कितने शिकायत-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें मकान मालिकों द्वारा यह कहा गया कि किरायेदारों ने मकान मालिक बताकर बिजली का कनेक्शन ले लिया है? सूची सम्पूर्ण विवरण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) शिकायत-पत्र प्राप्त होने पर इन मामलों पर क्या 2 कार्यवाही की गई और नियमानुसार क्या कार्यवाही की जानी चाहिए थी?

(5) क्या इन शिकायत-पत्रों में श्री फूलचन्द का भी एक शिकायत-पत्र था? यदि हां, तो उस पर किस किस से क्या प्रमाण पत्रादि मांगे और किस किस ने कब कब क्या क्या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये? सम्पूर्ण पत्रों, प्रमाण-पत्रों आदि की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायतकर्ता ने सहायक अभियन्ता के पत्र क्रमांक 6257, दिनांक 23-12-72 का उत्तर दिनांक 9-1-73 को प्रस्तुत किया जिसे प्राप्ति रजिस्टर में क्रमांक 155 पर दर्ज किया? यदि नहीं, तो उक्त प्राप्ति रजिस्टर तथा उसमें दर्ज पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या विद्युतमण्डल उक्त शिकायतकर्ता को मकान मालिक नहीं मानता है? यदि हां, तो किन किन आधारों पर?

(8) क्या उक्त मामले में किरायेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल की जनरल कन्डीशन्स आफ सप्लाइ में दी गई उपभोक्ता की परिभाषा में आने वाले किसी भी उपभोक्ता को चाहे वह मकान मालिक हो अथवा मकान में रहने वाला (ओक्यूपायर) हो विद्युत् कनेक्शन दिया जा सकता है। ऐसे उपभोक्ता को मण्डल द्वारा निर्धारित फार्म पर प्रार्थना-पत्र मन्डल के सम्बन्धित कार्यालय में आवश्यक फीस के साथ देना होता है। मकान मालिक उपभोक्ता को उक्त कन्डीशन्स आफ सप्लाइ के भाग 2 में बताई गई फीस व अमानत राशि (सिक्यूरिटी डिपोजिट) जमा करानी होती है। दूसरे उपभोक्ताओं को जो स्वयं मकान मालिक नहीं हैं। उक्त कन्डीशन्स के क्लाज 22(डी) के अनुसार अतिरिक्त अमानत के 35 रुपये उपरोक्त फीस आदि के अतिरिक्त जमा कराने पड़ते हैं। दूसरे उपभोक्ताओं को जो स्वयं मकान मालिक नहीं है, कनेक्शन लेने से पहले मकान मालिक की अनुमति मण्डल कार्यालय को स्वयं लाकर देनी होती है। यदि ऐसी अनुमति यह उपभोक्ता नहीं ला सके तो उसे अलग से एक इन्डेमनिटी-बान्ड निर्धारितरूप के अनुसार 15 रुपये के स्टाम्प पर मण्डल को देना होता है।

(2) जी हां। ऐसे उपभोक्ताओं को जो स्वयं मकान मालिक न हो (अथवा किरायेदार हो) जो अतिरिक्त कार्यवाही करनी होती है उसका विवरण प्रश्न 1 के उत्तर में दिया गया है।

(विद्युत मन्त्री) (1)

(3) सहायक अभियन्ता 'अ' प्रथम नगर उप संभाग, जयपुर के कार्यालय में सन 1972 में केवल एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-6-72 को प्राप्त हुआ जिसमें एक श्री फूलचन्द द्वारा यह शिकायत की गई थी कि एक श्री मांगीलाल पुत्र श्री धनजी ने किरायेदार होते हुए भी अपने को मकान मालिक बताकर कनेक्शन लिया है, जबकि मकान मालिक श्री फूलचन्द है।

(4) शिकायती-पत्र प्राप्त होने पर मंडल ने विधि अधिकारी की राय से संबंधित व्यक्तियों से मकान मालिक होने के प्रमाण-पत्र मांगे गये।

(5) सहायक अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 3041 दिनांक 11-7-72 द्वारा श्री मांगीलाल से प्रमाण मांगा गया। इसके उत्तर में श्री मांगीलाल ने अपने पत्र दिनांक 17-7-72 को सूचित किया कि वे उक्त मकान, जिसमें उन्होंने कनेक्शन 3 वर्ष पहले लिया है में किरायेदार नहीं हैं- उन्होंने यह सही लिखा कि श्री फूलचन्द जिन्होंने शिकायत की है, ने जो मकान खरीदा है उनका हिस्सा उनके (श्री मांगीलाल) हिस्से से अलग है और कनेक्शन देते समय भी श्री फूलचन्द ने लिखित में दिया था कि उन्हें श्री मांगीलाल का कनेक्शन उनकी (श्री फूलचन्द की) लाइन से देने में ऐतराज नहीं है। इसी प्रकार श्री फूलचन्द से भी पत्र संख्या 3171 दिनांक 20-7-72 द्वारा उनके मालिक होने का प्रमाण मांगा गया- उत्तर में श्री फूलचन्द ने 25-7-72 के अपने पत्र द्वारा अपने खरीदे हुए मकान का नक्शा व रजिस्ट्री की सत्य प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता को भेजी। पत्रों की नकलें संलग्न हैं।

(6) जी हां।

(7) शिकायतकर्ता को श्री मांगीलाल के हिस्से के मकान का मालिक मानने के विवाद का निर्णय सक्षम किसी न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

(8) इस मामले में जब तक किसी अदालत द्वारा निर्णय प्राप्त नहीं होता तब तक मण्डल द्वारा कोई अन्य कार्यवाही करना उचित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ठेकेदारों के बिलों का भुगतान

54. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग में ठेकेदारों के ठेके के काम समाप्त होने के दिन के पश्चात् के एक वर्ष से अधिक पुराने फाइनल बिल्स कितने अब तक भुगतान करने बकाया है? उनकी पूर्ण सूची मय ठेकेदारों व काम के नाम, काम समाप्त होने का दिनांक और बकाया धनराशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कामों की कितनी सिक्युरिटी डिपोजिट की धनराशि जमा पड़ी है जो काम समाप्त होने के छः माह पश्चात् भुगतान की जा सकती है परन्तु फाइनल बिल पेमेन्ट न होने के कारण, अब तक भुगतान नहीं की गई? उसकी भी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(3) क्या कारण है कि ठेकेदारों को अभी तक उपरोक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया और उसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति धोद (सीकर) के ग्रामों का विद्युतिकरण

55. श्री भाबरमल सून्डा (फतेहपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, धोद, जिला सीकर के ग्राम आन्तरी, बिडोली, गोठडा तगालान, मान्डेला, अर्जुनपुरा, चोखा का बास, काशी का बास, कदमा का बास, मान्डोली तथा जीणवास आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की कोई योजना बना कर लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर.

प्रश्न में वर्णित गांवों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का ब्यौरा विद्युत मण्डल में नहीं रखा जाता। फिलहाल इस क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की कोई स्कीम नहीं बनाई गई है।

झालरापाटन में लेडी डाक्टर का रिक्त पद

56. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगर के चिकित्सालय के लिये लेडी डाक्टर के आदेश लगभग 1 साल पूर्व हो जाने पर भी लेडी डाक्टर अभी तक नहीं गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि दो या तीन बार लेडी डाक्टर के पोस्टिंग के आदेश हो गये थे लेकिन रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब कब तक लेडी डाक्टर को भेज दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। झालरापाटन चिकित्सालय में केवल एक चिकित्सक का पद स्वीकृत है जिस पर डा. एम. एल. सूदने दिनांक 3-2-70 से कार्यरत है।

(2) जी हां। दो महिला चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति के आदेश किये गये थे, किन्तु प्रशासनिक कारणों से निरस्त करने पड़े।

(3) अब वहां स्वीकृत पद के अलावा डा. (कुमारी) गीता चौधरी को निदेशालय के आदेश क्रमांक इ.सी.ए.एस./एटी/244, दिनांक 12-7-74 के द्वारा आइ.यू. सी. डी. झालावाड़ में नियुक्त कर झालरापाटन अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया जा चुका है। वे वहां कार्य कर रही हैं।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

57. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मई से नवम्बर तक

(श्री भीमसेन)

प्रतिवर्ष प्रत्येक घर में कितनी दफा डी. डी. टी. (बी. एच. सी.) का स्प्रे किया जाना आवश्यक है ?

(2) क्या सन् 72-73 व 73-74 में उपरोक्त नार्म्स के अनुसार सारे राजस्थान में स्प्रे किया गया ? अगर हां, तो राजस्थान के कई हिस्सों में मलेरिया के केसेज क्यों हो रहे हैं ?

उत्तर

(1) केवल "अटक-फेज" के घोषित क्षेत्रों में ही राष्ट्रीय उन्मूलन योजना के अन्तर्गत माह मई से अक्टूबर के अन्त तक दो दफा डी. डी. टी. का छिड़काव होना अनिवार्य है और बी. एच. सी. का साल में 3 बार करना पड़ता है । अन्य क्षेत्र जो "अटक फेज" के अन्तर्गत घोषित नहीं है । वहां पर नियमित छिड़काव करना आवश्यक नहीं है ।

(2) सन् 1972-73 में रेगिस्तानी इलाकों व गंगानगर को छोड़कर शेष "अटक फेज" के क्षेत्र में दो बार दवाइयों का छिड़काव किया गया ।

वर्ष 1973-74 में निम्न कारणों से नार्म्स के अनुसार "अटक फेज" वाले क्षेत्रों में स्प्रे नहीं किया जा सका :—

(1) कर्मचारियों की जुलाई–अगस्त में हड़ताल होना ।

(2) क्षेत्र में अति वृष्टि एवं बाढ़ आ जाना ।

(3) निर्धारित दरों पर मजदूरों का उपलब्ध न होना ।

चूरू जिले में हरिजनों को मकान बनाने हेतु दिया गया ऋण

58. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

चूरू जिले में हरिजनों को अब तक मकान बनाने के लिए किस किस को कितना कितना ऋण दिया गया है ? तथा आगामी वर्ष में जिले भर में कितना पैसा राज्य सरकार हरिजनों को मकान बनाने के लिए और देगी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

वर्ष 1970-71 व 71-72 में अनुसूचित जाति के गृहहीन परिवारों को गृह निर्माण, जीर्णोद्धार के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा ब्याज रहित ऋण स्वीकृत करने की योजना थी । तदनुसार चूरू जिले में वर्ष 1970–71 में निम्न तीन मेहतर परिवारों को प्रति परिवार 2500) रुपये की दर से गृह निर्माण हेतु तथा पांच मेहतर परिवारों को प्रति परिवार 1000 रुपये की दर से मकानों का जीर्णोद्धार करने के लिए ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया गया था :—

क्रमांक	नाम ऋणी मय नाम पिता	स्वीकृत राशि	कार्य जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया
1	श्री इन्द्रया पुत्र नानू	2500	भवन निर्माण हेतु

Page No 34

34

(समाज कल्याण मन्त्री)

1	2	3	4
2	श्री नागर मल पुत्र नरसा राम	2500	भवन निर्माण हेतु
3	श्री अरजन पुत्र नानू	250	,,
4	श्री मोटा राम पुत्र मूलाराम	1000	जीर्णोद्धार
5	श्री मंगलाराम पुत्र बछुराम	1000	,,
6	श्री चन्द पुत्र भोलाराम	1000	,,
7	श्रीलालचन्द पुत्र मदनलाल	1000	,,
8	श्री मदनिया पुत्र भीखा	1000	,,

वर्ष 1972-73 से यह योजना समाप्त करदी गई है लेकिन उसी वर्ष अर्थात 72-73 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों का गृह निर्माण हेतु ऋण, दी राजस्थान स्टेट कोआॅपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि. जयपुर द्वारा स्वीकृत किया जाता है जिसकी सूचना सहकारिता विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

राजकीय श्री जी० डी० रुइया सेकेन्डरी स्कूल, रामगढ़ शेखावाटी के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच

59. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)। क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री आर. पी. गर्ग, प्रधानाध्यापक, राजकीय श्री जी. डी. रुइया सेकेण्डरी स्कूल, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर के विरुद्ध की गयी जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी। जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक श्री गर्ग ने कनिष्ठ लिपिक-कम पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर श्री राधेश्याम निर्मल को नियुक्त किया था। यदि हां, तो उन्होंने किस तिथि से कार्य करना प्रारम्भ किया। नियुक्ति पत्र सदन के पटल पर रखा जावे।

(3) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक श्री गर्ग द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1971 से 31 जुलाई, 1971 तक कनिष्ठ लिपिक-कम-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर श्री मोहनलाल शर्मा को ट्रायल पीरियड पर नियुक्त किया गया था। यदि हां, तो नियुक्ति पत्र सदन के पटल पर रखा जावे।

(4) क्या यह सही है कि श्री मोहनलाल शर्मा ने 31 जुलाई, 1971 तक इस संस्था में कार्य किया है और 1 अगस्त से राजकीय सेवा में चले जाने के कारण उन्हें जुलाई माह का वेतन नहीं दिया गया और उनके स्थान पर 1 अगस्त, 1971 से श्री राधेश्याम निर्मल की नियुक्ति की गयी।

(5) क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम निर्मल ने जुलाई, 1971 में ट्रायल पीरियड पर इस संस्था में कार्य नहीं किया है और इस अवधि में वे नगर से बाहर अपना निजी व्यवसाय करते रहे हैं।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(6) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक द्वारा जुलाई, 1971 में श्री निर्मल की जाली नियुक्ति दिखा कर इनके वेतन का गबन किया गया है। यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(2) जी हां। श्री राधेश्याम निर्मल ने दिनांक 1-6-71 को कार्यभार सम्हाला। नियुक्ति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) पुराना रेकार्ड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(4) रेकार्ड के अभाव में नहीं कहा जा सकता।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

पंचायत समिति लालसोट का अध्यापक

60 श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि राम प्रसाद पुत्र मिश्रीलाल ग्रा-सेडलाई जिला जयपुर के तीन लड़के राधाकृष्ण, प्रभुलाल और सुरेश चन्द्र थे जिनमें से राधाकृष्ण की मृत्यु हो चुकी है ?

(ख) क्या यह सच है कि लालसोट स्कूल में राधाकृष्ण व प्रभुलाल पढ़ा करते थे, उसमें राधाकृष्ण मिडिल पास कर गया था और प्रभुलाल मिडिल पास नहीं कर सका था ?

(ग) क्या यह सच है कि राधाकृष्ण के नाम पर इस समय प्रभुलाल पंचायत समिति लालसोट में अध्यापक पद पर कार्य कर रहा है ?

(घ) क्या सरकार उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी और कब तक ?

(स्थगित किया गया)

बाणगंगा की बाढ़ से क्षति

61. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 19 और 25 जुलाई, 1974 के बीच बाणगंगा में जो बाढ़ आई थी उसकी चपेट में भरतपुर जिले के कितने व कौन से गांव आये ?

(2) इस बाढ़ से फसल एवं मकान आदि को कितना नुकसान हुआ ? कृपया गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बाढ़ग्रस्त इलाके के नागरिक एवं काश्तकारों को क्या क्या रिलीफ देने का सरकार सोच रही है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में बाण गंगा की बाढ़ से 10 ग्रामों में पानी आया। ग्रामों की सूची संलग्न है।

(अकाल सहायता मन्त्री)

(2) इस बाढ़ से कितनी फसल का नुकसान हुआ है इसकी पूरी सूचना गिरदावरी होने के पश्चात् प्राप्त होगी तथा जिले के इन दस ग्रामों में 110 कच्चे मकान नष्ट हुए हैं एवं 115 कच्चे मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को तुरन्त आटा निःशुल्क वितरण किया गया एवं जिन व्यक्तियों के मकान पूर्णतया नष्ट हो गये हैं उन्हें प्रत्येक को 100) रु० तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाले मकानों के मालिकों को 50) रुपये प्रति व्यक्ति सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री गंगानगर जिले में राइफल व रिवाल्वर के लाइसेन्स

62. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि सन्तराम भरपूरसिंह साकिन सलेमगढ़, तहसील टी. बी. जिला श्रीगंगानगर के पास एक राइफल लाइसेन्स नम्बर 1656, सन् 1966 व दूसरा लाइसेन्स 38 बोर रिवाल्वर नम्बर 394, सन् 1966 राजस्थान पंजाब हरियाणा का था जो 31-12-73 तक रिन्यू हो चुका था ?

(2) क्या यह सच है कि ता. 25-12-73 को राइफल के डुप्लीकेट लाइसेन्स के लिए दो रुपये फीस जमा करवाई गई और इसी तरह रिवाल्वर लाइसेन्स के डुप्लीकेट लाइसेन्स के लिए दो रुपये व 15 रुपये लाइसेन्स फीस जमा करवाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि उस दिन दोनों उपरोक्त लाइसेन्सों की फीस जमा करवाये जाने के बाद रिन्यू करना नामन्जूर कर दिया गया ?

(4) क्या यह भी सच है कि बाद में दोनों लाइसेन्सों की फीस नये सिरे से जमा करवाई जाकर लाइसेन्स रिन्यू कर दिये गये ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(5) क्या यह सच है कि श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार जोरों पर है और जब तक इसकी पूर्ति नहीं की जाती, लाइसेन्स रिन्यू नहीं किये जाते ? क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 1656/66 राइफल पर समस्त भारत का लाइसेन्स जिलाधीश, गंगानगर द्वारा 31-12-68 तक नवीनीकरण किया गया था तथा बाद में 31-12-71 तक जिलाधीश, पटियाला द्वारा रिन्यू किया गया है। इस अवधि के आगे इस शस्त्र का लाइसेन्स रिन्यू किये जाने की प्रार्थना प्रार्थी की नहीं है।

38 बोर रिवाल्वर का लाइसेन्स 31-12-73 तक राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य के लिये जिलाधीश गंगानगर द्वारा नवीनीकरण किया जा चुका है।

(2) जी हां।

(गृह मंत्री)

(3) प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं हैं अतः इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) यह सही नहीं है। फीस केवल रिंवालकर की ही दिनांक 29-1-74 को 15 रुपये जमा करवाई गई है और वह लाइसेन्स तीन वर्ष के लिए रिन्यू किया गया है। फीस पूर्व में जमा करवाई गई हो ऐसा कोई लिखित में प्रार्थी ने नहीं दिया था और न ही कोई इसका संकेत ही दिया। इसलिए पूर्व में फीस जमा होने की बात सामने नहीं आई।

(5) यह सच नहीं है। इस मामले की जांच कराई जा रही है।

संजय प्रेस झालरापाटन का रजिस्ट्रेशन

63. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) संजय प्रेस (झालरापाटन) जिला झालावाड़ का रजिस्ट्रेशन उद्योग विभाग में कब से है?

(2) 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1973 तक इस प्रेस से सालाना कितने कितने कर्मचारी स्थाई एवं अस्थायी का रिटर्न पेश किया है? कृपया हर साल की सूची दिये जाने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) संजय प्रेस का रजिस्ट्रेशन उद्योग विभाग में दिनांक 1-5-1971 को हुआ था।

(2) इस प्रकार का रिटर्न उद्योग विभाग में नहीं भेजा जाता है क्योंकि इससे उद्योग विभाग का कोई संबंध नहीं है।

नागौर जिले की औद्योगिकरण योजनाएं

64. श्री दीपंकर (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ भारत सरकार द्वारा घोषित है? अगर हां, तो इसके औद्योगिकरण की दिशा में क्या योजनाएं बनाई गई हैं? योजनाओं का प्रारूप सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले में खड़ी (Lime stone) की अधिकता को देखते हुये सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेन्ट अथवा खाद का कारखाना लगना सम्भव है? अगर हां, तो सरकार ने इस विषय में कोई योजना बनाने का इरादा किया है? अगर नहीं, तो क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि लाडनूं जिला नागौर में एसिस्टेन्ट इन्डस्ट्रियल एस्टेट डालने हेतु राजस्थान मिनरल कार्पोरेशन को जिम्मेवारी सौंपी गई है? अगर हां, तो इस विषय में क्या योजना बनाई गई है? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले को ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना तथा पिछड़े जिलों के लिये 15% अनुदान योजना में सम्मिलित किया गया है। इन दोनों

(उद्योग मंत्री)

योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधायें परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने की संभावना का परीक्षण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

चूरू जिले के लघु उद्योग

65. **श्री मोहरसिंह (चूरू)**: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चूरू जिले में लघु उद्योगों के तहत किस किस उद्योग के लिए किस किस व्यक्ति को, कितना कितना ऋण दिया गया है?

(2) इस वक्त चूरू जिले में कहां कहां पर, किस किस क्षेत्र में, किस कार्य के लघु उद्योग चल रहे हैं? नाम व ग्राम वाइज पूरी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

1. श्री गुरदयाल सिंह संधु, सदस्य विधान सभा की ओर से गांव कमरानिया के एक हरिजन बलदेवसिंह पुत्र गुलजार सिंह की गत 15 जून, 1974 को की गई हत्या के विषय में,

2. सर्वश्री जीथिंग तथा रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कुछ छात्रों को उत्पाती मानकर उनका रेकार्ड पुलिस में रखा जाये, इस विषय में,

3. श्री मनोहर लाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिये डाक्टर दशरथ शर्मा के स्थान पर कुछ अन्य व्यक्तियों को धनराशि देने के विषय में,

4. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री बी. एन. काक, अध्यक्ष, स्पोर्ट्स कौन्सिल राजस्थान द्वारा गत 16 अगस्त, को गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर की अवहेलना करने के विषय में,

5. श्री रामसिंह कुड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील नीमकाथाना में रायपुर बांध में अधिक पानी भर जाने से स्थानीय गांवों का आवागमन बन्द हो जाने के विषय में,

6. श्री गोपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, पीपराली के प्रधान श्री रिडमलसिंह की गिरफ्तारी के विषय में,

7. श्री केदार नाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर शहर में प्रगतिशील पत्रकार संघ द्वारा जमाखोरों आदि

Page No 39

39

(श्री अध्यक्ष)

के विरुद्ध की गई कार्यवाही के कारण कुछ पत्रकारों को वहां के कुछ नकाबपोश व्यक्तियों को डराने-धमकाने के विषय में,

8. श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील सादूलपुर के गांव करडवाला के जमींदार भूपेन्द्र सिंह द्वारा एक हरिजन परिवार पर हमला करने के विषय में,

9. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से फलौदी जेल में नजरबन्द कुछ पाकिस्तानी गुप्तचरों के फरार हो जाने के विषय में,

ये सब स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं है। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

10. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य मंत्री श्री मुंशी लाल महावर द्वारा उनके विरुद्ध कुछ मुकद्दमों को दबाने के लिए अपना प्रभाव काम में लेने के विषय में। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और इस मामले को नियमों में दी गई अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से उठाया जा सकता है।

11. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से अकाल राहत कार्य में लगे कुछ कर्मचारियों को बेरोजगार कर देने के विषय में। माननीय सदस्य आज अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा में भाग ले सकते हैं।

12. श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से सार्वजनिक क्षेत्रों के श्रमिकों को कानूनन मिलने वाली सहूलियत न देने के विषय में। यह प्रश्न अस्पष्ट है और किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है।

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, पोकरण में एटमबम का विस्फोट किया और एटमबम की साइट पर पाकिस्तानी जासूस को भारत सरकार और राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग ने पकड़ा।

अध्यक्ष महोदय, एटमबम भारत की एक अवर्णनीय उपलब्धि है जिसके विस्फोट से सारी दुनिया के अन्दर भारत का मान बढ़ा है। जब से एटमबम का विस्फोट भारत द्वारा किया गया है, एटमबम के विस्फोट-स्थल पर पाकिस्तानी जासूसों का जाल बिछ गया है।

दो पाकिस्तानी स्पाइज आर फाइलिंग अप देयर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 अगस्त को पाकिस्तानी स्पाई, जिसका नाम बरकत उर्फ फलादिया है, को गिरफ्तार किया गया। 3 अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद उसको फलौदी जेल में 5 अगस्त को इन्टरोगेशन के लिये रखा गया और वह पाकिस्तानी जासूस राजस्थान की अकलमन्द पुलिस, राजस्थान का अकलमन्द प्रशासन जो देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करता है, उनके हाथ से एटमबम जैसे महत्वपूर्ण विस्फोट के साइट पर जिसको पकड़ा गया था जासूसी करते हुए और जिसको फलौदी में इन्टरोगेशन के लिये लाया गया, वह इन्टरोगेशन के दौरान पुलिस कस्टडी से निकलकर फरार हो गया इससे बढ़कर शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एटमबम का विस्फोट हुआ है वहां पाकिस्तानी जासूसी की गतिविधियां बढ़ी हैं। एक जासूस पुलिस की कस्टडी के अन्दर से निकलकर भाग जाय इससे प्रकट होता है कि कोई हाइ लेवल का षड़यन्त्र है जिसके अन्तर्गत उस जासूस को यहां से निकाल भगाया है। फलौदी के अन्दर से पाकिस्तानी जासूस बिना हाइ लेवल कान्सप्रेसी के निकल कर नहीं जा सकता। इससे सारे देश को खतरा उत्पन्न हो गया है। आज पाकिस्तानी सेना बाड़मेर बोर्डर मंडरा रही है, जैसलमेर बोर्डर पर मंडरा रही है, और राजस्थान की सीमा पर प्लेन्स चक्कर लगा रहे हैं उस स्थिति में एटमबम की साइट पर से पाकिस्तानी जासूस पकड़ने के बाद वह फरार हो जाय, हाथों से निकाल दिया जाय इसके बारे में राजस्थान सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये और बताना चाहिये कि राजस्थान की पुलिस की गलती थी या केन्द्रीय पुलिस की गलती से वह निकल भागा।

पाकिस्तानी स्पाईज की गतिविधियां बढ़ी हैं। मकराना में एक अब्दुर रहमान नाम का व्यक्ति बन्दूक और पिस्तौल पोस्ट आफिस से जाकर कहीं भेज रहा था उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : इस एडजोर्नमेंट मोशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : भारत के डिफेन्स का सवाल है। पाकिस्तानी जासूसी की गतिविधियां बढ़ गई हैं। वे लोग एटमबम का जहां विस्फोट हुआ है उस एरिया को घेरे हुए हैं, ऐसे समय में पाकिस्तानी स्पाईज निकल कर भाग जायं इससे बढ़ कर और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने राजस्थान सरकार बड़ी कसूरवार है।

जयपुर में भी मुस्लिम लीग के आदमी गिरफ्तार किये गये।

श्री दीपंकर : मकराने की घटना यह नहीं है।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पोस्ट मास्टर पकड़ा गया है, यह पता नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लेकिन पाकिस्तानी स्पाई को पुलिस के सुपुर्द करना चाहें तो इसमें दीपंकर जी को ऐतराज है इसमें बड़ा।

श्री दीपंकर : मैं बता नहीं रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब्दुर रहमान को मकराना पोस्ट आफिस में पकड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : इससे इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री दीपंकर : इससे..... (अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, पाकिस्तान का जासूस पकड़ने के बाद वह यहां से फरार हो जाय यह कस्टडी से और पाकिस्तानी सेनायें राजस्थान के बोर्डर पर जहां सामने खड़ी हों यह एक सीरियस वारफ्रंट है और कम से कम इस सम्बन्ध में माननीय

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मुख्य मन्त्री जी को स्टेटमेंट देना चाहिये जिससे यह पता चल सके कि पाकिस्तानी जासूस की फरारी में राजस्थान पुलिस की गफलत रही या केन्द्रीय पुलिस की गफलत रही। एवं कौन से व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव एक कमरानियां गांव के हरिजन बलदेवसिंह पुत्र गुलजारसिंह की 15 जून, 1974 को की गई हत्या के सिलसिले में है।

उसके पिंडली पर भूरसिंह नाम के आदमी ने 15-6-74 को पिंडली पर गोली मारी। पिंडली पर गोली मारने से कोई आदमी मरता नहीं है। थाने पर गया रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये। तो उसको बीरबलदास ए. एस. आइ. ने पीटा और इतना पीटा कि अस्पताल में उसको दाखिल कराना पड़ा और गंगानगर अस्पताल में जाकर उसकी मौत हो गई। वहां बहुत बड़ा करप्ट मेडीकल जूरिस्ट गोयल था उसकी देखरेख में पोस्ट मार्टम हुआ और रिपोर्ट दी गई कि वह मर चुका है। फिर उसके भाई बलवीरसिंह को पकड़ा गया उसको पीटा गया और उससे कहा गया कि तुम सोरनसिंह का नाम लो और कहो कि उसने गोली मारी थी। उसकी लाश को न देना और पीट पीट कर मारना और सुनवाई न होना और उन लोगों ने जगह जगह घूमकर आफीसर्स को दरख्वास्त दी हैं, राज्य सरकार को मूव किया है और उनका कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसकी बुड्ढी मां रोती रहती है, सरकार को उसकी लाश उसे देनी चाहिये थी, वह नहीं दी गई। इतने बड़े गंगानगर के अन्दर इतना बड़ा आतंक मचा हुआ है कि कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र जांच करे और उस ए. एस. आइ. और उस गोयल ज्यूरिस्ट के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मामला मेरे गांव का है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं बलवीरसिंह मेरे गांव का रहने वाला है ..

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री गफ्फारअली : यह संगीन मामला है, थाने में पिटाई हुई है....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक हरिजन नौजवान मारा गया है जिसके पैर में गोली लगी, किस सिलसिले में लगी, मैं गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन यह निश्चित बात है कि गोली लगने के बाद थानेदार साहब फौरन उसको अस्पताल में नहीं ले गया, अनोपगढ़ में इसकी पिटाई की गई, उसका घाव सेप्टिक हो गया, माननीय सदस्य सही कहते हैं कि पैर में गोली लगने से कोई नहीं मरता, दुर्भाग्य से डाक्टर ने सेप्टिक की रिपोर्ट नहीं दी, उसने रिपोर्ट दी है कि यह लड़का निमोनिया से मरा। यह हरिजनों पर अत्याचार की अभूतपूर्व घटना है, सरकार को इसका गम्भीर नोट लेना चाहिये।

श्री केशरीमल : मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि कुछ राजकीय उद्योग हैं उन्होंने रिलीफ टू अंडरटेकिंग्स एक्ट के नाम पर नियमों और

(श्री केशरीमल)

व्यवस्था को मानने से इंकार कर दिया चाहे ब्यावर का एडवर्ड मिल हो, चाहे महालक्ष्मी मिल हो, चाहे बीकानेर की जिप्सम कंपनी हो। इन कारखानों में कानून की अवहेलना की जा रही है। आज ब्यावर कि एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल में न मिनीमम वेजिज एक्ट लागू है न इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट लागू है न फैक्ट्रीज एक्ट लागू हैं। कानूनों को सरकार बनाती है और अधिकारी अपनी मर्जी से हटा देते हैं और उसके कारण हालत ऐसी बन गई हैं कि न तो मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी देते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट की अवहेलना करते हैं, ओवर टाइम नहीं देते, उनको पूरा पैसा नहीं देते, ऐसी हालत में इन दोनों कारखानों में ये कानून लागू करें, मजदूरों के लिए अदालत में जाकर न्याय प्राप्त करने का रास्ता ही बंद कर दिया और 6 साल से मजदूर निकाले हुए बैठे हैं लेकिन सरकार उनको अदालत में जाने की इजाजत नहीं देती। इन्टक का आदमी निकाला गया तो उसके लिए तो सरकारी अधिकारी वहां पहुंचे। एक तरफ कानून और कायदे को सरकार न माने और दूसरी तरफ पक्षपात हो इतना कि हमारा मजदूर 7-7 साल से बैठे हैं कि रिलीफ टू अन्डरटेकिंग्स के तहत विचार नहीं किया जा सकता और दूसरी तरफ हमारे लिए यह व्यवस्था क्यों नहीं लागू होती ! फैक्ट्रीज एक्ट न लागू करने से, पेमेंट आफ वेजिज एक्ट न मानने से, मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी जा सकती, हम अदालत में नहीं जा सकते, न छुट्टी मिल सकती। आखिर मजदूरों के साथ में यह जो सरकार अन्याय करना चाहती है, उसके लिए क्या करने जा रही है।

इसी प्रकार बीकानेर जिप्सम कंपनी लिमिटेड........

श्री अध्यक्ष : यह विषय तो आपके प्रस्ताव में है नहीं।

श्री केशरीमल : मैंने सरकारी उद्योगों के बारे में प्रस्ताव किया है, जो भी राजकीय उपक्रम हैं........

श्री अध्यक्ष : राजकीय उपक्रम तो बहुत हैं।

श्री केशरीमल : यह भी एक प्रकार से राज्य उपक्रम है क्योंकि बीकानेर जिप्सम कंपनी में राज्य का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, अब तो राज्य के मातहत ही चल रहा है। वहां के यूनियन के सेक्रेटरी रामदान ने जो लाखों रुपये के घोटाले हो रहे थे उनके लिए सरकार को लिखकर एप्लीकेशन भेज दी कि लाखों रुपए का गबन हो रहा है, इस गबन से कंपनी को बचाया जाए और सरकार के पैसे को बरबादी से बचाया जाए। उस रामदान को यह कह देने की वजह से काम से हटाया गया और वह आदमी मारा मारा फिर रहा है। उसने तो एक अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते यह देखा कि राज का पैसा बरबाद हो रहा है, लाखों रुपये जा रहे हैं, यह बात कही और उसको इसकी सजा मिली। तो मैनेजमेंट कोई भी कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। यह स्थिति खराब होती जा रही है। श्रम मंत्री चाहे रामदान का मसला हो या और का ऐसे लोगों को वापस काम पर लगाने के लिए ध्यान देकर कार्यवाही करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अभी दो दिन पहले स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन श्री वी. एन. काक की काफी चर्चा हुई थी। इस बारे

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

में यह समाचार मिला है उसी राज्य सरकार के राज में कि दिनांक 18-8-74 को गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर एक्ट की अवहेलना करके जयपुर से दूर रामगढ़ बंधे पर लगभग 70-80 लोगों को फ्री भोज दिया जिसमें दाल चूर्मा बाटी बनाकर खिलाया गया.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप नेशनल चैम्पियन आफ बर्टरिंग काक साहब की बात कर रहे हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : जी हां। कानून की अवहेलना की और सारी व्यवस्था स्टेट होटल के मदनसिंह ने की। राज्य सरकार और उनके बड़े लाड़ले यदि इस प्रकार एक्ट की अवहेलना करें और मौज करते रहें तो फिर इस एक्ट को फाड़कर फेंक दो। अगर इम्प्लीमेंट करना है तो फिर यदि कोई बड़ा व्यक्ति तोड़ता है तो उसको एरेस्ट किया जाय और कानून के अनुसार उनका चालान किया जाय। क्यों नहीं सरकार कदम उठाती ? इसमें निष्पक्षता के साथ यदि ऐसे कार्यों पर कठोर कदम नहीं उठायेंगे तो आज की परिस्थिति में एक तरफ अकाल, दूसरी तरफ अभाव उसके बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे और बड़े आदमी गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर की अवहेलना करते रहेंगे और राज्य सरकार उनको प्रश्रय देती रहेगी, तो इस प्रकार का कानून रद्दी की टोकरी में फेंकने जैसे हो जाएगा और ये लोग आराम से, एशोआराम करने के लिए इस प्रकार कानून की अवहेलना करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : (श्री मूलचन्द सामरिया के खड़े होने पर) : मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष : जिस विषय पर सेंशर मोशन भेजा गया हो उस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाने का और उस पर बोलने का प्रावधान नियमों में नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : पर मेरा निवेदन करना यह है कि वह सेंसर मोशन तो यहां आया ही नहीं है। आपके पास है, किस स्टेज पर है, यह मुझे मालूम नहीं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि उसे आवश्यक जानकारी के लिए सरकार को भेजा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दो सेंसर मोशन आपके सामने प्रस्तुत किये गये थे। एक मुख्यमन्त्री के खिलाफ और दूसरा एक अन्य मन्त्री के खिलाफ। लगभग एक ही समय में ये प्रस्तुत किये गये थे। एक पर कल डिबेट हो गई। आपने कल व्यवस्था दी थी कि हमारे यहां व्यवस्था है कि किसी मन्त्री के खिलाफ आरोप लगाये जावें, तो सेंसर मोशन के रूप में यहां लाकर डिसकस किया जाय। अब यह बात अलग है कि सेंसर मोशन में कही गई बातें सत्य हैं या गलत हैं।

श्री अध्यक्ष : विषय क्या है, आपके पास बोलने को ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : सेंसर मोशन।

श्री अध्यक्ष : वह तो है ही नहीं यहां।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो क्या वह रिजेक्ट हो गया। जब रिजेक्ट नहीं हुआ वह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और यहां सदन में भी नहीं पुटअप हुआ ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि दो एक साथ नहीं आ सकते। वह जब यहां है ही नहीं तो इस एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह हमारा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : सैंशर मोशन उनका आया। अब अध्यक्ष को यह तथ्य भी देखना होता है कि उसमें प्राइमा फेसी भी बनती है या नहीं। इसलिये मैंने उसे सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा है। वैसे मुझे इस स्टेज पर कहना नहीं चाहिये। मोटी बात यह है कि जो भी सैंशर मोशन जिस एक्शन पर लाया जाता हो वह एक्शन उस मिनिस्टर के जमाने का होना चाहिये। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। मोटी बात मैंने कह दी है।

अब उसमें जो विषय है उसी को स्थगन प्रस्ताव के द्वारा लाया जावे तो इसे एब्यूज आफ प्रोसेस मैं समझता हूं। इसे मैं उचित नहीं समझता। स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट करता हूं तो आमतौर पर उसे मैं बोलने का अवसर देता आया हूं। पर जो लॉ के अगेन्स्ट है उसमें इजाजत नहीं दे सकता। मजबूर हूं। नैक्स्ट।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, अब तो उनको विमुक्त कर दीजिये अपने अधिकार और नियन्त्रण से मन्त्री महोदय को।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, अभी जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है स्कूलों कालेजों के पढने वाले छात्रों को जिनको वह उत्पाती समझती है उनका पुलिस में एक रजिस्टर रक्खा जावे। मुझे आश्चर्य है कि यह निर्णय राज्य सरकार ने किस दृष्टि से लिया है ? उपद्रवी हैं, गलत काम करते हैं तो इसको रोकने के लिये और उनसे डील करने के लिये इसके लिये कई कानून कायदे हैं। सजा का प्रावधान भी है। इस तरह के निर्णय से तो अन्यायपूर्ण नीति ही झलकती है या आपकी असमर्थता कि आप उनको कानून के अन्तर्गत डील नहीं कर सकते। इससे सारे छात्र जगत में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। यह सारे छात्र जगत का अपमान है। फिर आपकी उत्पाती की परिभाषा क्या है ? इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य अपने छात्र जीवन में उत्पाती रहे हैं। इस दृष्टि से देखा जावे तो अधिकांश को उत्पाती की श्रेणी में सजा में आसानी से लिया जा सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अधिकांश माननीय सदस्यों से आपका तात्पर्य है क्या ?

श्री रामकिशन : जी हां। जैसे माननीय आचार्य जी हैं। ये बड़े शरारती रहे हैं छात्र जीवन में।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनसे तो डेढ बालिस्त ऊंचा था उस वक्त।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्या कम थे। पेड़े चोर चोर कर खा जाते थे।

श्री रामकिशन : आज छात्र इसे अपना अपमान समझते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर पुनर्विचार करें।

(श्री रामकिशन)

उद्दण्ड है, अपराधों के अभ्यस्त हैं तो साधारण कानून के अन्तर्गत आप दंडित कर सकते हैं। पर छोटी मोटी घटनाओं के लिये पुलिस में रेकार्ड रखने से दूसरी दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जावेंगी। तो आज सदन स्थगित हो रहा है। पुनर्विचार अगर सरकार करना चाहती हो तो अध्यक्ष को सूचित कर दें ताकि हम उनसे जानकारी लेकर विद्यार्थियों को बता सकें। अगर इरादा नहीं है पुनर्विचार करने का तो भी इसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं राज्य सरकार से लेना चाहूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे भी थोड़ा निवेदन करना है। इनकी हिस्ट्री शीट खोलने की स्पष्ट कल्पना सदन के सामने आनी चाहिये। वैसे हिस्ट्री शीटर वे होते हैं जो नम्बर दस में गिने जाते हैं और जो क्रिमिनल टाइप के अपराध हुए, जेब कटी हुई, चोरी हुई इनके हैबिचुअल आफेन्डर होते हैं। अब इस श्रेणी में इन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तरुण लोगों को, शिक्षितों को रखा जावेगा यह राज्य सरकार के दामन पर कलंक होगा। इस बारे में स्पष्टीकरण अगर सरकार नहीं करेगी तो भ्रम फैलेगा।

श्री गुमानमल लोढा : मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार अवश्य ही स्पष्टीकरण करें। नहीं तो इससे आक्रोश फैलेगा। यह सरकार तीन मजदूरों के खून से अपने हाथ रंग कर तो यहां आई और एक तरह से विद्यार्थियों के आन्दोलन का खून करने के रूप में यहां से जा रही है। अगर राज्य सरकार ने इसे विथड्रा नहीं किया तो इससे विद्यार्थियों में आन्दोलन फैलेगा, आक्रोश फैलेगा और बिहार और गुजरात की स्थिति को यहां भी आमन्त्रित करेगी।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : यू हैव नो एडजोर्नमेंट मोशन

श्री पी. के. चौधरी : इसी मामले पर

श्री प्रोफेसर केदार : सूचना के शब्द इस प्रकार हैं।

श्री पी० के० चौधरी : यह जो छात्रों के लिये हिस्ट्री शीट रखने की बात है। अबतक हमारे दिमाग में हिस्ट्री शीटर रेकार्डेड क्रिमिनल्स होते थे। अब आप आने वाली देश की होनहार पीढ़ी को ही हिस्ट्री शीटर की डेफीनेशन दें, यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। हास्यास्पद भी है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिसको हम गुड ब्वायज मानते हैं आज तक इतिहास मानता है जो गुड ब्वायज को इम्पोर्टेन्ट बनाते हैं तो वे आगे जाकर तरक्की नहीं कर पाते है चाहे समाज में हो और कहीं भी हों। पहले हम लोगों को हिस्ट्रीशीटर रखा जाता था, अंग्रेजों के जमाने में। आज हम नहीं चाहते हैं जो आपका खराब काम करता है उसके लिये आपका पीनल कोड है लेकिन आने वाली पीढ़ी का मौरल डाउन करना चाहते हैं। एक प्रकार से हम ऐसे लोग पैदा करेंगे जिनका ब्रेन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नो स्पीचेज।

श्री पी० के० चौधरी : इट इज ए सीरियस मेटर। उनकी साइकोलोजी को आप...

श्री अध्यक्ष : मैं डिबेट अलाउ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

मैं रेगूलर डिबेट थोड़ी अलाउ कर सकता हूं। There are so many serious things which cannot be considered before the house.

श्री पी० के० चौधरी : जो गड़बड़ी करने वाले विद्यार्थी हैं और जो उत्पाती हैं वे ही आगे जाकर टैलेन्टेड ब्वॉयज बनते हैं।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे क्लेरिफिकेशन करने का समय दें तो मैं क्लेरिफिकेशन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : आपने (श्री पी० के० चौधरी) समाप्त कर लिया ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी निवेदन करना पड़ेगा। अगर मंत्री महोदय फरमा दें तो अच्छा हो।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं··

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया।

श्री पी० के० चौधरी : सरकार ने जो निर्णय, लिया है बड़ा गलत निर्णय लिया है। दूसरे हिस्ट्री बनाने की जो बात है, उसको मिस यूज करेंगे और जो टेलेन्टेड काम करेंगे व थोड़ी बहुत तो गड़बड़ करेंगे ही। गड़बड़ न करना तो रुकावट पैदा करता है। ऐसे लड़के होने चाहियें। आज अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार का प्रोत्साहन देना ही चाहिये जो कावर्ड है, घर में बैठने वाले है-जिनमें करेज नहीं है वे तरक्की नहीं कर सकते है। इसलिये डिसकरेज मत करियेगा। अगर गड़बड़ी करते हैं तो आपका पीनल कोड है, सजा दीजिये।

लेकिन इस प्रकार हिस्ट्री शीटर मत बनाइये। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली :

श्री भानुकुमार शास्त्री :

श्री मोहरसिंह :

(एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : क्या मैं आपकी मंशा यह समझूं कि आज इसको डिबेट में कनवर्ट कर दें। बिजनिस के अनुसार काम कर रहा हूं। कुछ सदन की मर्यादा होती है। शिक्षा मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं···

एक माननीय सदस्य : शिक्षा मंत्री जी जवाब दें तो फिर··

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह सारे राजस्थान के विद्यार्थियों का बन गया है। अगर शिक्षा मंत्री जी स्पष्टीकरण कर दें तो जो सारे राजस्थान के विद्यार्थी हैं वे अपनी उद्विग्नता को शान्त करेंगे। यह अंग्रेजों के बाद लिया गया पहला कदम है। अगर इस कदम को लिया भी गया है तो विथड्रा किया जाय। मेरा विश्वास है राजनैतिक सरकार ऐसे कदम नहीं ले सकती है और मैं समझता हूं आप भी ऐसा ही स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्पाती 'छात्रों के बारे में कहा गया है, इससे जो टेलेन्टेड विद्यार्थी हैं उनके आने वाले जीवन में बुरा असर पड़ेगा। मैं समझता हूं इस प्रकार का नियम हमारे शिक्षा मंत्री जी विथड्रा कर लें तो अच्छा होगा तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं निकलेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, जो उत्पाती छात्रों के बारे में सरक्यूलर निकला है उसको देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं समझता हूं हमने वह युग देखा है कालेज के कम्पाउन्ड में और स्कूलों के कम्पाउन्ड में विद्यार्थी आ गये तो विद्यार्थियों ने अपनी छातियों पर गोलियां खाई हैं, अपना जीवन त्याग दिया है और हैड मास्टर और मास्टरों की जिन्दगी बचाई है और उन्होंने इस बात को पसन्द नहीं किया है कि स्कूल और कालेज के कम्पाउन्ड में पुलिस घुसे और अत्याचार करे। छात्र जिसका उत्पाती होना शिक्षा से सम्बन्धित है, समाज और इकॉनोमी से सम्बन्धित है और आज 'उत्पाती छात्रों की हिस्ट्री शीट' आप थाने में खुलवायें इससे अधिक निन्दनीय और दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है। यह ठीक जितने विधेयक भी आपने प्रस्तुत किये हैं उसमें डेमोक्रेसी को समाप्त करते जाते हैं और ओटोक्रेसी की तरफ अधिक बढ़ते जा रहे हैं। आप गंभीरता से सुन लीजिये इसको इस तरह सहन नहीं किया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों की ओर जिसमें आपके भी बच्चे हो उनकी हिस्ट्री सीट खुले और फिर उनको उत्पाती छात्र का लेबिल दिया जाय और आप हंसे, सदन में मजाक उड़ायें मैं समझता हूं इससे गंभीरतम प्रश्न हो ही नहीं सकता है अगर छात्रों के जीवन में पुलिस ने प्रवेश किया तो आप उस तरफ तो नहीं विचारते कि आपकी शिक्षा पद्धति ओरियेन्टेड हो, आप बेरोजगार को जॉब नहीं दें, आप इस तरह की ओरियन्टेड एज्यूकेशन नहीं ला सकते है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अगर आप इस तरह की शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

और इसके बदले उत्पाती छात्र का रेकार्ड खोलना चाहते हैं और जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है वह कभी भी इस प्रकार नहीं चाहेगा।

श्री अध्यक्ष : आपका ध्यान पड़ गया क्या ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त को आपने रैली की और सारे नौजवानों का आह्वान किया और स्कूल कालेज के अलावा आपने उनसे समाज में परिवर्तन के लिए भी सहयोग मांगा तो यह बात तो उससे मेल ही नहीं खाती है। आपने अभी जो किया है उससे उल्टे जा रहे हैं। जो सोसियो इकोनोमिक परिवर्तन चाहते हैं उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर ने इस यूथ को आह्वान किया है। आखिर हिस्ट्री सीट किसकी खोलते हैं जब कोई ताला तोड़ता है, साइकिल चोरी करता है, लगातार चोरी डाके की बात करता है। हम लोग भुगते हुये हैं। आप ताज्जुब करेंगे गुरुदयाल सिंह जी जो 31 में जेल गये, स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लिया, राजस्थान की हिस्ट्री में उनका भी योगदान

(श्री केदारनाथ)

है उनकी भी हिस्टरी शीट खोल दी गई। अगर यह मन्शा है छात्र एन्टी होडिंग्स के खिलाफ, ब्लैक के खिलाफ बोले नहीं, आपके मौजूदा सिस्टम के खिलाफ बोले नहीं और आपकी इन सारी बीमारियों के खिलाफ बोले नहीं तो आपका लफ्ज उत्पाती आ जाता है। विश्वविद्यालयों और कालेजों के बढ़ते हुये उत्पात के कारण राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि यह रेकार्ड पुलिस रखेगी और जिन छात्रों का रेकार्ड हिस्टरी शीट में ज्यादा खराब होगा, राज्य सरकार विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को इत्तला दे देगी और कभी भी उनकी नियुक्ति नहीं होगी। उनके दिमाग में एक ऐसा आतंक पैदा कर रहे हैं और इस ढंग का कर रहे हैं कि क्लास में गड़बड़ी की तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक तरफ आप सोसियो इकोनोमी चाहते हैं और चाहते हैं डेमोक्रेटिक वेल्यूज में हिस्सा लें और दूसरी तरफ पाबन्दी लाना चाहते हैं। यह उनकी निश्चितरूप से रुकावट होगी और आपको····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ यह गुजारिश करनी है कि हिस्ट्रीशीट का प्राविजन है वह सी. आर. पी. सी. के सेक्शन 110 में है। जो लोग तीन, चार या पांच बार आमतौर से किसी जरायम में सजा पा लेते हैं उनकी हिस्ट्री शीट खुल जाती है। यह आमतौर से शरारत करने वाले बच्चों की हिस्ट्री शीट खोलने की नयी परम्परा राज्य सरकार कायम करना चाहती है और उसका मकसद यह है कि राज्य सरकार कितने भी गलत काम करे, उनके अधिकारों पर कितना भी आक्रमण करें वह कोई आवाज बुलन्द न करें इसका मतलब यह है कि मैं ला लैसनैस को या जो डिसिप्लिन नहीं है उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि हिस्ट्रीशीट के लीगल इम्प्लीकेशन्स समझ कर इसको तय करना चाहिए था। अगर कोई लड़का दो चार मर्तबा सजा पा लेता है तो उसकी हिस्ट्री-शीट तो पुलिस वैसे ही खोल लेती है आप जो नयी परम्परायें कायम करना चाहते हैं इससे ज्यादा खौफनाक बात और नहीं हो सकती और दूसरी जगहों पर यह नजरिया जायेगा कि अब लड़कों की हिस्ट्री शीट बनाई जायगी तो हमारे मुल्क की क्या शान रहेगी। आपके लड़के रैली करने गये और बहुत से लड़कों ने बीच में उत्पात मचाया और लड़कों ने दुकानों पर मिठाई खा ली— मैं इसको वैसे अच्छा नहीं समझता लेकिन ऐसे सबों की हिस्ट्री शीट बना दी जाये यह निहायत खतरनाक बात है। माननीय मन्त्री महोदय, इसको वापिस लें और इसकी घोषणा करें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में इस कानून के आने से हिन्दुस्तान के अन्दर जो टैलेन्ट और जीनियस हमारे स्टूडेन्ट्स के अन्दर है वह खतम हो जायेगा और हमारे जो राज-नीतिज्ञ हैं वह किस तरह से डवलप होते हैं पब्लिक में उनके ऊपर भी एक तरह रेस्ट्रेंट आ जायेगा। इससे भावी नागरिक जो पैदा होने जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा स्लेब आयेगा और शिक्षा के मन्दिरों में भी अगर पुलिस राज्य आपने कायम किया, अगर शिक्षा के अन्दर भी आपने उनके टैलेन्ट्स को पुलिस के तौर पर फाइटन करके डवलप करने से रोका तो हिन्दुस्तान की तरक्की रुकेगी—यह मैं कह सकता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है और आज तक की

(श्री राजेन्द्र भारतीया)

राजस्थान की और हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा काला कानून नहीं आयेगा। मैं यह कहना चाहता हूं निहायत अदब के साथ शिक्षा मन्त्री जी से कि इस तरह का कानून उनको तुरन्त वापिस लेना चाहिये क्योंकि यह अत्यन्त आवश्यक है। इस आगस्ट हाउस का आज आखिरी दिन है और इसके बाद में असेम्बली एडजोर्न होने जा रही है इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है शिक्षा मन्त्री जी से कि इस पर निर्णय आज का आज लेकर इसको वापिस लिया जाये।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात निवेदन कर रहा था कि बोलने की तो इजाजत देता ही रहा हूं और इसमें दो स्थगन प्रस्ताव हैं और दो तीन आदमी बोलने वाले थे वह नहीं बोलेंगे और केवल इसी पर बोल पायेंगे। सब पर तो बहस हो नहीं सकती। 'आइदर यू सलेक्ट दिस थिंग आर दैट थिंग'। शिक्षा मन्त्री जी का जवाब सुन लीजिए और कीजिए। एक विषय पर नहीं बोलना चाहिए उस पर इतनी इजाजत दे दी और काफी एकोमोडेट किया। दोनों ही बातें चाहें तो कैसे होगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी उदारता है।

श्री अध्यक्ष : उसका मिस यूज तो नहीं होना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं निवेदन कर दूं...

श्री अध्यक्ष : मैं फिर मान कर चलता हूं कि आगे बातचीत नहीं होगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : दोनों ही खत्म हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जी हां, दोनों क्लोज हो जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसका मतलब यह है कि बाद में बोलें।

श्री अध्यक्ष : बाद में और पहले का सवाल नहीं है। एक स्थगन प्रस्ताव पर ज्यादा समय तक के लिए बहस लेना चाहते हैं तो दूसरे अपने आप खत्म हो जायेंगे। स्वाभाविक है।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें तो इनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं हो। लेकिन मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : शिक्षा मन्त्री को कहने दीजिए।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, न तो इस प्रकार का मन्त्री मण्डल का कोई फैसला है, न शिक्षा विभाग ने इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति निकाली है, न नोटीफिकेशन है। यह जो भी न्यूज आई है यह कतई सही नहीं लगती है। मैंने होम डिपार्टमेंट से भी पता लगाया, मुख्य मन्त्री जी से भी मिल लिया हूं। उन्होंने भी कहा है कि होम डिपार्टमेंट से कोई भी इस प्रकार के आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं। यह न्यूज बिलकुल मिस्चीवियस है और इसकी हम जांच करेंगे और गलतफहमी डालने की दृष्टि से निकाला गया है। विभाग की दृष्टि से हम आपको

(श्री खेतसिंह)

यह आश्वासन देते है कि विभाग का इस प्रकार का कोई आदेश नहीं निकला है और न निकालने का सवाल ही है। छात्रों के जितने आप हामी हैं आप यह न समझें कि हम किसी प्रकार से आपसे कम हामी हैं। जो आपके दिमाग में बात है वही हमारे दिमाग में है।....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री खेतसिंह : पत्रों के अन्दर कई बार इस प्रकार की गलत खबरें छपती हैं। कुछ दिन पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कान्स्टीटुएन्सी का री-आर्गेनाइजेशन का अभी तक तो प्रश्न ही नहीं आया और अखबारों में और रेडियो पर खबर भी आगयी कि सरदारपुरा की कान्स्टीटुएन्सी को शिड्यूल्ड कास्ट्स की घोषित कर दी....

श्री निरंजननाथ आचार्य : कंडेम दैट रेडियो।

श्री खेतसिंह : हमने कहा भी कि आप कैसे यह न्यूज दे देते हैं। इस प्रकार से मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस न्यूज में कोई सच्चाई नहीं है और इसकी बहस में पड़ने से सदन का समय जाया कर रहे हैं। मेहरबानी करके यहीं पर इस सवाल को समाप्त कर दीजिए और इसमें कोई तथ्य नहीं हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अगर आपने पहले ही कान्ट्रेडिक्ट कर दिया होता तो समय जाया ही नहीं होता।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आइन्दा इस किस्म का कदम नहीं उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, समय बहुत थोड़ा रह गया है और मसला बहुत गम्भीर है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस प्रकार का एक स्थगन प्रस्ताव करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य का भी आया है। प्रश्न यह है कि हरिजन लड़कियों की इज्जत किस प्रकार से भूपतियों के द्वारा लूटी जा रही है, किस प्रकार से हरिजनों के ऊपर मार्मिक आक्रमण किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक हरिजन का प्रश्न आपके सामने आया। उसको थाने में बेरहमी से कूटा गया और हास्पीटल में सिसक सिसक कर मर गया और उससे भी गम्भीर केस मैं पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 14 जुलाई को 9 बजे भूपेन्द्र नाम का भूपति मीठिया, बनवारी और अन्य गुण्डों को साथ लेकर अपने नौकर मन्साराम के घर में घुस गया उसकी सुन्दर बालिका को उठाने के लिए। जब मन्साराम का सारा परिवार वहां पर इकट्ठा हो गया तो यह लोग जो शराब के नशे में मदहोश थे और जो कि आमतौर से गंगानगर जिले में यह लोग अपने नौकरों और हरिजनों के साथ करते हैं रात के अन्दर बड़े बड़े सरदार और चौधरी, बड़े बड़े भूपति शराब के नशे में मदहोश गरीब हरिजनों की लड़कियों की इज्जत लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा है। भूपेन्द्रसिंह उस झोंपड़े में

Page No 51

51

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दाखिल हुआ। . सारा परिवार इकट्ठा हो गया, गोलियां चलाई गई और दादा रामकिशन के दो गोलियां लगीं जेसाराम के कान पर गोलियां लगीं और 3 गंडासे मारे, लड़की की मां के गोली मारी गयी और 2 गंडासे लगे; जीवन के दो गोलियां लगीं और अन्य लोगों के भी गोलियां लगीं। अध्यक्ष महोदय, इनमें से एक व्यक्ति रामकिशन भाग कर उसने गांव के अपने सरपंच के घर के अन्दर शरण ली, नहीं तो आततायी गोलियां दागते चले आ रहे थे। वहां खून खराबा हो रहा था। गांव के लोगों ने और सरपंच जो खुद घर में नहीं था, उसको सादूंलशहर के पुलिस स्टेशन ले गये तो वहां पहले से ही मुलजिमान मौजूद थे। थानेदार भगवानसिंह इन हरिजनों को धक्के मार मार कर बाहर निकला दिया और पहले भूपतसिंह के बयान लिए। खून बह रहा था और जिस ट्राली में डाल कर उनको ले गए सारी ट्राली खून से लाल हो रही थी लेकिन थानेदार भगवानसिंह बैठा हुआ भूपत का बयान दर्ज करता रहा और हरिजनों के बयान नहीं लिए। जब हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गये और थानेदार पर जोर दिया तब हरिजनों के बयान लिए और अगले दिन जांच पर गया। जिस दिन मामला हुआ उसी समय जांच पर नहीं जाकर दूसरे दिन जांच के लिए गया। किसी आदमी को नहीं पूछा और भूपतसिंह की चोपाल पर बैठ कर जांच की। सारे के सारे पुलिस प्रशासन के सामने आवाज उठाई गई लेकिन आज तक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैंने जितने केस प्रस्तुत किए हैं चाहे वह पांवड़ी का मामला हो, चाहे वह विद्या का मामला हो, चाहे लाकासर का मामला हो। हरिजन औरतों को नंगा करके अत्याचार करने का मामला हो, गिरी महाराज का सौ औरतों का मामला है, वजीरपुरा का केस हो और चाहे नोहर का मामला हो, हर जगह आततायियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है····

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हर जगह हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के पुलिस थाने हरिजनों पर अत्याचार करते हैं। गंगानगर के पुलिस थाने हरिजनों पर जुल्म करते हैं और वहां के जमींदारों से मिलकर····

श्री अध्यक्ष : मुद्दे की बात कहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुद्दे की बात कह रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी जो राज्य के मुख्य मंत्री हैं, मैं कहता हूं कि यहां दो मामलों में मार्मिक मसले सदन में प्रस्तुत किए गये हैं और मैं बता देना चाहता हूं यह इतिहास बन जाएगा कि राजस्थान के अन्दर आदिवासियों और हरिजनों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं और कोई उनका स्ट्रक्चर नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

राजस्थान में जो अत्याचार हो रहे हैं इस किस्म को उनको रोकने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : थेंक्यू।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो डिप्लोमा होल्डर···

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही निवेदन करना है कि

(श्री केदार नाथ)

माननीय सदस्य पदमपुर और सूरतगढ़ ने जो दोनों केस यहां पर रखे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, वे किसी स्पेशल ऑफिसर को तैनात करें जो दोनों केसेज की सीरियसली जांच करें। बहुत बड़ा आतंक पुलिस का है। एक अबला के घर पर गलत इंटेंशन से जाते हैं, छेड़छाड़ की जाती है, और जब उसका विरोध किया जाता है, तो फायरिंग करते हैं जिसमें तीन-तीन आदमी घायल हो गए। एस. एच. ओ. वहां पर होते हुए जांच नहीं करे और उन पर कोई एक्शन नहीं ले। मान्यवर, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि मिस्टर चेनराम, नागपाल, आत्माराम और रामसिंह वहां पर जो स्मगलिंग करते हैं, जमाखोरी करते हैं, ब्लेक मार्केटिंग करते हैं उनके खिलाफ निकाला, वे अखबार चलाते हैं स्वतंत्र रूप से, तो इन को आतंकित कर भयभीत करना शुरू कर दिया और नकाबपोशी, हथियारबन्द होकर बाजार में उनको डराया गया। यह घटना एक नहीं, राजस्थान में ऐसी अनेक हो रही हैं इसलिए आप इस बारे में विचार कर व्यवस्था करें।

श्री हरिदेव जोशी : दोनों चीजें जो आपने कही हैं, दोनों का नोट लिया है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा सकता है यहां से, यह देख कर इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है। मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि दो मामलों को नोट कर लिया है। यहां सवाल केवल दो मामलों का ही नहीं, राजस्थान में, साधारणतौर पर आप जांच कर लें, राजस्थान के किसी भी जिले में जहां हरिजनों के साथ अत्याचार होते हैं पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती है और जहां केस रजिस्टर हुए भी हैं वहां भी आप देख लें कि दस परसेंट केसेज में भी अपराधियों को सजा दी गई हो, यह आप जांच करा लें। आम प्रवृत्ति पुलिस की इस प्रकार की बढ़ रही है कि जहां हरिजनों के साथ अत्याचार होते हैं उनकी मदद करना नहीं। आप कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग के लोगों और पिछड़े वर्ग की जनता के प्रति जवाबदार हूं, उनकी रक्षा करूंगा, मैं आपसे कहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो और राज्य की पुलिस कुछ नहीं करे। ये कोई एक दो मामले नहीं हैं, मैं आप को धौलपुर क्षेत्र में बाड़ी की घटना बताता हूं बसेड़ी तहसील में हरिजनों के नाक काट डाले, उनके घर जला दिए, भैंसें खोल कर ले गए लेकिन आज तक पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया और केस रजिस्टर करने के लिए कहा तो मना कर दिया गया। अधिकारी जांच के लिए तैयार नहीं। यह सरकार की कमजोरी है कि वह हरिजनों की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप इसके लिए कोई विशेष मापदंड बना लें कि जहां कहीं ऐसी घटनायें हों पुलिस अधिकारी निष्पक्षता और इम्पार्शली जांच कर तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इतना ही····

श्री अध्यक्ष : आप अब क्या कहना चाहते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से बोल चुके हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं बोल नहीं रहा हूं, एक सुझाव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बगैर बोले ही रखना चाहते हैं। सुझाव के लिए बोलने की जरूरत नहीं है क्या ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सुझाव देना बोलने में नहीं आता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत चीफ मिनिस्टर साहब को कि एक कमेटी बना दें जिसके वे खुद अध्यक्ष हों, इस प्रकार की कमेटी का निर्माण करना चाहिए जिससे हरिजनों की किसी किस्म की शिकायतें आए तो वह उनके नोटिस में आए चाहे वह पुलिस के दमन की बात हो, चाहे रेवेन्यू आथोरिटिज की बात हो। एक हाई पॉवर कमेटी मुकर्रर कर दें जो इन सारे मामलों को देखे। यहां पर जो हरिजन मिनिस्टर बैठे हैं। वे तो केवल शोभायमान हैं, उन बेचारों को तो अन्दाजा ही नहीं होता इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक कमेटी का निर्माण कर दें जिसके आप खुद अध्यक्ष हों तो यह जुल्म और जोर जबरदस्ती रुक सकेगी।

श्री हरिदेव जोशी : मैं⋯

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, बसेड़ी के केस में भी यही हुआ है। हरिजनों के घर जला दिये, नाक काट लिये लेकिन गृह मंत्री महोदय ने उनसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा।

श्री रामलाल (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय रामकिशनजी ने बताया है कि बसेड़ी तहसील में खोरी नामक व्यक्ति के यहां से पहले दो भैंसें खोल कर ले गए, फिर उसके नाक काट डाले और गांव में आग लगा दी। जगह 2 ऐसे केस काफी हो रहे हैं। इनकी जांच मुख्य मंत्रीजी स्वयं आप करें यही मुझे कहना है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा निवेदन यह है कि जो भी केसेज ऐसे आते हैं वे राज्य सरकार के भी हित में है कि राज्य सरकार उन पर सजग होकर कार्यवाही करे। आमतौर पर यह होता है कि पीड़ित व्यक्ति अपने थानों के अन्दर फरियाद लेकर जाते हैं वहां पर जब सुनवाई नहीं होती तो शांत हो जाते हैं। मेरी गुजारिश यह है कि हमारा प्रयत्न निश्चितरूप से यह हो कि इनको राहत पहुंचाई जाए। यह भी मैं जानता हूं। मेरे समक्ष भी ऐसे मामले आते रहते हैं। रोजमर्रा जितने लोग मुझ से मिलने आते हैं उनमें इस प्रकार के लोग भी आते हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है, और उनके लिए हमने कोशिश की है। आपने अभी जो सुझाव दिए हैं उन पर क्या कुछ किया जा सकता है दूसरे ढंग से यह मैं देखूंगा, लेकिन अभी इमीजियेटली जो बात मेरे ध्यान में आती है, जो हम कर सकते हैं वह यह है कि मैं अपने कार्यालय में एक सैल इस चीज के लिए कायम कर देता हूं अपने आफिस के अन्दर जो इसको वीगरसली परस्यू करेगा, और जो भी शिकायतें इस तरह की आई हैं उनको डील करेगा। इसका स्पेशल आफिसर मेरी चॉइस का होगा। वह मौके पर जाएगा, और देखेगा और लॉजिकली इन केसेज में लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। मगर मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष,

Page No 54

54

(श्री हरिदेव जोशी)

महोदय, कि यहां पर जो कुछ कहा गया है उसको तो मैं देख लूंगा सदन की प्रोसीडिंग्स से, मगर मेरा निवेदन है कि मुझे आप एक डी.ओ. लेटर के रूप में इन सारी चीजों को लिख कर दे दें विदिन फोर्ट-नाइट, एक वीक में दे सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन विदिन फोर्ट नाइट सारी चीजों को दे दें, और मैं स्पेशल आफिसर इस काम के लिए स्पेशली डेप्यूट करूंगा, उसको यह स्पेशल ड्यूटी असाइन करूंगा कि यह सारे मामले को देखे। अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो पुलिस अफसर अगर बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ अथवा इस प्रकार के लोगों के साथ में ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे तो वह उनकी ड्यूटी पर नहीं रह सकेंगे और सजा पायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष, डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स और ग्रेज्यूएट्स के लिए ....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि अभी अकाल की बात हो रही है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह अकाल में नहीं आता है साहब।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि अकाल में आ जाएगा उस में आप कह लें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि अकाल का इससे सम्बन्ध नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप और मैं दोनों ही कह रहे हैं, तीसरा फैसला कौन करेगा? अकाल राहत में इंजीनियर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया है यही तो कहना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि डिप्लोमा होल्डर्स का, डिग्री होल्डर्स का और ग्रेज्युएट्स का पूल बनाया गया था। भारत सरकार ने इस पूल में डिप्लोमा होल्डर्स के 157 व्यक्तियों को और ग्रेज्यूएट्स में 67 व्यक्तियों को पूल में लिया था और एक बार 5,79,000 रु. और एक बार 1,45,500) रु. भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को इसलिए दिया कि राज्य सरकार उस पैसे का उपयोग करेगी और इन लोगों को स्थायीरूप से नौकरी दे देगी 3 मई, 73 को, 19 जून को, 3 जुलाई को, 29 जुलाई को और यह अंतिम पत्र है 9 तारीख का भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को पैसा दिया है ताकि राजस्थान सरकार इन सारे डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स और ग्रेजुएट्स् को अस्थायी व्यवसाय दे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब के सब व्यक्तियों को अकाल राहत कार्यों पर लगाया गया था और इसके बाद राजस्थान सरकार ने इनको राज्य की सेन्सस के लिए लगा दिया। इसके बाद हालत यह है कि यह सेन्सस का काम समाप्त हो रहा है। इन डिप्लोमा होल्डर्स को 300/- रुपया, डिग्री होल्डर्स को 500/- रुपया और ग्रेजुएट्स को 250/- रु. मिलता था। अब इस माह में काम समाप्त हो रहा है और ये सारे के सारे डिप्लोमा होल्डर्स डिग्री होल्डर्स पूल में लिए जाएंगे और इनका पूल बनने के बाद इनको 150/- 250/- रुपया प्रति माह मिलेगा। इस महंगाई के समय में जहां पर वे 500 रुपये

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

प्राप्त कर रहे थे उनको 150/-250/-रुपया मिलेगा। इसके बाद पूल में उन व्यक्तियों को नहीं रखा जावेगा जिनका तीन वर्ष का समय समाप्त हो गया है। उनके नाम पूल से निकाल दिए जाएंगे जिनको अस्थायी रूप से रखा है, वे बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा निवेदन करना यह है कि इनको एब्जार्ब किया जाये और जो डिप्लोमा, डिग्री होल्डर्स हैं उनको पहले जन स्वास्थ्य विभाग में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में, सिंचाई विभाग में, कृषि विभाग में लगाया जाय। सरकार इन जवान इन्जीनियर्स को रोजगार दे। यह जो जवान खून है इसका उपयोग किया जाना चाहिये।

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आन ए पाइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर।

माननीय श्री गुरदयालसिंह सन्धु जो इस सदन के सदस्य हैं, माननीय श्री गुरदयालसिंह सन्धु इस सदन के कार्य संचालन में बहुत दिलचस्पी से भाग लेते रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री को यह सूचना देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो हमेशा इस सदन के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनकी पुलिस के द्वारा हिस्ट्री शीट खोली जावे, उनके पुत्र की खोली जाए यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन उनकी हिस्ट्री शीट खोली जावे, यह मेरे ख्याल में माननीय सदस्य को अपने कार्य में आब्स्ट्रक्ट करना है। अगर मुख्य मंत्री यह समझते है कि वे वायलेन्ट है, उनका कुछ केरेक्टर इस तरह का है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो स्वतन्त्रता सेनानी हैं इस कारण उनकी हिस्ट्री खराब हो अगर यह समझ जाए तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा तो यह विश्वास है कि माननीय सदस्य निष्ठापूर्वक इस सदन में काम करते हैं, वे स्वतन्त्रता सेनानी हैं तो यह हिस्ट्री शीट नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह प्रिविलेज का पॉइन्ट उठा रहा हूं कि इस प्रकार माननीय सदस्य को आब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है अपने काम करने में। जिसने सदन की कार्यवाही चलाने में आज तक निष्ठापूर्वक काम किया है, उसको अपना कार्य करने में बाधा पहुंचाई जा रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न अभी उठाया गया है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एस. एच. ओ. की रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट को उसने यह लिखा है। यह महत्वपूर्ण बात है, प्रिविलेज का प्रश्न है। उसमें यह लिखा है "न्याय के दुर्भाग्य से इसका पिता एम. एल. ए. बन गया है।" अध्यक्ष महोदय, यह थानेदार ने लिखा है मजिस्ट्रेट को कोर्ट में लिख कर दिया है— न्याय के दुर्भाग्य से इसका पिता एम. एल. ए. बन गया है," इसके साथ में इसकी यह सर्टीफाइड कॉपी है। यह मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं जिसमें, अध्यक्ष महोदय, यह जो इस्तगासा पेश की है मजिस्ट्रेट को वह है 10-5-74 की यानी यह घटना मुख्य मंत्री के कार्यकाल की है, रिसेन्ट आकरेन्स है। उसमें, अध्यक्ष महोदय, मुल्जिम का नाम लिखा है वीरेन्द्रजीतसिंह। इसकी हिस्ट्री शीट खुलवाई गई है। इसमें लिखा है इनका इन इन मुलजिमानों से मेलजोल है। अध्यक्ष महोदय, जरा एक सेकिन्ड इसको देखिये। किन किन बदमाशों से मेलजोल है। इनका नाम लिखते हैं नम्बर तीन पर जिन बदमाशों से इनका मेलजोल है, इसका नाम गुरदयालसिंह जिससे मेलजोल है। उसमें लिखते हैं केस नम्बर 3, वीरेन्द्र जीतसिंह।

56

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इसका बाप गुरदयालसिंह। तो, अध्यक्ष महोदय, यह डाक्यूमेन्ट्री एवीडेन्स है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक एस. एच. ओ. ने दी है एक माननीय सदस्य के बारे में जो कि एम. एल. ए. हैं, इस सदन के सदस्य हैं जो कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल एक्ट के तहत एक लाख जनता के नुमाइन्दे बन कर आते हैं। वह एस. एच. ओ. उनके बारे में लिखता है, दुर्भाग्य से एम. एल. ए. बन गये हैं। कास्टिंग एक्सपर्शन ओन दी एम.एल.ए. है। इसके साथ ही दूसरे कालम में लिखा है 'इसका बाप गुरुदयालसिंह बदमाश है। उसका मेलजोल है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय तक यह बात नहीं पहुंची होगी, यह तो मैं नहीं कहता, परन्तु इस राज्य के मुख्य मंत्री की नालेज में यह बात आने के बाद एक एस. एच. ओ. की यह हिमाकत हो, यह हिम्मत हो कि इस प्रकार एक एम. एल. ए. के बारे में ओन दी रिकार्ड वह लिखे। यह तो सुनने में आता है, देखने में आता है कि जुबानी तौर पर पुलिस द्वारा हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। थाने में, पुलिस स्टेशन पर, कलेक्टरी पर इनका व्यवहार कैसा होता है, यह कहानी तो आप भी जानते हैं परन्तु ओन दी रिकार्ड यह बात कही गयी है। यह कहा है 'बदमाश है' 'हिस्ट्री शीटर है, ऐसे व्यक्ति से मेलजोल है।' यह कहता है 'यह दुर्भाग्य से चुन कर एम. एल. ए. हो गया है।' मैं समझता हूं इस एस.एच.ओ. को जिसका नाम जेलसिंह है, के खिलाफ कार्यवाही की जाय और अध्यक्ष महोदय, आगे देखें, यह एस.एच.ओ. कोई बहुत पुराने जमाने का नहीं है, बरतानियां सल्तनत का नहीं है, फिरंगियों के जमाने का नहीं है, वह भी गये गुजरे तरीके अपनाता है। यह हमारे यहां के एस. पी. हैं, जो आइ. पी. एस. रैंक के होते हैं, कोई साधारण आदमी नहीं हैं वह 16-5-74 को आदेश देते हैं और उनके हुक्म से यह कार्यवाही हो रही है। इसमें एक एस. पी. का डाइरेक्शन है। शेमफुल फोर दी गवर्नमेन्ट, शेमफुल फोर दी चीफ मिनिस्टर। मेरा यह निवेदन है कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है, प्रिविलेज का प्रश्न है। ओन रिकार्ड यह है। इसलिए एस. एच. ओ. और एस. पी. के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाये और भविष्य में इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न न हो, इस प्रकार की घटनाएं न हों, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक मीटिंग बुलायी थी और कोआपरेशन के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष : बात यह है

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या यही कोआपरेशन है? क्या इस तरह की घटनाएं कर के हम से कोआपरेशन चाहते हैं। हमारे सदस्यों को बदनाम किया जाता है। दुर्भाग्य से जीत कर आ गये हैं। इस प्रकार तो पुलिस स्टेशनों के अन्दर एस. एच. ओ. बैठ कर हमारा शोषण करेंगे, बदमाश कहेंगे, बदनाम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री महोदय आज इस बात की घोषणा करेंगे, यह सर्टीफाइड कॉपी है, कोई जुबानी आरोप नहीं है, इसको आप देख लें। यहां पर जब कभी हमारे कार्यकर्ताओं के गिरफ्तारी की बात करते हैं, उस पर सरकार द्वारा लीपापोती कर दी जाती है। यह एक एम. एल. ए. का प्रश्न है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों का

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

निश्चितरूप से, उनका हृदय आन्दोलित होगा, तड़फन होगी कि इस प्रकार का जघन्य अपराध किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था, जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है क्योंकि वह इस सभा के माननीय सदस्य से सम्बन्धित है, एक महत्वपूर्ण बात है ·· (श्री गुमानमल लोढ़ा द्वारा कागजात देने पर) आप इसको वहीं रखें···· तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस मामले पर मेरी राय जानना चाहते हैं, निर्णय जानना चाहते हैं, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, दे दें और यह दस्तावेज जो इसके सबूत में पेश करना चाहें, देना चाहें पेश कर दें ताकि इस पर उचित निर्णय हो सके ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि अभी चर्चा की गई है, माननीय गुरुदयालसिंह के बारे में मेरी जानकारी नहीं है । न गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि किसी एम. एल. ए. की हिस्ट्रीशीट खोली जाये । एम. एल. ए. के लिए तो एक ही चीज है कि वह पोलिटिकल वर्कर है । मैं पोलिटिकल लेवल पर उनसे इस बारे में बात करना उचित समझता हूं, पुलिस के स्तर पर नहीं । अगर उन अफसरों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बनता है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है । यह सदन उसके लिए कम्पीटेण्ट है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आगे कार्यवाही करें, उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कल सूचना दी थी, भरतपुर श्रमिकों का मामला आर्बीट्रेशन को सौंपा गया था । वह फैसला दे दिया गया है । यूनियन उससे सहमत थी । उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है ।

श्री रामकिशन : उसकी जानकारी दी जाये । क्या हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्यों को सदन में जानकारी दी जाये ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसकी कापी सदन की जानकारी के लिए दे दूंगा । उसका आप अवलोकन कर लें ।

श्री मोहरसिंह : वह बहुत अहम है ।

श्री हरिदेव जोशी । कागज मैं हाथ में लेकर खड़ा हुआ हूं । आप आज्ञा देते हैं तो मैं इसे पढ़ कर सुना देता हूं ।

(1) वेतन में दिनांक 1-5-74 से 40 रु. प्रतिमास एडहोक वृद्धि, जो 750 रु. मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को प्राप्त होगी ।

(2) महंगाई भत्ते की दर 70 पैसे प्रति पाइंट से बढ़ाकर 1 रु. प्रति पाइंट 200) रु. तक मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को,

201 से 300 रु. मासिक वेतन पर रु. 1.10 पैसे की प्रति पाइंट वृद्धि,

301 से 400 रु. मासिक वेतन पर रु. 1.20 पैसे की प्रति पाइंट वृद्धि और,

401 से 500 रु. मासिक वेतन पर रु. 1.25 पैसे की प्रति पाइंट वृद्धि । यह वृद्धि दिनांक 1-7-74 से प्रभावित होगी ।

(श्री हरिदेव जोशी)

(3) वेतन मानों में वार्षिक वृद्धि में सुधार—

वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
अकुशल 132-2 152	132-3-162
अर्द्धकुशल 151.80-3-12·183	152-4-192
कुशल ए-175-4 10-216	175-5-225
,, बी-201-5-251	201-6-261
,, सी-231-6-25-292.50	231-7-301
,, डी-260-7-330	260-8-340
,, ई-292-8-372	292-9-382

(4) केजुअल अवकाश (सवेतनिक) 7 दिन से बढाकर 10 दिन।

(5) राष्ट्रीय एवं त्यौहारों की सवेतनिक छुट्टी 7 से बढाकर 8 दिन तथा इनकी बजाय अन्य छुट्टियां काट लेने की प्रथा की समाप्ति।

(6) दिनांक 11-8-74 से कारखाना चालू होने की तिथि तक की श्रमिकों को सवेतनिक सुविधा।

(7) (ए) तीन मृतकों के आश्रितों को 9,000 रु. प्रति आश्रित मुआवजा,

(बी) दो गंभीर घायलों को 5000) रु. प्रति के हिसाब से मुआवजा, और

(सी) अन्य घायलों को 1000 से 2500 रु. तक प्रति के हिसाब से मुआवजा।

(8) जायन्ट मैनेजमेन्ट कौंसिल एवं ग्रीवान्स मशीनरी की स्थापना और

(9) श्रमिकों के प्रति, जो वर्तमान घटना से संबंधित है किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं करना।

विशेषाधिकार प्रश्न पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: विशेषाधिकार प्रश्न पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि सर्वश्री रामकिशन, केदारनाथ, व निरंजननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा दिनांक 14 अगस्त को एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें कहा गया था कि गत 12 अगस्त को सदन में एक माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र भारतीया ने भरतपुर सिमको वैगन फैक्ट्री में हाल ही में हुये गोलीकाण्ड को लेकर अपने जो विचार व्यक्त किये थे उनको लेकर इस विधान सभा के कांग्रेस विधायक दल की कार्यकारिणी ने श्री भारतीया को कांग्रेस दल की सदस्यता से मुअत्तिल कर दिया और ऐसा करने से माननीय सदस्यों को यह भय व्याप्त हो गया है कि वे अपने विचार निर्भीकतापूर्वक सदन में नहीं रख सकते। उक्त प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस विधायक दल की यह कार्यवाही संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। इस प्रस्ताव को लेकर सदन में एक व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया गया है और वह यह कि किसी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी जाने पर उस पर चर्चा करने की अनुमति तुरन्त दी जानी चाहिए। और प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली में विशेषाधिकार प्रस्ताव की शर्तों को यदि वह प्रस्ताव पूरा करता हो तो उस पर अध्यक्ष को अपनी अनुमति स्वतः ही देनी चाहिए।

मैंने माननीय सदस्यों को यह अनुरोध किया था कि यदि वे इस विषय में सदन का

(श्री अध्यक्ष)

अथवा अन्य विधान सभाओं की अथवा संसद की किसी ऐसी व्यवस्था बतला सकें जिसमें यह कहा गया हो कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना ही सदन में विशेषाधिकार के प्रश्न की चर्चा की जा सकती है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अनेक तर्क अपनी इस मान्यता के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैं कि नियमों में अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसका आशय यह है कि यदि वह प्रस्ताव नियमों में दी गई शर्तों को पूरी करता हो तो अन्य किसी विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और इस विचार की अनुमति केवल औपचारिक मात्र है। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि अध्यक्ष का काम यह देखना नहीं है कि विशेषाधिकार का प्रश्न वास्तव में बनता है अथवा नहीं ? अध्यक्ष महोदय को तो केवल यह देखना होता है कि पूर्व दृष्टा विशेषाधिकार का मामला है अथवा नहीं और इस बात की जांच करने का दायित्व कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है अथवा नहीं, केवल विशेषाधिकार समिति का है। यह भी कहा गया है कि जिस मामले में अध्यक्ष इस निर्णय पर पहुंचे कि पूर्व दृष्टा विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं बनता, अध्यक्ष ने इस निर्णय से वह प्रस्ताव स्वतः समाप्त नहीं हो जाता बल्कि इसका परिणाम केवल यही होता है कि उससे इस प्रकार के प्रश्न को सदन के अन्य निर्धारित कार्य की तुलना में प्राथमिकता नहीं मिल सकती और वह प्रस्ताव नियमों में निर्धारित अन्य प्रस्तावों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत साधारण प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य हो सकता है। यह भी कहा गया है कि नियमों में जहां अध्यक्ष की पूर्व सहमति आवश्यक मानी गई है वहां यह पूर्व सहमति अध्यक्ष के अपने विवेक के आधार पर न होकर तथ्यात्मक आधारों पर तटस्थता की दृष्टि से ही दी जानी चाहिए क्योंकि यदि अध्यक्ष को अपनी सहमति ऐसे मामलों में रखते चले जायेंगे तो इसमें सदन के अधिकार पर कुठाराघात होगा। माननीय सदस्यों द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि नियम 162 में अध्यक्ष को यह भी अधिकार दिये गये हैं कि वे किसी भी विशेषाधिकार प्रश्न को अपनी स्वेच्छा से जांच करें और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर सकते हैं और इस प्रावधान के अन्तर्गत ही अध्यक्ष को इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए। कुछेक माननीय सदस्यों ने हाउस आफ कामन्स में हुये एक मामले को लेकर इस बात की भी चर्चा की है कि जिस प्रकार उस मामले में किसी माननीय सदस्य द्वारा संसद के बाहर किसी संस्था से सम्बन्ध स्थापित कर लिया गया था और ऐसा करने से सदन में उनकी स्वतन्त्रता और सदन में उनके भाषण और आचरण की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाया गया था और जिस पर उस मामले में विशेषाधिकार का हनन सिद्ध हुआ था, इसी प्रकार इस मामले में भी विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का यह जो प्रश्न उठाया है उसका संबंध इस बात से बिल्कुल नहीं है कि इस मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है अथवा नहीं ? यहां सबसे पहले विचाराधीन प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

तो यह है कि उपरोक्त तर्क को देखते हुए क्या अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में विशेषाधिकार के प्रश्न का मामला उठाया जा सकता है या नहीं और यदि अध्यक्ष की पूर्वानुमति आवश्यक है तो उस स्थिति में भी क्या इस प्रकार की पूर्वानुमति विशेषाधिकार के प्रस्ताव के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर स्वतः दे दी जानी चाहिए अथवा उसमें अन्य बातों पर भी विचार करना आवश्यक है ?

इस संबंध में सबसे पूर्व में नियम 157 की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें यह स्पष्टरूप से कहा गया है कि कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के या सदन के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो। इस नियम की भाषा से यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि कोई भी प्रश्न कोई भी माननीय सदस्य सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न केवल अध्यक्ष की सम्मति से ही उठा सकेगा उसके बिना नहीं। इस संबंध में माननीय सदस्यों ने जिस तर्क का उल्लेख किया है कि यदि किसी मामले में पूर्व दृष्टा याने प्राइमाफेसी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता हो तो ऐसे मामले अन्य प्रस्तावों के संबंध में दी गई प्रक्रिया के अन्तर्गत उठाये जा सकते हैं, इस मामले पर लागू नहीं होता। क्योंकि विशेषाधिकार संबंधी प्रश्नों के लिए सदन के नियमों में निश्चित और अलग व्यवस्था की गई है और जिन मामलों में निश्चित व्यवस्था की गई हो उनमें सामान्य व्यवस्था लागू नहीं होती, यह एक सामान्य नियम है।

इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम 159 की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने के लिए तीन शर्तें बताई गई हैं :—

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे,

(2) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा,

(3) विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

इनमें से दूसरी शर्त प्रासाद विषय में सदन का हस्तक्षेप है, इस विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि विशेषाधिकार का प्रश्न तब ही उठाया जा सकता है जब कि पूर्व दृष्टा प्राइमाफेसी इस प्रकार का प्रश्न बनता हो। दूसरे शब्दों में विशेषाधिकार के मामले का प्राइमाफेसी निर्णय लेना अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र एवं अधिकार में आते हैं। सदन की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली का अध्ययन करने पर यह भी स्पष्ट है कि इसके अन्तर्गत उठाए गए बहुत से विषय तब ही उठाये जा सकते हैं जबकि उनके लिए अध्यक्ष की पूर्व सम्मति हो। यह पूर्व सम्मति न केवल इन्हीं नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन है बल्कि अन्य अनेक परम्पराओं, परिपाटियों और पूर्व व्यवस्थाओं पर आधारित है जिनका स्पष्ट समावेश इन नियमों में नहीं है और यदि अध्यक्ष में ऐसे अधिकार निहित नहीं किए जायं तो सदन के लिए हर मामले में यह सम्भव नहीं है कि वह उन पर विचार करने की जब अपनी सम्मति दे तब ही उस मामले को उठाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो सदन का काम सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल पायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि किसी भी प्रश्न पर अपनी सम्मति देते समय अध्यक्ष पहले से इस बात का अभिनिश्चय नहीं करता कि उस मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न वास्तव में निहित है अथवा नहीं ? क्योंकि यह निर्णय तो उस प्रश्न की विस्तृत जांच करने के पश्चात् ही दिया जा सकता है और यह काम विशेषाधिकार समिति का ही है, अध्यक्ष तो केवल यही निश्चय करता है कि उस मामले के तथ्यों को देखते हुए प्राइमाफेसी विशेषाधिकार का मामला बनता है अथवा नहीं ? साथ ही में इस तर्क को भी स्वीकार नहीं करता कि यदि अध्यक्ष द्वारा किसी मामले में यह निर्णय ले लिया जाय कि उसके केस में पूर्व दृष्टा कोई मामला नहीं बनता तो वह प्रश्न अन्य नियमों के अन्तर्गत सामान्य प्रस्ताव के रूप में उठाया जा सकता है, क्योंकि नियम 157 क में स्पष्ट व्यवस्था है कि अध्यक्ष की सहमति से ही विशेषाधिकार प्रश्न को उठाया जा सकता है। इस अर्थ में मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि पूर्व दृष्टा वाले मामले को तय करने का अर्थ केवल यही है कि उसे सदन के अन्य कार्य की अपेक्षा प्राथमिकता दे दी जाय।

जहां तक नियम 162 का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि उक्त नियम उन मामलों में लागू होता है जहां अध्यक्ष अपने विवेक से किसी मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना उचित समझे। इस प्रकार के मामले वे होते हैं जिन्हें सदन में उठाये जाने की अनुमति देना आवश्यक नहीं होता। किन्तु उन मामलों में भी अध्यक्ष की पूर्व सम्मति नितान्त आवश्यक है। इसी सम्बन्ध में मैं इस सदन में पूर्व में 13 नवम्बर, 1957 तथा 8 मार्च, 1965 को दी गई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें स्पष्टरूप से कहा गया है कि सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न अध्यक्ष की सहमति से ही उठाया जा सकता है। इसी प्रकार लोक सभा में भी माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 19 मई, 1957 को इसी आशय की एक व्यवस्था दी गई जो इस प्रकार है:—

"The consent of the Speaker is a condition precedent to raising a question of privilege. Shri A. K. Gopalan referred to certain cases. It must be, I think, there was a prima-facie case and therefore I brought it before the House. The Speaker has the right to find out prima-facie whether there is case to be brought before the House. If I find that there is no such prima-facie case, I will not bring it before the House."

उपरोक्त सब आधारों को देखते हुए मैं सदन में उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं और मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में तब ही उठाया जा सकता है जब आसन की ओर से उसके लिए पूर्व सहमति हो जाए।

बहुत लम्बा हो गया, किन्तु क्योंकि आपने मामला उठाया है, अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूं कि क्या प्रस्तुत मामले में विशेषाधिकार के प्रश्न को सदन में उठाने

62

(श्री अध्यक्ष)

की अनुमति दी जाए या नहीं। जहां तक वर्तमान प्रकरण के तथ्यों का प्रश्न है, यह बात स्पष्ट है कि श्री भारतीया को सदन में दिए गये एक भाषण के आधार पर कांग्रेस विधायक दल से मुअत्तिल किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी सदस्य को सदन में अपने कृत्यों के निर्वहन से रोका जाए या उस पर बाधा डाली जाय तो वह सदन के विशेषाधिकार का हनन होगा क्योंकि माननीय सदस्यों को यह निर्बाध अधिकार है कि वे बिना किसी प्रकार के दबाव, भय अथवा प्रलोभन के सदन में अपना कार्य निर्भीकतापूर्वक कर सकें और अपना विचार व्यक्त कर सकें। प्रश्न केवल यह रह जाता है कि वर्तमान प्रकरण में क्या श्री भारतीया के विरुद्ध की गई कार्यवाही से उन्हें सदन में अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से रोका गया है अथवा उस पर बाधा डाली गई है अथवा नहीं? इस बात में कोई संदेह नहीं कि श्री भारतीया के विरुद्ध की गई उक्त कार्यवाही दलीय अनुशासन का एक अंग है। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि वर्तमान लोकतन्त्र का दलीय संगठन एक महत्वपूर्ण एवं सर्वसम्मत आधार है और प्रत्येक दल अपने सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से उन पर कई प्रकार के अंकुश रखता है जिनका आधार मुख्य रूप से यह रहता है कि वे दल की नीतियों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करें और इस बात का निर्णय कि दल की अमुक कार्यवाही उक्त अनुशासन बनाए रखने के लिए ही की है सम्बन्धित दल के विवेक पर ही छोड़ना पड़ेगा। सदन को तो केवल यह देखना है कि क्या दल का किसी ऐसी कार्यवाही से सदन में किसी सदस्य के निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति पर किसी प्रकार का अंकुश न लगे। मेरी ऐसी मान्यता है कि वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में लोक सभा में 20 जुलाई 1967 को उठाए गए इसी प्रकार के एक विशेषाधिकार के प्रश्न की चर्चा करना चाहता हूं जिसमें डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रधान मन्त्री पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संसद सदस्यों को यह कहा था कि वे सदन में पार्टी की आलोचना न करें अथवा निरंकुश भाषण न करें। माननीय अध्यक्ष ने इस प्रश्न को पार्टी की आन्तरिक कार्यवाही कह कर अस्वीकार किया था। किन्तु दोनों में अन्तर निहित सिद्धान्त एक ही है कि वह यह किसी भी दल द्वारा अपने सदस्यों के सम्बन्ध में दलीय अनुशासन की अनुरक्षा की दृष्टि से की गई कार्यवाही से विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार की अन्य घटनायें संसद के दोनों सदनों में हुई हैं और उन सब में यह बात समानरूप से मानी गई है कि ऐसी घटनाओं से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। इसी प्रकरण में ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के स्पीकर द्वारा दी गई एक व्यवस्था का उल्लेख भी मैं यहां करना चाहूंगा जो इस प्रकार है :—

"I would remark that animadversions against the conduct of whips are common on both sides of the House. There have never hither to been treated as breaches of the privilege of the whole House. As for any question of breach of

Page No 63

63

(श्री अध्यक्ष)

privilege by the usual channels, if that be the proper term, the only hon. Member who could complain about it with real knowledge is the hon. Member for Lanark himself. "

इसी सदन में दिनांक 3 सितम्बर, 1969 को भी इसी प्रकार का एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था जिसमें श्री सांवरमल बासोतिया को तत्काल अकाल राहत मन्त्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये जाने से कांग्रेस विधायक दल से निलम्बित किया गया था इस प्रश्न को अस्वीकार करते हुए माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि:—

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, उस समय के अध्यक्ष महोदय, श्री निरंजननाथ जी आचार्य थे, उन्होंने अब अपनी राय बदल दी है।

श्री अध्यक्ष : वह और हम एक ही हैं कोई वह हमसे अलग नहीं हो गये हैं। आप और हम सभी जानते हैं। यह न आपसे छिपी है न हमसे छिपी है। अत: सदन के नेता तथा कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते अपने ही दल के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के अनुशासन, व्यवहार एवं अन्य जैसे ही विषयों पर विचार एवं निर्णय करने के प्रश्न उनके दल विशेष से सम्बन्धित हैं, जिसमें प्रत्येक पार्टी को पार्टी के संविधान के अंतर्गत, इस प्रकार की कार्य प्रणाली की पूरी स्वतन्त्रता है। प्रजातान्त्रिक प्रणाली राजनैतिक दलों के संगठन पर ही आधारित है।

उपरोक्त परम्पराओं तथा पूर्वोदाहरणों एवं तथ्यों को देखते हुए भारतीय संसद के दोनों सदनों ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स तथा इसी सदन में पूर्व में दी गयी व्यवस्थाओं के आधार पर मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि श्री भारतीया के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही राजस्थान कांग्रेस विधायक दल का आन्तरिक मामला था और उससे किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार का हनन का मामला नहीं बनता। ऐसी स्थिति में मैं उक्त प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न बाकी है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा है यही है या और कोई दूसरा है।

श्री गुमानमल लोढा : दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में मैंने सूचना चाही है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, एस० डी. ओ. भीनमाल ने मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ में वारन्ट जारी कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा ना कि जानकारी कर रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, एक एस. डी. ओ. इस प्रकार मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी के खिलाफ वारण्ट इश्यू करे और उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया जाय। न तो उसके खिलाफ में धारा 16 के तहत कोई कार्यवाही हो न उस एस. डी. ओ. का वहां से ट्रान्सफर ही हो। यह क्या मामला है।

Page No 64

6.4.

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था कि जानकारी चाही है। उसकी जांच चल रही है। इसके बाद में वह प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं यह मेरे देखने की बात है। इसके अलावा जब आपने पेश किया तो गवर्नमेंट ने उसका नोट लिया होगा वह भी अपने स्तर पर कार्यवाही कर रही होगी। आखिर सभी चीजें देख कर ही तो तय किया जायेगा कि यह मामला विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में मुख्य मंत्री घोषणायें करते रहते हैं पर आगे जाकर उन पर अमल नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यहां पर यह कहा गया कि मुख्य मन्त्री द्वारा कि वह एक सेल क्रियेट कर रहे हैं इन सारी बातों के लिये। अध्यक्ष महोदय, जब तक घोषणाओं के ऊपर अमल नहीं होगा तब तक यह घोषणायें रद्दी कागज की तरह हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भीनमाल वाले एस. डी. ओ. ने जो कार्य किया है वह मीनी वाटरगेट काण्ड की तरह है। उस पर कार्यवाही होनी चाहिये उस एस. डी. ओ. को ससपेन्ड किया जाना चाहिये नहीं तो कम से कम उसे ट्रान्सफर तो वहां से फौरन किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : काफी कह चुके हैं। अब समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है कि राज्य सरकार उस आफिसर के खिलाफ में अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। राज्य सरकार ने विजीलेन्स कमीशन खोला है और दूसरे कार्यालय हैं पर ऐसे आफिसर के खिलाफ में कहीं कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय एस. डी. ओ. ने मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी के खिलाफ खाली वारन्ट इश्यू कर दे और राज्य सरकार उसके खिलाफ में एक्शन नहीं ले इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह तो राजस्थान सरकार है अगर हमारे हाईकोर्ट में ऐसा कोई काण्ड हो जाता तो उस व्यक्ति को तुरन्त सस्पेन्ड कर दिया जाता है और वहां से ट्रान्सफर कर दिया जाता। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे एस. डी. ओ. को तुरन्त वहां से हटाया जाना चाहिये और इसके खिलाफ में जांच होनी चाहिये।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज सदन का सत्र समाप्त हो रहा है तो मेरा जो विशेषाधिकार प्रश्न श्री गुरुदयालसिंह सन्धु को नम्बर दस कहा उसके बारे में प्रिविलेज मोशन मैंने दिया है उस पर क्या कार्यवाही होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसको आप अध्यक्ष महोदय सेक्शन 163 के अन्दर रेग्यूलेट कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:-

(1) श्री भीमसेन चौधरी
(2) श्री निरंजननाथ आचार्य
(3) श्री मोहनराज जैन
(4) श्री माणिकचन्द सोगानी
(5) श्री विजयसिंह राठौड़
(6) श्री रामचन्द्र रोत

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री दिनेशराय डांगी
(8) श्री श्रीराम गोटेवाला
(9) श्री भानुकुमार शास्त्री
(10) श्री झाबरमल सूण्डा
(11) श्री सुरेशचन्द्र शर्मा

मैंने प्रक्रिया के नियम 183 (1) के अन्तर्गत श्री भीमसेन को प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय इसके पहले एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज सदन का सत्र समाप्त हो रहा है उसके पहले हम मुख्य मन्त्री जी से यह स्पष्ट घोषणा सुनना चाहते हैं कि पंचायतों के चुनाव, नगरपालिकाओं के चुनाव कब करवाये जा रहे हैं। ताकि माननीय सदस्य जब अपने अपने क्षेत्रों में जायें तब वह इस बात के लिए निश्चित होकर जायें कि इन तारीखों को पंचायतों के और इन तारीखों को नगरपालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। माननीय सदस्य जाकर अध्यक्ष महोदय अपने क्षेत्र की जनता को इस बारे में सूचना दे सके। वर्ना जनता और माननीय सदस्य दोनों ही सस्पेन्स में रहेंगे। जैसे नगरपालिकाओं के लिये नामीनेशन फार्म भरने हैं। तो इसी प्रकार पंचायतों के चुनाव आप कब कराने जा रहे हैं, यह स्पष्ट कर दें। इसके अलावा मैं यह मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि भरतपुर में हुए गोली काण्ड के लिए जो मुख्य मन्त्री जी ने न्यायिक जांच करने की घोषणा की है और उसके लिये जज भी कौन होगा उसकी घोषणा भी की है कि श्री जोशी जी इसके जज होंगे। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से सदन में यह स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि वह यह सदन में घोषणा करे कि जो भी श्री जोशी कमीशन फैसला देगा वह लागू होगा। और जिस तरह बेरी कमीशन की रिपोर्ट को नहीं माना गया था उस तरह इसमें भी होगा। ताकि मजदूर और उनके वकील इस बारे में निश्चित हो जावे। क्या मुख्य मन्त्री उस रिपोर्ट को हूबहू स्वीकार करेंगे ? मैं यह स्पष्ट घोषणा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप काफी देर बाद कह रहे हैं वह समय निकल गया।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा आपके आदेशों की पालना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भी जानते हैं कि मैं आपके ही इशारों की पालना करता हूं। लेकिन अब तो दो तीन आइटम समाप्त हो चुके हैं उस पर बहस नहीं हो सकती। यह नियमों के विरुद्ध है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा होता उसी बीच में बार बार गुमानमल जी लोढा खड़े हो जाते। इसलिये थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया ना कि नियमों में प्रावधान नहीं हैं वह बात अब समाप्त हो गयी है। अब वह विषय समाप्त हो गया, उस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जब तक लोकतन्त्र है तब तक बहस तो जारी ही रहेगी।

श्री अध्यक्ष : यह नियमों के विपरीत होगा तीन आइटम निकल चुके हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझ गया। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प० 1(1) (2) परिवहन । 70 (जी०एस०आर० 6), दिनांक 15 अप्रेल, 1974।

(2) अधिसूचना संख्या प० 1(3) (25) परि/74 (जी. एस. आर. 40) दिनांक 3 जून, 1974।

(3) अधिसूचना संख्या प० 1 (3) (39) परि/74 दिनांक 29 जून, 1974।

(4) अधिसूचना संख्या प० 1 (3) (41) परि/73, (जी.एस आर. 67) दिनांक 10 जुलाई, 1974 एवं

(5) अधिसूचना सं० प० 1(3) (2) परि / 72, (जी. एस. आर. 69) दिनांक 11 जुलाई, 1974।

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन। श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर शहर में अण्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज सिस्टम बनवाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1970-71 के विनियोग लेखे वित्त लेखे तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन के संबंध में कारागार, पुलिस राजस्व, वाणिज्यिक कर, स्थानीय निधि अंकेक्षण, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण एवं शिक्षा विभाग से संबंधित जन लेखा समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी जो अकाल राहत मंत्री भी हैं, का पाली जिले में और राजस्थान के अन्य जिलों में वर्षा के अभाव में अकाल की जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हूं।

राज्य मंत्री अकाल राहत (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष मई के महीने में कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगई थी। यद्यपि यह वर्षा समय से पहले ही आई थी परन्तु इसके कारण अनेक क्षेत्रों में खरीफ की बोआई कर दी गई थी। जहां तक नियमित मानसून का सम्बन्ध है, इसके चालू होने में कुछ विलम्ब हुआ। मानसून जुलाई के दूसरे सप्ताह में ही चालू हुआ था। उसके बाद व्यापकरूप से वर्षा हुई। कुछ क्षेत्रों में औसत की तुलना में अधिक वृष्टि भी हुई है जिससे बाढ़ की स्थिति भी बनी है। दूसरी ओर कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें औसत की तुलना में बहुत कम वर्षा हो पाई है। ऐसे जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर, पाली एवं सिरोही है। 6 और ऐसे जिले हैं जिनमें औसत की तुलना में वर्षा काफी कम रही है। यह जिले उदयपुर, बांसवाड़ा

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

चित्तौड़गढ़, झालावाड़, झुंझनू एवं जोधपुर हैं। इनमें भी औसत की तुलना में वर्षा कम हुई है। दोनों वर्ग के इन जिलों में ग्रामों की संख्या 14113 तथा कुल जन संख्या 95.80 लाख है। इन जिलों में फसल की हालत अच्छी नहीं कही जा सकती। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें कतई बोवाई नहीं हो सकी। कुछ और क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मई में वर्षा हुई थी। बाद में वर्षा नहीं होने से फसल खराब होगई। 2-3 सप्ताह से मौसम सूखा रहने से भी कुछ क्षेत्र में फसल को नुकसान हुआ है। इन सब के बाबत विस्तृत जानकारी खरीफ की गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही मिल पायेंगी। तदुपरान्त ही फसल के बाबत विस्तृत जानकारी मिलेगी। अभी वर्षा का मौसम चालू है एवं राजस्थान में पिछले 2.3 दिन से फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने के समाचार भी मिले है जैसे बांसवाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, एवं झालावाड़ में अच्छी वर्षा हुई है। झालावाड़ में ही अतिवृष्टि के कारण कुछ क्षेत्रों में बाढ़ से नुकसान होने का समाचार आया है। जहां जहां यह वर्षा हो गई है वहां वहां फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। परन्तु ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें मानसून के इस दूसरे दौर में भी वर्षा नहीं हुई है।

जालोर में पिछले दो तीन दिन में छुटपुट वर्षा हुई तो है परन्तु यह 5.6 मीलीमीटर के बराबर ही है। इससे फसल की स्थिति में कोई खास सुधार होने की आशा कम है। जालोर के सांचोर एवं भीनमाल क्षेत्रों में फसलों की हालत फिलहाल उतनी खराब नहीं है जितनी अन्य क्षेत्रों में है क्योंकि यहां बीच में एक वर्षा हो गई थी। वैसे, यहां भी यदि शीघ्र ही वर्षा नहीं हुई तो फसलें खराब होने का अन्देशा है। परन्तु जालोर से किसी प्रकार का पशुओं एवं मनुष्यों का निष्क्रमण अभी चालू नहीं हुआ है।

जैसलमेर में अभी कोई वर्षा नहीं हुई है। इस कारण फसलों की स्थिति बिगड़ी है।

बाड़मेर जिले में 18 अगस्त को कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है। सिवाना में 22 मीलीमीटर, समदड़ी में करीब 20 मीली-मीटर एवं बायतू तथा कवास ग्रामों में भी लगभग 15 मिलीमीटर वर्षा हुई है। परन्तु यह वर्षा कुछ सीमित क्षेत्र में ही हो पायी है। फसलों की स्थिति में बहुत गिरावट है एवं वर्षा नहीं होने की दशा में फसल पूर्णरूप से खराब होने का अन्देशा है।

पाली एवं सिरोही जिलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। पाली में थोड़ी वर्षा 1.2 दिन में हुई है परन्तु वह 10.12 मीलीमीटर से अधिक नहीं है। सिरोही में भी माउट आबू के क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई है। बाकी क्षेत्र में वर्षा होने का कोई समाचार नहीं है।

जोधपुर जिले में बिलाड़ा एवं शेरगढ़ तहसील में वर्षा की बहुत कमी रही है। इस जिले में पिछले दो दिनों में बिलाड़ा एवं जोधपुर में लगभग 17 मीली मीटर वर्षा होने का समाचार है। झुंझनू जिले में फसलों की स्थिति फिलहाल ठीक बताई गई है।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

यदि मानसून का यह दूसरा दौर कुछ दिनों और चला और पश्चिमी जिलों को भी इससे पानी मिल गया तो स्थिति में काफी सुधार आयेगा ऐसी आशा की जा सकती है। वैसे, इन जिलों में हालात वर्तमान में ऐसे हैं, जिससे राज्य सरकार को स्वाभाविक रूप से चिन्ता है एवं पूर्ण सजगता से स्थिति को ध्यान में रखा जा रहा है।

अन्य क्षेत्रों के साथ साथ ब्यावर तहसील का मामला भी उठाया गया है। वैसे, इस वर्ष अजमेर जिले की वर्षा की स्थिति सामान्यतया ठीक ही है। जहां तक ब्यावर का संबंध है 15 अगस्त तक वहां औसत की तुलना में कुछ अधिक वर्षा हो चुकी थी। दिनांक 19 व 20 अगस्त को इस तहसील में दूर दूर तक अच्छी वर्षा हुई है। ब्यावर में 20 अगस्त को एक इंच वर्षा हुई एवं टाडगढ में भी 19 अगस्त को लगभग एक इंच के करीब वर्षा हुई है। इस तहसील में खरीफ की फसल की स्थिति इस समय बिलकुल संतोषजनक बताई गई है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, राज्य के कुछ जिलों में फसल की स्थिति राज्य सरकार के लिये चिन्ता का कारण बनने लगी है। उन क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से राहत कार्य खोलने की व्यवस्था का मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इस हेतु पिछले दिनों सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग एवं सहायता विभाग के उच्चाधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ है। इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप योजनाबद्ध तरीके से राहत कार्यों को जरूरत के अनुसार खोलने की बात पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

राज्य सरकार अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य एवं अन्य राहत व्यवस्था के लिए अपने साधनों का उपयोग करेगी एवं केन्द्रीय सरकार को भी निवेदन करेगी।

अभावग्रस्तता के इस मामले के साथ साथ किशनगढ़ की पेयजल व्यवस्था का मामला भी उठाया गया है। किशनगढ़ के पेयजल का स्रोत बंदीलाव तालाब है जिसके पास 10 कु० खोदकर उनसे पानी पम्प करके इस नगर को सप्लाई किया जाता है। यह तालाब लबालब भरा हुआ है ऐसी दशा में पीने के पानी की कमी होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। कुछ दिन पूर्व किशनगढ़ का ट्रान्सफोरमर जल गया था व बिजली की कठिनाई के कारण पेयजल की कठिनाई भी उत्पन्न हो गयी थी। अब ट्रांस्फोरमर लगा दिया गया है।

जहां एक ओर पानी की कमी की समस्या है वहां जयपुर, नागौर, सीकर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बीकानेर एवं झालावाड़ ऐसे जिले हैं जिनमें बहुत अधिक वर्षा होने से बाढ़ आ गई है। मकानों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति जैसे सड़कों, बंधों आदि को इस बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा कुछ नुकसान जोधपुर में भी हुआ है। क्षतिग्रस्त मकानों की अनुमानित लागत लगभग 1½ करोड़ रुपया है। बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत देने के लिए बचाव, सुरक्षा एवं भोजन व्यवस्था मद में एक लाख 48 हजार रुपये का आवंटन कर दिया गया है। मकानों, सड़कों एवं बंधों आदि की जो

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

क्षति हुई है उसके बाबत विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है। यह सूचना प्राप्त होने के बाद और धनराशि आवंटन करने हेतु विचार किया जावेगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्रीजी ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में अभाव की स्थिति एवं साथ ही बाढ़ के कारण से हुए नुकसान के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण रखा। विवरण से ही यह स्पष्ट है कि राजस्थान में केवल पाली जिले में ही नहीं बल्कि अन्य आठ जिलों में अकाल की स्थिति है एवं पांच जिले ऐसे बताये जहां कि अभाव की स्थिति है।

(1.50 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि स्थिति का विवरण स्पष्ट शब्दों में माननीय मुख्य मन्त्रीजी के सामने रखूं तो उन जिलों में तत्काल ही कार्य की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है और क्या राज्य सरकार कर पायेगी। साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी दिल्ली जाकर प्रधान मंत्रीजी से बातचीत की, उसका कुछ संकेत पत्रों में हमको पढ़ने को मिला। माननीय मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे कि इस अकाल के सम्बन्ध में उनकी प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई और राजस्थान को कितनी राहत मिलने की संभावना है।

इस वक्त जो स्थिति है, वह गत अकाल से भी भयंकर है। पाली जिले का उदाहरण पेश करना चाहूंगा। जहां तक पाली तहसील और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि फसलों की बुआई तक नहीं हुई है। एक दो जगह पहले फसल बुआ दी गई लेकिन वर्षा न होने से वह फसल खराब हो गई। लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर बुआई तक नहीं हुई। यह हालत तो उस क्षेत्र की है जहां पर कलेक्टर की जांच का अब सवाल ही नहीं है। इस अकाल में सबसे पहली आवश्यकता होती है पीने के पानी की व्यवस्था। गत वर्षों का अनुभव है। फरवरी मार्च में यह कठिनाई होती है। अभी से पीने के पानी की कठिनाई गांवों में होने लगी है और पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये तो लोग गांव छोड़ कर चले जावेंगे। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं पाली तहसील में 40 ऐसे गांव हैं अकाल में जवांई बांध का पानी पीने को दिया जा रहा है। कच्ची नहरें बनी हुई हैं। राज्य सरकार ने हमारी मांग पर केन्द्रीय सरकार से एक योजना स्वीकार कराई जिससे गांव डिगदा में ऐसी योजना बनायी जा रही है सीमेन्ट की नहरें उन गांवों तक बिछाई जावेंगी और इस पर 68 लाख का खर्चा होगा। योजना प्रारम्भ हो गई है पर समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। 10/12 लाख का खर्चा अब तक किया होगा। यह सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। अब जवांई बांध का पानी पीने के लिये इन गांवों के लिये कहा जाता है तो उत्तर दिया जाता है कि जोधपुर को दिया जावेगा। मैं कहता हूं आप जोधपुर को भी दो, पर ये गांव भी तो कहां जावेंगे ? वहां मन्त्रीजी ने आज अकाल जैसी स्थिति बताई

(श्री शंकरलाल)

है तो पीने के पानी की कठिनाई भी आ सकती है। पाली तहसील के इस तरह कुल मिलाकर 60/65 गांवों को आपको पीने का पानी भी देना होगा। तत्काल देना होगा। तीन चार गांवों को तो मैंने दिलवाया है। पर वहां का वाटर वर्क्स कहता है कि जब तक अकाल नहीं घोषित होगा वे मुफ्त में पानी किसी को नहीं दे पावेंगे। तो मैं मन्त्री जी से सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां की हालत देखते हुए तत्काल अकाल की घोषणा उस एरिया के लिए कर दें। नहीं तो स्थिति यह आ सकती है कि पीने के पानी के अभाव में लोगों को गांव छोड़ छोड़कर जाना पड़े।

आप ऐसा कर सिचाई विभाग, एग्रीकल्चर विभाग और रेवेन्यू विभाग के इन्जीनियर और अधिकारीगण बैठकर तय कर लें कि कितना पानी जवांई का सिचाई में देना ठीक रहेगा, कितना जोधपुर को देना उचित होगा और कितना कितना इस अकाल में आस पास के गांवों को देना होगा। वरना तो लोग रबी की फसल तैयार करेंगे और बाद में पीने का पानी भी नहीं दे पावेंगे। लोग रोवेंगे, प्यासे मरेंगे। तो इसका निर्णय पहले ही हो जाना चाहिये।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इस इलाके से जो लेवी ली गई है जो वहां के लोगों ने जरूरत से ज्यादा भी दी है और कहीं कहीं तो तकलीफ उठाकर दी है, आज अकाल की छाया में उसे उस इलाके से बाहर नहीं ले जावें। यह तत्काल आप घोषित करें। जालोर में भी आपके टारगेट से ज्यादा लेवी इकट्ठी हुई है। अकाल की स्थिति को देखते हुए वहां से भी आप बाहर नहीं ले जाने दें इसे। यह आपका नैतिक कर्तव्य भी है।

इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि अकाल के समय इन जिलों में कोर्स ग्रेन की आवश्यकता होती है। इसे दृष्टि में रखकर राजस्थान से बाहर कोर्स ग्रेन के ले जाने पर भी प्रतिबन्ध लगाने में आप शीघ्रता करें।

अकाल में घास की भी समस्या पैदा हो जाती है। गये वर्ष भी कुछ अधिक नहीं हुआ वहां पैदा। पिछले वर्षों का पड़ा हुआ अब तक काम आता रहा। पर आज स्थिति यह हो गई है कि तांगे वालों को और गांव के मवेशियों के लिये भी पाली में आज घास नहीं मिल रही है। कई जगह से तो मवेशी बाहर जाने भी शुरू हो गये हैं। ऐसी स्थिति में पाली जिले में या आसपास के जिलों में जो सरकार के घास के बीड़ और जोहड़ हैं उनकी नीलामी तत्काल रोक दी जाय। और उस घास को सरकार स्वयं कटवाकर अपने लिये इकट्ठा करे जो अकालपीड़ित पशुओं के काम आवेगा। नीलामियां तुरन्त रोक दें, नहीं तो अधिकारी तो अपने प्रोसीजर के अनुसार नीलामियां शुरू कर देंगे, वन फोर्थ अमाउन्ट भी बिडर से ले लेंगे। इसके बाद अगर सरकार रोकना चाहेगी तो वे हाईकोर्ट से स्टे वगैरा लावेंगे। जैसा पिछली बार हुआ तो इससे बचने के लिए इसके लिये सरकार तुरन्त आर्डर जारी करें।

कई जगह तत्काल राहत काम खोलने की भी आवश्यकता पैदा हो गई है। पाली जिला पहाड़ी इलाका भी है। उसमें गिरासिया लोग रहते हैं, आस-पास के इलाके में रावत मेरात भी हैं। इन लोगों के यहां सूखा

(श्री शंकरलाल)

पड़ गया है, खाने पीने के लिये कुछ बचा नहीं है, उनको अगर राहत के काम नहीं दिये गये तो ये अपराध करना शुरू कर देंगे। आसपास में लूटपाट करेंगे और किसी तरह अपना पेट पालगे। तो इन इलाकों में तत्काल राहत काम खोले जायं। इसके लिये जिलाधीशों को अभी से आदेश दें ताकि योजनाबद्ध तरीके से राहत कार्य चलाये जा सकें। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी में सरकारी आदमी जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बहस नहीं कर सकते और ताबड़तोड़ जो उनके सामने होता है मनचाहे ढंग से राहत कार्य खोल देते हैं। इससे अव्यवस्था होती है। पैसे का भी अपव्यय होता है। रिलीफ कमेटियों की मीटिंग बुलाकर भी इस काम को अभी से हाथ में ले लेना चाहिये। इस दृष्टि से मेरे यहां साही की स्कीम है। इसे हाथ में लिया जाना अत्यन्त जरूरी है स्थायी काम की दृष्टि से जिसमें जवाई बांध से पानी आवेगा। इसमें अगर दो करोड़ की आवश्यकता है मान लीजिये थोड़ी देर के लिये तो ऐसी योजना पर आप लेबर और पैसा लगाइये ताकि स्थाई काम हो सके। जो इस अकाल राहत कार्यों में ऐसे युटिलिटी के काम हैं जो आपके आने वाले अकाल को रोकने में समर्थ हैं चाहे स्याही योजना हो, चाहे राजस्थान कैनाल की योजना हो और चाहे दूसरी और कोई योजनायें हों उन योजनाओं को प्राथमिकता दें। ऐसे इनकम्प्लीट वर्क्स को लें, पिछले अकाल में बहुत से काम अधूरे रहे हैं चाहे वे सोइल कन्जरवेशन के हों, सड़कों के हों, बांधों के हों, सबसे पहले अधूरे कामों के लिये आदेश जारी करें।

फेमिन रिलीफ की कमेटियां बुलायें। उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा आप इस विषय को अभी से गंभीरता से लेंगे तो हल निकल सकेगा, मैं राज्य सरकार से ही नहीं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे पुरजोर शब्दों में मांग करें भारत सरकार राज्य सरकार को इसके लिए उपयुक्त धनराशि दें। हमें यह सुनने को नहीं मिलना चाहिये कि राज्य सरकार के पास अकाल सहायता के लिए रुपयों की कमी है और भारत सरकार से रुपया इस कार्य के लिये नहीं मिला है। राज्य सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को देखती हुई भारत सरकार से उचित सहायता प्राप्त करेगी जिससे जो आने वाली विपत्ति है और जो अकाल है उसका मुकाबला कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री शीशराम ओला : On a point of order, sir. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने अकाल की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें झुंझुनूं जिले के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : दिस इज नो पॉइन्ट आफ आर्डर। मैं जान गया आप क्या कहना चाहते हैं। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कई जिलों में इस वर्ष वर्षा का अभाव है और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल के

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जिलों में, अपेक्षाकृत सिरोही और जालोर में दूसरे जिलों से ज्यादा वर्षा होती है लेकिन इस साल आबू पर भी वर्षा कम हुई है। मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उससे ऐसा लगा जालोर जिले में वर्षा हुई है। जालोर जिले में वर्षा 26 मई को कहीं एक डेढ़ इन्च हुई थी और उसके बाद में 15-20 गांवों में आधी आधी इन्च वर्षा हुई होगी बाकी कहीं पर कोई वर्षा नहीं है। जहां 75-80 इन्च वर्षा का माउन्ट आबू में एवरेज है वहां पांच इन्च वर्षा हुई है। अब वर्षा होने से भी कुछ नहीं हो सकता है। जिस फसल को तीन महीने बोया था वह पूरी खतम हो चुकी है इसलिए इस सम्बन्ध में आवश्यक है अभी से तैयारी की जाय। 5-7 दिन वर्षा नहीं होती है तो न घास हो सकेगा और न मोठ, गवार हो सकेगा। यह भी नहीं होगा इसलिए चारे का, कई जगह पीने के पानी का, अनाज का और मजदूरी का प्रबन्ध राज्य सरकार को करना पड़ेगा। जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने यह सुझाव दिया कि अकाल राहत कमेटी की मीटिंग्स तुरन्त बुलाने का आदेश दिया जाना चाहिये। यह सुझाव ठीक है वर्ना बिना तैयारी के जो सरकारी अधिकारी सुझाव दे देते हैं वे बहुत से उपयोगी नहीं होते हैं इसलिये आवश्यक यह है कि विभाग और जन-प्रतिनिधि दोनों बैठकर चाहे वह भू-संरक्षण का कार्य हो, चाहे सिंचाई का कार्य हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का काम और चाहे सड़कों का काम हो, उपयोगी कार्य हाथ में लिये जायं और इन पर पैसा इस तरह-खर्च किया जाय कि आइन्दा भी अकाल हो उस पैसे का लाभ मिल सके।

यह नारा काफी अर्से से दोहराया जाता है कि हम इस तरह काम कर रहे हैं कि आगे जो फेमिन होगा उसमें भी इसका लाभ होगा। आपने पिछले वर्षों में 200 करोड़ रुपया खर्च किया है। जिसमें कितना प्रतिशत आप मानते हैं कि इस अकाल से लड़ने में उसकी सहायता मिलेगी। आपके बहुत से काम ऐसे मिलेंगे जिसका आने वाले अकाल में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगाकर यदि आप देश का विकास करना चाहते हैं तो आपको उपयोगी योजना बनानी चाहिये और उस उपयोगी योजना में ही पैसा लगाना चाहिये।

सड़कों में बहुत गड़बड़ी हुई है तो धारणा बन गई यहां पर और दिल्ली में कि सड़कें उपयोगी नहीं हैं। खासतौर से ग्रेवल की सड़कें मरुस्थल जैसे प्रान्त के लिये बहुत उपयोगी हैं और मरुस्थल में बहुत वर्षों तक चल सकती हैं और अकाल से लड़ने में, चारा पहुंचाने में, पानी पहुंचाने में, अनाज पहुंचाने में और बहुत तरह का सामान पहुंचाने में सहायक हो सकती हैं इसलिए अभी आप दिल्ली जाय तो यह न कह दें कि सड़कों का पैसा उपयोगी नहीं है। हां, पैसा खा जायं तो उपयोगी कैसे होगा सं. 1996 के काल में भी सड़कों का बहुत महत्व था और सन् 1955-56-57 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उस समय तक आवागमन के साधन ये सड़कें जो बनीं तो वे 20 वर्ष तक चली हैं और आज तक चल रही हैं। सड़कें बनाये और मूरड़ डाले ही नहीं अलाइनमेंट ठीक करें ही नहीं तो इस तरह की सड़कें बहुत कम उपयोगी होती हैं, अन्यथा सड़कें आज के युग में बहुत उपयोगी हैं।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि, क्योंकि अरावली के कुछ भागों में और उदयपुर के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है तो हमारे यहां ढाल होने के कारण बाढ़ आ जाती है। सबसे ज्यादा बाढ़ जालोर जिले में आती है क्योंकि वहां की जमीन का ढाल बहुत कम है इसलिये पानी के साथ रेत बह कर आ जाती है और नदियां रास्ता बदलती रहती हैं। मेरे क्षेत्र के आहोर, भीनमाल, सांचोर, जालोर क्षेत्र में बहुत से गांव कट गये और लोगों को बचाने के लिये सरकार को काफी धनराशि खर्च करनी पड़ी है। जो तट बन्धन की योजना है जिसे फ्लड कन्ट्रोल कहते हैं वह भी हाथ में लेनी चाहिये। यह कटाई ही नहीं करती है बल्कि भयंकर बाढ़ आ जाती है और 5-6 मील तक चलती है और नदियां चौड़ी हो जाती हैं। कई नदियां 1-1 मील चौड़ी हो गई है और सारे आवागमन के साधन रुक जाते हैं और फिर चौड़ी नदी को बांधने में भी दिक्कत आती है।

आप जानते हैं रेडियो में भी शीत लहर के प्रतिशत के हिसाब से जालोर जिला रहा है। प्रथम नहीं तो द्वितीय तो अवश्य होगा और शीत लहर के कारण सारी फसलें नष्ट हो गई। वह भी नहीं काटी गई और न गिरदावरी काटी। इससे अनाज का भाव एकदम तेज हो गया है। छोटे छोटे गांव हैं और गरीबों की बस्तियां हैं मोल लेकर अनाज देना पड़ता है। अनाज की कीमत आज एक रुपया 50 पैसे किलो है और जो बाजरी है उसका भाव भी एक रुपया 60 पैसा हो गया है तो वहां अनाज की उपलब्धि करायें ताकि उन लोगों को खाने को अनाज तो मिले। मजदूरी का भी प्रश्न है। तो उपयोगी कार्य हाथ में लिये जायं लेकिन मजदूरी के लिए भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा। मेरे कहने का आशय यह है कि आप अलग अलग विभाग को कह दें कि वह अपनी अलग अलग योजना दे दें। आपको इस संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कौन कौन से उपयोगी काम हो सकते हैं जैसे तालाबों का काम है, टूटे हुए तालाब हैं-इस तरह के काम और भू-संरक्षण के काम अच्छे काम हैं वह हाथ में लिये जाने चाहिएं। जो काम विभाग अच्छे समझता है वह कराये जाने चाहिएं। यह नहीं कि एक दिन में बैठकर प्रस्ताव बना लिये-ऐसे प्रस्तावों से धन का दुरुपयोग होता है। यदि अच्छे प्रस्ताव आयें तो कई उपयोगी कार्य हाथ में लिये जा सकते हैं। तो इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस संबंध में अभी से ही तैयारी शुरू कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम अकाल के इस भयंकर प्रकोप पर चर्चा करते हैं तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि पाली जिले में बाली उप-खण्ड की जो इस समय स्थिति है वैसी स्थिति जो पुराने से पुराने 90 वर्ष तक की आयु के लोग हैं उन्होंने अपनी आयु में इस तरह की स्थिति नहीं देखी है। जब यह हालत है मैं कह रहा हूं तो यह स्पष्ट है कि अभी तक मेरे क्षेत्र में 70-80 गांव ऐसे हैं कि जहां एक भी खेत की बुआई नहीं हुई है और 40 गांव ऐसे हैं कि जहां एक बूंद भी इस बार पानी नहीं

(श्री मोहनराज)

गिरा है। ऐसी स्थिति में उन गांवों की जो स्थिति हुई है उससे वहां के गांवों के निवासियों का जो धीरज टूटा है वह बहुत ही चेताने वाली चीज है। समय रहते हम लोग नहीं चेते और उन लोगों को राहत पहुँचाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं रखा तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दो वर्ष पूर्व जो अकाल का भयंकर छाया पड़ी थी उस समय 12-13 इंच बरसात तो हो गयी थी लेकिन इस बार 2-3 इंच पानी का एवरेज भी किसी गांव में नहीं आया है। उस समय राना और बेड़ा गांव में गिरासिये, मीणे और भील लोग सारे के सारे अपने बोरिये बिस्तर लेकर आ गये थे और सारी व्यवस्था को तितर बितर कर दिया था। लोगों में हाहाकार मच गया था इस हद तक कि वहां पर दानी लोगों ने राहत पहुंचाई। अभी वाली क्षेत्र के निवासियों ने अभी अभी तत्काल राहत के बतौर सस्ते भाव पर अनाज या घास भी लोगों को जो कि बहुत ज्यादा पीड़ित थे उनको मुहैय्या कराने की बात शुरू की है लेकिन उनका यह सहयोग भी आंशिक सहयोग ही कहा जा सकता है। इतने बडे पैमाने पर भुखमरी मनुष्य और जानवरों में सामने आ रही है उसको देखते हुए राज्य सरकार को तत्काल इन्तजाम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय एक बात और निवेदन कर दूं कि पीने के पानी की तकलीफ तत्काल नहीं आई है लेकिन जब तक सस्ते अनाज और घास यह दो चीजें उनको तत्काल नहीं पहुँचाई जायेंगी तब तक वहां पर यह तबाही मची रहेगी और खासतौर से जो आदिवासी इलाका है वहां जब कभी भी पूर्व में अकाल पड़ा है पाली जिले में सबसे पहले आदिवासी इलाके में टेस्ट रिलीफ वर्क्स खोले गये और वह तत्काल ही खोले गये ताकि आदिवासी लोग मजदूरी पर लग जायें और उनको मजदूरी की मार्फत पेट भरने के लिए अनाज मिल जाये और वह चोरी और दूसरे जुर्म हैं वह करने की ओर अग्रसर न हो। मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आदिवासी इलाके में लोग रहते हैं और राहत कार्य वहां पर नहीं खोले जाते हैं तो बुरी स्थिति हमारे सामने आ सकती है। आपका 5 हजार का राहत कार्य खुलता है और इस तरह से पांच सात जगह पर कुल 25 हजार के टेस्ट रिलीफ वर्क्स तत्काल खोल देते हैं तो मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि इससे आपका कम से कम पांच लाख का बचाव हो सकता है और जंगल में जो हमारा धन है, दरख्त है और दूसरी जंगल की प्राडक्ट्स हैं उसको चोरी करके वह भूखे लोग ले जाते हैं—आखिर भूखा इन्सान क्या करेगा? चोरी करके और दूसरे गांवों में 10 रुपये की लकड़ी एक रुपया या आठ आने में बेच देगा। उस लकड़ी की वह चोरी करके लाता है। यदि आप उसको फांसेंगे तो अदालतों में लोगों की भरमार हो जायेगी और भूखे आदमी को तो जहां भी वह जायेगा उसको रोटी की जरूरत होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि राज्य के लाखों रुपयों की बचत करके कुछ हजार रुपये टेस्ट रिलीफ वर्क्स में लगाये जाते हैं तो उससे लाभ होगा। यह प्रेक्टिकल सुझाव है। आप वहां के हालात मालूम कर सकते हैं कि क्या

(श्री मोहनराज)

स्थिति है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र मक्का और बाजरा पहुंचायें और टेस्ट रिलीफ वर्क्स खोलें ताकि लोग जो असामाजिक कार्य करते हैं चोरी है या डाकेजनी है या वन विभाग की जो सम्पदा है–यह ज्यादा न हो और वह अपना जीवन निर्वाह किसी तरह से कर सकें।

आज मेरी माननीय मंत्रीजी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके यहां कुछ बरसात हुई है। मेरे पास कल शाम तक की खबर है और जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का इलाका है वहां पर 60 गांव ऐसे हैं कि जहां पिछले दो महीनों के अन्दर बिलकुल बारिश नहीं हुई है। 4-5 गांव जरूर ऐसे हैं कि जहां आधा इंच से भी कम पानी जरूर बरसा है लेकिन कुल मिलाकर 2½-3 इंच से ज्यादा इस मौसम में कहीं बारिश नहीं हुई है। तो फसलें या घास उगने का तो सवाल ही नहीं है और अगर अब भी बारिश हो जाती है अगले सप्ताह में तो न तो बोई हुई फसल है और वह जो फसल है वह भी सूखने की स्थिति में आ गई है। तो यह खरीफ की फसल तो बिलकुल जा चुकी है। इसलिए आप वहां के लोगों की रोजी रोटी का इलाज करें।

इतना ही कहकर निवेदन करूंगा कि इस समय में हमने वक्त पर काम नहीं किया तो बहुत ज्यादा कानून और व्यवस्था की भी गड़बड़ियां हो सकती हैं और ऐसे तत्व हैं जो कि ऐसे मौकों पर फायदा उठा कर लोगों से ऊलजलूल काम करवाते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि उस क्षेत्र विशेष के अन्दर टेस्ट रिलीफ वर्क्स खुलवाने की व्यवस्था करायें।

श्री दीपंकर : पाइन्ट आफ आर्डर सर। यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सेक्शन 131 के तहत रखा गया है जिसके सब-क्लॉज (2) में लिखा गया है कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तो वादविवाद नहीं होगा। तो जो वक्तव्य दिया गया है तो उस वक्तव्य से संबंधित यह प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्य हैं वह और क्लेरीफिकेशन के लिए बोल सकते हैं। दूसरों को यह छूट देनी चाहिए तो पहले उनको प्राथमिकता देकर उसके बाद में ही ऐसा करें। नहीं तो इस क्लाज की अवहेलना होगी। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री भीमसेन: अध्यक्ष महोदय ने इसकी इजाजत दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे देता हूं अभी लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 131 की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसके तहत यह बात सही है कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है उस पर केवल जिन्होंने प्रस्ताव रखा है वह कुछ कह सकते हैं लेकिन माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद उनको ऐसा मौका दिया जा सकता है लेकिन मेरे से पूर्व माननीय अध्यक्षजी ने सदन के समक्ष यह व्यवस्था दी है कि इसको रेगुलर डिबेट की तरह से ट्रीट किया जायगा और जिन भी माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखे हैं उनको मौका दिया जायगा। उनके अलावा और भी माननीय सदस्य बोलना चाहें तो मौका उनको भी दिया जायेगा। मैं उसी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही का संचालन कर रहा हूं।

श्री दीपंकर : उनको मौका दें जो इसको रखने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आसन को आपके सुझावों की आवश्यकता होगी तो ले लूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त के कुछ जिलों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है और कुछ जिलों में अभाव की स्थिति है। बाड़मेर जिले में अधिकांश हिस्से में 27 मई से बरसात हुई थी और काश्तकारों ने बुआई की थी। बुआई करने के बाद में वहां पर कतई बरसात नहीं हुई और वर्षा के नहीं होने से वह फसल, मैं अभी 18 अगस्त को मेरे क्षेत्र में गया था और दूसरे क्षेत्र में भी गया था और फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। मंत्री महोदय को·······

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं·······

श्री उपाध्यक्ष : आप तो ला ग्रेज्यूएट हैं, आपको मालूम है कि पूछने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री मनोहर लाल : जानकारी के लिए कहना चाहता हूं·······

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए समय दे दिया जायगा।

श्री मनोहरलाल : सदन का समय बच जाएगा।

श्री रामकिशन : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इतना निवेदन करना है कि माननीय मुख्य मंत्री कल ही दिल्ली में बातचीत करके आये हैं उसकी जानकारी अगर सदन को मिल जाय तो उस संदर्भ में माननीय सदस्य और अच्छी तरह से अपने विचार रख सकेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि पहले मुख्य मंत्रीजी जानकारी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दे दिया है उसी समय अगर, वक्तव्य समाप्त होते ही, यदि आप प्रश्न रख देते तो यह हो सकता था, लेकिन उस समय शायद आप उपस्थित नहीं थे।

श्री रामकिशन : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी अनुपस्थिति के कारण यह तो हो नहीं सका, अब दुबारा वक्तव्य हो और फिर बहस दूसरे रूप में हो इसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। एक वक्तव्य पर माननीय सदस्य बोल चुके हैं फिर मंत्रीजी वक्तव्य दें और फिर उस पर माननीय सदस्य बोलें यह सम्भव नहीं है। जो नियम है उसी के अनुसार कार्यवाही चलेगी।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर अनुमति दें तो उत्तर तो माननीय राज्य मंत्री दे देंगे, मुझे अगर इण्टरवीन करने की इजाजत दे दें तो मैं बोल लूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है·······

श्री उपाध्यक्ष : मैं अर्ज कर दूं, यदि सदन के माननीय सदस्य चाहें कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में पहले सुन लिया जाय और माननीय सदस्य अगर इसे

(श्री उपाध्यक्ष)

मुद्दे पर मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहें और यह अगर आपके लिए सुविधाजनक हो तो पहले आप इनको सुन लें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यों तो राज्य मंत्री जी ने बयान दे दिया है और उसमें स्थिति का काफी विश्लेषण किया गया है और हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उनका जवाब देंगे तो उचित होगा। पोजीशन यह है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी अभी दिल्ली में बात करके आये हैं और कुछ सारगर्भित प्रस्ताव करके आए हैं। उनको पहले सुन लिया जाय तो उसी आधार पर और गम्भीरता से चर्चा कर सकेंगे और विचार भी ज्यादा गम्भीर हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी : (उपाध्यक्ष महोदय के खड़े रहने पर) आप विराजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल यह अवश्य ही चिंता का विषय है कि राजस्थान को कुछ दैवी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो बाढ़ है और दूसरी तरफ कम बरसात है। राजस्थान के कुछ हिस्सों के अन्दर बरसात ज्यादा होने के कारण से बुवाई समय पर नहीं हो सकी और खेती को नुकसान पहुंचने की सम्भावना बनी हुई है। आज से चार दिन पहले तक स्थिति यह थी कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर का कुछ हिस्सा, पूरा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा, वे काफी सूखे थे। अभी तीन दिनों के अन्दर कुछ हिस्सों में बरसात हुई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर वगैरा एक प्रकार से काफी लाभान्वित हुए हैं और उनमें पीने के पानी, चारे और फसल को काफी लाभ हुआ है। इसके मुकाबले में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली के हिस्से में और सिरोही में बरसात नहीं हुई है ऐसा ही समझना चाहिए। यहां जो दस बारह सेंटीमीटर बरसात है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सेंटीमीटर नहीं, मिलिमीटर।

श्री हरिदेव जोशी : यस, मिलिमीटर। यहां जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाते हैं उसके आस पास के हिस्से हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हिस्से और भी प्रभावित होते चले जायेंगे। जैसे जोधपुर का कुछ हिस्सा है अथवा बीकानेर का कुछ हिस्सा है अथवा चूरू है, उनमें भी एक प्रकार से बरसात नहीं होने के कारण फसलों पर बुरा असर पड़ेगा। सो दरअसल मेरे मन में इन सब चीजों को लेकर काफी परेशानी थी और इसलिए सदन चल रहा था तब मैं यहां से गया दिल्ली। इसके दो कारण थे। एक तो अनाज का अधिक आवंटन हो और दूसरा अकाल। यह जो स्थिति है उसको मैं भारत सरकार के समक्ष ले जाना चाहता था। इसी चीज को ध्यान में रख करके मैं प्रधान मंत्री से मिला हूं, कृषि मंत्रीजी बीमार हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सका और भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी से मिला हूं। वित्त मंत्रीजी से मिलने का मेरा मकसद एक दूसरा भी था और वह यह था कि छठे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद में इन दैवी प्रकोपों के बारे में राज्यों की स्थिति में परिवर्तन आया है। सिक्स्थ

(श्री हरिदेव जोशी)

फाइनेंस कमीशन ने जहां हमारे ओवर ड्राफ्ट के बारे में एक स्पेशल एटीट्यूड लिया लेकिन इसके साथ इस छठे फाइनेंस कमीशन ने यह कहा था, कहीं भी बाढ़ आती हो, अकाल होता हो तो भारत सरकार अपनी टीम भेजती थी, वह टीम आ करके विचार-विमर्श करती थी, स्पोट इंस्पेक्शन करती थी और फिर जाकर अपनी रिपोर्ट देती थी, उस पर भारत सरकार कुछ सहायता करती थी और कर्ज भी देती थी। अभी तक पिछले साल तक अकाल में यह प्रक्रिया रही है। छठे फाइनेंस कमीशन के बाद में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि दैवी प्रकोप के लिए भारत सरकार सहायता नहीं देगी, कर्जा भी नहीं देगी। अब राजस्थान के लिए दस करोड़ का प्रावधान करने के लिए कहा गया कि वार्षिक बजट में इसका प्रावधान करें और उसी से मदद करें। राज्य सरकार और मेरे सामने विडम्बना यह थी कि राज्य सरकार इस दस करोड़ का जो प्रावधान किया था पिछले साल उसमें से कुछ तो लायबिलिटि चुकाने के बाद में, बाढ़ के खर्चे को मीट करने के बाद में, काफी कम पैसा रह जाता था। तो मेरे मन में यह था कि अब क्या होगा इस चीज को समझूं। क्योंकि पिछले अकाल के अन्दर भी हमने बहुत कम खर्चा करके भी जो दो वर्षों में जैसे अप्रेल से लेकर मार्च के एण्ड तक और 1 अप्रेल से बरसात तक जो खर्चा हुआ वह 54 करोड़ रुपये का था। तब कहां 54 करोड़ रुपया, कहां दस करोड़ का बजट का प्रावधान। तो यह परेशानी थी मेरे दिमाग में कि इस सब का क्या होगा। मैंने इस सारी समस्या को प्रधान मंत्री के समक्ष रख दिया है। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करने के बारे में कहा है। अलबत्ता यह स्थिति जरूर है कि जैसे आमतौर पर पहली बाढ़ के अन्दर भारत सरकार सहायता किया करती थी इस बार की बाढ़ के अन्दर, फैमिन के संबंध में उन्होंने यू. पी., बिहार और आसाम की कोई सहायता नहीं की है। उन्होंने भी गवर्नमेंट आफ इण्डिया को रिप्रजेण्ट किया है और यह कहा है कि वे उनकी सहायता करें क्योंकि अपने सोर्सेज से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को ले करके मैंने वित्त मंत्री चव्हाण साहब से चर्चा की है और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वे अपने लोगों के बीच में चर्चा करके किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो वहां पर मूलरूप में इसी सम्बन्ध में चर्चा हुई है कि हम अपने सोर्सेज से इन चीजों का कोई समाधान निकाल नहीं सकेंगे, भारत सरकार को इसे स्पेशल केलेमिटिज के रूप में ट्रीट करना चाहिए और आगे आकर मदद करना चाहिए, यह अत्यन्त आवश्यक है। मैं सदन को इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा कहा जाता है कि हम अपने प्लान के दूसरे कामों को रोक दें और फैमिन रिलीफ में डायवर्ट करें, अगर हम ऐसा करें तो भी राजस्थान के लोगों को नहीं बचा सकेंगे। कारण कि हमारा तो कोर आफ प्लान इतना है, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान कैनाल पर जाता है। अभी 14 करोड़ इस पर जाएगा उसको डायवर्ट हम नहीं कर सकते। हमारे प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा आज ब्यास पर जाता है, उसको हम कहां डायवर्ट करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने प्लान का पैसा इस प्रकार से दूसरी ओर डायवर्ट नहीं कर सकेंगे। इसको खर्च करना पड़ेगा। इसके सामने

(श्री हरिदेव जोशी)

यह है कि जब तक स्पेशल असिस्टेंस भारत सरकार नहीं दे तो ऐसी स्थिति में इस अकाल का मुकाबला राजस्थान सरकार अपने आप नहीं कर सकेगी। राष्ट्रपति महोदय जब मोलासर आये थे तब मैं भी वहां पर गया था । तो रास्ते में जाते हुए, सोजत, पाली होकर गया था, तो मैंने देखा कि मैं अजमेर से पार करके और पाली जिले में पहुंचा तो सोजत तक फसलों की हालत ठीक थी। सोजत से आगे फसलों की हालत खराब थी। जोधपुर के कुछ हिस्से में फसलें ठीक थीं। नागौर की हालत ठीक थी परन्तु आगे फसलें ठीक नहीं है, ऐसा खराबा मालूम हो रहा था, ऐसा लगता था। तो हमें इस बात की तैयारी करनी चाहिए और चार तारीख के बाद पांच तारीख को स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, फाइनेन्स कमिश्नर, स्पेशल सेक्रेटरी प्लानिंग, इर्रीगेशन और पावर कमिश्नर, पी. डब्ल्यू. डी. के आफिसर इसमें थे और उन सबको यह कहा गया था कि वे अभी से मानकर चलें कि अकाल होगा, तो इस बाबत में पहले से विचार करके व्यवस्थाएं करनी हैं। उनको अपना प्लान बना लेना चाहिए। उन लोगों ने विचार-विमर्श किया है और क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रपोजल्स तैयार किये हैं। कल ही इस सिलसिले में मिल रहे हैं। पहले ही यह देख रहे हैं कि राज्य सरकार कितने साधन जुटा सकती है और इतने साधन जुटाने के बाद भारत सरकार से कहना होगा, भारत सरकार के समक्ष हमें मार्च तक के प्रपोजल्स पेश करने होंगे। हम इस बात की इन्तजार में हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यह देखा जाय कि कितने एरिया इससे पीड़ित रहते हैं। सौभाग्य से उदयपुर डिविजन के पांच जिले, भीलवाड़ा, चित्तौड़ को बाद मानकर चलते थे, चित्तौड़ का भदेसर एरिया ऐसा है, परन्तु अब वहां पर बरसात होने के कारण वह क्षेत्र अकाल पीड़ित क्षेत्र से बाहर चला गया है। डूंगरपुर में कुछ असर हो सकता है, वहां पर बरसात नहीं आई है। बांसवाड़ा में पिछले तीन दिनों में 8 इंच बरसात हुई है। चित्तौड़ में भी बरसात हुई है। भीलवाड़ा में भी बरसात हुई, अजमेर में भी बरसात हुई है। इसलिए वह क्षेत्र अकाल से बाहर चला है। यह मैं मानकर चलता हूं। अगर आगे बरसात नहीं होती है तो जिन एरिया को हम छोड़कर चलते थे वे भी लेने होंगे। इसका असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। इसलिए इस प्रयत्न में लगे हैं कि एरिया कितना है और अब जैसा एस्टीमेट दिया है उस एस्टीमेट में फर्क आ सकता है अगर कहीं पर बरसात हो गई। मैं ऐसा समझता हूं कि अभी जैसी स्थिति रही तो मैं यह कोशिश करूंगा कि एक प्रकार का सेम्पल सर्वे करके, गिरदावरी की रिपोर्ट जो अक्टूबर तक आती है उसका इन्तजार नहीं कर के कलेक्टर से कहूंगा कि वे जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दे। दूसरी चीज यह है कि इस अर्से में मार्च तक प्रतिमाह कितनी लेबर लगेगी, हर जिले में कितनी कितनी लेबर लग सकती है, महीने के अन्दर पिछला प्रेसीडेंट कितना रहा है इसको देख कर एस्टीमेट बनाना होगा। मैं निश्चितरूप से इस राय का हूं कि पिछले वर्षों में जिस प्रकार से फेमिन रिलीफ वर्क्स खुलने आये हैं, उस तरह से नहीं खुलेंगे और नहीं खुलने चाहिएं जो बड़े काम हैं उन बड़े कामों पर लोगों को लगाया जाय और उन कामों पर नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)

जाते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि वहां पर खराबा कम है। भूखे आदमी नहीं हैं। मैं अपने इलाके की बात बतलाना चाहता हूं। जब ऐसी स्थिति वहां पर आती है तो लोग अपने सिरों के ऊपर टोपले रख कर घरों से निकल पड़ते हैं और गुजरात की ओर चल पढ़ते हैं। डूंगरपुर के क्षेत्र से भी लोग गुजरात का ओर जाते हैं और रोजी करते हैं। इसलिए लोगों को ऐसे कामों पर जाना चाहिये। हम यह कोशिश करेंगे कि लोगों को ट्रांसपोर्ट का साधन मुहैया करवाया जाये, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उस स्थान तक होनी चाहिए और वहां उनको काम पर लगाया जाना चाहिये। यदि उनकी संख्या बढ़ जायेगी तो उनके खाने की, उनके रहन सहन की वहां पर व्यवस्था की जायगी मैं निश्चितरूप से ऐसे इलाकों में काम खोलने की बात को देखूंगा।

मैं माननीय सदस्यों की इस राय से पूर्णतया सहमत हूं कि जो हालात आज जैसलमेर, बाड़मेर- सिरोही, पाली वगैरह के अंदर है, वह चिन्ताजनक है। इससे वहां के लोगों की इकोनोमि को काफी धक्का लगेगा किन्तु उसका मुकाबला करना होगा जो आज की हालात है, स्थिति है उसको ध्यान में रख करें। दूसरा काम राज्य सरकार के सामने हैं वह है जल्दी से जल्दी सर्वे करवा लिया जाये। मैं अभी उधर के दौरे पर जाना चाहता था। उस इलाके में जैसलमेर, बाड़मेर के परन्तु मेरे साथियों ने यह राय दी कि 15 सितम्बर के बाद उधर जाना चाहिए बरसात आवे या न आवे, यह अनसरटेन्टी दूर हो जावे। मैं समझता हूं कि 15 सितम्बर के बाद उधर का दौरा करूं और अरलिएस्ट पॉसीबल सर्वे करा कर अकाल की स्थिति क्या है इसका निर्धारण कर लिया जाना चाहिये। हर महीने कितनी लेबर लगेगी इसको भी अभी से तय कर लिया जाये। एक हजार लेबर हैं तो कहां कहां काम होगा पांच हजार लेबर हैं तो कहां कहां काम कराया जाये, पचास हजार लेबर हैं तो कहां काम करवाया जाये या काम खोले जायें। यह सारी योजना को तैयार कर ली जानी चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि तहसीलवार इस प्रकार के आंकड़े, तहसीलवार इस प्रकार के कार्य तैयार किये जा रहे हैं और इनको तैयार करके डिस्ट्रिक्ट लेविल पर भेज रहे हैं और वहां पर जो फेमिन रिलीफ कमेटियां हैं उनके सामने राज्य सरकार के प्रस्ताव रख दिये जायेंगे और निश्चितरूप से बड़े कामों को प्रायरिटी दी जाएगी। जो काम है जैसे साई योजना है, राजस्थान कैनाल है और जो दूसरी योजनाओं को, बड़ी योजनाओं को प्रायोरिटी दी जाकर उनको कम्प्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। मैं निश्चितरूप से आपकी राय से सहमत हूं। अकाल के अन्दर सड़कों पर धूल फिकवाने पर जो पैसा खर्च हम करते हैं उस की अपेक्षा बड़े प्रोजेक्ट्स पर करोड़, दो करोड़ अधिक आवंटित करना पड़ता है तो आवंटित करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा केम्प्स में रख कर वहां पर लगाना चाहिये। इसके बाद में अगर और आवश्यकता होती है तो लोगों को और रोजगार दिए जाएंगे।

माननीय सदस्यों ने यहां पर पीने के पानी की समस्या के बारे में कहा है। यह समस्या है। राजस्थान के अन्दर आम समाज को इस प्रकार की चीजों को भुगतना पड़ता है। हम इस चीज को ध्यान में रख कर

(श्री हरिदेव जोशी)

यह कोशिश करेंगे कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो और सरकार ठीक ढंग से काम कर सके। मगर यह सब लोगों की मान्यता होनी चाहिए कि परमात्मा मुक्तहस्त होकर जब देता है तो उसका मुकाबला कोई सरकार नहीं कर सकती चाहे कितना ही रुपया खर्च कर लिया जावे। आज जिस इलाके के अन्दर अकाल है वहां पर दोहरी मार है एक तरफ उनकी इकोनोमी खराब हो रही है दूसरे खाने पीने की, रहन सहन की उनके लिए व्यवस्था करनी होगी। इन सारे मुद्दों को इस रूप में देख रहे हैं, मुझे माननीय सदस्यों को यही अवगत करवाना था।

(दर्शक दीर्घा से नारे—इन्कलाब जिन्दाबाद, हमारी मांगें पूरी हों)।

इन्कलाब जिन्दाबाद (तानाशाही नहीं चलेगी)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यह जानकारी दी है, उसके सम्बन्ध में थोड़ा सा ही जानना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने आपकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी है। प्रधानमंत्री ने भी सहानुभूति प्रकट की है। तो क्या इस प्रकार का कोई आश्वासन मिला है कि राजस्थान में अकाल की जो विभीषिका है उसमें जितना राज्य सरकार ने प्रबन्ध किया है, उसमें और कुछ प्रबन्ध करने का क्या केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया है?

श्री केदारनाथ : जो सीलिंग तय की है दस करोड़ से ज्यादा नहीं लगा सकते, यह क्यों है?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने कोई सीलिंग नहीं लगाई है। यह तो सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन का एक सजेशन था और यह था कि अब गवर्नमेंट आफ इंडिया नेचुरल केलेमिटी के लिए कोई प्राविजन नहीं करेगी और राज्य सरकार ही इस के लिए प्रबन्ध करेगी। हमने अपने यहां पर दस करोड़ का प्रॉविजन कर दिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार के समक्ष अब प्रपोजल्स के साथ जाना होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक जानकारी चाहता हूं। इस सदन की यह मांग रही है, यह वॉइस रही है कि राज्य में एक नेचरल केलेमिटी फंड कायम हो। आप इस दिशा में कितना क्या बढ़े हैं। क्या सैद्धान्तिक रूप से भारत सरकार इस बात को मानती है और इस दिशा में क्या कदम उठाया गया है। सारे मुख्य मंत्रियों ने मिल कर क्या कदम उठाया है। राजस्थान एक फेमिन स्ट्रीकन एरिया रहा है जैसे कि बिहार, बंगाल, आसाम बाढ़ स्ट्रीकन एरिया है।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो दरअसल में सारी सिचुएसन पैदा हुई है वह फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के कारण है। जहां तक अकाल के मुकाबले का सवाल है उसको हम दूसरे ढंग से मीट कर रहे हैं। ड्राउट प्रोउन एरिया प्रोग्राम हमारे यहां पर चल रहा है। मैं माननीय सदस्यों को सूचना दे दूं कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे डी. पी. ए. पी. के लिए फण्ड्स मन्जूर किए हैं और उसके लिए डिसेंकर्सन के

(श्री हरिदेव जोशी)

लिए राजस्थान सरकार के नुमाइन्दे जा रहे हैं। डी. पी. ए. पी. के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर प्रोग्राम बना रही है। दस जिले इस तरह के हैं जो कि आमतौर पर ड्राउट इफैक्टेड रहते हैं। हर जिले के लिये बड़े पैमाने पर मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं और इसमें इर्रीगेशन का प्रोग्राम भी है, इसके अलावा साइल कन्जरवेशन और लिफ्ट इर्रीगेशन ये सारे प्रोग्राम हैं।

श्री केदारनाथ : एम. एल. ए. भी साथ में जायें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बयान दिया। उनके बयान से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिला पाली,सिरोही जिले, इनमें स्थिति बड़ी भयंकर है। मैं जो स्थिति देख कर आया हूं। 18 अगस्त को मैं मेरे क्षेत्र में गया हूं। अब बरसात भी अगर हो जाये तो भी अनाज पैदा नहीं हो सकता है। ग्वार, मोठ, पैदा हो सकता है लेकिन किसी भी सूरत में बाजरा पैदा नहीं हो सकता है यह राजस्थान सरकार जानती है कि सबसे अधिक बाजरा लेवी में इन जिलों ने दिया है यह अच्छा प्रोडक्टिव एरिया है। इस क्षेत्र में अब बाजरा पैदा होने की स्थिति नहीं है और अब यह स्थिति हो रही है कि बाड़मेर और जालौर जिले से बाजरा बाहर जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है। इसलिए वह गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ भेजते हैं। हमारे पास जो कुछ भी बाजरा है अगर सरकार ने उनकी निकासी बन्द नहीं की तो यह इस प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन है, राजस्थान सरकार को निकासी बन्द करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने यह स्थिति रखनी चाहिए। बाड़मेर और जालौर जिलों से बाजरे की निकासी बन्द नहीं की तो आपको परेशानी हो जायेगी। आप को व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके लिए समस्या पैदा हो जायेगी और बड़ी कठिन समस्या पैदा होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट से जो बाजरा बाहर जा रहा है, उसकी निकासी सरकार बन्द करे। अब दूसरा प्रश्न यह है कि मवेशियों की रक्षा की जाये। सम्वत् 2025 और 26 में जो अकाल पड़ा था, उससे गायों की संख्या 1.4 हो गई है। अगर अभी से उनके लिए ध्यान नहीं दिया गया, उनको बचाने की व्यवस्था नहीं की गई तो यह जो वहां पर कांकरेजी और थारपारकर ब्रीड है गायें की वह खत्म हो जावेगी। उन गायों की मध्यप्रदेश या राजस्थान के दूसरे हिस्सों में जहां वर्षा अच्छी हुई हो, वहां व्यवस्था करें। इसके बारे में सरकार को अभी से सोचना चाहिए, दूसरी बात मैं यह अभी से कहना चाहता हूं राज्य सरकार भी इस सम्बन्ध में सोच रही है इस योजना के सम्बन्ध में जो रिलीफ वर्क हो रहा है, उनमें कोआर्डिनेशन होना चाहिए। 2500 की पापुलेशन को जो डामर से जोड़ने का निश्चय लिया है। मैं चाहता था कि 1500 की पापुलेशन को कवर किया जाता। यह जो इर्रीगेशन वर्क हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं उनका प्लान बनाकर सिस्टेमेटिक ढंग से शुरू करना चाहिए। मैं यह तो नहीं चाहता हूं कि ऐसे कार्य अपनायें जो कि सफल नहीं हो। सम्वत् 2025-26 में पैसे का बहुत दुरुप-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

योग हुआ है। परन्तु दो साल पहले जो अकाल आया था, उसमें टास्क बेसिस पर काफी ध्यान रखा गया है। इस वर्ष गवर्नमेंट ने अच्छी प्रकार से ध्यान रखा। परन्तु टास्क के बारे में सरकार को यह सोचना चाहिए कि यह पी. डब्ल्यू. डी. का टास्क है, टाइम से काम कराने वाले लोग हैं। जो कि वहां के लोग नहीं कर सकते हैं। यद्यपि उन्होंने 30% रिलेक्सेशन किया है। परन्तु इसका कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। 3 रुपये की मजदूरी में उनको 1-50 रुपया मिलता है। किसी को 1.25 रुपये मिलता है। आठ आने मिलता है। उनकी यह मजदूरी पर्याप्त नहीं है। परन्तु स्थिति यह है कि पहले से बहुत प्रगति है। आपको यह भी करना पड़ेगा कि उनकी जो मजदूरी है, उसको बढाना चाहिए उसके बारे में निर्णय ले लेना चाहिए। क्योंकि अकाल की स्थिति आ गई है। अब तो घास ही हो सकती है। उनके वेजेज बढा देने चाहिएं। मेरे ख्याल में फाडर जिले में है। वह आपको एकत्रित करना चाहिए। हमारे यहां अच्छी स्थिति थी। जो चारा इकट्ठा किया है, वह खरीद भी किया है। अभी तक उस को वहां से लाया नहीं गया है। अभी तक कोई भी फोडर बैंक आपने नहीं बनाये हैं। आप इस बारे में सारे कार्य-क्रम अपनायें। आप फोडर बैंक बनायें। बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिले में यह बैंक बनायें। चारा इकट्ठा करने के लिए आपके पास स्थान नहीं है। उस चारे की वहां कोई व्यवस्था नहीं होती है। वह चारा वहां पर खराब होता रहता है। आज फोडर बैंक की स्थापना की जाय, यह कार्यक्रम बनाना है, उसके अंदर बड़ा कार्यक्रम बनाना है—उसकी व्यवस्था की जाय। चारे का जब अच्छा जमाना आता है, उस समय फोडर बैंक में इकट्ठा कर दिया जाय तो बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं होगी। आप अच्छी तरह से कोशिश करके, अच्छी तरह से दिमाग बना कर, आप जो योजना बनायें उसमें फोडर बैंक की व्यवस्था करें।

जंगलात का जो कार्य है, पहले डी. पी. ए. पी. कार्य के अंदर काफी अमाउन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जंगलात के लिए रखा था। जंगलात में जो कार्य किया और जंगलात में जो वृद्धि दरख्तों की हुई, रोड्स पर दरख्तों की हुई, वह आज समाप्त हो रहे हैं। उनको सुरक्षित रखने के लिए प्राविजन करना चाहिए। जंगल जो काफी कोशिश करके, लाखों रुपया खर्च करके तैयार किये, वह समाप्त होने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

अब प्रश्न आता है, जो केलेमिटी का प्रोविजन किया गया है, जो सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उसमें यह उल्लेख किया है कि जो केलेमिटी आये, उनका खर्चा राज्य सरकार वहन करे। सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट में रिकमन्डेशन्स की हैं, उन्हें सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ेगा और अगर उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो सिचुएशन को मीट नहीं कर पायेंगे। पहले हमने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया. अब 10 करोड़ रुपया ही बजट में रख कर उसे करने की कोशिश करें इस 10 करोड़ की जगह आप 15 करोड़ और 10 करोड़ रुपया ज्यादा निकाल

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सकते हैं। 20 करोड़ से ज्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है कि इस सिचुएशन को मीट करने के लिए आप व्यवस्था कीजिये। अभी स्थिति पांच जिलों में भयंकर है, दूसरे जिलों में अगर बरसात नहीं होती है तो स्थिति और भयंकर हो सकती है। आपको फेमिन को मीट करने के लिए 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर के आपको चलना चाहिए। अगर व्यवस्था करके नहीं चले तो इस सिचुएशन को मीट नहीं कर सकेंगे। आज लोगों की जिस प्रकार आकांक्षा है और जिस प्रकार से आदत पड़ गई है, ज्यादा से ज्यादा मदद देकर हम लोगों ने उनकी आदत खराब कर दी है। एक दफा अच्छा, बहुत अच्छा खाना दें, मिठाई दें, दूसरी बार चने देने की कोशिश करें तो दूसरी दफा लोग चना नहीं खा सकेंगे। फेमिन रिलीफ वर्क्स चल रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम हो। दो साल पहले जो काम चले, उनमें पी० डब्ल्यू० डी० की ऐसी आदत हो गई है कि वह कामों को इनकम्प्लीट रखती है, कोई भी काम पूरा नहीं करती है। मैं समझता हूं कि उन्होंने आदत बना ली है। पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री से मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा है, पी. डब्ल्यू. डी. ने एक भी वर्क कम्प्लीट नहीं किया है, कहीं दो मील रोड रख दी है, कहीं चार मील रोड रख दी है। कोई भी रोड कम्प्लीट नहीं हुई है। आप लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन एक भी रोड कम्प्लीट नहीं मिलती है लेकिन आपके अधिकारियों ने लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया है। जो आपके अधिकारी हैं, चीफ इंजिनियर हैं, एडीशनल चीफ इंजिनियर हैं. उनकी प्रापर्टी की आप जांच करें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने लाखों रुपये, करोड़ों रुपये की प्रापर्टी इकट्ठी कर ली है। आपका यह डिपार्टमेंट है, पी. डब्ल्यू. डी.—यह बदनाम हो रहा है। उसको कार्य सौंप रहे हैं और अगर इसके काम को आप चैक नहीं करेंगे तो वह काम कम्प्लीट नहीं करेंगे और किसी न किसी कार्य को इनकम्प्लीट रखेंगे। इसका आप ध्यान रखें।

पानी के बारे में कहना आवश्यक हो गया है। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिये मैं विशेषतौर से कहना चाहता हूं कि पानी के बारे में वहां अभी स्कीम चल रही है, रीजनल वाटर सप्लाइ स्कीम चल रही है, जो अभी पेंडिंग है, उनको कम्प्लीट करने का कष्ट करें। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि ऊडू से पनावड़ा स्कीम है, उसके लिये थोड़ा प्रयास किया जाय तो एक महीने में यह स्कीम कम्प्लीट हो सकती है। वहां पर पाइप वगैरह आ गये हैं, लेकिन कान्ट्रैक्टर काम को ठीक से नहीं कर रहा है। ऊडू से पनावड़ा में पानी पहुंचने की स्थिति हो जाय, इसके लिए इस ऊडू से पनवाड़ा स्कीम को एक महीने में तैयार कर सकते हैं अगर वार फुटिंग पर आप काम करें। भडखा से देरासर की स्कीम है, इसके लिए पाइप की आवश्यकता है, इसको पूरा कर दें तो एक महीने में यह पूरी हो सकती है। रीजनल पाइप लाइन की स्कीम है, इस पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है, थोड़ा सा विशेष ध्यान देने पर वह स्कीम कम्प्लीट हो जायगी। फिर आपको ट्रक और टेंकरों के द्वारा पानी पहुंचाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं मेरे क्षेत्र के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बारे में बता दूं कि पानी जब ट्रक और टंकियों के द्वारा पहुंचता है तो एक व्यक्ति को एक गैलन पानी भी नहीं मिलता है, आधा गैलन, आधा पानी सप्लाई किया जाता है। फेमिन स्ट्राइकन जिले में आधा गैलन पानी पहुंचता है—यह सही स्थिति है कि आधा गैलन प्रति व्यक्ति पानी मिलता है। फेमिन के टाइम पर जब गांवों में पानी सप्लाई करते हैं तब यह स्थिति पैदा होती है, यह नहीं होनी चाहिए और यह तब ही नहीं होगी जबकि कोई परमानेन्ट व्यवस्था हो। इसलिए गांवों में जो पानी सप्लाइ की स्कीम हैं उनको वार फुटिंग पर पूरा करना चाहिए।

हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर खारा पानी है, तो वहां जो टांकों की व्यवस्था है. घर घर पर टांके बनाये हुए हैं, मीठे पानी को इकट्ठा करने के लिए, जब बरसात होती है तब बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए। उन टांकों के काम को आप प्रायोरिटी दीजिये, सीमेंट देने में प्रायोरिटी दीजिये। इस अवसर पर टांके बनाने की कोशिश करें उसमें आप 50 पर्सेन्ट सब्सीडी दें और 50 पर्सेन्ट वह खुद लगा दें तो घर घर में टांके तैयार हो जायेंगे और मीठे पानी की व्यवस्था हो सकेगी। इस बारे में आपको व्यवस्था करनी चाहिए (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बस मैं दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

जिला सलाहकार समितियों के बारे में कहना चाहता हूं। इन जिला सलाहकार समितियों की मीटिंग के लिए आपको आदेश देना चाहिए। पन्द्रह दिन के अन्दर विषम परिस्थितियों में जिला सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाई जाय और यह अकाल राहत के कार्य करने जा रहे हैं यह बिना जिला सलाहकार समिति की राय से और कलेक्टर की इच्छा पर छोड़ कर कार्य सम्पन्न न किये जायं। डेमोक्रेसी के अन्दर जिला सलाहकार समिति की राय नहीं ली जाय और कलेक्टर की राय लेकर आदेश भेज दें, आफिसरों की राय लेकर आदेश भेज दें और उसमें जन प्रतिनिधियों की सलाह न ली जाय—यह ठीक नहीं है। इसलिए जिला सलाहकार समिति की राय लेकर काम करना चाहिए। पहले अधिकार दिया गया था जिला सलाहकार समितियों को 25 हजार के वर्क्स कराने के लिए। मैं मानता हूं कि 25 हजार तक के कार्य का अधिकार दिया है, यह कम दिया है, इसे 25 हजार से बढ़ा कर आप 1 लाख करिये, 1 लाख तक के काम की जिम्मेदारी उनको सौंपे या फिर 50 हजार तक के काम की जिम्मेदारी आपको सौंपनी चाहिए।

हमारे यहां इरिगेशन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का आफिस था, वह समाप्त कर दिया गया है। जालौर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बाड़मेर में आयें, जैसलमेर में आयें—जब कि इन तीनों को मिला कर एक प्राविन्स बना सकते हैं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, जालोर डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, इनसे हरियाणा प्रान्त भी छोटा है। वहां पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आफिस था, वह हटा दिया है। अगर आप फेमिन का वर्क करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजिनियर का आफिस वहां जल्दी से जल्दी खोलिये। इसके अलावा,

(वृद्धिचन्द्र जैन)

एग्रीकल्चर आफिसर के लिए मैं कहना चाहता हूं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर आफिसर भी नहीं है। हमारे जिले को, जब युद्ध होता है, तो उसका मुकाबला करना पड़ता है। हमें कहते हैं कि आपको मोरेल ऊंचा रखना चाहिए, लेकिन जब विकास के काम का समय आता है तो उस समय हमें उससे वंचित कर दिया जाता है। वहां पर एग्रीकल्चर आफिसर नहीं है और जो एग्जीक्यूटिव इंजिनियर का आफिस वहां था वह आफिस हटा दिया गया है हमें हर तरफ की सुविधा से वंचित कर दिया गया है। आज एग्जीक्यूटिव इन्जीनीयर, बिजली का क्यों नहीं हो वहां पर ? जैसलमेर जिले में पोकरन में होना चाहिए। इस तरीके से बाड़मेर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश करें, केन्द्रीय सरकार से पूरी मदद ले। अगर पूरी कोशिश करेगी और संसद सदस्यों की मदद लेगी तो वे भी संसद में अपनी बात रख सकते हैं, उनको पूरी स्थिति से आप अवगत करायें ताकि संसद में वे इस चीज को रखें, पूरी तरह से शक्ति लगायेंगे तब ही हम स्थिति का मुकाबला कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने जो राजस्थान के कई जिलों में अभाव की स्थिति पैदा होने जा रही है उस बारे में वक्तव्य दिया है और अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि जालौर के कुछ हिस्सों में वर्षा होने से वहां की स्थिति इतनी खराब नहीं है। परन्तु मई के 26 तारीख को जालौर जिले में वर्षा हुई थी, यह सही है। और उस वर्षा के फलःस्वरूप काश्तकारों ने वाइडस्प्रेड सोइंग कर दी थी बाजरे की, परन्तु दुर्भाग्यवश इतनी बरसात 1½ इन्च बरसात के बाद जो बुआई के लिए अच्छी वर्षा हो गई थी उसके बाद तीन महीने से कोई वर्षा नहीं हुई तो इसमें सोइंग अच्छी तरह से कर दिया परन्तु जिन लोगों ने अपना बीज खराब किया, आज उनकी फसल बिल्कुल समाप्त हो गई, अगर समय पर बारिश होती तो स्थिति सुधर सकती थी हालांकि उदयपुर डिवीजन में अच्छी बरसात हो रही है, आपने खुशखबरी सुनाई परन्तु यह खबर नहीं सुनाई कि हमारे यहां भी बारिश हो रही हैं, आपने कहा 5-6 मील के घेरे में। तो जो घास वगैरह शुरू में उगी थी अच्छी वर्षा के कारण उसके बाद बरसात न होने से बीज भी नष्ट हो गया। तो यह स्थिति और भी गंभीर है जिन स्थानों पर बिल्कुल बरसात नहीं हुई है। अगर दो इंच बारिश हो जाए तो फायदा हो सकता है परन्तु मई में हो जाए और दूसरी बरसात न हो तो जो पौधे पैदा हुए नष्ट हो गए, दुबारा घास उगाने का प्रश्न नहीं है। जो बीज बोया वह भी नष्ट हो गया, अब अगर वर्षा कितनी भी अच्छी हो तो गवार की ही फसल बो सकते हैं। अब काश्तकार हताश हो चुका है बीज के बारे में और 20 क्विंटल की क्वान्टिटी निर्धारित की बुवाई के बाद में, उसमें दो दो तीन तीन बार बोना पड़ता है बीज के लिए भी आपने क्वान्टिटी रखी है वह उचित होना चाहिए। तो अभी से आपका प्लान बनने की जरूरत है। मुख्य मंत्री ने कहा मीटिंग रखी थी और जिलाधीशों को आदेश भी दिए हैं कि जहां वर्षा अभी नहीं हुई है वहां गिरदावरी का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी हालत

(रघुनाथ विश्नोई)

में आप खुद मानते हैं कि बरसात हो तो कौनसी फसल की आशा की जा सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वसूलियों के बारे में हमें समाचार मिला है कि सब तरह की वसूलियां हो रही हैं, उस बारे में आप आज ही जवाब दें हालांकि आपने आदेश जारी कर दिए होंगे परन्तु नियम है कि वसूलियां अभावग्रस्त स्थिति में नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको तुरंत आदेश देने चाहिएं ताकि काश्तकारों की हालत और गंभीर न बनाई जाए और जो माल उनके पास है जैसे बाड़मेर से गुजरात वगैरह जा रहा है तो काश्तकार बेवकूफ नहीं है कि बाजरे को बेचेगा। लेकिन मजबूरी की हालत में बेचना पड़ता है। अगर राज्य सरकार वसूलियां बंद कर दे तो बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो आप वसूलियां हर तरह की बंद करें। ट्रैक्टर और पम्पिंग सेट्स के अलावा जो दूसरी वसूलियां हैं ये स्थगित की जानी चाहिएं, उनको बंद किया जाए।

इसके अलावा पिछले सालों का अनुभव है कि जब फेमिन वर्क्स खुलेंगे तो उसमें झगड़े होंगे और जैसे मुख्यमन्त्री ने कहा, वित्तीय संकट भारी है, काम हम ज्यादा नहीं खोल सकेंगे। मेरी सलाह है कि पहले अपूर्ण कामों को शुरू कराना चाहिए। ऐसी हालत में स्पेशली शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं और जिन फैमिलीज को शुरू से काम देना चाहिए था, उनके कार्ड्स तैयार होने चाहिए वरना पिछले फैमिन में हमने देखा कि जो लोग काम पर लगने चाहिए वे नहीं लगते और दूसरे लग जाते हैं। इसलिए आपका काम पर लगाने का जो लिमिटेड स्कोप है उसमें झगड़े होते हैं इसलिए जिलाधीशों को आदेश दें कि काम शुरू होने से पहले कार्ड्स तैयार हो जायं ताकि समय पर लग सकें।

इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि जालौर जिले में विशेषकर सांचौर और भीनमाल में दो महीने से ज्यादा पानी चला तो बहुत से गांवों में सब सोइल वाटर ज्यादा चलने से पानी बिल्कुल खारा हो गया और आज पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया तो यह भी नई समस्या खड़ी हो गई है। जहां पानी का मीठा स्रोत ही नहीं है वहां पानी खारा हो गया तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रीजनल स्कीम्स हैं, जिनके टैंक्स बने हुए हैं उनमें पानी की व्यवस्था कर दें ताकि जो पानी पर खर्चा होने वाला है वह बच जाएगा और जल्दी से कार्य करें तो आप पानी अच्छा दे सकते हैं। इस तरह के कार्य करें तो अच्छा रहेगा और अकाल को मीट करने के लिए सुविधा होगी। जो हमारे जिले में प्रायर्टी वर्क्स आप कर सकते हैं जैसे सोइल कन्जरवेशन वर्क्स और एफोरस्टेशन आफ फारेस्ट्स वह तो सुधार दें, ऐसे काम जैसे लेबर इंटेंसिव वर्क्स हैं स्माल इरीगेशन इनतग्रेटेड योजनायें जैसे लूणी जवाई सारी नदियों के आने की वजह से जो बन्धे बने थे सारे खतम हो गए, उन बंधों को पूरा करवायें और जो नये बंधे थे, यह नया फेनामेना सामने आया तो आपके जो टेक्नीकल आफीसर्स हैं इस सोइल कन्जरवेशन के उनको आदेश दें, आप टेक्नीकली जो फिजीकल स्कीम्स हैं, बनाकर तैयार रखें जिनको फेमिन एडवाइजरी समिति की पहली मीटिंग के सामने पेश कर सकें। ताकि कार्य शुरू करने में ज्यादा देरी न लगे।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसके अलावा जो मुख्य मंत्री ने कहा पहले से हमको कम आशा है पैसे की, ज्यादा लोन के तौर पर ही मिल सकता है वह भी छठे वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद मिलेगा। और लोन के उस पैसे को लेकर आप एग्रीकल्चर में लगायें तो ठीक रहेगा। इसके अलावा आज हमारे राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहां पर हर साल फेमिन पड़ता है। तो जो एरियाज में फेमिन ज्यादा होता है उसका लाभ उनको मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन को फेस करने के लिए मैं आपको एक सुझाव और देना चाहता हूं वह यह कि हमारे देश में एक नेशनल केलेमिटी फण्ड कायम किया जाना चाहिये जो कि सारे देश मे जितनी भी स्टेट्स है उन सभी जगह से पैसा इसके लिए इकट्ठा किया जाना चाहिये और बाद में उस पैसे का बंटवारा ऐसी इमरजेन्सीज के लिए काम लेना चाहिये ताकि उस वक्त फेमिन कन्डीशन्स हो उस वक्त हमें ज्यादा परेशानी नहीं हो। इससे हमको ही नहीं बल्कि जिस जिस प्रदेश में जो भी दिक्कतें आती हैं उसको फेस किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान में कई गांव ऐसे हैं जिनमें खास-तौर से जालौर, बाड़मेर वगैरह के एरिया जहां की खारा पानी ही उपलब्ध होता है। उसके लिये राज्य सरकार को वहां की जनता को खाने के लिए पीने को मीठा पानी उपलब्ध हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर गांवों में टांके बनाये हुए है। वहां पर जब बरसात होती है तब वहां पर टांकों में लोग पानी भर लेते हैं और बाद में वहां की जनता उस पानी को पीने के काम में लेते हैं चूंकि उपाध्यक्ष महोदय, वह टांके जो हैं वह पक्के बने हुए हैं सीमेन्टेड नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि उन टांकों को पक्का बनाने के लिये राज्य सरकार को चाहिये कि वहां की जनता को सीमेंट अधिक से अधिक दें। ताकि वह टांके पक्के सीमेंटेड बना लिये जायें। चूंकि वहां पर दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है इसलिये सीमेंट की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा राज्य सरकार को ग्रामीण जनता को कुए बनाने के लिये भी सीमेंट देनी चाहिये। अगर राज्य-सरकार सीमेंट आदि दे दें तो लोगों को कुछ काम भी मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारा जिला जालौर हमेशा से ही फेमिन कन्डीशन्स एरिया रहा है इसलिये इसे और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने ड्रिंकिंग वाटर के लिये ट्यूब वैल वगैरह लगा कर वहां पर लोगों को पानी मिल सके उसके लिये एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अलावा हमारे एरिया में फोडर प्रोड्क्शन का भी कार्य होना चाहिये। आज आपने लाखों रुपये ड्रिंकिंग वाटर के खर्च किये लेकिन अभी तक वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां के लोगों को अधिक से अधिक पीने का पानी मिल सके। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय लास्ट फेमिन के वक्त जो वर्क इनकम्प्लीट रह गये हैं उन्हें अब प्रायोरिटी देनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अब चूंकि वही फेमिन की कन्डीशन्स हो गई है इसलिये मेरा निवेदन यह है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कि राज्य सरकार को चाहिये कि पंचायत समिति लेवल पर कौनसे कौन से रिलीफ वर्क हाथ में लेने चाहिये उसकी प्रायोरिटी तय कर लेनी चाहिये। इसके साथ ही उनके जॉब कार्ड भी अभी से बना लेने चाहियें ताकि बाद में जब अकाल सहायता कार्य शुरू हों तब कोई दिक्कत नहीं आये। उपाध्यक्ष महोदय, पहले के अकाल के समय में भी काफी खामियां रह गई थीं उनको समाप्त की जानी चाहिये अब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि मीडियम परसन्स को काम दे सके उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सारी बातों का स्पष्टरूप से जवाब मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा ताकि हमें पता लग सके कि राज्य सरकार क्या करने जा रही है। इसके अलावा जो केश प्रोग्राम्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी शुरू किये जाने चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल के बारे में बहस चल रही है और मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में 12 जिले ऐसे हैं जो कि अकाल की स्थिति में है। इन 12 जिलों में 6 जिले तो रेगिस्तानी एरिया के हैं और बाकी जो एरिया हैं 6 जिलों का है वह हमारे यहां का जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के जिले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के जिले में इस बार बरसात नहीं होने से बुवाई नहीं हुई। उसके बाद में थोड़ी बुवाई हुई लेकिन अभी वहां पर सात इन्च बरसात हो गयी है ऐसी हमारे पास में आज सूचना आई है। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में अब जब बरसात हुई है वहां पर बोवनी शुरू हो गयी है ऐसे समाचार हमारे पास आये हैं। लेकिन अगर अब एक महीने के अन्दर बरसात नहीं हुई तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बिलकुल फसल नहीं होगी और वहां के लोग भूखे मरेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर के इलाके में, रेगिस्तानी इलाके और हमारे यहां पर जो इलाका है उसमें काफी फर्क है। हमारे यहां के इलाके में पहाड़ी जमीन है। तो जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि उस एरिया में अभी बरसात पड़ी है वह करीब 7 इंच वर्षा का पानी पड़ा उपाध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि वहां की जमीन टूट गयी और फसल बह गयी। मिट्टी बह गयी चूंकि पहाड़ी जमीन है ढलान में पानी बह गया और फसल वहां पानी नहीं रुकने से नष्ट हो गयी। तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति बन गयी है कि फसल सूख गयी है वहां पर अब कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं अकाल राहत मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में कहां कहां पर कितनी कितनी वर्षा हुई उसकी रिपोर्ट मंगावें और जब तक रिपोर्ट नहीं आवे तब तक कोई कार्यवाही वहां उन लोगों के खिलाफ नहीं करे। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह खुद जाकर वहां के लोगों की हालत देखें कि वहां किस प्रकार से अकाल की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा उपाध्यक्ष, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां का जो इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसा है, जहां पर सन् 72 में भयंकर अकाल

(श्री बिट्ठल भाई)

रहा और अब वापिस सन् 74 में वापिस अकाल की भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 72 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के एरिया में जो कि आदिवासी क्षेत्र हैं करीब 90 इन्च वर्षा हुई थी वैसे वहां पर वर्षा 40-50 इन्च वर्षा का एवेरेज है। जब एक साथ 90 इन्च वर्षा पड़े तो वहां की फसल बह जाने का और नष्ट होना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां का इलाका ऐसा है जहां फसल गेहूं और चने वगैरह की नहीं होती है वहां तो एक फसल होती है और वह भी मक्का की और अब जब वह फसल नष्ट हो गयी तो सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में विधान सभा में कई बार मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया और इस सैशन से पहले हर सैशन में हमने अकाल मन्त्री जी से यह निवेदन किया कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में चूंकि स्थिति खराब हो गयी है इसलिए आप अकाल राहत कार्य ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी खोलें ताकि वहां के लोगों को मजदूरी मिल सके और वह लोग मजदूरी करके अपना पेट पाल सके। इसके साथ साथ में मैं अकाल राहत मन्त्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में जहां पर अकाल की स्थिति भयंकर बनी हुई है और वहां की जनता भूखी मर रही है उसके लिए आप जल्दी से जल्दी सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की व्यवस्था करावें। इसके अलावा जैसा कि मैने कहा था कि वहां की रिपोर्ट आप मंगावें तो उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि सरकार जो रिपोर्ट मंगावें वह पटवारियों और गिरदावरों तथा तहसीलदारों की रिपोर्टों पर ही निर्भर रह कर वहां की रिपोर्ट नहीं मंगावें। वरना वह लोग गलत रिपोर्ट देते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि आज वहां पर 75 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। इस पर सरकार ने 75 प्रतिशत फसल नष्ट होने के बावजूद वहां पर सरकारी अधिकारियों ने डन्डे के जोर से लेवी वसूल की। उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है फसल होने की गुन्जाइश नहीं अतः वहां पर रिलीफ वर्क जल्दी से जल्दी खोलने की व्यवस्था की जाय। और जो आपने सस्ते अनाज की दुकानें वहां खोली नहीं है और जहां पर सस्ते अनाज की दुकानें आपने खोली है वहां पर आप सिर्फ एक महीने में एक किलो अनाज दे रहे हैं वह भी व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वहां पर सस्ते अनाज की दुकानें ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी खोली जायं ताकि लोगों को अनाज मिल सके। इसके अलावा वहां पर अनाज देने की मात्रा भी बढायी जाय। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर वर्षा नहीं होने की वजह से घास उगा नहीं है इससे मवेशी भूख से करीब 50 प्रतिशत मर चुके है। इसके अलावा वहां पर जो घास है वह सड़ गया है जिसको की इन्सान मवेशी दोनों ही नहीं खा सकते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां इन्सान और मवेशी दोनों ही भूखे मर रहे हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय सरकार ने वहां की जो रिपोर्ट मांगी है उसके लिये मेरा निवेदन है कि वह किसी जिम्मेदार व्यक्ति से रिपोर्ट मांगी जानी चाहिये ताकि

(श्री विट्ठल भाई)

वह वहां की सही रिपोर्ट दे सके। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस बारे में दिया भी था। पर वह यहां पर नहीं आ सका। उपाध्यक्ष महोदय, हमको विधान सभा में मन्त्रीजी को निवेदन करने में मजा थोड़े ही आता है। हम जानबूझकर थोड़े ही कहेंगे कि वहां की हालत खराब है लेकिन जहां तक अकालमन्त्री जी से....

उपाध्यक्ष : अकाल मन्त्रीजी नहीं, अकाल राहत मन्त्रीजी।

श्री विट्ठल भाई : हां साहब, अकाल राहत मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र में खुद पधारें और वहां के लोगों की हालत देखें। आपको इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि वहां फसल सूख गयी है और आगे वहां अकाल पड़ेगा या नहीं वह तो आपकी रिपोर्ट बतायेगी: लेकिन फसलों को नुकसान इस साल भी हुआ है और होगा चाहे बरसात होगी तब भी पूरी फसल नहीं होने वाली है। हमारे यहां पर दो तरह की बोवनी हुई थी। एक तो जून में हुई जिसमें अभी भुट्टे होने लगे थे, वह सूख गयी वर्षा नहीं होने से। दूसरी दुबारा बोवनी हुई थी। अभी वर्षा हो तो वह फसल पक सकती है। इस साल भी हालत खराब है। इस इलाके के लिये सरकार को ध्यान देना चाहिये। और अविलम्ब कुछ मजदूरी के कार्य खोलने चाहिये और सस्ते अनाज की दूकानों की भी व्यवस्था करनी चाहिये। अगर नहीं करेंगे तो हालत गम्भीर है। अभी से लोग भूखों मरने लगे हैं क्योंकि न तो मजदूरी और न कुछ। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मजदूरी के लिये एक डेढ महीने तक जब तक कि अनाज न पक जाय कोई राहत कार्य आप शुरू कर दें। यह अविलम्ब करना चाहिये।

दूसरा, जो रिलीफ के काम आपके चलते हैं उनके बारे में विधान सभा में बार बार निवेदन किया। मैं सन् 1962 से हूं और वहां पर हर दूसरे साल अकाल पड़ता है और बार बार निवेदन करता रहा हूं। बार बार निवेदन किया था कि अकाल का स्थायीरूप से हल करना है तो कम से कम सरकार को चाहिये कि उस इलाके में छोटे छोटे तालाब, बंधे और बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन सरकार ने जब भी अकाल पड़ा वहां पर करोड़ों रुपया खर्च किया लेकिन आप इलाके में जाकर देखें कि सड़कों के ऊपर खाली धुला डाला था, वह पानी आया और बह गया। कुछ तालाब लिये, मैं निवेदन करूंगा कि आप जांच तो करें। आपको सब मालूम हो जावेगा। दो साल पहले सूखा पड़ा था तो उस वक्त रिलीफ के कार्य चले और जिन तलाबों पर काम चला, मैंने आपसे अभी तक जांच लिस्ट नहीं मांगी है, लेकिन मैं अन्दाज से कहता हूं कि कहीं लाख रुपया खर्च किया, कहीं 80 हजार रुपया आपने खर्च किया, कहीं आपने दो लाख रुपया खर्च किया, लेकिन आज आप देखें तो मालूम होगा कहीं थोड़ी सी पाल है तालाब की, कहीं कोई थोड़ा सा मेटिरियल इकट्ठा कर रखा है, बाकी कुछ नहीं, कोई काम पूरा नहीं हुआ। न ही कोई बंधा पूरा हुआ। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ही नहीं कह रहा हूं किन्तु मैं यह पूरे पंचायत समिति की कहना चाहता हूं।

(श्री बिट्ठल भाई)

20.25 तालाब लिये गये रिलीफ के कार्य के लिये लेकिन आपके आफिसर, इन्जीनियर सारा वेस्ट करके खा गये। झूठी हाजरी की। विधान सभा में कहा था कि आप जांच पड़ताल रखो लेकिन ध्यान नहीं दिया। हो सकता है आपका ध्यान हो। आपके नेता, आपके जो कार्यकर्त्ता है उनको उन्होंने सहयोग दिया हो और मिल कर फायदा उठाया हो। इतना पैसा वहां पर खर्चा हुआ लेकिन कोई काम नहीं हुआ। न तालाब बने, न सड़कें बनी, न कोई स्थाई काम हुए। करोड़ों रुपए उस इलाके में खर्च हुए। हमारे साथी चाहे जयपुर जिले के हों या बाड़मेर के हों, सुखाड़ियाजी, जब मुख्य मन्त्री थे तो कहा करते थे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के लिये ज्यादा खर्च कर रहे हैं। से 90 प्रतिशत आदिवासी इलाका है। ज्यादा से ज्यादा इस इलाके के उत्थान के लिये भारत सरकार मदद देती है। गरीबों के लिये ही यह पैसा आता है लेकिन वह सही रूप में खर्च नहीं होता है। हमें लोग टोकते हैं। लेकिन वास्तव में खर्च नहीं होता है। इसलिये आप इसके लिये एक जांच कमीशन बिठायें और जिन अफसरों ने काम कराया है, जिन लोगों ने काम कराया है उनकी जांच की जाय कि कितना पैसा खर्च किया, कितना काम हुआ और काम नहीं हुआ तो किसकी गलती से नहीं हुआ। किसने पैसा खाया। यह सब आप अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं। लेकिन आप जाच करेंगे नहीं क्योंकि आप के ही लोग उन कामों पर काम करते हैं। आपके ही लोग मेट और मिस्त्री हैं। जो पैसा आदिवासियों के लिये आया अब वह नहीं आने वाला है। दो करोड़ रुपया दिया। अभी बताया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लिये खर्च किये जावेंगे। भारत सरकार देगी। दो सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ। मशीनरी आपने ऐसी बना रखी है कि 60 परसेन्ट भी काम नहीं होता है। वह पैसा बड़े 2 अमीरों के पेट में चला जाता है। गलत स्टेटमेन्ट देता हूं तो आप जांच करायें। जांच कमीशन बिठायें। साथ में मैं रहूंगा। बताऊंगा कि कितना कितना काम हुआ। धूल मिट्टी तो बह गयी लेकिन तालाब तो नहीं बहे हैं न। आपके इन्जीनियर, ओवरसीयर, अफसर आप उनको भेजें, कमेटी बिठायें। सही प्रतिनिधि लें जो सही तरीके से जांच करायें तो मैं मानूंगा कि ठीक है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट में खत्म करता हूं।

हो सकता है आप आगे उस इलाके में पैसा खर्च करेंगे। लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिये। आगे के लिये प्रतिबन्ध लगायें, कन्ट्रोल कर आपकी मशीनरी पर। जो भी काम हो उसकी पूरी जांच होनी चाहिये कि काम सही हुआ है। पहले जो काम हुए उसके लिये जांच कमेटी बिठायें और अच्छे प्रतिनिधियों को उसमें लें तो आपको सही हालात मालूम पड़ेंगे ऐसा न हो कि कोई ऐसी कमेटी बना दें कि वे भी इसमें शामिल हो जावें। इसलिये निवेदन करूंगा कि आगे के लिये ध्यान दें।

अगर आप आदिवासियों को आगे लाना चाहते हैं तो उन पर किये जाने वाले खर्च को अच्छे ढंग से ईमानदारी से खर्च करें। वहां अकाल की छाया है। इसका इलाज आप स्थायीरूप से करें। पानी की वहां कमी नहीं है। औसत पानी 40-50

(श्री विट्ठल भाई)

इन्च प्रतिवर्ष है। काफी अच्छा औसत है। पर आप वहां पर खर्चा नहीं करते, पानी बरसता है और बहकर चला जाता है। अगर आप उसे जगह जगह रोक दें और बन्ध बना दें तो अकाल का नाम निशान वहां से मिट जाय। सिचाई के साधन बहुत हो जायं। अब अगर इतनी औसत बरसात नहीं हो तो फसल नष्ट हो जावे। पर अगर बान्ध जगह जगह बन जावें और वह बरसात का पानी रोक दिया जावे तो सिचाई के साथ और पीने के लिये भी बहुत हो सकते हैं। अब बोलना तो बहुत था, पर समय कम है। मैं यहीं समाप्त करता हूं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने आज सदन के सम्मुख 10 जिलों के अकाल की बात कही थी और इस बारे में वे किस तरह से सोच रहे हैं इस का भी विश्लेषण किया था। ऐसे में बीकानेर की अजीब स्थिति है। आज तक वह बराबर अकाल में गिना जाता रहा है। वेस्टर्न पोर्शन बराबर अकाल की चपेट में रहता आया है।

इस बार अप्रेल, मई के शुरू में वहां बरसात हुई। पर इतनी अधिक हुई कि बीकानेर तहसील में और खासतौर से देशनोक, राजलदेसर, गुडवाली आदि में इस तरह से बरसात हुई कि लोगों के घर भी बह गये और बहुत नुकसान हुआ। इन गांवों में कुछ घरों में तो बीज का जो अनाज सम्भाल के लोगों ने इस फसल के लिये रखा था वह भी बरसात में वह गया। लोग वहां बेघरबार हो गये। अधिक बरसात से उल्टी मुसीबत हो गई। ऐसी स्थिति में कुछ बरसात होने से यह धारणा बन गई कि बीकानेर जिले में अच्छी बरसात हो गई इसलिये वहां अकाल राहत की बात नहीं है। हम भी यही चाहते थे। पर जो अधिक बरसात की बात मैंने कही उससे आज हालत अकाल से कम नहीं है।

हमारे यहां एग्रीकल्चर नहीं होती। लोग एनीमल हस्बेण्डरी से पेट पालन करते हैं। इसके लिये जो चारा प्रकृति ने यहां के लोगों को दिया है वह दो किस्म का है मुख्यतौर से। एक भुरट और दूसरा सेवण। सेवण बरसात में मामूली बरसात में भी उसका छोटा सा भी बीज हो तो फूट निकलता है। अब भुरट तो अधिक बरसात होने से पूरा ही जल कर खतम हो गया और सेवण पिछले कई बरसों से बरसात नहीं होने से सूख चुका। स्थिति यह है कि बरसात इस बार हो गई फिर भी उपलब्ध नहीं हो सका नतीजा यह हुआ है कि बीकानेर जिले की स्थिति पिछली बार से भी खराब हो गई है। इसलिये सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बीकानेर की स्थिति अकाल की हो गई है और यह अधिक वर्षा से और कुछ जगह वर्षा हुई ही नहीं है तो इस तरह दो प्रकार से बिगड़ी है। कुछ गांव ऐसे हैं जैसलमेर जिले से लगते हुए वहां कोई वर्षा आज तक भी नहीं हुई है। वह बैल्ट ऐसा है जो बीकानेर बोर्डर से और पाकिस्तान बोर्डर से दोनों से लगता है। वहां पीने के पानी की भी समस्या है, जो कुछ वहां उपलब्ध होता है वह खारा पानी है। इस बैल्ट में कहीं भी मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। जब भी यहां अकाल पड़ता है तो ट्रैक्टरों से या और साधनों से वहां पानी पहुंचाने का प्रबन्ध करना पड़ता है।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड भी बना था। हमेशा हमेशा जहां अकाल पड़ता है उसका हल किस तरह से किया जाय इस दिशा में कुछ काम करने के लिये यह बोर्ड बना था, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह बोर्ड लगता है, बनने के साथ ही खतम हो गया, या क्या हुआ, कुछ पता नहीं। इसकी कोई गतिविधि नहीं दिखाई देती। परिणाम यह निकलता है कि जब अकाल नहीं होता तब अकाल के स्थायी हल के साधन नहीं तैयार होने से केवल कहीं कुछ मिट्टी डलवा दी, कहीं कुछ करवा दिया। तो कुछ भी ठीक ढंग से प्लान नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आज भी वही समस्या खड़ी हो गई।

कहा जाता है कि राजस्थान कैनाल आ गई है। उस काम पर लोगों को लगाया जावेगा ताकि उसका काम जल्दी पूरा हो और जिले की दिक्कतें जल्दी दूर हों। यह बात भी बार बार सदन में भी गिनाई गई। पिछली बार मुख्य मन्त्री जी, जब मुख्य मन्त्री नहीं थे उधर जब दौरे पर आये थे तो उनको उन मजदूरों की हालत बताई थी। वे अपना घर छोड़कर वहां जाते हैं, पशु छोड़कर जाते हैं। उनके पशुओं के लिये न चारा मुहैया किया जाता है न उनके स्वयं के रहने की वहां व्यवस्था है। जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर नीचे की जमीन और मिट्टी की गरमाई महसूस करके सर्दी काटते हैं वे किसी तरह उन गढों में। यह स्थिति है वहां की जिसे आंखों से दिखवाया था। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल पड़ती है। राजस्थान कैनाल पर घास की और लोगों के रहने की व्यवस्था की जानी अत्यन्त जरूरी है। आज महंगाई अलग से है। अनाज महंगा, किरासिन महंगा, मिलता नहीं। आप इन गांवों की हालत तो देखिये। चारा मिलता नहीं। फिर एक दिक्कत और है वह एग्रीकल्चर एरिया नहीं है। पशु पालन का काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। अनाज वहां मुहैया होता नहीं। इसकी व्यवस्था न होने से वे लोग जिन्दा ही मरे हुओं के समान हैं।

पिछली बार वर्षा भी हुई थी। मैंने अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी का दौरा किया इस उम्मीद से कि चारा भी मिला होगा लोगों को और पीने के पानी का भी प्रबन्ध हुआ होगा। पर मैं निराश हुई। बरसात भी केवल उन इलाकों में हुई जिनमें मीठा पानी उपलब्ध होता था। ऐसी स्थिति में इस बार सरकार को सोचना पड़ेगा कि बीकानेर की स्थिति जो पिछले साल से भी गम्भीर है उसमें क्या किया जाये। पानी का भी प्रबन्ध आपको करना होगा।

इस पानी पहुंचाने के लिए कई वाटर सप्लाइ स्कीम्स सेक्शन्ड हैं, कुछ में काम चालू भी है, कुछ बरसों से चली आ रही हैं, पर अधर में लटकी हुई हैं, उनके लिये कहा जाता है कि फण्ड्स की कमी है। अगर फण्ड्स मिल जाय तो पानी का प्रबन्ध हो सकता है। सरकार को लाखों रुपया पानी पहुंचाने के लिए ट्रकों आदि पर, ट्रान्सपोर्ट पर हर साल अकाल के दिनों में खर्च करना पड़ता है तो इन स्कीमों पर फण्ड नहीं दिये जाने की बात बड़ी अजीब सी लगती है। जैसे मैं बताऊं गडियाला आदि छः गांव हैं जहां वाटर सप्लाइ स्कीम है। इनमें एक गांव तो ऐसा है कि जहां का पानी कोई पी ले तो खत्म हो जाता है। तो इन गांवों में

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

ऐसी स्कीमें सरकार के ध्यान में आनी चाहियें और इनको पैसा दिया जाना चाहिये। ताकि अकाल में पानी पहुंचाने में खर्च नहीं करना पड़े। और लोगों की मुसीबत भी हमेशा के लिये दूर हो जावे कम से कम यह पानी पीने की तो।

कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां ट्यूब वैल्स खुद गये हैं अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की तरफ से पर चालू नहीं किये गये। चालू करने में खर्चा बहुत लगता बताया। अकाल के समय तो फिर भी थोड़ा बहुत चला दें पर बाद में पंचायत की हैसियत भी नहीं है ऐसी कि वह चलाने का खर्चा वहन कर सके इसलिए इन गांवों में बिजली लेजाई जावे तो ये चालू कर दिये जावें। इस जिले में राजलदेसर आदि गांव ऐसे हैं जहां ट्यूबवैल में लाखों रुपया सरकार का लग चुका है। पानी भी निकला है। बिजली की लाइन भी पहुंच गई पर इनमें से एक भी चालू नहीं किया जा रहा है। पानी होते हुए भी लोग प्यासे रह रहे हैं। मोटर पम्प का सवाल है। पंचायत में वे मौजूद हैं। फिर क्या दिक्कत है कि इतने खर्चे के बाद भी उनको चालू नहीं कराया जाता। इसलिये निवेदन करती हूं कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर ध्यान देना चाहिये। ताकि अकाल आने पर जल्दी में अकाल के नाम पर जो पैसे का दुरुपयोग होता है उससे बचा जा सके।

खाद्य समस्या के बारे में निवेदन करूंगी। देश में खाद्य पदार्थों का अभाव है, हाहाकार है। गांवों में आपको सस्ता गल्ला पहुंचाना होगा। नहीं तो यह ठीक है कहने को वे भूख से नहीं मरेंगे, पर इस बार जनता किसी न किसी तरह से खत्म होगी। चाहे कमजोरी से बीमार पड़कर हो जावे, चाहे भूख से मरे और हम बाद में कहें कि यह भूख से नहीं मरा, बीमारी से मरा या मेल न्यूट्रीशन से मरा। तो मुख्यरूप से खाद्य पदार्थ उनके पास हर हालत में पहुंचाये जाने चाहियें। इसके लिये मैंने एक बार यह भी कहा था कि जहां तक सस्ते गल्ले का सवाल है मोटा धान लेने के लिए लोग तैयार हैं। वह भी सरकार के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में यह समस्या गम्भीर रूप धारण करेगी। किसी तरह इस अनाज की व्यवस्था तो करनी होगी। मैं नहीं कह सकती कि आज की सरकार को इन हालातों का अन्दाज है या नहीं। आज शहरों में भी हल्ला-गुल्ला करने के कारण दो तीन किलो सरकार दे देती है। पर गांव का आदमी इतना चिल्लाता नहीं है, दुख दारिद्र्य बर्दाश्त करने का आदी होने से बर्दाश्त करता ही जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जो नहीं चिल्लावे उनकी तरफ नहीं देखें। मैं विशेषतौर से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं जो इलाके बोर्डर से लगते हैं, जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है गोन्डू, मान्टासर जो शहर से 100–100 मील दूरी पर हैं। इनके लिये जब कभी कहा जाता है तो जवाब मिलता है इनको खाली करवा दिया जाय और इसके अलावा कोई आल्टरनेटिव नहीं है। जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो प्रोटेक्शन के लिहाज से इन गांवों को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। यह डबल बात नहीं चल सकती है। जब उनके खाने पीने की बात करें तो कहें इन गांवों को खाली करवा दिया जाय और जब बॉर्डर की बात आये और लड़ाई की बात आये तो

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

उनको प्रोटेक्शन के लिये वहां रहना पड़ता है। यह ऐसी बात है जिसे राज्य सरकार को निश्चितरूप से देखना चाहिये।

जब लम्बा प्लान ड्राट प्रोन एरिया का चला तो हमारे यहां बहुत से अधूरे काम रह गये और अचानक वह प्लान खत्म हो गई और सारे के सारे काम अधूरे रह गये। मैं निवेदन करना चाहूंगी इस बार जब अकाल घोषित हो तो जो ऐसी सड़कें हैं, जिनको पूरा करवाना आवश्यक है, उनको अवश्य करवाया जाय।

तीसरी बात खासतौर से बीकानेर जिले में चूंकि आज सरकार का थिंकिग है, अकाल नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहूंगी वसूली की कार्यवाही बन्द होनी चाहिये। वसूली की कार्यवाही के लिए मुख्य मन्त्री जी बता रहे थे बन्द कर दी लेकिन कॉपरेटिव की वसूली होगी वह भी जब अकाल नहीं होगा तो वसूली होगी लेकिन बरसात के कारण जमाना घोषित कर देना कोई उचित नहीं है। किसी भी तरह किसानों की हैसियत नहीं है कि चुका सके। पिछली बार अदायगी में बीकानेर जिले की अच्छी गिनती हुई है लेकिन अबके की गई तो मैं निश्चितरूप से कह सकती हूं वहां किसान मुश्किल में आ जायगा कि अदायगी कर सके। लोगों के मकान, जेवर, बर्तन आदि नीलाम होने की स्थिति आ चुकी है। पिछली बार भी कई लोगों ने पशु, घर के बर्तन बेच करके अदायगी की थी। बीकानेर जिले की यह स्थिति देखते हुए केवल बरसात होने के कारण अकाल घोषित न हो, यह उचित नहीं है यह मैं निवेदन करना चाहती हूं। इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री दीपंकर : मालूम ऐसा पड़ता है आसन का ध्यान ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव की नियमावली से अलग हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं वैसे तो....

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है चूंकि आज इलेक्ट्रि-सिटी बोर्ड पर भी डिस्कसन होना है तो पहले अभी तक चूंकि यह ध्यान-प्राकर्षण प्रस्ताव था यदि इसको थोड़े थोड़े में समाप्त कर दिया जाय और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ले लिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कोई आक्षेप नहीं है...

(व्यवधान: अश्रव्य)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आधा आधा इसको दे देते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी के अनुसार समय...

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी के अनुसार कोई नहीं कहा गया। आप विराजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : (अश्रव्य) इस प्रकार की व्यवस्था दे दी गई थी।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहा था जनरल डिबेट हो तब....

श्री दीपंकर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव रखा है उनको ही तो माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना है।

(व्यवधानः)

श्री प्रद्युम्नसिंह : समय निश्चित करिये।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है....

श्री खेतसिंह : आप पूछ लीजिये अकाल पर कितने बोलने वाले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं यह-निवेदन करना चाहता हूं कि अब (श्री रघुनाथ बिश्नोई के खड़े होने पर) आप बिराजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य 15 या 20 मिनिट बोल लें और 15 मिनिट सरकार को दे दिये जायं। आधा घन्टा में कम्प्लीट करके फिर बिजली पर आ जाय।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, यह हम लोगों के साथ अन्याय होगा। ध्यान आकर्षण की हम पहले से तैयारी करके आये हैं। दो-तीन मिनिट में कुछ नहीं कह सकते हैं। इतनी जो तैयारी करके आये हैं। पूरी तरह ध्यान आकर्षित नहीं कर सकेंगे तो हमारे साथ अन्याय होगा।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : (अश्रव्य)

अकाल की समस्या महत्वपूर्ण है। हम लोगों को प्राथमिकता से अवसर दीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका देंगे, यह नहीं कहा है कि मौका नहीं देंगे।

श्री दीपंकर : दूसरों को आधा आधा घण्टा और हमको 5-5 मिनिट....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि केवल 15 मिनिट में फेमिन की डिबेट कन्क्ल्यूड कर दी जाय। जो फेमिन ग्रस्त क्षेत्र से आते हैं उनको इस विषय पर काफी बोलना है। उनकी अपनी समस्यायें हैं। यह तो बिजनेस सारा का सारा टाइट है, इसका मतलब यह नहीं है हमारा गला बन्द कर दें। और दिनों भी असेम्बली 1-12 बजे तक चली है। मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य बोलने के लिये उत्कंठित हैं वे कुछ कहें इसलिए मेरा निवेदन है 15 मिनिट में कनक्लूड न करके कम से कम 3 घण्टे का समय इसके लिये दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : बिजली का भी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिजली का भी है और इस सदन में बिजली भी गिरेगी, ऐसी भी हालत है।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का मैं समर्थन करता हूं। बिजली से भी ज्यादा अकाल की स्थिति हो गई है। जब हम अपने अपने एरिया मे जायेंगे तो क्या बतायेंगे। उनके लिए हम क्या क्या कह कर आये हैं। क्या रास्ता निकालेंगे हम उनके लिये। अकाल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो आपकी नजर से ओझल हो गये और नये नये आदमी जिनकी अच्छी शक्लें हैं उनको आपने समय दे दिया। जो प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति हैं औ जिनके फहरिस्त है, उनको प्राथमि ता नहीं देंगे तो हम ऐसी आशा नही रखते है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कई दफा····

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री केशरीमल : कई दफा इस सदन में आ चुका है। हमारे जिले के कुछ क्षेत्र अकालग्रस्त हैं और यह समस्या का समाधान नहीं हैं कि हम हमेशा अकाल के बारे में कहते रहें लेकिन उसका कारण यह है कि जहां अकाल है वहां काम कराना है और केवल मिट्टी डालनी है, कुछ लोगों को फायदा हो जायगा जो काम नहीं करते हैं और उस समाज की, जो अकाल से पीड़ित है, स्थायी समस्या का समाधान न हो तो उसका दर्द बना ही रहता है।

माननीय उपाध्यक्ष, अगर इस प्रान्त में इस अकाल की स्थिति को बदलना है और अकाल को खतम करने की भावना है तो निश्चिततौर से कुछ इलाकों के अन्दर जिस तरह का काम करना चाहिये वह नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर का इलाका है और चाहे बीकानेर से लगे हुए इलाके हों जब तक राजस्थान नहर का काम नहरी योजना बना कर पूरा कर पानी पहुंचाया नहीं जाय तब तक यह समस्या हमेशा रहेगी। हम हमेशा प्रकृति पर निर्भर कर रहे हैं और उस प्रकृति को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनियां के सारे इलाकों को देखें जहां बड़े बड़े डेजर्ट के इलाके थे दुनियां के लोगों ने उनको बदल कर सरसब्ज बना दिया है। रूस मे पहले ऐसा बहुत इलाका था। उन लोगों ने सैकड़ों मील दूर से नदियों को मोड़ कर, पहाड़ो को काट कर पानी पहुंचाया है और आज जो वहां डेजर्ट का इलाका था वह सरसब्ज इलाका है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से यह जो डेजर्ट इलाका है चाहे बाड़मेर का हो, जैसलमेर का हो और चाहे बीकानेर का इलाका हो यह इलाका सोना उपजाने वाला इलाका हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपनी कमजोरी दिखाई। उन्होंने कभी केन्द्रीय सरकार से लड़ करके इसका प्रयास नहीं किया कि राजस्थान नहर आदि के कार्य पूरे होकर वहां तक पानी पहुंचाया जाय। इसमें ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और ऐसे कार्य नहीं किये जिससे लगे कि सरकार वह काम कराना चाहती है। आज केन्द्रीय सरकार इस राजस्थान केनाल के कार्य को पूरा करने में हमारे साथ ऐसी दिलचस्पी नहीं ले रही है और वह इसको सेकेण्डरी काम समझ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस इलाके में यदि यह पानी पहुंचता है तो न सिर्फ अकाल का ही सिर

(श्री केशरीमल)

टूटेगा, लोगों के काल के दूर होंगे लेकिन इस इलाके में इतना अनाज पैदा होगा और इतने लोगों को काम मिलेगा कि उसकी वजह से हमारे देश में जो खाद्य पदार्थों की कमी है उसकी पूर्ति हो सकेगी।

यह कहते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि मेरा इलाका बिलकुल डेजर्ट-इलाका नहीं है बल्कि मेरा पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी इलाके में सारा इलाका ऐसा है कि जहां एक एक और दो दो बीघा से ज्यादा जमीन लोगों के पास नहीं है और उस इलाके में हर साल ऐसे ही अकाल पड़ते रहे हैं, पानी की मात्रा वहां पर बहुत कम रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सन् 72 का अकाल जबरदस्त था और मेरा एक निवेदन करना है कि सन् 73 में हमारे ऊपर डबल मार पड़ी है। सन् 73 में उस इलाके में पानी ज्यादा बरसा और उसके कारण से वहां सारी मक्की खराब हो गयी। फिर अधिक पानी बरसने के बाद रबी की फसल आई तो उस इलाके में इतनी शीत लहर से प्रभाव पड़ा कि करीब करीब सारी फसल नष्ट हो गयी और कहीं 70 प्रतिशत, कहीं 80 प्रतिशत और कहीं 60 प्रतिशत शीत लहर से फसल प्रभावित होकर नष्ट हो गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1972 में अकाल और 1973 में अतिवृष्टि से वहां के तालाब टूट गये, कहीं कुए टूट गए और अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अजमेर और ब्यावर में अभी पानी बरसा है। मैं भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि करीब 13 इंच पानी हुआ है वह इस तरह से हुआ कि वह खेती के लायक नहीं रहा। वह इस तरह से हुआ कि कुओं में पानी नहीं आया और तालाबों में जो पानी जमा होना चाहिए था वह नहीं हुआ और फिर कभी पानी आगया फिर सूख गया, फिर पानी आगया और फिर सूख गया। ऐसी स्थिति हुई है। न तो खेती के लिए पानी हुआ, न पीने का पानी हुआ। इससे अकाल की स्थिति बन गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारे यहां कोई इस समस्या का स्थाई हल निकालने का सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किया गया। तो मैं यह बराबर देख रहा हूं कि हर दूसरे और तीसरे साल लाखों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन इससे कोई स्थाई हल नहीं निकलता।

उपाध्यक्ष महोदय, स्थायी हल निकालने की दृष्टि से मेरा यह निवेदन करना है कि चम्बल से ऐसी नहर निकाली जाये जिसको इस इलाके में लाया जाये तो इस इलाके की हालत ठीक हो सकती है। लेकिन सरकार इस योजना को बनाये तब कुछ हो सकता है लेकिन सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई और हर समय ऐसी हालत यहां बनती जा रही है। गत वर्ष हमारे यहां पानी अधिक पड़ा और हमने कहा था कि हमारे यहां दो तीन कार्य ऐसे हैं कि उनको सरकार करा दे तो जब पानी ज्यादा बरसता है तो पथरीला इलाका होने की वजह से वह पानी बह जाता है और जमीन में जज्ब नहीं होता। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि हमारे यहां तीन फीडरों का काम पूरा करा दिया जाये।

(श्री केशरीमल)

हमारे यहां उपाध्यक्ष महोदय, कुछ काम अधूरे छोड़ दिये। उन पर लाखों रुपयों का खर्चा भी हुआ और उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हमने बार बार निवेदन किया कि अगर सरकार इन कार्यों को करे तो वर्षा का पानी तालाबों में जमा हो जायेगा और हमारे यहां हालात खराब होने से बच जायेंगे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 72 के समय में भी हमने बार-बार निवेदन किया कि जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा कराया जाये लेकिन वह नहीं कराये और वह लाखों रुपया बेकार हो गया। अगर यह काम पूरे हो जाते तो सन् 73 में जो बरसात ज्यादा हुई तो वहां के तालाबों में पानी भर जाता और जाली का तालाब पूरा भर जाता और उससे पीने के पानी की भी समस्या नहीं होती।

गत वर्ष पानी ठीक होने के बावजूद भी हमारे यहां इलाके में पीने के पानी की समस्या और जानवरों के पीने के पानी की समस्या बन गयी और इस समस्या की तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी और यह समझ ले कि 13 इंच पानी हो गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार भयंकर स्थिति पैदा कर देगी और वहां के लोगों का जिन्दा रहना मुश्किल हो जायेगा। इस बात को कोई आदमी बरदाश्त नहीं करेगा कि सरकार इसको दरगुजर कर दे। शीत लहर से पीड़ित जनता को राहत देने की बात कही कलेक्टर से कहा और 21 अप्रैल तक तो उसकी रिपोर्ट आती है और जहां असेम्बली खतम हुई सारी रिपोर्ट धरी रह गई और सरकार के द्वारा कोई काम नहीं कराया गया। ऐसी हालत होने के बावजूद वहां बहुत सख्ती से वसूलियां की गयीं। कई गांवों में उन लोगों को तंग किया गया और जब भी वहां पर अधिकारी लोग आते हैं तो लोग गांव छोड़ कर जंगलों में भाग जाते हैं। जब हम वसूलियां नहीं करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमने रिपोर्ट मांगी है, हम जल्दी से जल्दी काम को शुरू करा रहे हैं लेकिन जैसे ही मौका निकला सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह जानता हूं कि सरकार आर्थिक संकट में है, मैं यह भी जानता हूं कि सरकार यहां पर कह कर समय निकालने और टालने की बात करती है और काम को करने की कोशिश नहीं करती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो तालाब गयी दफा मे टूट गए, जो हालात खराब हुई उनको सुधारा जाता तो अभी जहां पानी आया है उससे लोगों को राहत मिलती लेकिन सरकार ने वह काम नहीं किये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि जो काम बताये गये हैं वह पूरे नहीं हुए और एक बात इससे पैदा हुई है कि कुछ गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात थी और फेमिन में जो काम हुए वह आधे रह गये। गांव अलग रह गये और सड़क अलग रह गयी। उपाध्यक्ष महोदय, कई सड़कें ऐसी बनी हुई हैं जहां पत्थर पड़े हुए हैं और आदमी जा नहीं सकता। ऐसे अधूरे काम रह गए। आपको डी. पी. ए. पी. में लोगों को काम पर लगाकर वहां की हालात सुधारनी चाहिए। घास और चारे की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार ने यह

(श्री केशरीमल)

कार्य पूरे नहीं किये, कुछ राहत कार्य नहीं खोले और इन कामों को पूरा कराने का प्रयास नहीं किया तो वहां की जनता तकलीफ पायेगी और सरकार के सामने भी समस्या खड़ी हो जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा यह भी कहना है कि इस इलाके में जैसी मैंने हालत पेश की

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री केशरीमल : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस इलाके में अनाज की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार अनाज की, चारे की व्यवस्था करे और लोगों को काम देने की व्यवस्था करे। यह मेरा निवेदन करना है कि जितने भी वसूली के काम चल रहे हैं वह खतम होने चाहिए और पहले के फैमिन के समय में मजदूरों को मजदूरी के पैसे बाकी हैं। जो मजदूरों ने काम किया और उनके पैसे मजदूरी के नहीं दिये वह पैसे उनको दिलाये जायें—यह मेरा निवेदन करना है।

(कई मा. सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुरभुज

श्री किशोरीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था मुझे भी मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, श्री चतुरभुज।

श्री चतुरभुज : (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान की जैसी स्थिति हो रही है कि कहीं पर अतिवृष्टि के कारण से फसलें खराब हो गई हैं और कहीं ऐसी हालत हो रही है कि बरसात नहीं होने के कारण फसल और चारा नहीं हो रहा है और हालत बहुत खराब हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि टौंक जिले के अन्दर भी ऐसी हालत खराब हो रही है कि उस ओर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो भयंकर स्थिति हो जाएगी। अधिक बरसात के कारण हल भी चलने नहीं दिया और जो बोई गई थी वह भी वर्षा के कारण नष्ट हो गई। आज वहां हालत यह है कि हल चलने योग्य भी हालत नहीं है। गत वर्ष जो दुर्गति हुई थी और कुदरत ने जो भयंकर स्थिति पैदा कर दी है, कुदरत की तो नाराजगी है ही लेकिन राज्य सरकार भी ध्यान नहीं देगी तो क्या हालत होगी। इसलिए मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कुछ न कुछ करे और वहां की गरीब जनता की कुछ सुनवाई करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि आज दो तीन साल पहले भी हाल था और अकाल के बाद में गत साल भी भयंकर अतिवृष्टि हुई और उसके बाद शीत लहर से फसलें खराब हो गई और आज वहां पर अनाज का एक दाणा नहीं मिल रहा है। आज कर्जा लेकर

(श्री चतुरभुज)

अनाज लेने जायें तो भी अनाज नहीं मिलता है। देहातों में पचास प्रतिशत लोगों की यह स्थिति है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले को कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच करायें और अनाज की व्यवस्था कराई जाय।

इसके बाद में यहां पर आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे ग्रामों में यह स्थिति है कि उत्पादन का काम नहीं है। उत्पादन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आज आजादी के बीस पच्चीस साल बाद भी सरकार अगर उत्पादन पर ध्यान नहीं देगी तो जो आज हमारे यहां पर स्थिति है उससे भी भयंकर स्थिति हो जाएगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करूं कि जो वहां पर नदी नाले हैं उनको बांधकर पानी रोकने की व्यवस्था नहीं की गई है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि नदी नालों को बांधकर अनाज पैदा करने की व्यवस्था की जाय। पानी रोकने से अनाज भी ज्यादा पैदा होगा।

इसी तरह से मैं निवेदन करूं कि बिजली की व्यवस्था की जाय। जहां पानी की कमी है वहां पर ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाये।

इसके अलावा मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करूं कि आज हमारे यहां सड़क के बारे में यह दशा है कि टोडारायसिंह से देवली नहीं जा सकते, टोडारायसिंह से टोंक नहीं जा सकते। वहां जो सड़कों की हालत है उसमें टोडारायसिंह से टोंक नहीं जा सकते आज टोंक से टोडारायसिंह नहीं जा सकते, टोडारायसिंह से मालपुरा नहीं जा सकते, देवली नहीं जा सकते, टोंक नहीं जा सकते, केकड़ी नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो खराब हालत है उसको देखते हुए कम से कम एक दो करोड़ लिया जाय तो हम इधर उधर जा सकते हैं। आप कहते हैं कि सस्ते अनाज की दुकानें तहसील हैड क्वार्टर पर खोली जायेंगी तो फिर कैसे वहाँ तक लोग जा सकेंगे। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे यहां सुवारिया से मोहर तक की 11 मील का सड़क का टुकड़ा है, टोडारायसिंह से अजमेर की सड़क पर जिसका कि काम अधूरा है उस सड़क पर जो ग्यारह मील (समय समाप्ति सूचक घण्टी) का टुकड़ा है उस 11 मील के टुकड़े पर डामर नहीं हुआ है और वह रास्ता आज बन्द पड़ा हुआ है। 10 साल से ट्रैफिक चल रहा है इसलिए 11 मील के टुकड़े का सुधार किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज अकाल पर बहस हो रही है।

श्री चतुरभुज : यही अर्ज कर रहा हूं। अब मैं लेवी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घंटी-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री चतुरभुज : मैं सरकार को दो बात कहना चाहता हूं उसको भी आप नहीं सुनना चाहते हैं।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने का मौका दिया है तो आप अकाल पर बोलिए।

श्री चतुरभुज : मैं आपको हमारे गांवों की लेवी के बारे में जो स्थिति हुई है वह बताना चाहता हूं। लेवी सरकार किसानों से ले तो हमें ऐतराज नहीं है लेकिन लेवी लेवें तो समय पर लेनी चाहिए और बाजार की रेट से 10-15 रुपया का फर्क हो तो भी कोई बात नहीं। उस हालत में न आपको पुलिस भेजनी पड़ेगी, न फौज भेजनी पड़ेगी और न अफसर भेजने पड़ेंगे वरना इस रेट पर लेवी लेंगे तो लोग गेहूं बोना ही छोड देंगे। वो दूसरी चीजें बोने लगेंगे, मूंगफली बो लेंगे दूसरी चीजें बो लेंगे लेकिन गेहूं नहीं बोयेंगे, अनाज नहीं बोयेंगे। इससे राष्ट्र को नुकसान होगा। इसी तरह से जो आज अनाज पैदा करता है वह तो बीस क्विन्टल अनाज नहीं रख सके और जो चोरियां करते हैं, ब्लेक करते हैं वे दो हजार क्विन्टल अनाज रख सकते हैं, यह अन्याय है, अनर्थ है। इस कानून का सुधार किया जाये। जो आज आपको वोट दे, जो आपके लिए गेहूं पैदा करे उनके लिए आप यह अनर्थ करें तो यह भी आपको देखना पड़ेगा नहीं तो और हालत खराब होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मजदूरों ने काश्तकारों ने आपका साथ दिया है उसी पर आप सख्ती करें, पुलिस और फौज भेज कर उन पर जुलम करें तो इस पर हमको सोचना पड़ेगा। हमको गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार लेवी लेना चाहती है तो ले, लेकिन समय पर ले और बाजार भाव से लें। आज मैं आपसे अर्ज करूं कि जब कि किसान वर्तमान स्थिति में जो आज हुआ सरकारी आदेश के अनुसार बेगुनाह आक्रमण किया जो नहीं होना चाहिए। यह बहुत भयंकर स्थिति है, भयंकर स्थिति है जो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आप के मार्फत सरकार को कहना चाहता हूं कि हम लेवी देने को तैयार हैं, काश्तकार लेवी देने को तैयार हैं लेकिन समय पर लेवी ली जाय तो आपको जो यह करोड़ों रुपये पेट्रोल पर खर्च करने पड़े, फौज पर खर्च करने पड़े, पुलिस पर खर्च करने पड़े वह नहीं करने पड़ते। आज जो भाग दौड़ की वह भी नहीं करनी पड़ती। जितना रुपया इसमें खर्च किया जाता अगर किसानों को दे देते तो आपके घर बैठे अनाज पहुंच जाता। कम से कम आप इस स्थिति को देखिए जिसने इतना जुल्म पैदा किया।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

इसके बाद मैं निवेदन करूं कि आपने ऐलान किया कि खाद देंगे, बीज देंगे आज खाद का, बीज का, शक्कर का, कपड़े का ब्लेक हो गया है। आज जिन लोगों ने वोट देकर आपको जिताया उनके दो रुपये में एक बोतल घासलेट मिलता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कन्ट्रोल का कोटा देहात को दिया जाय जिससे कि कण्ट्रोल की जितनी चीजें हैं वह गरीबों की ऐसी व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चिम्मनसिंह भाटी

(अनुपस्थित)

श्री दलपतसिंह : (अनुपस्थित)।

श्री सुखलाल सेणचा : (अनुपस्थित) श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं): उपाध्यक्ष महोदय, आज आसन ने बड़ी कृपा करके मेरे नाम की तवज्जोह दी उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आज की स्थिति जो राजस्थान में है, बरसात लगातार कई जिलों में हुई है उसके बावजूद भी आज हमें दुख के साथ विचार करना पड़ रहा है कि हमारे इस राजस्थान प्रान्त का दुर्भाग्य है कि कहीं ज्यादा बरसात होने से और कहीं पर बरसात समय पर नहीं होने से अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। हमारे यहां, जहां तक उन इलाकों का सवाल है, कहीं बरसात कतई नहीं थी तो उस इलाके के माननीय सदस्यों ने, सम्माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत आकर्षित किया है, मैं चूंकि समय कम है इस लिए सारे राजस्थान के सवाल को नहीं लेते हुए आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए नागौर जिले की ओर विशेष तवज्जोह दिलाना चाहूंगा।

म. प. 4·5 बजे

(श्री फूलचन्द जैन सभापति पदासीन)

नागौर जिले में बरसात अधिक हुई और कुछ जगहों पर तो इतनी हुई कि राज्य मन्त्रीजी जो यहां विराजमान हैं और सुन रहे हैं उनको जब वहां की स्थिति देखने के लिये ले जाया गया तो अनायास उनके भी मुंह से निकल पड़ा कि इनके लिये कुछ किया जाना ही चाहिये जब उन्होंने उस इलाके में जगह जगह गांवों में क्या और शहरों में क्या घरों में पानी भरा हुआ देखा और बुरी तरह से औरतों और बालबच्चों को त्राहि-त्राहि करते देखा।

अब इस बरसात के आधार पर जो काश्त की गई वह तो गल ही गई 13/14 दिन तक यह बरसात होती रही। बाजरा पैदा होने की कोई सूरत ही नहीं बची। दूसरी बोवनी में बाद की में जो थोड़ी बहुत हुई तो उसमें रूखड़ी के पैदा हो जाने से वह भी नष्ट हो गई। पीली पड़कर सूख गई। इस विभाग के इन्जीनियर अगर समय पर इस बीमारी का इलाज वहां करते तो संभव था कि कुछ खेती बच जाती, पर जिस तरह से यह कृषि विभाग और इसके इन्जीनीयर लोग चलते हैं उसका अनुभव हम आप सबको है।

अलबत्ता दुबारा और तिबारा ग्वार, मोठ जो बोया गया वह जरूर ठीक ठीक हालत में है। पशुओं के चारे का प्रबन्ध जरूर थोड़ा बहुत हो सका है। पर प्रमुख खाद्य जो इस जिले में बाजरे का माना जाता है वह नहीं के बराबर है।

इस स्थिति में अगाऊ तौर पर पशुओं को बचाने से ही काम चलने वाला नहीं है। अकाल के समय पहले मवेशियों को माइग्रेट किया जाता था वह स्थिति जरूर वहां नहीं आवेगी इस बार पर आदमियों को जिन्दा रखने के लिये रास्ता जरूर खोजना पड़ेगा। इसके लिये राहत के काम वहां खोलने होंगे।

अकाल का स्थायी हल खोजना होगा। हर साल कहते कहते हम भी थक जाते हैं आप भी सुनते सुनते थक गये होंगे पर आज दिन तक स्थायी हल में आपने रुचि नहीं ली। ऐसा स्पष्ट ही है। इस दिशा में चिन्तन करके कोई स्थायी योजना न बन सके ऐसा नहीं है। बाकी तुरन्त अकाल राहत के जो

(श्री दीपंकर)

काम होते हैं उनमें आपकी पी. डब्लू. डी. विभाग मनमानी करता है। जन सहयोग लेने की इच्छा न उनकी होती है न आपकी। इस वजह से सारा पैसा जो जनहित में लगना चाहिये, नहीं लगता। काफी बरबादी हो जाती है। इसको रोकने के लिये जन प्रतिनिधियों और प्रामाणिक कार्यकर्त्ताओं को रखा जा सकता है। पी. डब्लू. के परमानेन्ट गेंग को ही आप लगाते हैं। अब उनमें उनके परसेन्टेज बन्धे होते हैं, उनको अपने परसेन्ट की चिन्ता रहती है, आप के कामों की उनको चिन्ता नहीं रहती। और इसलिये कह देते हैं कभी कभी तो कि लोगों का मूड ही काम करने का नहीं है। अरे, क्यों नहीं है ? क्या वे भूखों मरना चाहते हैं। काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे।

सभापति महोदय, अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले साल का अकाल के समय का लोगों का पैसा भी बकाया है। मजदूरों ने काम किया। जिन जगहों पर पीने के पानी का अकाल था वहां कोठियां भर भर कर वे लोग ले गये ऐसे लोगों की हाजरियां दर्ज हैं। आपके रेकार्ड में उनकी एन्ट्रीज हैं। पर आज दिन तक उनका पेमेन्ट नहीं हुआ। आज भी उनकी मजदूरी का पैसा बकाया है। महीनों बाद तक वे बेचारे जिला तहसील हैडक्वार्टर पर इसके लिये जाते रहे आखिर में थककर चुप हो गये। इससे भी उन लोगों में आप के आदमियों के प्रति अच्छी धारणा नहीं बनी। उनका पेमेन्ट कराया जाना जरूरी है।

यह इलाका रूपनगढ़ किशनगढ़ से प्रारंभ होता है। वहां से एक रोड भी है। वहां होकर मोलासर राष्ट्रपति एक समय पधारे थे। मन्त्रीगण भी उस रास्ते से होकर गये थे। मैं भी दो तीन मन्त्रीगण की गाड़ियों में एक में था। उस रास्ते में कई जगह दिक्कतें हुईं। तब उनको पता चला कि किस तरह से वह रास्ता जगह जगह टूटी फूटी हालत में है। रूणी गांव तो उस समय बरसात के कारण समुद्र की तरह बन गया था। परबतसर के पार का इलाका तो पूरा ही जलमग्न था। सड़क नाम की वहां कोई चीज ही नहीं बची। तो ऐसी हालत में पी. डब्लू. डी. के इन्जीनियरों को सोचना चाहिये था सर्वे करके सड़क बनानी चाहिये थी। पानी भरने की आशंका थी तो उसको मिट्टी डलवाकर ऊंचा करके फिर सड़क निकालनी थी। बीच में जहां जरूरी है वहां बांध भी बनाना चाहिये था। रपट भी ठीक करनी चाहिये थी। तो ये सारे काम रुचि रखकर ठीक तरह से प्लान्ड वे में करने चाहिये थे वे नहीं किये जा सके। इसका परिणाम वहां की जनता इन कठिनाइयों के रूप में आये दिन भुगतती रहती है। एक दिन तो मन्त्रियों को और राष्ट्रपति को भी इसका अनुभव हुआ।

तो जो वहां टूटे बांध पड़े हैं, टूटी या अधूरी सड़कें पड़ी हैं। पिछले समय के कुछ अधूरे काम भी पड़े हैं उनको पूरा कराने की तरफ इस बार ध्यान दिया जाना चाहिये।

सस्ते धान के वितरण की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। बची हुई जो फसलें हैं उनको सुरक्षित रखने के लिये जरूरी है कि समय पर जो कीटनाशक दवाइयां आदि जरूरी हों वे पहुंचाने की व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा की जानी चाहिये। अधिक वर्षा के कारण लोग छोटी छोटी सिरकियां

(श्री दीपंकर)

तान कर किसी तरह अपना सिर छुपाये हुए हैं उनके लिये टिन के या सीमेंट की चद्दरों की व्यवस्था की जानी चाहिये। 40 परसेन्ट से अधिक लोग इस तरह की जिन्दगी में पड़े हैं। सरदी और बरसात में ओढ़ने के लिये भी उनको कुछ दिया जाना जरूरी है। उनका तो सारा साज सामान घर का बह गया है।

आप कहते हैं उनको राजस्थान कैनाल एरिया में काम दिया जा सकता है। पर उनके पीछे उनके टूटे फूटे घरों को कौन सम्भालेगा। उनके मवेशियों का क्या प्रबन्ध होगा। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। अब अगर राहत काम के लिये भारत सरकार से आशा नहीं है कि अधिक पैसा मिले तो आप जनता की रिलीफ सोसायटियां हैं। मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी है, जो लाखों करोड़ों रुपया रिलीफ के काम में देश भर में लगाती हैं, उनको बुलाओ। उनका सहयोग लेना चाहिये। दवा-दारू और कपड़े का प्रबन्ध उनके लिये करिये या उनके मार्फत कराइये। और भी इस तरह की सोसायटियां हैं। उनका सहयोग आप लीजिये।

नागौर जिले में ज्यादा बरसात होने से खराबी हुई है। उसका मूल्यांकन शुरू करवाये जाने की आवश्यकता है। जहां आप मीलों तक खेतों में चले जायें तो एक दो धान उगी हुई नजर आयेगी। इसका यह प्रमाण है कि बाजरा समाप्त हो गया है। जहां आपका विद्युत विभाग है, पी. डब्ल्यू. डी. है, सिंचाई विभाग है, उनका सही समायोजन करना चाहिए। जिससे कि लोग यह समझें कि देश हमारा है। हम इसके लिए काम करने वाले हैं। आज जो कुछ भी फण्ड का दुरुपयोग करने की नीयत है, उसका ध्यान रखा जाये। हमारे जिले की समस्या एक प्रमुख समस्या है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दीपंकर : यह वह इलाका है, जिसका पानी पीने से लोग कुबड़े हो जाते हैं। वह पानी पीने से पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। आदमी की उमर घट जाती है। मैं समझता हूं कि उनका मास्टर प्लान बने। पी. डब्ल्यू. डी. विभाग है। उनकी तरफ से काम करवाया जाये। जहां पर मीठा पानी उपलब्ध है, मैं समझता हूं ऐसे इलाके में कोई काम हो तो वह परम आवश्यक है। हम अकाल के समय हमेशा ही कहते रहे हैं। हमारे यहां खून सस्ता है हम अच्छे सैनिक दे सकते हैं। अच्छी नसल की भेड़ें रखते हैं। परन्तु पीने का पानी हमारे पास नहीं है। इसलिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। इधर आप अवश्य ध्यान देंगे। नागौर जिले में अकाल की स्थिति है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। और भी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाये।

श्री दीपंकर : हमारे उस क्षेत्र ने अच्छे अच्छे विधान सभा के सदस्य दिये हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। और सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए।

श्री दीपंकर : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो प्रदर्शन के लिए लाखों खर्च कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर राज्य सरकार प्रभाव डालकर उनसे सरकार काम ले।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आपके पास लाखों रुपयों के फण्ड्स पड़े हैं। हाउसिंग सोसाइटी है। गिरे हुये मकानात हैं, उनको बुनवाने की कोशिश करें। साथ ही साथ कोई योजना बनाइये। ऐसी योजना बनायें जिससे कि हरसाल अकाल नहीं पड़े। इस प्रकार के काम करवाये जायें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, समय के बारे में एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की भावनाओं को देखकर यह सुझाव दिया था कि सदन चाहे तो हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, वह कम से कम समय अपने विचार रख दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप समय बता दें।

श्री सभापति । मैं सोचता हूं कि पौने 5 बजे तक का समय ठीक रहेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पार्टियों के अनुसार बोलें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। जिन इलाकों में फेमिन की समस्या है, उनको प्राथमिकता आपको भी देनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हर इस्यू पर हर आदमी बोले ही।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह तो जिनकी आदत है, उनको कहिये।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

यह सवाल नहीं है। आसन को भी सब को बोलने की व्यवस्था देनी पड़ती है।

श्री गोपाल सिंह !

श्री भोपाल सिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, पिछले 12 साल में जैसलमेर जिले में पिछले दो साल से वर्षा नहीं हुई है। जैसलमेर कृषि प्रधान इलाका नहीं होने के कारण वहां के मजदूरों की स्थिति भिन्न है। वहां पर पशुपालक होने के कारण पशुओं को पालना पड़ता है। और मजदूरी भी करनी पड़ती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो राहत कार्य खोले जायें उनमें यह ध्यान रखा जाये कि वह अपने पशुओं का पालन भी कर सकें। इस प्रकार से उनको राहत मिल सकती है। इसके लिए अगर सब्सीडाइज रेट पर फीडर की व्यवस्था कर दी तो वह अपने पशुओं को बचा लेंगे। यह स्कीम हैं। यह ऐतिहासिक कार्य है। हम इसमें सफल हो गये तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जायेगी। अगर हम फेल हो गये तो आने वाले जमाने में हम अपना आर्थिक ढांचा सुधार सकते हैं। इसलिए सब्सीडाइज रेट पर उनको फोडर उपलब्ध कराया जाये इसके अलावा जो इर्रीगेशन के तरीके हैं उनको भी हाथ में लेना चाहिए राजस्थान केनाल रामगढ़ की तरफ से ले जा सकते हैं ताकि वहां के लोगों को राहत मिल

(श्री भोपाल सिंह)

जायेगी। इसके अलावा जो भेड़ पालक हैं, उनको समस्या है। उनके भाव गिर गये हैं। वहां पिछले साल की ऊन पड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि वहां की ऊन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खरीद ले। तो कुछ अच्छा रहेगा। नहीं तो कम कीमत में जायेगी। खादी का काम चलता है। उनको मदद देकर काम को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा विजली की समस्या है। पानी खारी है तो ट्रकों के जरिये से पानी पहुंचाना चाहिए। जहां भी ट्यूब वैल हैं, उनको निःशुल्क पानी शुरू कर देना चाहिए। जैसलमेर में पिछले सालों वर्षा नहीं होने से बाजरा नहीं हो सका। जैसलमेर में भी डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से रहते हैं। जोधपुर से मोटा धान लाकर बांटा जा रहा है। बीकानेर में कमी है। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छा धान पहुंचायें। चाहे कोई मोटा धान पहुंचाये। वह भी डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसकी व्यवस्था वहां भी पहुंचाये। तमाम आठ किलो वहां मिलना चाहिए क्योंकि वहां और कोई धान है नहीं। इस तादाद में जितनी कमी आयेगी उस हद तक आदमी वहां भूख से मरेंगे।

इसके अलावा रीजनल पाइप लाइन चल रही है, उनको तुरन्त कम्प्लीट किया जाय तो पानी के मामले में राहत पहुंच सकती है। यह गवर्नमेंट का परमानेन्ट काम होगा और गांवों को भी राहत पहुंच सकती है।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इंदलिया

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सभापति महोदय, आज सदन में·········

(दर्शक दीर्घा से एक दर्शक ने 'जयप्रकाश नारायण : जिन्दाबाद' नारा लगाया)

श्री सभापति : इनको तुरन्त कस्टडी में लिया जाकर अध्यक्ष महोदय के सामने पेश किया जाय।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : माननीय सभापति जी, इस भयंकर अकाल के माहौल में हमारा राजस्थान चारों तरफ से घिरा हुआ है। मैं खासतौर से बीकानेर जिले के बारे में, आपकी मार्फत, राज्य सरकार के सामने कुछ तथ्य रख कर उस ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। सभापति जी, बीकानेर जिले में जेठ में एक वर्षा हुई और वह भी कुछ इलाके में बरसात हुई। इसके बाद पैंतालीस दिन तक कम्प्लीट बीकनेर जिले में कोई बरसात नहीं हुई। उसके बाद फिर एक वर्षा हुई, लेकिन पता नहीं वह पानी कैसा आया, जबरदस्त बरसात होने के बावजूद हरी घास पूरे इलाके में ढूंढ़ लें, आपको नजर नहीं आयेगी, न सेवड़ी घास मिलेगी, न गुड़ घास मिलेगी और न पशुओं को चराने के लिए हरी घास मिलेगी। बीकानेर जिले की हालत है, वह गम्भीर है और चिन्ताजनक है। सभापति जी, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर जिले के काश्तकारों ने, जब पहली बरसात हुई, जेठ के महीने में, तब बाजरा बोया लेकिन वह सारा का सारा बाजरा जल कर खत्म हो गया। उसके बाद जिले के काश्तकारों ने फिर दूसरी फसल बोयी, वह फसल भी बरसात के खारे पानी के बरसने से खराब हो गई, बीज जमीन में ही रह गया। आज बीकानेर के जिले की हालत मैं यहां बताऊं तो किसी भी आदमी के यह

Page No 109

109

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

बात दिमाग में बैठने वाली है नहीं क्योंकि जहां कुछ ज्यादा बरसात हुई वह एक दो गांव में, देशनोक और कल्याणसर गांव है, वहां राज्य सरकार ने सहायता दे दी ऐसे तथ्यों को अगर खासतौर से यह राज्य सरकार देखे या राजस्थान के दूसरे लोग सोचें तो यह बात मालूम पड़ती है कि कोई आदमी झूठी बात कहता है, बीकानेर में कोई अकाल नहीं है। लेकिन सभापति जी, बीकानेर जिले की हालत है, वह दूसरे जिलों से बहुत ज्यादा खराब हालत है। वहां पर पीने के पानी की समस्या है, वह समस्या कुछ कम है क्योंकि बरसात का पानी तलैयाओं में जरूर इकट्ठा हुआ है लेकिन जहां तक बीज उगने का सवाल है, आज सारा का सारा इलाका सूखा पड़ा है और लोग खासकर जो गरीब लोग हैं, वह गांव के गांव छोड़ छोड़ कर दूसरे जिलों में पशुओं को लेकर जा रहे हैं। सभापति जी, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल पीड़ित लोगों को अगर बचाना चाहते हैं, जो लोग अपने पशुओं को लेकर गंगानगर जिले में और जहां राजस्थान कैनाल का पानी है उस इलाके की तरफ लोग रवाना होंगे, मैं निवेदन करूं, उन काश्तकारों को इस अकाल के मौजूदा समय में अगर काश्त करने के लिए टेम्प्रेरी अलाटमेंट एक एक मुरब्बा कर दे दें तो बीकानेर का काश्तकार अकाल से डटकर मुकाबला कर सकता है, वह अपने पशुओं को बचा सकता है और खाने को अनाज पैदा कर सकता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए राज्य सरकार समय रहते हुए इस समस्या की ओर ध्यान देकर जागरूक रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले अकाल का जिस तरह से जनता ने मुकाबला किया, उसी तरह से इस अकाल का मुकाबला कर सकती है

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति जी, मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा, छोटे छोटे जो तथ्य हैं उन पर मैं बोलूंगा।

पीने के पानी की समस्या है, बीकानेर जिले में पीने के पानी की वाटर सप्लाई स्कीम है। सरकार द्वारा इस स्कीम पर पूरी पूंजी लगी है, कहीं 3 लाख की है, कहीं ढाई लाख की हैं। लेकिन उस स्कीम को अभी तक चालू नहीं किया है। इस भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए इस स्कीम को चालू कर दिया जाय तो लोगों को, और पशुओं को पानी मिल सकता है और यह पीने के पानी के काम में आ सकता है। सभापति जी, आपकी मार्फत मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इस अकाल की स्थिति के अन्दर जो छोटे छोटे नहरों के काम हैं, वह सरकार अपने हाथ में लें। अमरपुरा से नोका तक नहर के काम पर मजदूरों को सड़क के काम पर लगाने के बजाय, दूसरे कामों में लगाने के बजाय लगा दिया जाय और इस लिफ्ट इरिगेशन के काम की, अमरपुरा से नोखा की नहर के काम को कर दिया जाय तो वह बहुत बड़ा काम होगा और आगे आने वाले अकाल पर काबू पाने के लिए अच्छा काम होगा। मेरा निवेदन है कि इसको चालू किया जाय।

माननीय सभापति जी, खासतौर से यह वह मुद्दा है, जिस पर राजस्थान की जनता को आजादी मिलने के बाद पिछले लम्बे अर्से से अब तक सरकार काबू नहीं पा

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

सकी है। अगर इस पर काबू पायेगी तो केवल वह राजस्थान केनाल है। राजस्थान के अन्दर से ही नहीं, हिन्दुस्तान के अन्दर से अकाल को खतम करना है तो जल्दी से जल्दी राजस्थान केनाल को पूरा जोर लगा कर पूरा किया जाय। इससे राजस्थान में पड़ने वाला अकाल हमेशा के लिए खत्म होगा और राजस्थान की जनता को ही नही पूरे हिन्दुस्तान की जनता को खाने के लिए अनाज दे सकेगें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक छोटा सा सुझाव और है। बीकानेर जिले के अन्दर आर टी. बी. के 17-18 ट्यूब वैल पड़े हुए हैं बेकार। इनको चालू किया जाय तो इनका पानी केवल पशुओं के पीने के काम में ही नहीं आने वाला है, बल्कि उससे पशुओं को चराने के लिए चारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। यह 17-18 ट्यूब वैल हैं, यह सात आठ साल से बन्द पड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन कुओं को जल्दी से जल्दी चालू किया जाय ताकि अकाल के समय में इनका उपयोग कर सकें।

श्री सभापति : श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने फेमिन की समस्याओं से सदन को काफी अवगत कराया है। मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री ने भी जो अवगत कराया है उससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार इसके प्रति काफी जागरूक है, परन्तु जो साधनों की बात हुई है वह यह है कि अर्थ का अभाव है जिसे मुख्य मंत्रीजी ने भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि राज्य सरकार की दशा अर्थ व्यवस्था की हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो अकाल की समस्या है, उसका समाधान करने में सम्भवतया आसानी नहीं होगी और हमको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और केन्द्रीय सरकार जब तक मदद नहीं करे तब तक इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अक्षमता प्रकट की है। यह बहुत चिन्ता का विषय है और साथ में राज्य सरकार के लिए भी अशोभनीय बात होगी। ऐसे अवसर पर भी अपना कर्तव्य राज्य सरकार नहीं निभा सकती हैं और जनता को राहत नहीं पहुंचा सकती है तो राज्य सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अर्थ व्यवस्था का प्रश्न है यह बहुत गम्भीर है परन्तु फिर भी चाहे केन्द्रीय सरकार से निपटना पड़ेगा या अपने रिसोर्सेज से इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, उसके पहले इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी अर्थ-व्यवस्था इससे निपटने के लिए सुदृढ़ है। इसके अलावा 10 करोड़ का बजट में प्रावधान रखने की बात कही है। यह बात सत्य है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, और जो अकाल से प्रभावित इलाके हैं, जहां मजदूरी मुहैया करने की आवश्यकता पड़ रही है, वहां पर तत्काल राहत कार्य चालू करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ साथ राहत कार्य चालू करने में जो आधार रहता है वह गस्त गिरदावरी रहता है। गस्त गिरदावरी पटवारी करता है उसमें बाधायें आती हैं। प्रश्न-काल में उत्तर दिया था, गिरदावरी के आधार पर। यद्यपि गिरदावरी के आधार पर अकाल से प्रभावित गांव थे किंतु राज्य सरकार ने नहीं किया और यही आशंका भविष्य के लिए भी होती है कि गश्त गिरदावरी का बहाना देकर सरकार समय निकालेगी, अर्थाभाव का बहाना देकर समय निकालेगी, तो

(श्री प्रतापसिंह)

इस तरह से हम जनता के प्रति न्याय नहीं कर सकेंगे। हमारी अर्थ-व्यवस्था और गिरदावरी रेकार्ड को सही करके राहत कार्यों को समय पर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा राहत कार्य चालू करने की आपकी योजना में टेक्नोक्रेट्स के द्वारा बाधा उपस्थित हो जाती हैं और अपने तरीके से जो एस्टीमेट्स होते हैं, सर्वे होते हैं, समय पर आपको सबमिट नहीं करते और जैसे मंत्री महोदय ने सदन में कहा कि राज्य सरकार को जो कुछ योजनायें बनानी हैं इसके लिए जिलास्तर पर उनके टेक्नीशन्स को आदेश दे दिए है किंतु इसमें आवश्यकता इस बात की है कि समय निश्चित कर दें क्योंकि यह इमर्जेन्सी का प्रश्न है और इमर्जेंसी को दृष्टिगत करते हुए योजनायें उसी तरह से निश्चित समय में बनवाई जानी चाहिएं और कार्य प्रारम्भ कराने चाहिएं।

इसके अलावा राज्य मन्त्री ने जो अकाल के सम्बन्ध में बताया विभिन्न तहसीलों और जिलों के संबंध में, उस बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले की ब्यावर तहसील को आपने सामान्य स्थिति का माना है, यह जो आपके पास रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है। कई सर्किल्स में यद्यपि सामान्य वर्षों से अधिक हुई किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वहां फसल भी अच्छी हो गई हो या सामान्य स्तर की हो गई हो, अधिक वर्षा होने से जुलाई महीने में बुवाई नहीं हो पाई और बुवाई का समय पूरा निकल गया; खेत यूं के यूं खाली पाए गए। स्थिति यह है कि पैदावार नहीं होगी और अकाल की स्थिति बनी हुई है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका भी सही तरीके से मूल्यांकन करवायें। जहां अधिक बारिश हुई है वहां फसल अच्छी है, अगर नहीं है तो स्वाभाविक है कि वहां अकाल की हालत है और वहां जनता मजदूरी के लिए अपेक्षा रखती है। मैं समझता हूं इसके लिए सरकार पूरी तरह से सचेष्ट होकर कार्य करेगी और आपरेशन्स चालू होते हैं उसके पश्चात जो मुख्य बात सामने आती है वह यह है कि आप अनस्किल्ड लेबर से कितना टास्क लेंगे। इसके लिए कोई मापदण्ड निश्चित करते हैं तो वह प्रेक्टीकेबल होना चाहिए। पिछले अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मापदण्ड रखा जाता हैं अनस्किल्ड लेबर के लिए जो कार्य होने की क्षमता होती है उससे कहीं अधिक रख दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि उन पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है और विवाद पैदा हो जाते हैं और जो लाभ मजदूरों को मिलना चाहिए वह न मिलकर बिचौलिये जो अधिकारी हैं उनको मिल जाता है तो उस को एवाइड करने के लिए आप टास्क का मापदण्ड निश्चित करे, वह प्रैक्टीकल कार्य को ध्यान में रखते हुए ही निश्चित करें तो अधिक सुविधाजनक होगा। इसके लिए जो व्यवहारिक कार्य मजदूर कर सकते है उसको ध्यान में रखते हुए वह मापदण्ड निश्चित करना चाहिए।

भुगतान के बारे में निवेदन है कि पुन: अकाल की स्थिति पैदा हो गई है लेकिन अजमेर जिले में जो पिछले राहत कार्य चल रहे थे उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उनको भी निपटाने की घोषणा कर दें।

अकाल के प्रश्न पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरा ध्यानाकर्षण

(श्री प्रतापसिंह)

प्रस्ताव किशनगढ़ जल समस्या के बारे में है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कि जो जल प्रदाय की व्यवस्था है, उसमें मैंने उल्लेख किया था कि वहां जल उपलब्ध होते हुए भी अव्यवस्था होने के कारण वहां सुचारुरूप से जल उपलब्ध नहीं हो रहा है जब कि मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि वहां जल उपलब्ध है और ट्रान्सफार्मर जल गया था उसके कारण अव्यवस्था हो गई थी। यह ट्रान्सफार्मर तो विगत महीने में जला है परन्तु इससे पहले ही जल प्रदाय की शिकायत है उसको दूर नहीं किया गया और स्टाफ की जो कमी है उसे भी सरकार ने पूरा नहीं किया है यद्यपि मैंने बार बार सदन में स्थगन प्रस्तावों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए, प्रश्नों के जरिए इस प्रश्न को उठाया है, फिर भी सरकार गम्भीररूप से नहीं ले रही है, इसका परिणाम यह होगा किसी दिन जनता के आक्रोश से यहां कोई दुर्घटना घट सकती है और आपका विभाग भी राज्य सरकार को इस बिन्दु पर गलतफहमी में रख रहा है, वहां जल उपलब्ध होते हुए भी केवल व्यवस्था की कमी के कारण सरकार उसको ठीक नहीं कर रही है, यह जनता के प्रति न्यायसंगत बात नहीं है। वहां जो हाई लेविल की लोकल्टीज हैं उनमें भी और खासतौर से जो हरिजनों की लोकल्टीज हैं किसी प्रकार की जल प्रदाय की सुविधायें नहीं दी गई हैं। इसके साथ में वहां अनहाइजनिक पानी दिया जा रहा है जो जनता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। वहां आपने प्लांट भेजा उसको भी 6-8 महीने हो गए परन्तु उसकी फिटिंग करने के जो मिकेनिक्स हैं वे नहीं पहुंच रहे हैं इसलिए वह यूं का यूं पड़ा हुआ है और किसी तरह का उपयोग नहीं हो रहा है। तो आप उसको तुरन्त फिट करवाने की व्यवस्था करवायें और जनता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी उपलब्ध कराने का कार्य करें।

श्री सभापति : श्री महेंद्र कुमार।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) : सभापति महोदय, मैं डूंगरपुर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिलों में बरसात न होने से भयंकर स्थिति पैदा हो गई थी लेकिन आज यह खबर सुनी कि वहां बरसात हो गई है, बड़ी खुशी हुई। इससे लोगों में जो अशांति फैल गई थी उससे उनमें हिम्मत बन गई लेकिन खाली बरसात हो जाने से वहां अकाल की जो हालत है वह खतम नहीं हुई है। फसल लोगों ने बोई थी, एक बार बरसात हुई थी, वह भी अच्छी नहीं थी, कहीं मक्का उगा था कहीं नहीं उगा था। ऐसी हालत में साधारण फसल रही हैं। जो फसल थी कम से कम $1\frac{1}{2}$ महीना बरसात न होने से सूख गई है। जो बरसात अभी पड़ी है उससे खरीफ की फसल को लाभ नहीं हुआ है क्योंकि अभी न तो मक्का बोया जा सकता है न धान इसलिये अभी कहीं फसल रह भी गई होगी तो वह दो महीने बाद में अनाज दे सकेगी, इसलिए दो महीने तक जब तक नई फसल का अनाज नहीं आजाए तब तक सरकार को मजदूरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, अगर मजदूरी की व्यवस्था नहीं की गयी तो वहां पर लोगों की हालत खराब हो गयी है और लोग भूख से

(श्री महेन्द्रकुमार)

मर जायेंगे। सभापति महोदय, आज पिछले दो महीनों से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के आदिवासी लोगों की हालत बहुत खराब है। लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है बरसात नहीं होने से वहां पर घास भी नहीं पैदा हुआ है उसका नतीजा यह हुआ है कि मवेशी भूख से मर रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इधर तो बरसात नहीं हुई और उधर लोगों की फसल नहीं हुई। आज लोगों के पास वहां पर मजदूरी करने को कोई काम नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी काम दिलावें ताकि वे लोग मजदूरी करके अपना पेट पाल सकें। सभापति महोदय, अभी आज हमें एक सूचना मिली है कि डूंगरपुर क्षेत्र में काफी अच्छी वर्षा हुई है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ घास वगैरह पैदा होगा तथा कुछ फसल भी होगी। लेकिन इसके लिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि कहीं आप इस बरसात से जो बुवाई की गयी है उसकी गिरदावरी करालें और उस गिरदावरी को आंक कर ही वहां अकाल घोषित नहीं करें। सभापति महोदय, अभी ठीक है आज बरसात हुई है लेकिन अगर आगे बरसात नहीं हो तो क्या पता वहां के लोगों की क्या हालत हो। आप तो गिरदावरी कराकर इस बरसात से इस फसल को ही अच्छी मान लेंगे लेकिन यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। अगर आगे बरसात नहीं हुई तो सभापति महोदय, आप यह निश्चय जानें कि वहां पर भीषण अकाल पड़ेगा और लोग भूख से तड़फ तड़फ कर मर जायेंगे। सभापति महोदय, अभी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जो खरीफ की फसल है उसके तो होने के आसार बहुत ही कम हैं लेकिन इस बरसात से अगर आगे थोड़ी बरसात और हो जाये तो रबी की फसल अच्छी हो सकती है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन है कि वहां पर चूंकि अकाल सा ही हो गया है इसलिये वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जायं ताकि जो भी लोग आज वहां बेकार बैठे हैं वह कुछ मजदूरी करके अपना पेट पाल सकें। अन्यथा सभापति महोदय, ऐसी स्थिति सी बन गयी है कि लोग कोयला लकड़ी व और चीजें उठाकर मजदूरी करने के लिये 15-20 मील तक चले जाते हैं और उससे जो भी रुपया आठ आने उन्हें मिलती है उससे अपना पेट पालते हैं सभापति महोदय, कई लोग तो आज भी भूखे ही रहते हैं। ऐसा भी हो रहा है कि लोग वहां पर काम नहीं मिलने के कारण अपने सामान वगैरह लेकर आगे अहमदाबाद की तरफ निकल गये हैं काम के लिये ताकि वहां पर मजदूरी करके अपना पेट पाल सकें। इसलिये मेरा सभापति महोदय, आपके मारफत अकाल मन्त्री जी से यह निवेदन है कि वहां जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य वहां पर खोले जायं ताकि वह लोग अपने जिले से बाहर जाने से रुकें। इसके साथ साथ मैं यह भी उनसे निवेदन करूंगा कि आज पिछले कई अर्से से वहां पर अनाज की दुकानों पर अनाज नहीं आ रहा है। आज ही मेरे पास डूंगरपुर के प्रधान की चिट्ठी आयी है उसमें उन्होंने लिखा है कि अनाज की दुकानों पर अनाज बिलकुल नहीं है और लोग भूखे मर रहे हैं सभापति महोदय, उन्होंने लिखा है कि आप जल्दी से जल्दी राज्य सरकार से आदेश करावें कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी अनाज पहुंचे।

(श्री महेन्द्रकुमार)

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले अकाल के समय वहां पर कई अकाल राहत कार्य खोले गये थे जिनमें लोगों के पैसे वहां पर बाकी रह गये हैं उन्हें आज तक पेमेन्ट नहीं किया गया सभापति महोदय, उस जमाने के जो वहां तालाब वगैरह बनाये गये थे या जो तालाब थे और उनकी हालत खराब थी उन्हें जो अकाल विभाग द्वारा और इरिगेशन विभाग द्वारा काम कराया जा रहा था उसमें जब लोगों को पेमेन्ट नहीं हुआ तो उस दरमियान में ही लोगों ने बनिये से करीब 8 हजार रुपये की मक्का उन लोगों को खाने के लिये उधर दिलाई गयी थी कि जब इनका पेमेन्ट इन्हें मिलेगा तब यह उसको पैसे का चुकारा कर देंगे। लेकिन किसी कारणवश ऐसी स्थिति बन गयी सभापति महोदय, कि विभाग वाले उन्हें उस कार्य के लिये पूरे पैसे मजदूरों के देने को तैयार नहीं थे। वह उन्हें अधूरे पैसे ही दे रहे थे जिन्होंने उसे लेने को इन्कार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वह रकम वापिस राज्य सरकार के पास जमा हो गयी इसके बारे में काफी लिखा पढी की गई लेकिन अभी तक उन लोगों को पेमेन्ट नहीं हुआ। अब वहां पर जो बनिये से उधार लेकर मक्का 8 हजार रुपये की लेकर उन आदिवासी लोगों को खाने के लिये दी गयी वह अब चुकारा कैसे होगा। सभापति महोदय, अब उन लोगों को जो कि करीब दो सौ हैं अगर उन्हें पेमेन्ट नहीं हुआ तो तो क्या उन लोगों के घर बेच कर दिये जायेंगे क्या।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिये मेरा निवेदन है कि सभापति महोदय, उन लोगों को पेमेन्ट दिलाया जाये ताकि वह लोग बनिये के पैसे चुका सकें तथा अपना पेट पाल सकें। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो मजदूरी उनको दी जाती है वह उन्हें पूरी नहीं पड़ती है। सभापति महोदय, आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जिले के व्योपारी हैं वह वहां से चावल वगैरह बाहर भेजते हैं उनकी निकासी बन्द की जानी चाहिये। इसको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। और वहां पर उसे उसी जिले के लोगों को मिले ऐसी व्यवस्था हो। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि जिले में ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत कार्य खोले जायें ताकि लोगों को मजदूरी मिले व अनाज की दुकानें भी ज्यादा से ज्यादा खोली जानी चाहियें। अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहां की जनता की हालत बहुत ही खराब हो जायेगी। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल। आप थोड़ा सीमित बोलें।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पहले बोललूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करलें। आपका भी नम्बर आयेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बिलकुल ही सीमित बोलूंगा।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, मुझे अगर आप पहले बोलने की आज्ञा दें तो उचित रहेगा। मुझे बुखार हो रहा है।

श्री सभापति : आपको बुखार हो रहा है तो आप बोल लें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : ठीक है कोई बात नहीं। स्वास्थ्य का प्रश्न है।

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जिला भीलवाड़ा ऐसा जिला है जो कि दो दो तरफ से अभागा है। इसके लिये सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राज्य सरकार के जो खाद्य मन्त्री हैं वह हमारे जिले के हैं वह हमारे जिले का विकास तो करना चाहते हैं लेकिन जब कभी हमारे यहां पर अकाल की बात आती है तो वह सबसे पहले फूड प्रोक्योरमेन्ट की बात करते हैं। सभापति महोदय, फूड प्रोक्योरमेन्ट की बात करना अच्छी बात है। लेकिन अनाज नहीं होने से प्रोक्योरमेन्ट नहीं होता है। तथा दूसरे हमारे यहां पर अकाल राहत कार्य भी नहीं खोले जाते हैं। सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ही कुड नोट डिलिवर गुड्स। अब चूंकि अकाल है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे यहां पर पूरे अकाल राहत कार्यक्रम शुरू नहीं किये गये तो वहां की जनता काफी परेशान हो जायेगी। मेरा अकाल राहत मन्त्री से यह निवेदन है कि वह विकास कार्य खोलने के लिये यह भी ध्यान रखें कि वह सिर्फ अपनी कोन्स्टीट्यूएन्सी तक ही विकास कार्य खोलने के लिये सीमित नहीं रहे। सभापति महोदय, आज वहां बरसात ज्यादा होने की वजह से फसल नष्ट होगई है, तालाब टूट गये हैं, फसल ज्यादा बरसात से जल गयी है खरीफ की फसल कुछ हुई नहीं इसके बाद में जो रबी की फसल है उसके दावा लग गया।

(म. प. 1.56 बजे)

श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष, पदासीन।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचना देता हूं कि आज सदन की कार्यवाही के मध्य में लगभग 2.40 बजे दर्शक दीर्घा से श्री भंवरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह चारण, श्री लीलाधर शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा, श्री प्रेम रतन महर्षि पुत्र श्री गौरी शंकर एवं महेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री सूर्यनारायण शर्मा ने नारे लगाये इनमें से श्री महेशचन्द्र शर्मा ने एक पर्चा भी सदन में फेंका। ये चारों व्यक्ति आयुर्वेदिक कालेज के छात्र हैं। इन्होंने जो नारे लगाये वह इस प्रकार थे :—

आयुर्वेदिक अमर रहे।

इन्कलाब जिन्दाबाद।

छात्रावास भूमि पर अवैध कब्जा हटाया जाय।

हमारी मांगे पूरी हों।

इन चारों व्यक्तियों को वाच एण्ड वार्ड स्टाफ द्वारा सुरक्षा में ले लिया गया। मैंने इन चारों व्यक्तियों को अपने कक्ष में बुलाकर उनसे आवश्यक जानकारी की तथा उनके बयान अभिलिखित किये। इन्होंने अपने बयानों में यह कहा है कि उनका इरादा सदन की कार्यवाही में बाधा डालने अथवा उसका अपमान करने का नहीं था। वे अपनी इस मांग को लेकर विधान सभा में आये थे कि छात्रावास भूमि पर से अवैध हटाया जाये और इस ओर वे जन प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते

Page No 116

116

(श्री अध्यक्ष)

थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे कार्य उन्होंने मजबूर होकर इसलिये किया है कि राज्य के संबंधित अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे अपने इस कार्य पर न तो कोई खेद प्रकट करते हैं और ना ही क्षमा मांगने को तैयार हैं।

मैं चाहता हूं कि सदन इस विषय पर उचित निर्णय लें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिये बढा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 8 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी)

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में चार आयुर्वेद छात्रों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की। जब उनसे इस बारे में अफसोस जाहिर करने और क्षमा मांगने के लिये कहा गया तो उन्होंने इससे इन्कार कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर उन लोगों को किसी प्रकार के ग्रिवेन्सेज थे तो उन्हें चाहिये था कि वह उसके उचित कार्यवाही करते। लेकिन उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया वह अच्छा नहीं था। अगर उनको किसी प्रकार की भी शिकायत थी अपने छात्रावास की भूमि के लिये तो उन्हें आयुर्वेद मन्त्री या आयुर्वेद डाइरेक्टर से जाकर मिल कर अपनी शिकायत पेश करते तो मैं समझता हूं कि वह उस पर निश्चित कार्यवाही करते। अगर इस प्रकार से सदन में हरएक व्यक्ति अपनी छोटी 2 शिकायतों को लेकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालना शुरू कर देंगे, पिछले दो तीन दिनों में तो एक धारणा सी बन गयी है लोगों की, तो निश्चितरूप से सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ेगी। और जो लोग अपनी शिकायतें आमतौर पर लेकर आते हैं और जहां कहीं सुनवाई न हो और हर सुनवाई के लिये विधान सभा को प्रांगण मुकर्रर कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जावेगा।

चूंकि आज आखिरी दिन है और अपने काफी लम्बे समय के लिये सदन की कार्यवाही समाप्त कर रहे हैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको सजा तो अवश्य मिलनी चाहिये और मैं यह समझता हूं कि उनको आज की ही सजा देकर इनको क्षमा कर दिया जाय। उसके लिये मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको श्री भंवरसिंह, श्री लीलाधर शर्मा, श्री प्रेमरतन महर्षी एवं महेशचन्द्र शर्मा जिन्होंने आज 2.40 पर दर्शक दीर्घा में नारे लगाये और पर्चे फेंके जिनको वाच एन्ड वार्ड द्वारा तत्काल हिरासत में लिया गया। उन्होंने अपराध किया। सदन के अपराधी हैं। सदन आगे संकल्प करता है कि श्री भंवरसिंह, श्री लीलाधर शर्मा, श्री प्रेमरतन महर्षी एवं श्री महेशचन्द्र शर्मा को आज सदन की बैठक समाप्त होने तक सशस्त्र परिचारक विधान सभा की अभिरक्षा में रखा जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सायंकाल जो अपनी कार्यवाही चल रही है तब तक के लिये सजा देने का मुख्य सचेतक जी ने प्रस्ताव रखा है। प्रश्न सजा का नहीं है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हम इस बात की यह कह कर उपेक्षा करते हैं कि अधिकारियों के पास जाना चाहिये, डाइरेक्टर के पास, मंत्री महोदय के पास जाना चाहिये, वे वहां जाते, यह फोरम प्रोटेस्ट करने का नहीं है, अटेन्शन ड्रा करने का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तो उचित है। किन्तु सारे रास्ते जब अवरुद्ध हो जाते हैं, भटकते भटकते, सरकारी कार्यालयों में, अधिकारियों के पास, मंत्री महोदय के पास व अन्य व्यक्तियों के पास,

श्री दीपंकर : काम रोको प्रस्ताव रख देते।

श्री गुमानमल लोढ़ा (अपना भाषण जारी रखते हुए) : कोई व्यक्ति थक जाता है तब अपना धैर्य खोकर यह जानते हुए कि सदन की कार्यवाही में ध्यान आकर्षित करने से सजा हो सकती है और परसों एक व्यक्ति को 7 दिन की सजा दी गयी है, वे इतनी तैयारी करके आते हैं कि ध्यान आकर्षित करना है जिससे जेल भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पर ? क्या राज्य सरकार और मंत्री महोदय, इस पहलू पर भी ध्यान देने का कष्ट करेंगे कि हम सजा देकर अपने कर्त्तव्य को तो निभाते हैं इसमें दो राय कोई नहीं हो सकती कि सदन की गरिमा के लिये किया जाय, किन्तु कभी इस पर भी विचार किया है कि आखिर ये प्रसंग क्यों पैदा होते हैं ? छात्रावास के लिये वे कह रहे थे। किसी राजनैतिक दल की बात होती, कोई राजनैतिक बात होती तो बात दूसरी थी। किन्तु छात्रावास के लिए कठिनाई जब वे महसूस करते थे और जगह जगह भटकने के बाद भी जब उनको कहीं पर भी राहत नहीं मिली, उनकी सुनवाई नहीं हुई कि छात्रावास की भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाया जाय तो उन्होंने यहां आकर इस प्रकार सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया। क्या मन्त्री महोदय ने अवैध कब्जे को हटाने के लिये कोई प्रयास किया है ? क्या आगे करेंगे ? कौन से मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। कौन उनको रिलीफ देगा इस बात को बार बार मंत्री महोदय भूल जाते हैं और केवल यहां औपचारिकता के नाते पनिशमेंट देकर अपना कर्त्तव्य पालन कर लिया यह समझते हैं। इसलिये इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिये। यह राज्य सरकार और उसके मंत्रियों का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि दुखी आदमी पुकार लेकर आये तो उनकी सुने तो सही। छात्रावास की जमीन पर जो अवैध कब्जा है उस पर तो आप कोई कार्यवाही न करें और यहां इस औपचारिकता को पूरा करके इतिश्री करें तो यह उचित नहीं होगा। अतः मैं सत्तारूढ दल से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मानवीय पहलू पर भी ध्यान दें। इन छात्रों की यह मांग है कि छात्रावास की जमीन पर जो अवैध कब्जा है उसको हटाने को आप पूर्णरूप से कार्यवाही करें ? यह नहीं हो कि केवल औपचारिक मात्र जांच कर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लेंगे। सदन में यह बताया जाय कि जमीन पर से कब्जा हटा दिया जावेगा और छात्रों को राहत दी जावेगी। सही स्थिति का मूल्यांकन करके छात्रों को राहत पहुंचाने की कोशिश करें इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्षजी, जो मुख्य सचेतक श्री खेतसिंहजी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। खुद मंत्री महोदय हेसिटेन्ट है प्रस्ताव रखने में न ही माननीय सदस्य चाहते हैं कि हाउस को इसके लिए फोरम बनाया जाय बाहरी प्रिवान्सेज को यहां पर वेन्टीलेट करने के लिए यह खतरनाक है। हम इसको बढ़ावा नहीं दे सकते। आयुर्वेद के छात्रावास के पास एक खाली जमीन है। पहले मालीराम ने उस पर कब्जा कर लिया। फिर दूसरे ने कर लिया। किसी चौधरी ने उस पर कब्जा कर लिया। टेलीफोन की लाइन तोड़ दी। प्रिन्सिपल ने सुनवाई नहीं की। एक ही होस्टल के लिये उनके पास रास्ता है। सब जगह घूमते रहे कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही राहत मिली। लेकिन जो उन्होंने रास्ता चुना वह गलत है। तरीका गलत है। जिला प्रशासन में गये वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई और कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो विवश होकर यहां पर आगये। शिक्षा मंत्रीजी, आप मौके पर जायं और ग्रिवान्सेज को दूर करें। मैं आपके प्रस्ताव का इसी विश्वास के साथ समर्थन करता हूं।

श्री मीठालाल (लालसोट) : मुख्य सचेतकजी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह जमीन छात्रावास के लिए दी गयी थी पी. डब्ल्यू. डी. की ओर से उस पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया। वे नीचे से ऊपर तक सब अधिकारियों से मिल चुके लेकिन उनको निराशा ही मिली और आखिर में उन्होंने यह कदम उठाया। हर विभाग में सरकार की ओर से अन्याय होता है अधिकारियों की ओर से अन्याय होता है। गरीब की सुनवाई कहीं नहीं होती यदि यही रास्ता अपनाना पड़ा तो आखिर क्या होगा हाउस का ? लेकिन इस समस्या को तो आपको हल करना पड़ेगा और यदि आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आपको अगले सेशन में अधिक इसका सामना करना पड़ेगा। एक दो दफे घटना हो जावे तो कोई ऐतराज नहीं है, आपत्ति नहीं है। लोक सभा में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। परन्तु वहां ऐसी घटनाएं साल भर में एक दो होती है। यह हाउस की परम्परा रही है कि कोई आवाज, तकलीफ इस सदन में आवे तो वह हाउस की घटना होने के कारण, उसकी तुरन्त ही सम्बन्धित मंत्री महोदय, संबंधित विभाग उस पर कार्यवाही करे और आवश्यक कार्यवाही करें। परन्तु साथ ही यह बात भी है कि आवाज उठाने वालों के ध्यान में यह आजाएगा कि सदन में पर्चे फेंकने से हमारी आवाज सुन ली जाएगी तो फिर यह परम्परा निकलेगी। पहली बात यह है कि माननीय सदस्य को इस पर सोचना चाहिए और सोच समझकर ही प्रवेश पत्र दिलाने चाहिये। दूसरा अध्यक्ष महोदय से मेरा यह निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों की मार्फत ये प्रवेश पत्र दिये गये हैं उनको बुलाकर कहा जाए कि आगे के लिए वे सोच समझकर प्रवेश पत्र दें। जो प्रस्ताव माननीय खेतसिंह ने दिया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री खेतसिंह जी ने रखा है, श्री भंवर सिंह, श्री लीलाधर शर्मा, श्री प्रेमरतन महर्षी तथा श्री महेशचन्द शर्मा जिन्होंने आज 2-40 मिनिट पर सदन की दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और पर्चा फेंका है, उनको आज सदन की बैठक समाप्त होने तक सशस्त्र परिचारक, राजस्थान विधान सभा को अभिरक्षा में रखा जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री यशवन्तसिंह नाहर ने विशेषाधिकार समिति के सभापति पद एवं समिति को सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

श्री नाहर द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने से रिक्त हुए स्थान पर मैंने प्रक्रिया के नियम 180(3) के अन्तर्गत श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया है।

मैं प्रक्रिया के नियम 183 (2) के अन्तर्गत श्री रघुनाथ विश्नोई को विशेषाधिकार समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष हमारे यहां पर अतिवृष्टि हुई थी और सारी फसल नष्ट हो गयी थी। उसके बावजूद भी प्रोक्योरमेंट किया गया। लगान की वसूली भी बराबर काश्तकारों से की गयी। उसके बाद रबी की फसल आई उसमें दा लग गया जिससे फसलें नष्ट हो गईं। उसके बावजूद भी लेवी की वसूली की गयी लगान की वसूली की गयी और दूसरी तरह की वसूलियां भी किसान से बरकरार की गयी। सख्ती से वसूलियां की गयीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां पर, इस जिले में कोई आफत आती हैं लेकिन उसके बाद उसके लिए कोई रिलीफ हमको नहीं मिलता है। आसानी से नहीं मिलता। बहुत कोशिश करने के बावजूद कुछ न कुछ कसर रह जाती है। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने सदन के अन्दर यह फरमाया कि उदयपुर डिविजन के अंदर, सारे जिलों के अंदर बरसात हो गई हैं। अजमेर में भी बरसात हो गयी हैं इसलिए अकाल की चपेट से ये सारे जिले निकल गये हैं। लेकिन साथ ही इस बरसात से हमारे यहां पर नुकसान हुआ हैं, हम न तो इधर के रहे और न उधर के। हम दोनों ही जगह से चले गये। हमारी यहां की फसलों को 38 दिन के बाद पानी मिला है। 38 दिन बाद बरसात हुई लेकिन बरसात देरी से होने के कारण सारी फसलें जल गयीं अब बरसात होने से उस फसल को कोई लाभ नहीं होगा और न वहां पर दूसरी फसल बोई जा सकती है। किसान के पास न तो बीज है और न बोकर ही वह फसल को ले सकता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय।

(म. प. 5-15 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

यह बहुत ही बुरा हुआ। इस वक्त में बारिस हुई है, ठीक है आने वाली रबी की फसल से फायदा होगा बशर्ते एक दो बारिश हो। परन्तु इस बरसात से हम दोनों जगह से गये। एक तो हमारा क्षेत्र अकाल की चपट में है

(श्री विजयसिंह)

और दूसरे मुख्य मन्त्री महोदय ने फर्मा दिया है चूंकि बरसात हो गयी इसलिए अकाल की चपेट से निकल गये। वहां पर अकाल है और आज भी वहां पर यह स्थिति है जैसी कि आज से पांच दिन पहले थी। एक और निवेदन है। राज्य सरकार को खासतौर से इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि यदि कार्य ईमानदारी, सही ढंग से हो तो हमारे जिले को रिलीफ मिल सकती है। इसके अन्दर पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव को इन्वोल्व करे। सरपंच का नाम तो होता है लेकिन मेरा यह अनुभव है कि सरपंच के दस्तखत के बिना ही गिरदावरी हो जाती है और पटवारी वह रिपोर्ट आगे भेज देता है। उस रिपोर्ट के अन्दर वहां की हालत फसल ठीक है या नहीं वह बिना सरपंच की राय जाने बिना लिख देता है। इस प्रकार सरपंच की कोई आवाज नहीं होती है। जिला कमेटियों के अन्दर पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव होता है किन्तु उसकी आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह जरूरी है। राज्य सरकार ने यह आदेश निकाले हैं कि इनको रखा जाए किन्तु पालना नहीं हुई। पहले भी नुकसान उठाया है। अगर आज भी पालना नहीं हुई और इस बरसात का नाम लेकर हमारे यहां पर लोगों की जो असली हालत हैं, वह सरकार के सामने नहीं आएगी क्योंकि बोगस गिरदावरी होगी और वे सही हालत सरकार को रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए इस गिरदावरी में पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव्जसर पच, वार्ड पंचों को जरूर रखा जाये और यह रिपोर्ट सिर्फ पटवारी के ऊपर ही न छोड़ी जावे ...

बहुत ही कम निवेदन करना है। मुझे बुखार है। इसलिए थोड़ा ही निवेदन करूंगा।

दूसरा यह निवेदन करूंगा कि जो गांवों के प्रपोजल्स बने फेमिन रिलीफ वर्क्स के लिए उनके अन्दर पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव की वाइस रहे। जहां पर खराबा है वहां काश्तकारों को लेवी के अन्दर छूट देने का आदेश है। सरकार की ओर से इस आदेश की प्रतियां जन प्रतिनिधियों को भेजी जानी चाहिये ताकि वे जनता को उससे अवगत करा सकें और उसीके माफिक सरकारी कर्मचारी बर्ताव करें और कोई कर्मचारी काश्तकारों को तंग करे तो उनको छुटकारा दिला सकें।

एक निवेदन और करना है। पहले अतिवृष्टि के कारण कई सड़कें, तालाब पे वे टूट गये। इसलिए पहले इन पर काम लिया जाये और जो अधूरे तालाब हैं और उन पर लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं, उपयोग नहीं हो पाया है उन पर भी काम पहले लिया जाये। अनाज के लिए विशेषतौर से निवेदन करना चाहता हूं। अभी हाल ही में जोर-जबर्दस्ती से लेवी वसूल की गयी है और उन गांवों में अब अकाल है। तो मैं सरकार से यह आशा करूंगा कि कम से कम जो लेवी का अनाज उन काश्तकारों से वसूल किया गया है, उतना अनाज उनको वापिस दे दें। चाहे एक एक किलो ही दें ताकि उनको कुछ राहत मिले और सरकार के प्रति भी उनका असन्तोष न बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि निषेध विधेयक, 1973 के अन्तर्गत गठित प्रवर समिति में निम्नलिखित माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्यों के नाम और जोड़े गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. श्री गुमानलाल लोढ़ा,
2. श्री अब्दुल हादी
3. श्री गुरुदयालसिंह सन्धु
4. श्री रघुनाथ विश्नोई

इस प्रकार प्रवर समिति की कुल सदस्य संख्या 15 होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की समस्या हर साल उत्पन्न होती है। अकाल की समस्या का समाधान करने के लिए सभी विपक्षी दलों का सहयोग लेना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समस्या का निदान भी राजनैतिक आधार पर किया जाता है। दो सौ करोड़ इस योजना पर खर्च हो गये। दो सौ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार ने दिये। इस राशि की देनदारी और इसके ब्याज की देनदारी राजस्थान की जनता पर है। अन्य राज्य महाराष्ट्र, गुजरात ने इस समस्या को हल करने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनायी हैं परन्तु राजस्थान ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। 68-69 में राजस्थान में एक केन्द्रीय अध्ययन दल आया था और उसने भी अपना यह मत व्यक्त किया था कि राजस्थान में अकाल राहत कार्य राजनैतिक आधार पर खोले गये हैं फिर अकाल राहत कार्य के जरिये स्थायी हल किस प्रकार से निकाला जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे पहलू पर ध्यान करने के लिए, यह कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान की बात है। केन्द्रीय सरकार को अपना पक्ष मजबूती से रखना है तो मैं समझता हूं कि यह सम्पूर्ण सदन एक मत है इस बात के लिए। केन्द्रीय सरकार से 28.11 करोड़ रुपये मांगे गये और उसने केवल 4.41 करोड़ रुपये ही देने की बात कही। राजस्थान सरकार ने जब केन्द्रीय सरकार के सामने अपना पक्ष अनाज लेने के लिये रखा तो केन्द्रीय सरकार ने कितना अनाज राजस्थान सरकार को चाहिये था वह नहीं दिया। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मान-लीजिये जितनी मक्का का कोटा केन्द्रीय सरकार ने हमको दिया था वह भी वैगनों के अभाव में नहीं उठा सके और वह भी लैप्स हो गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं पंचम पंचवर्षीय योजना में अकाल के स्थायी हल करने के लिये, इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिये राजस्थान की जो नहर है, इस योजना को अपने हाथ में लिया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार पर पूरा जोर डालना चाहिये और यदि यह कार्यवाही भारत सरकार करे तो मैं समझता हूं इस नहर को पूरी करने के लिये हमें मदद मिले और अकाल का स्थायीरूप से हल हो जायगा। इस प्रकार अकाल हमेशा के लिये समाप्त हो जायगा।

प्रारम्भ में राजस्थान नहर को कान्डला बन्दरगाह तक ले जाने की योजना थी। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने कहा था, इस नहर में नौकायें चलेंगी नौका चलना तो दूर अब पानी का प्रवाह भी नहीं है और वह पानी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

भी दूसरे प्रान्तों को वापिस जा रहा है । केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में पुनः विचार करना चाहिये । कड़ाना, माही और नर्मदा इस सारे पानी को जितनी तीव्र गति से सूखे वाले इलाकों में पहुंचा सकेंगे तभी अकाल की स्थिति हल हो सकेगी । आज जो अन्य राज्य-महाराष्ट्र ने देश की प्रधान मंत्री पर अपना प्रभाव डाला और प्रभाव डालने के कारण केन्द्रीय सरकार ने अकाल राहत के कार्य अपने हाथ में लिये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार सदन की भावना को लेकर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले और जो जोधपुर से बाड़मेर वाली, रतलाम से बांसवाड़ा, महाराष्ट्र से हरियाणा, कोटा से चित्तौड़ और अहमदाबाद से दिल्ली जो ब्राड गेज बदलने का काम है, जिसका सर्वे हो चुका है, जयपुर से बड़ी लाइन जोड़ने का काम जिसका भी सर्वे हो चुका है— हमारे रेल मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था, इस सारे काम को हाथ में लें तो वास्तव में इस योजना को लेने से अकाल का स्थायी हल होगा । इन रेलों के अभाव के कारण राजस्थान की जो औद्योगिक प्रगति होनी चाहिये थी, वह नहीं हो रही है और रोजगार की समस्या भी किसी हद तक हल हो सकेगी ।

इसी प्रकार खनिज पदार्थों की जिस प्रकार खोज करनी चाहिये, वह भी नहीं हो रही है । नलकूपों की खुदाई होनी चाहिये और क्षमता के आधार पर नल कूप चलाने चाहियें उस प्रकार नहीं चल रही हैं । अगर हम इनका भली प्रकार मेन्टेन नहीं करेंगे तो रेगिस्तानी इलाके में कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है । अगर रेगिस्तानी इलाके में हरी घास भी पैदा नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं । राज्य सरकार को चाहिये स्थायी अकाल राहत क्या हो सकते हैं, इस सम्बन्ध में क्या क्या होना है, जन प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर उनके जो सुझाव हैं उन सारे सुझावों के आधार पर इन सारे कार्यों को अपने हाथ में लेना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं यह तो समस्या है ही पर यहां पर लोगों के लिये, मेरा निवेदन करना है पिछले जितने अकाल राहत कार्यों में गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच करने के लिये हम बिना भेदभाव के कि कांग्रेस के कारण गड़बड़ी हो गई या फलां व्यक्ति के कारण गड़बड़ी हो गई उनके लिये एक जांच कमेटी बैठायी जानी चाहिये । मैं समझता हूं दो करोड़ रुपया पिछली बार खर्च हो गया, उसकी आडिट रिपोर्ट नहीं आई है । यदि अकाल राहत कार्यों में फावड़े, गेंतियां, डकारें मांगी जायं तो उसका भी अभाव मिलेगा । आज महाराष्ट्र और गुजरात में अकाल का स्थायी हल किया गया है । यदि हम स्थायी हल करना चाहते हैं तो लोगों को काम देना पड़ेगा । महाराष्ट्र में 10 लाख लोगों को काम दे दिया गया किन्तु हमारे राजस्थान में 5 लाख लोग बेरोजगार हैं जिसमें एक लाख को भी काम नहीं दिया गया है । जो भारत सरकार ने करोड़ों रुपया दिया, मैं समझता हूं उसमें से राजस्थान की सरकार काम नहीं दे सकती है । भारत सरकार ने

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

जिस समय पैसा दिया था अकाल राहत के नाम पर डिप्लोमा होल्डर ग्रेजुएट हैं जिनका पूल बना रखा है, उनको स्थायी काम देना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, उनको स्थायीरूप से काम न देकर अकाल राहत कार्य में लगाया गया और फिर अकाल राहत कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया। एक जगह से मिट्टी खोदी और दूसरी जगह डाल दी और जो मिट्टी एक ओर पटक दी गई थी उसके लिये दुबारा आर्डर हो गये, इसको सड़क पर पटक दिया जाय। सड़क पर से मिट्टी हटाकर फिर खड्डे खोद दिये गये। मिट्टी जगह जगह खोदी पर जो लाभ होना चाहिये था वह नहीं हुआ। वहां डिप्लोमा होल्डर्स को लगाया गया। फिर वहां से आपने जो इन्डस्ट्रीज विभाग है उसने सर्वे के काम में लगा दिया। वह इस बहाने पूरा हो जायगा। 157 लोग वे हैं और 64 वे पहले वाले पूल में उनको वापिस आना पड़ेगा। 140 डिप्लोमा होल्डर्स और 250 इंजीनियर्स को देना पड़ेगा वह भी सरकार नहीं देगी। सरकार ने निर्णय लिया है जो तीन वर्ष पूल में रह गया है उसको हटा दिया जाय इसलिये मैं समझता हूं सरकार ने इस पर विचार नहीं किया और इसका सीधा अर्थ यह है कि 157 और 64 लोग जिनको सरकार ने अकाल राहत गणना के आधार पर लगाया था 20 सितम्बर को काम समाप्त हो जायगा। अब वे सारे के सारे समाप्त हो जायेंगे। राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने जो रुपया दिया था वह इस आधार पर दिया था कि इन इंजीनियर्स को, डिप्लामा होल्डर्स को राजस्थान सरकार स्थायीरूप से काम दे देगी। जो ग्रेजुएट हैं, जो इन्जीनियर हैं, जो होनहार हैं उनको सिचाई विभाग में स्थान खाली पड़े हैं वहां पर अर्जी आमंत्रित की गई थी उसमें लगाया जा सकता है। पी.डब्ल्यू.डी. में कृषि विभाग में, अन्य विभागों में लगाया जा सकता है।

यदि सरकार इस प्रकार भारत सरकार से पैसे लेती रहे और काम न दे तो मैं समझता हूं अकाल की समस्या हल नहीं हो सकती है। अकाल के नाते मैं यह भी निवेदन करूंगा पशुओं को जितना चारा मिलना चाहिये वह नहीं मिला। चारे के अभाव में पशु कहां जायेंगे, यह कुछ पता नहीं। राजस्थान के अच्छे अच्छे पशु, दूध देने वाली बढ़िया बढ़िया गायें आस पास के प्रान्तों में भेज दी गईं। राजस्थान सरकार ने पशुओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। इस बार भी मैं नहीं समझता अकाल हो जाय, भगवान कभी ऐसा न करे लेकिन इस राजस्थान की सरकार ने पशुओं के चारे के भण्डार की आज तक कोई व्यवस्था नहीं की।

आखिरकार सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लोगों को बुलाकर इस सारे काम को करना चाहिये, क्योंकि अकाल का काम कोई एक पार्टी विशेष का नहीं है। सरकार को कमेटियां स्थापित करके अकाल राहत कार्य खोलने चाहियें। जन प्रतिनिधियों को बुलाया जाय, उनकी राय से पैसा खर्च करें तो मैं समझता हूं जो गबन और घोटालों की समस्या है वह खतम हो सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यहां मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं पुराने बान्धों की मरम्मत न कराने के कारण उन बान्धों में पानी आ जाता है। सवाई

माधोपुर और अलवर में जो पुराने बान्ध हैं, उनकी मरम्मत न होने के कारण पानी दुबारा भर गया, अलवर में पानी भर गया। अतः उन पुराने बान्धों की भी हमें मरम्मत करानी चाहिये इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार से, हरियाणा की सरकार से मिलकर जो पानी बहकर आता है उस पर भी विचार करना पड़ेगा। मैं यहां पर निवेदन करूंगा कि अगर हम इस तरह की सारी समस्याओं को हल करें तो हमारे रेगिस्तानी इलाके में भी पानी पहुंचेगा। राजस्थान नहर का जो इलाका है उस इलाके में जो दूर दूर के स्थान हैं वहां नल कूप बनाकर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये और उन इलाकों में हरियाली की व्यवस्था करनी चाहिये।

इसी प्रकार नर्मदा योजना विवादग्रस्त है उसको भी सुलझाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार गंगा और यमुना को जोड़ने का प्रयास कर रही है। यदि उसका पानी इधर-उधर बह जाता है तो हमारे प्रयत्नों की कमी ही कही जायगी। मैं समझता हूं कि बहुत कम खर्च में उसका पानी इधर आ सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं नर्मदा जो विवादग्रस्त है, माही जो निर्माणाधीन है इसके लिये सरकार को चाहिये कि जो राजस्थान सरकार ने 200 करोड़ रु० खर्च करके काम चालू किया है उसका मूलधन भी देना पड़ेगा और ब्याज भी देना पड़ेगा। तो पिछली बार जो सरकार ने गलतियां की हैं उनकी आप जांच करायें और राजस्थान की सरकार को इस स्थाई योजना के बनाने के नाते जो भी सुझाव दिये हैं उनके ऊपर अमल करके, जन-प्रतिनिधियों को बुलाकर, विभिन्न दलों को बुलाकर और विभिन्न प्रकार की समितियां बनाकर काम करें तो राजस्थान में इस समस्या का कुछ स्थाई हल हो सकेगा। और उसके नाते मैं समझता हूं कि सारे सदन का सर्वसम्मत बहुमत लिया जाये और राजस्थान की सरकार महसूस करती है तो उसे इस समस्या को

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्थाईरूप से हल करना चाहिए। बाकी मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार के सामने हमारी सरकार अपना पक्ष रखने में असमर्थ है तो सारा विरोधी दल अकाल की समस्या हल करने के लिए मुख्य मंत्रीजी के साथ जहां भी वह ले चलें धरणा देने के लिए, भूख हड़ताल के लिए, प्रधान मंत्री के पास चलने के लिए, दिल्ली चलने के लिए सारे माननीय सदस्य इस समस्या का स्थाई हल करने के लिए एक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहर सिंह।

श्री मोहर सिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने काफी देर से यह चिन्तनीय और गम्भीर अकाल का मसला आया हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल का जहां तक सवाल है राजस्थान के साथ इसका चोली और दामन का सा प्रायः संबंध बन गया है। जहां राजस्थान का नाम आता है ज्यादातर भारत के दूसरे प्राविन्सेज के अन्दर अकाल का इलाका यह गिना जाने लगा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को हमें भली प्रकार से सोच लेना चाहिए कि जितना भी

(श्री मोहरसिंह)

पैसा हम भारत सरकार से लाये और आगे लायेंगे उस सारे पैसे का बहुत अच्छी ढंग से सदुपयोग होना चाहिए। अब तक विगत में जितने अकाल पड़े उनके लिए करीब 2 अरब रुपया भारत सरकार से हमारे पास आया जिसका पाई पाई हमें चुकाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अकाल के विषय में बड़ा भारी कटु अनुभव है कि जिस प्रकार से रुपया लगाया है, जिस प्रकार से पैसा खर्च किया गया है कोई स्थाई और मजबूत चीज अकाल को हटाने के लिए इससे अब तक नहीं बन पाई है। 2 अरब रुपया उपाध्यक्ष महोदय, कम नहीं होता। नहर बनाई जाती तो इससे बहुत भारी स्थाई काम बन जाता और साथ ही साथ यही नहीं कि आर्थिक नुकसान ही इससे हुआ है बल्कि ब्याज समेत हमें यह पैसा चुकाना पड़ेगा जहां तक मैं अकाल की समस्या तक पहुंच पाया हूं जांच करने वाले अब तक जांच नहीं कर पायें हैं. वह जांच जरूर करें कि किस तरह से हमारे प्रान्त के और देश के नौजवानों का पतन इन राहत कार्यों के समय में हुआ। काम न करने की जहनियत बनी और जहनियत हमारे देश के नवयुवकों के अन्दर और प्रदेश के नवयुवकों के अन्दर फैलती रही जो कि हमारे मोरल के लिए कदापि सराहनीय चीज नहीं हो सकती।

2 अरब रुपया और काम में इस्तेमाल किया जाता तो न तो हमारे देश के नौजवानों का नैतिक पतन होता और इन इलाकों के अन्दर काम भी होता। अगर यही पैसा ट्यूबवेल के अन्दर लगा दिया जाता, नहर नजदीक से आ सकती थी तो हमें चिन्ता नहीं होती। आज हमारे 7-8 जिलों में अकाल की स्थिति हो चुकी और यदि आगे के दस पन्द्रह दिनों में बरसात नहीं होगी तो ज्यादातर जिलों में यह स्थिति आ सकती है। जहां जहां हरियाणे का इलाका लगता है, जहां जहां भी जिस इलाके में दूसरे प्राविन्सेज का नहर आ सकती तो उनका इस्तेमाल हमें किया जाना चाहिए था। उस पैसे का सही यूटीलाइजेशन होता, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि यह सब कुछ नहीं किया गया। हमेशा के लिए इस समस्या को मिटाने के लिए हमें कटिबद्ध हो जाना चाहिए। इसमें पार्टीज का सवाल नहीं है। सारे सदन को गम्भीरता से सोचना चाहिए कि राजस्थान के साथ यह जो बड़ी भारी समस्या जुड़ी हुई है यह हमारे लिए बहुत ही अभिशाप की चीज है। इसलिए हमें खासतौर से समस्या का समाधान स्थाई करना चाहिए। इसके लिए जैसे भी बन सके क्योंकि हमारे यहां अनइरिगेटेड इलाका ज्यादातर पानी की कमी की वजह से और कम बरसात होने की वजह से अकाल का प्रकोप होता है इसलिए हम ज्यादातर बादलों की तरफ नहीं देखते रहें। इसके लिए किसी भी तरह से पानी का इलाका बनाकर, इरिगेटेड इलाका बनाकर यदि हम काम करें तो ही कामयाब हो सकते हैं। नहर जहां से भी उपलब्ध हो सके नहर लाई जाये। ट्यूबवेल का इन्तजाम हो सके तो उसका इन्तजाम किया जाये और राहत के कामों के लिए भी हम पैसा भारत सरकार से लायें और ज्यादा से ज्यादा जोर देकर लायें इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके लिए आयन्दा हमारी मनोभावना यह होनी चाहिए कि वह पैसा स्थाईरूप से अकाल की समस्या को हल करने के

(श्री मोहरसिंह)

काम में लगाया जाये और ट्यूबवैल के अन्दर सबसे पहले और उसके बाद में छोटी-मोटी नहर बनाई जाये। हरियाणा के इलाके से कुछ एम. एल. ए. से और वहां के मुख्य मंत्री से तो नहीं मिल सका हूं लेकिन वह लालायित रहते हैं, उनकी भावना रहती है कि रामगढ़ और तारानगर में भी पानी जाये, लेकिन हमारी सरकार कोशिश करे तो उधर से हम नहर यहां ला सकते हैं, और भी योजनायें हैं उनके लिए स्थाईरूप से विचार करना चाहिए कि यह समस्या जो दानव रूप में खड़ी रहती है यह सदा के लिए मिटाने के लिए स्थाईरूप से ज्यादा से ज्यादा अच्छी योजना बनानी चाहिए। आइन्दा और भी किसी तरह से अगाऊ पैसा लेकर टिकाऊ रूप से काम हो सके वह करना चाहिए जिससे कि हमेशा के लिए अकाल की समस्या हल हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ट्यूबवैल के बारे में ज्यादा जोर देता हूं। भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा लाया जाय और पीछे पीछे जो हमने गलतियां की हैं और ज्यादा पैसा अपव्यय किया गया उनके लिए जांच होनी चाहिए जिससे कि आयन्दा गड़बड़ियां न हों और साथ ही साथ कई जिलों की ऐसी शिकायतें भी हैं कि अभी तक लोगों को पैसा नहीं मिला। यह समस्या है जिसके लिए आगे के लिए ज्यादा से ज्यादा इस समस्या को सदा के लिए न रहे ऐसे रूप से पैसे का सदुपयोग करें। इन शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह चाह रहा हूं, मेरी यह मान्यता है कि भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा रुपया इस समस्या को हल करने के लिए लाया जाये और सही ढंग से टिकाऊ कामों पर ही खर्च किया जाय। फिजूल में मिट्टी उठाई जाय और सड़कें बनें नहीं ऐसे कामों में पैसा खराब न किया जाय। प्राथमिकता पानी के इन्तजाम को दी जाये और नम्बर दो सड़कों के कामों को लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस राजस्थान विद्युत् मण्डल की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए व्यग्र है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया कि राजस्थान में इस समय अकाल की स्थिति के कारण हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भय है कि छठे वित्त कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात् हम राजस्थान में अकाल की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार कितना धन दे पायेगी-हालांकि हमारे मुख्य मंत्रीजी इस बारे में काफी प्रयत्नशील हैं, लेकिन हमारी सरकार को हमारे राजस्थान के जो पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स हैं उनको भी हमारी राजस्थान की स्थिति के बारे में अवगत करा दिया जाना चाहिए ताकि वह भी पार्लियामेन्ट में इस भयानक स्थिति के बारे में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करे और राजस्थान के सामने जो आज गम्भीर संकट आ पड़ा है उसका मुकाबला करने के लिए हमें धनराशि उपलब्ध हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपने बीकानेर जिले तक ही सीमित रहकर कुछ शब्द कहना चाहता हूं, बीकानेर जिले के अन्दर पिछले वर्ष खरीफ की सामान्य फसल

(श्री भीमसेन)

थी। लेवी के अन्दर हमारे इस इलाके में बाजरी न होते हुए भी काफी काश्तकारों ने बाजार से लेकर डिफरेंस लेवी का दिया है। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बताऊं कि वहां लगान का केवल दो लाख रुपया प्रतिवर्ष लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था उसकी जगह पिछले वर्ष वहां के काश्तकारों ने पिछले वर्षों के मुकाबले पिछले वर्ष करीब चालीस लाख रुपया काश्कारों ने सरकार को चुकाया है। तो मैं समझता हूं कि काश्तकार जो पिछले पांच सालों के अकाल से पीड़ित थे, पिछले साल फसल की स्थिति ठीक होने से चुकाया और लेवी भी चुकाई। आज काश्तकारों के पास इस समय कुछ भी खाने को नहीं है। आज वहां पर पशुओं के लिए घास भी पैदा नहीं हुआ है। ऐसी हालत में सरकार को तत्काल हनुमानगढ़ का जो फोरेस्ट एरिया है उस इलाके को मवेशियों के लिए तत्काल खोलने की आवश्यकता है। अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि पशु-धन संकट में पड़ सकता है।

इसके साथ साथ मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस जिले के लोगों को राहत देने के लिए खासतौर से राजस्थान नहर के गंगटोक ब्रांच का काम शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा लिफ्ट कैनाल और डिस्ट्रिब्यूटरीज जो अधूरी पड़ी हुई हैं उनका काम भी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा पिछले अकाल में सड़कें अधूरी रह गई थीं उन सड़कों के ऊपर भी काम शुरू किया जाकर उनको पूरा किया जाना चाहिए और सड़कों का काम तत्काल हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन सारे कार्यों को हाथ में लेने से वहां के लोगों को फैमिन रिलीफ में काफी सहायता दे सकेंगे।

इसके अलावा मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि हमें लोगों को एक स्थान पर कार्य देने की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं कि जहां पर लोगों के पास मवेशी नहीं हैं वहां के लोग तो एक जगह कार्य कर सकते हैं लेकिन जो पशु-धन का इलाका है उन लोगों के लिए एक जगह पर काम करना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए इस बात की ओर भी ध्यान देकर सरकार को राहत देने की आवश्यकता है।

मैं राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि अकाल के स्थायी हल के लिए तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे इलाके में जहां राजस्थान नहर या लिफ्ट कैनाल अलग अलग आती है इसके अलावा जो हमारे गांव लगते हैं, इन इलाकों के लिए राज्य सरकार को पेय जल की व्यवस्था करनी चाहिए और पेय जल की व्यवस्था करने के साथ 2 अकाल के दौरान कभी अकाल पड़ भी जाय तो वहां पर जो बीकानेर डेयरी कायम की जा रही है, उस डेयरी के आधार पर व्यवस्था की जाय तो पशुओं के आधार पर वहां के लोग अकाल का सामना कर सकेंगे। अगर कभी अकाल पड़ जाय तो उस अकाल के दौरान हमें बीज और फोडर देकर सहायता करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि बीकानेर जिले के अन्दर वहां के लोग अपने आप अकाल के समय अपनी व्यवस्था कर सकेंगे। और उससे हमें अकाल की स्थायी व्यवस्था करने का मौका भी मिल सकेगा

(श्री भीमसेन)

इसके अलावा मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान नहर, लिफ्ट केनाल के अलावा जो गांव बच जाते हैं उन गांवों के लिए जो लिफ्ट केनाल और राजस्थान नहर केनाल से जो पेय जल की योजना बना कर भारत सरकार को भेजी हुई है उन योजनाओं को तत्काल हाथ में लेकर क्रियान्वित किया जाय जिससे कि अकाल का स्थायी हल हो सके।

इसके साथ साथ डी. पी. ए. पी. की दूसरी योजनाएं भी बनी हैं। बीकानेर जिले में अण्डर ग्राउण्ड वाटर काफी है, उस वाटर को ट्यूब वैलों के जरिये निकाल कर लिफ्ट फार्मिंग की व्यवस्था की जा सकती है, लिफ्ट फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है जिससे कि वहां के लोगों को, वहां के काश्तकारों को अकाल का सामना नहीं करना पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर जिले के लिए जैसा कि राज्य मंत्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीकानेर में फ्लड आया मैं उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि बीकानेर शहर और बीकानेर के आस पास कहीं 2 पर एक एक दिन में तीन तीन, चार चार इंच बरसात हुई और इससे काफी नुकसान हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि सारे जिले में फ्लड आया। वहां पर समस्या काफी गम्भीर है।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि बीकानेर जिले के अन्दर लोगों को राहत देने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशोरीलाल।

श्री किशोरीलाल (सलुम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के विषय पर माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके यहां तो बरसात हो गई है।

श्री किशोरीलाल : तभी तो परेशानी और हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों जिक्र करते हैं।

श्री किशोरीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उदयपुर जिले का प्रश्न है मुझे बहुत दुख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि गत सात आठ वर्षों से अकाल के इस भयंकर संकट से गुजर रहा है। जहां पहाड़ी इलाकों में आदिवासियों के पास बहुत ही कम जोतों की जमीन है और उनके लिए दूसरी उनकी कोई माली हालत सुधारने की दूसरी कोई व्यवस्था भी नहीं है। केवल खरीफ की फसल पर वह निर्भर रहते हैं। रबी तो जहां कहीं पानी है वहां होती है बाकी अधिकांश लोग खरीफ पर निर्भर हैं। इस वर्ष करीब दो माह पहले पहली वर्षा हुई उस वक्त काश्तकारों ने मक्की बोई और अपने बीज को उन्होंने डाला। लेकिन बारिश नहीं होने के कारण फसल नष्ट हो गई। दुबारा वर्षा हुई फिर फसल बोई लेकिन एक महीने तक फिर बिलकुल बरसात नहीं हुई। कोई डेढ़ इंच, दो इंच, कहीं तीन इंच तक पानी हुआ और हालत यह हुई कि फसल की उम्र निकल चुकी। अभी अभी दो दिनों में यह सूचना मिली है कि पानी पड़ा है। आखिर मानिये कि जहां दस दस इंच एक साथ बरसात हो जाय तो उस पानी का

(श्री किशोरीलाल)

क्या उपयोग हो सकता है । मैं समझता हूं कि एक दुर्बल आदमी को एक साथ

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक दिन में सेर भर घी पिला दिया जाय तो उसकी क्या हालत होगी । सिवाय इसके कि उसकी मृत्यु होगी ऐसी ही कुछ हमारी परिस्थिति हुई है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सलूम्बर, गीरवा जहां कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है मैं मानता हूं कि जयसमन्द के अन्दर गत वर्ष इतना पानी आया कि इतने बड़े नाले से 14 15 इंच पानी ज्यादा ऊपर से बहा और वहां कई गांव जलमग्न रहे । इन सब गांवों को बहुत खराबी हुई है और राज्य सरकार ने उनको सहायता भी दी और अभी तक सहायता देकर उनको जिन्दा रखा है । अभी भी खबर मिली है कि जयसमन्द के अन्दर काफी पानी आ गया है और इन गांवों को पुनः खतरा पैदा हो गया है । इनकी जमीन डूब में आ गई है और डूबने की स्थिति में आ गए हैं । गत वर्ष भी...

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : गतवर्ष की बात समाप्त हो गई, इस साल की बात कहिए ।

श्री किशोरीलाल : उसी का असर अर्ज कर रहा हूं । गत वर्ष बाढ़ से भूमि नष्ट हो गई । जिनके पास भूमि थी उनकी भूमि पर रेता बिछ गया जिससे उनके पास जो खेती का जरिया था वह भी खत्म हो गया और आज उनकी हालत खराब है और इस संकट में दयनीय हालत है । मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार जो आर्थिक संकट से बहुत चिंतित है फिर भी उन्होंने गतवर्ष में जो काम किया वह बड़ा सराहनीय रहा लेकिन इस अवस्था में इन लोगों को सहायता नहीं दी, अगर उनके यहां सहायता कार्य खोल कर मदद नहीं दी, अनाज की व्यवस्था नहीं की, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति बड़ी गम्भीर हो रही है और लोग भूखों मर जायेंगे क्योंकि खरीफ की फसल तो नष्ट हो गई, रबी का क्या होगा यह तो भविष्य ही बताएगा । इसलिए निवेदन करना है कि अभी से सहायता कार्य प्रारम्भ किए जायें और उदयपुर जिले में जहां.......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अनाज की व्यवस्था नहीं है वहां मुकम्मिल व्यवस्था की जाय ।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घन्टी)

मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि उन गरीबों के लिए, जहां किसान हैं, वहां अगर उनकी जल्दी सुनवाई नहीं हुई, अनाज की व्यवस्था नहीं हुई तो हालत बहुत खराब हो सकती है । उदयपुर जिला बहुत ही गत बीस वर्षों से अकाल में पीड़ित रहा है, इस लिए मैं मानता हूं कि हमारी राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दे और राहत कार्य और अनाज की मुकम्मिल व्यवस्था करे ।

श्री देवीलाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री देवीलाल : इस अकाल पर मेरे क्षेत्र के बारे में मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । कुछ नियमों को भी पढ़ कर आए हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय व्ययक पर अग्रेतर विचार ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय व्ययक (बजट) 1974-75 पर अग्रेतर विचार

श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले पण्डित जी बोल लें तब तक मैं अपनी सीट पर पहुंच जाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, (उपाध्यक्ष महोदय) कई वर्ष के बाद इस सदन की विद्युत मण्डल की स्थिति और बजट की सम्भावनाओं पर विचार का मौका मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि आज राजस्थान की कुछ समस्यायें हैं उन समस्याओं के निराकरण का एक ही रास्ता है कि जो राज्य के ऐसे इलाके हैं जहां खेती की सम्भावना है और पैदावार बढ़ाने के लिए जो सबसे उपयुक्त साधन हो सकते हैं, उसके लिए राज्य सरकार को बिजली के विस्तार के लिए जो भी सम्भव कार्यक्रम बना सके, बनाना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि हमारी गति राजस्थान की समस्याओं को देखते हुए, राजस्थान के हालात को देखते हुए हमारी बिजली की जो गति है वह बहुत धीमी है और इस दृष्टि से हम राजस्थान के लिए बहुत कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का एक इलाका ऐसा है जहां निरंतर अकाल की स्थिति रहती है और अकाल की वजह से हमारे राज्य के राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा किसी न किसी प्रकार से उस क्षेत्र में खर्च करना पड़ता है। आज जो सारे देश की हालत है उसमें हम यह भी मान कर नहीं चल सकते कि केन्द्रीय सरकार राज्यों के लिए मदद देती रहेगी। मदद दी गई है जरूरत पड़ने पर लेकिन इस तरह से राजस्थान के विकास की दृष्टि से हमें यह मान कर नही चल सकते कि सारे मामलों को केन्द्र पर छोड़ दें। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से कहना है कि हमें राजस्थान के विकास की सम्भावनाओं की दृष्टि से भी विद्युत का विकास करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। खासतौर से राजस्थान के पूर्वी जिले जहां कि खेती की सम्भावना अधिक है, पानी उपलब्ध है, जमीन भी ठीक है तो हमें योजना बना कर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे काम करें जिससे पूर्वी क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और पैदावार बढ़े। इससे पश्चिमी क्षेत्र को भी मदद मिलेगी। हमको यह देखना चाहिए कि जो विद्युत मण्डल के कार्य की गति है उससे कोई बहुत बड़े विकास हो जाने की सम्भावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे विकास का एक जैसा पैटर्न नहीं होना चाहिये। अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाये जाने चाहियें। राज्य सरकार को दो तीन चरणों में यह फैसला करना चाहिये कि राजस्थान के जिन गांवों में खेती के लिए

(श्री रामकिशन)

बिजली जरूरी है उनको बिजली देनी चाहिए और इस निर्णय को राज्य सरकार को राजनीति मे नहीं जोड़ना चाहिये। अगर इन प्रश्नों को राजनीति से जोड़ा जाएगा तो न तो पश्चिम क्षेत्रों का कल्याण होगा और न पूर्वी क्षेत्रों का ही कल्याण होगा। अगर राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में बिजली लगाना जरूरी है और भरतपुर में भी बिजली लगाना जरूरी है तो इस दृष्टि से सोचें तो हमारे पास में इतने फण्ड्स नहीं है कि सारे क्षेत्र के लिए एक जैसी मदद कर सकें। मैं यह कहना चाहता हूं पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किये कि 40 प्रतिशत गांवों को बिजली देंगे, एग्रीकल्चर कनेक्शन देंगे। इस परसेन्ट को इस सीमा में रखें इससे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जब इसको पालना की दृष्टि से सोचें तो मेरा निवेदन है इस मामले में हमारे ध्यान में राजस्थान से पूर्वी जिले आने चाहियें जो कि ठीक ठीक पैदावार दे सकते हैं, देते रहे हैं तो इसका लाभ पश्चिमी क्षेत्रों को भी प्राप्त होगा। अनाज की पैदावार बढ़ेगी, बे रोजगारी कम होगी और नये नये रोजगार उपलब्ध होंगे। पूर्वी क्षेत्रों को जितना फायदा होगा उससे पश्चिमी क्षेत्र भी फायदा उठा सकेंगे। एक ही जैसा कार्यक्रम बना दिया गया बिजली जैसे मामले में तो न पूर्वी क्षेत्र का भला है और न पश्चिमी क्षेत्र का और न बिजली बोर्ड को ही इससे फायदा होने वाला है। सबसे पहले यह निवेदन करना है कि बिजली के मामले में पांच साला योजना बनाने के बजाय इसके लिये कोई साल, दो साल का कार्यक्रम बनावे और जिन जिलों को खेती के लिये बिजली आवश्यक है वहां पर पहले बिजली दें। इसकी घोषणा आज यहां पर करना आवश्यक है और कोई मजबूरी हो तो इस पर विचार कर लें। आज नहीं कल कर दें। कोई जल्दी नहीं है। परन्तु सरकार के दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिये कि इस इस क्षेत्र का विकास राजस्थान की भलाई के जरूरी है। अगर यह क्षेत्र पिछड़ा बना रहा तो राजस्थान का भी भला नहीं होगा। मैं आज आंकड़े लेकर नहीं आया हूं और न मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र पर इतना खर्च हुआ और पश्चिमी क्षेत्र पर इतना खर्चा हुआ है। इसका आज कोई संदर्भ भी नहीं है। मैं जानता हूं राज्य सरकार भी यह स्थिति अच्छी प्रकार से जानती है। राज्य सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करे।

आप सारे देश में बिजली के विकास की गति को देखें। हरियाणा में कितनी बिजली लगी है। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है। राजस्थान की जिस तरह की समस्या है, जिस तरह का इसका विस्तार है, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। एक चेज आपको देखना पड़ेगी ग्रामीण विद्युत निगम है। आप सब राज्यों को देखें और उस दृष्टि से राजस्थान को भी देखें। हम अपनी योजनाओं के लिये वहां से कितना ले पाये हैं। मुझे भय है कि अन्य राज्यों की तुलना में, मुकाबले में हम उनसे कहीं पीछे हैं। इस साल 5 करोड़ का प्रावधान किया है। 1973-74 में भी पांच करोड़ का प्रावधान किया है। मैंने तमाम वर्षों के प्रावधानों को देखा है। पिछले तीन चार वर्षों में आप ज्यादा से ज्यादा रुपया नहीं दे पाये हैं। इस निगम से अपने क्षेत्रों के विकास के लिये अधिक रकम नहीं ले पाये हैं और यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं

(श्री रामकिशन)

है। अगर आप अन्य राज्यों से राज्य की स्थिति को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि अन्य राज्यों ने अधिक फायदा उठाया है। 1970-71 में आपने 2 करोड़ 21 लाख 96 हजार का ऋण लिया। इसी प्रकार 1971-72 में 2 करोड़ 96 लाख का ऋण लिया और 1972-73 में 4 करोड़ 15 लाख 73-74 में और 1974-75 में पांच करोड़ का प्रावधान है। आज तक आप ज्यादा से ज्यादा 18/20 करोड़ रुपया ही वहां से ले सके हैं। ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना अन्य राज्यों की देखेंगे तो हमें मालूम होगा हमारे विद्युत मण्डल की योजनाएं उससे कहीं पीछे है। हमारे देश की कमजोर लीडरशिप के कारण हम इन योजनाओं का फायदा नहीं उठा सके और न उठा पायेंगे। मन्त्री महोदय को चाहिए कि इस सम्बन्ध में वे स्थिति को स्पष्ट करें। अन्य राज्यों ने बिजली के विकास के लिये इससे फायदा लिया है तो आपका राज्य क्यों पीछे रहा ?

एक दूसरी बात खासतौर से आज यह कहना है कि हमारा जो विद्युत मण्डल है उसकी कुछ अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं। बिजली के बजट पर आज बहस हो रही है। इस पर कोई वोट नहीं होगा। हमारा जो सबसे बड़ा इनवेस्टमेन्ट है, इस प्रकार का जो निगम है, तो उसके कार्य-कलाप को देखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये जितना नियोजन किया है उससे मालूम पड़ेगा कि 50/60 करोड़ के बीच में 75 तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में लगा पाएंगे। इधर महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को देखें तो इस मामले में राजस्थान को पीछे पाएंगे। दोनों ही दृष्टि से देखें और मन्त्री महोदय को चाहिये कि इस पर विचार करें कि आखिर हमारे पिछड़ेपन का कारण क्या है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं। एक दूसरी और बात है। हम यह देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके साथ हमारे बिजली का विस्तार भी बढ़ाना होगा किन्तु वह नहीं बढ़ रहा है। जो बजट प्रस्तुत किया है, जो योजनाएं बनायी गयी हैं, आप यह देखेंगे जितना हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत विकास के लिए नियोजित किया था उतना पैसा नहीं कर पायेंगे महंगाई के अनुपात में। और राज्यों को देखें वहां पर यह हो रहा है वे अपनी योजनाओं के लिए ज्यादा प्रावधान कर रहे हैं और राजस्थान की हालत यह है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के विकास के लिए जो नियोजन है, उसकी रकम को देखें और महंगाई को और जोड़ लें, महंगाई की राशि को भी लेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे 33 प्रतिशत काम अपने क्षेत्र में कम कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार को जो मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, उन पर यह कहना है कि हमें सामान नहीं मिलता है और दूसरा कारण है अर्थाभाव। अब उपाध्यक्ष महोदय, अर्थाभाव का सवाल है। इसका इलाज हमें अपने तरीके से करना पड़ेगा। अर्थाभाव के कारण हम कुछ नहीं करेंगे तो इस तरह से शासन का कामकाज नहीं चलने वाला है। हमें यह देखना चाहिये कि इतने करोड़ का इन-वेस्टमेन्ट होने के बाद आमदनी की स्थिति क्या है। योजनाओं के बाद स्थिति क्या है। तो निश्चित ही इसके वर्किंग में गड़बड़ी होगी। प्रशासनिक व्यय अधिक होगा।

(श्री रामकिशन)

खरीद फरोख्त में कहीं कोई गड़बड़ियां होंगी। ये सब बातें मंत्रिमण्डल के सदस्यों और इस सदन के सदस्यों को जानकारी में होनी चाहियें। इन गड़बड़ियों के कारण आज बोर्ड की हालत नहीं सुधर रही है। यह मुख्य चीज देखना है कि हमारे बोर्ड का काम कितना सन्तोषजनक हो जैसा कि राजस्थान में होना चाहिये। जैसी कि जरूरत है, तत्परता नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई नियन्त्रण रखना होगा और हर महीने में, हर दूसरे, तीसरे महीने इसके कार्यों का लेखा जोखा हमारे समक्ष होना चाहिये। आप देखते हैं, वैसे सौभाग्य से या दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि हमारे जो वर्तमान मंत्री महोदय हैं श्री हीरालाल जी देवपुरा, वे हमारे राज्य के सब से बड़े बजट के मालिक हैं। वे सिचाई मंत्री भी हैं, पी. डब्यू. डी. के मंत्री भी हैं और विद्युत के मंत्री भी। इन सब विभागों की योजनाएं एक अच्छे ढंग से चले इस दृष्टि से यह अच्छा भी है और इनके सारे कामों में कोआर्डिनेशन भी हो जाता है। ये विभाग एक दूसरे से मिले हुए हैं। परन्तु एक बात समझ में नहीं आ रही है कि किस कारण से योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। इनके कारणों को दिमाग से हटा देना चाहिये और बड़ी मुस्तैदी से सोच विचार करना चाहिये कि हमारा जो नियोजन है वह अन प्रोडक्टिव है और यही हमारे संकट का एक सबसे बड़ा कारण है। पांच पांच पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद अगर हिन्दुस्तान जैसा देश हर मामले में घाटे में जा रहा है, योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। क्या आपकी तस्वीर है। हिन्दुस्तान के अन्दर अन्य राज्यों की जो तस्वीरें हैं उसमें इस राज्य की कोई तस्वीर नहीं है। यह विकास वाला प्रदेश नहीं है। कोई विकास नहीं है। स्कूल खोलने का कोई प्रावधान हमारे बजट में नहीं है। सड़कों के लिए हमारे पास पैसा नहीं हैं। विद्युत विकास की संभावनाएं नहीं है। आखिर हमारी यह स्थिति क्यों है? इसका कारण क्या है। मैं इस सदन में कई बार बता चुका हूं। विस्तार में न जाकर केवल यह कह सकता हूं कि अन-प्रोडक्टिव नियोजन किया गया है। तो हमने जो अनुत्पादक नियोजन किया है, सब उसके नतीजे आये हैं। इसका कारण यह है कि हम कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। वाकई अगर पैसा नहीं है तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए। राज्य सरकार को प्राथमिकता वाले कामों के बारे में सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिजली उनमें से एक है। थोड़े दिनों के लिए हायर एजूकेशन को बन्द कर सकते हैं। बिल्डिंग का खर्चा नहीं कर सकते हैं तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन सिंचाई जैसी योजना पर अगर पैसा खर्च नहीं करते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर हम इस नजरिये से नहीं लेते हैं तो उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भावना, मेरा दृष्टिकोण कभी क्षेत्रीय नहीं रहा है। मैं जो कहता हूं, उसका मन्त्री जी दूसरा अर्थ नहीं लें। राजस्थान की पैदावार को बढ़ायें। आप पूरा साहस करके भूमि का विकास करें। आपको भूमि का विकास करना पड़ेगा। अकाल क्षेत्र से आने वाले लोग जो चर्चा करते हैं, उसका विकल्प क्या है। एक रास्ता यही है कि हमें निश्चित-तौर से टारगेट निश्चित करने चाहिएं। मैंने सुना है, सुना क्या कहीं पढ़ा है। मंत्री जी ने घोषणा की है कि अब को बार हम पूर्वी

(श्री रामकिशन)

जिलों का ध्यान रखेंगे। लेकिन बजट का प्रावधान ध्यान से बढ़ायें। उनमें ऐसा रिफलैक्शन नजर नहीं आता है। मुझे मंत्री जी को कहना है कि पूर्वी क्षेत्र को भूलें नहीं। इसके सिवाय पश्चिमी क्षेत्र के लिए दूसरा विकल्प नहीं है। इसके लिए यदि वह राज्य के सारे विधायकों को खुश रखना चाहते हैं तो आप कर लें। पहले आप स्टेट मिनिस्टर रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर के लिए उदयपुर डिवीजन में आप के सम्भावना है नहीं। इसलिए चाहे आप से विधायक नाराज हों। उनको आप तर्क में समझायें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो तस्वीर है उसके लिए कुदरत का दोष नहीं है। दोष कांग्रेस पार्टी का है। इन्होंने पैसा इस प्रकार से इन्वेस्ट किया है। इसलिए कहां बिजली पहुंच गई है, कितने कनेक्शन हुये हैं। कहां हुये हैं। यह आपको दृष्टिकोण में रखना है। एक एक पैसा उत्पादक कार्यों पर नियोजित होगा, यह बहुत आवश्यक हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, और एक बात का जिक्र करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने जिक्र किया है जहां प्रावधान जिलों पर बढ़ाना चाहिए, वह कम हो गया है। पिछले साल हमारा पूंजीगत व्यय 27.42 करोड़ के आस पास था। अब वह 25.89 करोड़ के करीब होगा। अब की बार निश्चितरूप से कम काम होगा। पिछले साल काम का टारगेट तय किया था। वह पूरा नहीं हुआ है। कुओं का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। अब की यह साल हमारा खराब होगा। आपके घटाने से महंगाई घटने वाली नहीं है, 5-6 रुपये कम भी हो जायेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई के जो बड़े कारण हैं, उनका तो कुछ होने वाला नहीं है। अबकी साल पूंजी का नियोजन पिछले साल से कम है। 37 करोड़ के आसपास कर दिया है। देश में 43% महंगाई बढ़ी है। राजस्थान में 47% महंगाई बढ़ी है। उसका नतीजा यह हुआ है। मैं तो जनरल इफेक्ट की बात कह रहा हूं। प्रावधान होना चाहिये ज्यादा, हो गया है कम। हम स्थिति को क्या समझ पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हम एक और बात कहते हैं जो कि बिजली के साथ जुड़ी हुई है। वह सामाजिक जिम्मेदारी है। सामाजिक सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। पिछले साल के मुकाबिले में इस साल स्ट्रीट लाइट में कमी हो गई है। इस पर ज्यादा होना चाहिए। अन्धकार में डूबे रहते हैं। बड़े बड़े शहरों, मन्त्रियों के बंगलों या सरकारी बंगलों पर जरूर होगी। मैं भरतपुर की बात कह रहा हूं। वहां पर एक तो म्युनिसिपैलिटी और बोर्ड का झगड़ा है। वहां के एक्स. ई. एन. को कहते हैं तो वह कुछ जवाब देता है। कलेक्टर से कहते हैं तो वह कोई जवाब देते हैं। लोग काफी परेशान हैं। तो मेरा कहना यह है कि सामाजिक सेवाओं पर आपका प्रावधान घट गया है। पिछले साल हरिजन बस्तियों पर 25.49 लाख का था। अब इसमें 25.69 लाख का प्रावधान किया है। बिजली का 73-74 जो चल रहा है। हमें विकास के लिये अधिक नियोजन करना चाहिए। वह हो नहीं पा रहा है। इसलिए मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा, जब वह बोलने के लिए खड़े हों। भले ही वह बोलें, लेकिन समय खराब नहीं करें। आपके रिसोर्सेज नहीं हैं। आपने खर्च का हिसाब लगाया है। बोर्ड का इण्टर्नल खर्चा बढ़ा है। थोड़ी पूंजी जो थी वह बनी हुई है। मैं

(श्री रामकिशन)

इण्टरनल की बात कह रहा हूं। मैं एल.आइ सी. के कर्ज की बात नहीं कह रहा हूं। रिसोर्सेज में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। आपने कहा है कि हम रेट बढ़ा रहे हैं। टैरिफ बढ़ाना ऐसी बात नहीं है, जिससे हमें फायदा होगा। उसे किसान बर्दाश्त कर लेंगे, व्यापारी भी बर्दाश्त कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्टरनल रिसोर्सेज क्यों नहीं बढ़े? इन्टरनल रिसोर्सेज नहीं बढ़े हैं, उसके लिए सरकार को क्या कहना है, बोर्ड को क्या कहना है? असेट्स में पूंजी लग रही है, दिन पर दिन खर्च बढ़ रहा है, कर्ज का भार बढ़ रहा है दूसरी तरफ रिसोर्सेज की स्थिति वैसी की वैसी है। इस सम्बन्ध में मंत्रीजी स्पष्टीकरण दें कि इसके लिए क्या अच्छा रास्ता वह निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, लम्बा चलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आठ बजे तक का तो समय है, इसी में मंत्री महोदय का जवाब होगा। हम लोगों को अवसर नहीं मिलेगा।

श्री रामकिशन : मन्त्री महोदय ने लक्ष्मण रेखा नहीं खींच दी है। यह सदन की मर्जी पर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन का आदेश है।

श्री रामकिशन: आसन को दुबारा कह देंगे। आप लोग इस बिजली के बारे में क्या कहेंगे, यही कहेंगे, इस गली में बिजली नहीं लगी, इस मोहल्ले में बिजली नहीं लगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह सही फर्माया लेकिन और का भी ध्यान तो रखना पड़ेगा। और आप तो समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं।

श्री रामकिशन : मैं ध्यान रख रहा हूं आपका। मैं जो तैयारी करके लाया हूं, उसको मैं छोड़ देता हूं पूरा का पूरा।

मैं एक बात कहता हूं इस बोर्ड में कितना गबन है, कितना घोटाला है, कभी इस ओर आपने तवज्जह दी है। रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ जो गड़बड़ियां होती हैं, उनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं दो तीन सवालों के बारे में आपसे जानकारी चाहता हूं। उस सम्बन्ध में इस सदन में प्रश्न पूछे गये हैं, और विषय भी आये हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं हुआ है—इसका कारण क्या है। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आपने यह जेबरा कन्डक्टर खरीदा था 1 करोड 55 लाख में। इस सदन में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया। मैं सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि 1 करोड़ 55 लाख लगाने के बाद भी यह जेबरा कन्डक्टर चालू क्यों नहीं हुआ है? इसकी जिम्मेदारी किस पर है? यह पैसा खर्च हो गया लेकिन जेबरा कन्डक्टर बेकार पड़ा हुआ है। इसकी क्या आपने छानबीन की है? इसके लिए आपने किसको जिम्मेदार ठहराया है और उसके लिए क्या सजा तजवीज की है? यह जानकारी मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय पैसा एडवान्स में दे दिया गया, 25 पैसा

(श्री रामकिशन)

जो बचा हुआ था वह भी दे दिया गया। पूर्ण पेमेन्ट करने के बाद भी पांच छः साल से यह डेढ़ करोड़ का कन्डक्टर अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है। यह आपने रिसोर्सेज बढ़ाने का काम किया है या गरीब किसान पर बोझ बढ़ाया है, उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाया है। इस फिजूल खर्ची को रोकने की स्थिति में क्या आप और आगे कोई रास्ता निकालेंगे। इसके बारे में मंत्री महोदय को कुछ बताना पड़ेगा।

यह सवाल भी कई बार आ चुका है सदन में, अनेक बार सदन में उठा है। मुझे पता नहीं इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की। इस सदन में जानकारी देने के लिए कहा कि पब्लिक हित में नहीं बताना चाहते हैं। इस बोर्ड में मीटर खरीदे गये, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार नहीं बता सकी। यह 60 हजार मीटर खरीदे, यह कमानी से खरीदे, कमानी, बिडला, डालमिया इनसे आपका विशेष सम्बन्ध है ही, अगर भारतीया जी इनके सम्बन्ध में बोल गये तो उन्होंने क्या अपराध किया था। उन्होंने दो लाइन ही कही थीं, हम मिलने जाते हैं तो हमसे नहीं मिलते, आप बाहर वालों से, बिड़ला से, मिलते हैं। इतनी बात ही थी, जिस पर आप नाराज हो गये और अध्यक्षजी ने इस प्रश्न पर व्यवस्था दे दी कि यह आन्तरिक मामला है कि बिड़ला, कमानी, पाटोदिया से सम्बन्ध रखते हैं—इस कारण घाटे की व्यवस्था हो सकती है। तो हम जानना चाहते हैं कि जो मीटर के मामले में गड़बड़ी हुई, और जो घाटा हुआ, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? इन 60 हजार मीटर की खरीद का मसला राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि और व्यापारियों ने कहा था कि हमसे 10 पर्सेन्ट घाटे से ले लें। तो फिर इसका कारण क्या है? इसकी जांच कराई या नहीं? मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय जवाब दे देंगे कि हमने टेन्डर ले लिये थे, उसके बाद रेट एक्सेप्ट कर ली। यह जो टेण्डर होते हैं, इनमें बड़ी पार्टी साथ में मिल जाती हैं, समझौता कर लेती हैं और इस प्रकार के टेण्डर देती हैं कि दूसरा आदमी टिक नहीं पाता है। और राज्य सरकार से लेना देना कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में गड़बड़ी हुई है, इसका जवाब मंत्री महोदय दें कि क्या उन्होंने इसकी जानकारी की है और क्या इसके बारे में गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है और नहीं की है तो क्यों नहीं की है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?

इसी प्रकार मान इन्डस्ट्रीज के टावर्स का मामला है। इस सम्बन्ध में, मैं जानना चाहूंगा, क्या हुआ? टावर्स की खरीद हुई, एडवान्स दे दिया गया, पार्टी ने स्टील ले लिया और स्टील को बैंक के गिरवी रख दिया और सारे पैसे को खा गया। इसके घाटे का जिम्मेदार कौन है?

मैं चाहता हूं कि बोर्ड में जो गड़बड़ी है अनियमितताएं हुई हैं हम राजस्व बढ़ाना चाहते हैं तो हमें राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना होगा हमारे आचरण से। किसान को कहा जायगा कि 72 पैसे लिये जायेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि किसान जो पैसा दे रहा है वह सही खर्च हो रहा है या नहीं। बोर्ड में जिस तरह कर रहे हैं खरीद, उसमें जो अनियमितताये होती हैं, जो गड़बड़ियां होती हैं, उसका स्पष्टीकरण

(श्री रामकिशन)

सदन में साफ आना चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए और जो गबन करने वाले हैं, उनको दण्डित करना चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति न रखें कि उन मामलों को दबाया जाय। सदन में यह बात आये कि उन मामलों में क्या हुआ है, क्या नहीं। अंत में मैं सारी बातों को छोड़ कर यह कहना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है कि इस स्थिति को आप सुधारें।

आज बोर्ड कर्मचारियों में बहुत असंतोष है, जो जूनियर लोग हैं, इस तरह के कई इन्स्टान्सेज हैं कि जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया है और सीनियर को छोड़ दिया गया है। इससे कर्मचारियों में असंतोष है। मेरा निवेदन है कि बोर्ड की आमदनी को बढ़ाने के यह तरीके हो सकते हैं कि खरीद फरोख्त में गबन को रोकना चाहिए, राजस्व राज्य सरकार का बढ़े, मितव्ययता इस राजस्व को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, हम प्रशासन की हालत सुधारें और ग्रामीण विद्युतीकरण ज्यादा पैसा ले सकते हैं यह तीसरा तरीका हो सकता है। इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा। मैं चाहूंगा इस सम्बन्ध में आप कुछ कार्यवाही करें। और आपके यहां जो भ्रष्टाचार है उसका जिक्र हीरालालजी से करना बेकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस है ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : समाप्त करें।

श्री रामकिशन : अभी तक हम इरिगेशन के मामले में परेशान थे, लेकिन अब जो बिजली के इंजिनियर हैं उनके पास कमीशन वाला वाला आ जाता है तो काम जल्दी हो जाता है। इतने निडर आपके इंजीनियर हैं। हमने जिला परिषद में एक कमेटी बना दी, प्रद्युम्न सिंह। आप तो उस जिला परिषद में आयेंगे नहीं क्योंकि वहां पर 5 रुपया भत्ता मिलता है और आप कार के बगैर आयेंगे नहीं, यह दिक्कत आपकी है। जिला परिषद ने कमेटी बना दी उस कमेटी के बनने के बाद भी कनेक्शन देने का काम पड़ा रहा। लेकिन जब पैसा पहुंच जाता है तो कनेक्शन दे देते हैं। मैं दो चार केसेज इस तरह के बता सकता हूं, जिसमें पहले उन्होंने कह दिया टेक्निकल डिफेक्ट है, कनेक्शन नहीं मिलेगा। हमने कहा, कलेक्टर से कहलाया, लेकिन नहीं किया। लेकिन जैसे ही पैसा पहुंच गया, इंजिनियर ने लिख दिया, ठीक है, कनेक्शन दे दिया जाय। एक ऐसा श्रीनिवास कन्ज्यूमर का केस है। जिसमें हमने कहा, जिलाधीश भरतपुर से कहलाया। सारा रिकार्ड मौजूद है, आप इसकी छानबीन करें। किसान बिजली लेता है, लेकिन अगर कनेक्शन देने में देरी होती है, उसको परेशान किया जाता है और कनेक्शन फसल के टाइम पर नहीं मिलता है तो बिजली नहीं मिलती है और इससे फसल को नुकसान होता है। इस स्थिति को आप सुधारें।

गंगानगर में ट्यूब वैल्स अपने आप काश्तकार लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और खारे पानी में मीठा पानी मिला कर खेतों में डाल देते हैं। लेकिन उस पर भी आप चार्ज करते हैं। आपका उसमें क्या लगा है? आप ट्यूब वैल बनाते हैं तो आप चार्ज कर सकते हैं। खुद किसान अपना पैसा लगाये और ट्यूब वैल बनाये और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ले—इसमें क्या तुक है? इसका स्पष्टीकरण आपको करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप राज्य विद्युत् मण्डल के बजट के बारे में जो चर्चा हो रही है, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी का कुछ खास मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के अन्दर जो विषम आर्थिक स्थिति परिस्थिति है और जो इनफ्लेशन की समस्या पैदा हो रही है, उसको हम अधिक उत्पादन के जरिये हल कर सकते हैं । इसमें राज्य का विद्युत् मण्डल एक प्रमुख भूमिका निभाता है-ऐसा मेरा मानना है और निभा सकता है । राजस्थान में जहां तक बिजली जनरेशन का सम्बन्ध है, राजस्थान में बिजली काफी उत्पादित होती है लेकिन आज उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे प्रान्तों को, जो सरप्लस बिजली है, वह देते हैं । अब रहा सवाल डिस्ट्रिब्यूशन का । तो सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रिब्यूशन की है । लाइन खींचने की समस्या है, जिसके लिये सामान नहीं है । इस बात की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो दुर्दशा है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है । जहां तक घाटे का सवाल है, पिछली साल इसने करीब 6 करोड़ रुपये का घाटा दिया और इस साल भी वह घाटा दुगना होने की सम्भावना है । ऐसा लोग एन्टीसिपेट कर रहे हैं । ईश्वर से प्रार्थना है कि दुगना नहीं घाटा कुछ कम हो जाय । इस घाटे की स्थिति के कारण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टैरिफ को रिवाइज करना पड़ा । इस घाटे की वजह से जो अन्य कार्य हो सकते हैं, डिस्ट्रिब्यूशन वगैरह के काम हो सकते हैं उस काम में कमी आ रही है । इस घाटे के कारण क्या हैं, उन कारणों पर जाना पड़ेगा । विभाग को ओर उनको रोकने के लिए... ...

(6.20 सायं)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

क्या कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, विद्युत मंडल की तरफ है इसकी हम जानकारी करना चाहते हैं मन्त्री महोदय से । क्या इफेक्टिव कदम उठाये हैं उन्होंने ? माननीय मन्त्री महोदय, जो सबसे बड़ा घाटे का कारण है-विद्युत् मण्डल में पिछले साल आपके लोसेज 26 पर्सेन्ट थे, आपने कहा इस साल घाटा 10 पर्सेन्ट हो गया है-यह बात सही है कि यह खुशी की बात है...

श्री अध्यक्ष : Just a minute.

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो लगभग 4 बजकर 28 मिनिट पर श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लल्लूराम शर्मा ने दर्शक दीर्घा से यह नारा लगाया कि "देशभक्त श्री जयप्रकाश नारायण की जय हो" ।

श्री लक्ष्मीनारायण को तुरन्त ही वाच एण्ड वार्ड के अधिकारी ने अपनी सुरक्षा में ले लिया । मैंने उनको अपने कक्ष में बुलाकर पूछताछ की और उनका बयान भी अभिलिखित किया । उन्होंने बताया कि वे देश में व्याप्त विभिन्न समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे । उन्होंने यह भी बताया कि वह कुम्हेर से विधान सभा का चुनाव लड़ चुके हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तथा आजकल वे गवर्नमेंट लाटरी के टिकट बेचने के एजेन्ट हैं । वे यह नहीं मानते कि उनके नारे लगाने से सदन की कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न हुई है

(श्री अध्यक्ष)

और ना ही उनको यह जानकारी है कि इस प्रकार के कार्य से सदन का अपमान होता है। उन्होंने यह बताया कि वे जानबूझ कर सदन में आये हैं और नारे लगाये। वे अपने इस कार्य के लिए न तो कोई खेद प्रकट करते हैं और न क्षमा मांगने को तैयार हैं।

मैं चाहता हूं कि सदन इस मामले में भी कोई उचित निर्णय ले।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको लक्ष्मीनारायण कहता है, जिन्होंने आज लगभग 4 बजकर 28 मिनट पर दर्शक दीर्घा से नारे लगाये, जिसको वाच-एण्ड-वार्ड के अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं।

"यह सदन आगे संकल्प करता है कि श्री लक्ष्मीनारायण को 23 अगस्त, 1974 तक के लिए साधारण कैद की सजा दी जाये और जेल भेजा जाये।"

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप ही करवा रहे हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं ये काम करवा रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा फिर आरोप है कि विरोधी दल वाले ये काम करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय श्री खेतसिंह ने सदन के समक्ष रखा है जिसके द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण को 23 अगस्त, 1974 तक के लिए साधारण कैद की सजा दिये जाने का प्रस्ताव किया है, स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन कर रहा था कि आपने कहा है कि

(6.25 बजे सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो ट्रांसमिशन लोसेज थे, जिनको आप ट्रांसमिशन लोसेज की संज्ञा देते हैं लेकिन मेरा निश्चित मानना है कि ट्रांसमिशन लोसेज के अलावा चोरियां बड़ी मात्रा में हुई। विद्युत मण्डल के अधिकारी और इन्जीनियर ट्रांसमिशन लोसेज को काउंट करते हैं, चोरी में उनको काउन्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 26 प्रतिशत ट्रांसमिशन लोसेज और जो चोरी होती थी, वह घटकर 16 प्रतिशत रह गई है। इसके लिये मैं आपके अधिकारियों को बधाई देता हूं लेकिन मुझे सन्देह है आप इन फिगर्स को चैक करें। जो फिगर सन् 1970 में 4 प्रतिशत थी वह 1972-73 में 26 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, वह एकदम 16 प्रतिशत हो गई है। तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन यह हो सकता है कि कहीं फिगर्स की हेराफेरी तो नहीं है, तो आपको चोकन्ना होना पड़ेगा। इसके अलावा जो 16 प्रतिशत लोसेज हैं उनमें से एक प्रतिशत लोस को भी सेव करते हैं तो मैंने पढ़ा था वित्त आयोग की रिपोर्ट को कि एक प्रतिशत भी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

लोसेज बचाने की कोशिश करते हैं तो 50 लाख रुपये की बचत होती हैं। इस तरह से लोसेज को रिड्यूस कर सकते हैं तो यह हमारी अच्छी उपलब्धि होगी और घाटे को पूरा करने में आपको राहत मिलेगी।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि चोरियां कैसे होती हैं ? सबसे पहला कारण यह है कि मीटर रीडिंग नहीं होती है। मैं जानता हूं, मेरी मीटर रीडिंग नहीं होती है और वहां पर बिना मीटर रीडिंग के बिल आता है। मैंने एसिस्टेंट इंजिनीयर से कहा कि क्यों नहीं मीटर रीडर से कहते हैं कि और कार्यवाही करते हैं तो बोले "मैं क्या कार्यवाही करूं मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता यूनियनबाजी की वजह से है। यूनियन बुरी तरह से हावी हो गई हैं। आपके इंजिनीयर कोई एक्शन नहीं ले सकते एक हजार तनख्वाह मिलती थी, फिर भी चले गए स्ट्राइक पर। सरकार ने मजदूरों का साथ लिया, उन मजदूरों के सहारे से बिजली का वितरण होता रहा तब से इन्जिनीयर्स कहने लगे हैं कि यूनियन वाले दोषी हैं। वे कहते हैं कि कर्मों के दोषी हैं सबोर्डीनेट्स की परवाह नहीं करते।

रिश्वत के मामले में पंडितजी ने कहा। अब टेक्नीकल फीजीबल्टी क्या होती है, इकानामिक रिटर्न्स क्या होते हैं, वह 200 रु० दे आया और कनेक्शन ले आया, उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? पहले पुलिस की होती थी कि पुलिस विभाग में रिश्वत का बोलबाला है। अब यह महकमा रिश्वत के मामले में पुलिस से भी आगे जा रहा है। हाल यह है कि गरीब काश्तकार से कहेंगे कि लाइन खराब है लेकिन जब उसने 25 रु० दे दिया तो जम्पर डाल दिया, मीटर नहीं चल रहा है. बिजली सीधी जा रही है। सबसे बड़ा घाटे का कारण यह है कि सामान की चोरी होती है, इस दिशा में आपने कोई कदम नहीं उठाया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी जो यूनियन है जिसको आपने इतना सर पर चढ़ा रखा है, उसकी वजह से इनडिसिप्लिन फैल रहा है। इंजिनीयर्स यूनियन की वजह से कोई कन्ट्रोल नहीं रख सकते। आपको इस प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे नहीं तो वह दिन दूर नहीं है कि इस तरह की चोरियां चलती रहीं तो विद्युत मंडल का दिवाल्या निकल जाएगा।

अब सवाल आता है कि आपने मिनीमम चार्जेज जो लगाए इसके इकॉनामिक्स क्या हैं। मैं भीलवाड़ा जिले की बात करता हूं वहां के विधायक से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल में हमारी बहुत सी जमीन ऐसी है कि वहां एक फसल होती है गेहूं की, चने की या सरसों की। सरसों के लिए दो पानी की जरूरत है और गेहूं के लिए 4-5 पानी की जरूरत है और वह ज्यादा से ज्यादा 3-3½ महीने में कर लेते हैं। अगर 10 हार्स पावर मोटर को चलाते हैं तो साल भर में बिजली का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 700 या 800 रु. का आता है और 8-10 हार्स पावर मोटर पर आप 1750 रुपये मिनीमम चार्ज लेने जा रहे हैं जबकि उसका खर्चा 700-800 रु० आने वाला है, यह घोर अन्याय है। आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपकी बिजली की चोरी होती है, मीटर रीडिंग नहीं होती, इससे आप उसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं। परवानों से पैसे वसूल करेंगे,

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

फसल के समय किसानों की बिजली काट लेंगे। एक तरफ आप कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हर राज्य का दौरा कर रही हैं, कहती हैं आप बड़े किसानों से पैसे लीजिए। आज बैंक क्रेडिट फेसिलिटीज मिलने के बाद, माही पावर स्कीम लागू होने के बाद, आपकी एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस स्कीम लागू होने के बाद, छोटे काश्तकारों ने बिजली लेना आरम्भ कर दिया हैं, तो अब आप उनसे इतने पैसे ले रहे हो तो यह घोर अन्याय है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरफ कोई सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सरकार का विद्युत् मंडल पर इफेक्टिव कन्ट्रोल होना चाहिए। आज हालत यह है कि हर काम में राज्य विद्युत् मंडल के अधिकारी बिल्कुल बिना डर हैं, बिना राज्य सरकार के भय के काम करते हैं। इसलिए इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन लायें और भारत सरकार को मजबूर करना चाहिए कि इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इस किस्म का संशोधन लाया जाए जिससे राज्य सरकार का विद्युत् मंडल पर इफेक्टिव कन्ट्रोल हो।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि अब सितम्बर का महीना आने वाला है आपके पास चारों तरफ से बिजली के कनेक्सन की मांग आयेगी। अभी तक आपने ऐसे कोई प्रयास नहीं किये हैं कि आप लोगों को डिमान्ड्स के मुकाबले बिजली पूरी दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब बिजली की मांग करते हैं तो आपके पास आज कन्डक्टर्स नहीं, कोल नहीं है और न ही आपके पास लोगों को देने के लिये सीमेन्ट है तो इस प्रकार की दुर्व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, आज विद्युत् मन्डल की हो रही है। आज आपके जो ट्रान्सफॉर्मर्स हैं उसमें बिजली का खर्च अधिक आता है। दूसरे ज्यादा बिजली देने की वजह से बिजली बन्द होने की गुन्जाइश कम रहती है। वह आपके जो कन्डक्टर्स वगैरह हैं वह उस लोड को सह नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप इन सब का इन्तजाम क्यों नहीं कर लेते हैं? आप ट्रान्सपोर्टेशन के भरोसे क्यों रहते हैं? आप इसके लिये थोड़ा खर्चा करके टेन्डर मांग कर उनको क्यों नहीं मंगा लेते हैं। आपने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाये हैं? ऐसा मैं पूछना चाहता हूं? आज आपके पास कोयला नहीं, सीमेन्ट नहीं, आप उनकी व्यवस्था के लिये कुछ स्टेप्स ले नहीं रहे हैं तो आप आगे आने वाले महीनों में लोगों को बिजली सप्लाई कैसे करेंगे। इधर आपके पास पोल्स भी नहीं है फेक्ट्री से आप प्राप्त नहीं कर सके हैं। जब फेक्ट्री पोल नहीं बना रही है तो आप उसका कोई सब्स्टीट्यूट क्यों नहीं निकाल रहे हैं। आखिर आपके इन्जीनियर्स वगैरह क्या कर रहे हैं? आप इसके लिये दिल्ली वालों की खुशामद क्यों कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप इसके लिये कोई दूसरी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार सीमेन्ट के लिये आप भारत सरकार से सीमेन्ट का विद्युत् कार्यों के लिये अलग से कोटा क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? आप भारत सरकार के सीमेन्ट कन्ट्रोलर से ज्यादा सीमेन्ट की मांग करके यहां सीमेन्ट लोगों को सप्लाई करावें। इसके अलावा आज जो पोल मैन्यूफेक्चरिंग का कार्य बन्द है या हो नहीं रहा है, तो उसके लिये जिस प्रकार हरियाणा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

में पोल नहीं होने की वजह से जहां गांव गांव बिजली पहुंचा दी गयी है वहां पर सीमेन्ट के पोल नहीं होने से वहां के विद्युत बोर्ड ने सीमेन्ट के पोल के बजाय लकड़ी का पोल लगा कर बिजली खींचली। तो आप भी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने लोगों की सिक्योरिटी जमा कराली है पर आपने अभी तक बिजली देने की कार्यवाही की शुरुवात ही नहीं की है। आखिर इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह सुझाव है कि जब तक सीमेन्ट के खम्भे नहीं आवें लकड़ी के खम्भों को काम में लेवें और बिजली देना शुरू करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप काम शुरू तो कीजिये। एक एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर करके देखें। इसी तरह एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां पर बहुत ज्यादा बिजली की चोरी हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि विद्युत मन्डल इसके लिये कार्यवाही कर रही है। विद्युत मन्डल एन्टीइवेजन की कार्यवाही शुरू कर रही है। उसकी रूप-रेखा भी बना दी गयी है इसकी खुशी है। लेकिन आपने जो एन्टीइवेजन आफ इलेक्ट्रिसिटी के लिये आपने सिर्फ जयपुर को ही क्यों चुना। या जयपुर डिविजन के लिये ही विजीलेन्स स्क्वेड क्यों बनाया है। आज जयपुर से अलावा आपके गंगानगर को लीजिये जहां पर सबसे ज्यादा बिजली की चोरी होती है। यहां पर उपाध्यक्ष महोदय, कई बार सदन में यह बात कही गयी लेकिन अब तक उस चोरी को रोकने की कोई कार्यवाही इफेक्टिव तौर से नहीं की गयी है। आपकी रिपोर्ट है आप खुद जानते हैं कि गंगानगर में सबसे ज्यादा चोरी बिजली की होती है। आपने उसके लिये क्या किया कितने लोगों को ससपेन्ड किया। कितने लोगों को सजा दी। कितने इन्जीनियर्स और स्टाफ के ग्रेड इन्क्रीमेन्ट्स रोके। आप मुझे बतायें। लेकिन आपने ट्रान्सफर करदी। ट्रान्सफर इज नो पनिशमेन्ट। आपने कोई इन्क्वायरी की ? नहीं की तो आप करिये और जो दोषी व्यक्ति पाये जायें उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्यवाही करें। अगर आप शिकायत होने के बाद भी लोगों के खिलाफ में जांच नहीं करते किसी को ससपेन्ड नहीं करते तो मैं समझता हूं कि वहां पर कोई चोरी नहीं हो रही है। कोई करेप्शन वहां पर नहीं है। आपके विद्युत मन्डल में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। तो आप बताइये उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो सकता है तो आपके यहां पर चोरी कैसे रुक सकती है। तो मेरा निवेदन है कि आप विद्युत मन्डल में एन्टीइवेजन के कार्य को जल्दी इफेक्टिव करें। इसके साथ साथ मै यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने यहां पर जो इन्जीनियर्स हैं जैसे ए. इ. एन. है उनको पावर्स ज्यादा से ज्यादा दें और फिर उन पर जिम्मेदारी फिक्स करें कि अगर आपकी रेवेन्यू इतनी नहीं आयी तो आपके खिलाफ में एक्शन लिया जायेगा। जब तक आप इन्जीनियर्स पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक मैं आपको और उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर देना चाहता हूं आपकी रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी। आपके लोसेज कम नहीं होंगे। आपको यह मेरा सुझाव एक दिन मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब आप किसी अधिकारी को पावर देंगे उसकी रेस्पोन्सि-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

बिलिटा फिक्स करेंगे तो वह काम अधिक ध्यान से करेंगे। लेकिन आज यह रूल्स है कि ए. इ. एन. किसी अपने नीचे सबोर्डिनेट की ट्रान्सफर नहीं कर सकता है अगर किसी के खिलाफ शिकायत है और उसका ए.इ.एन. उसकी अगर ट्रान्सफर कर देता है तो उसकी ट्रान्सफर के केन्सेलेशन के आर्डर आपका यहां बैठा हुआ एस. इ. कर देता हैं तो ऐसी अवस्था में ए. इ. एन. को उसका सबोर्डीनेट उसका क्या कहना मानेगा। तो मेरा निवेदन है कि आप उनको पावर्स दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता हूं कि वहां पर सभी भ्रष्टाचारी हैं पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वहां पर भ्रष्टाचार बुरी तरह से व्याप्त है। तो मेरा निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय, आप जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान दें। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिये कि ऐसा सुना गया है कि भारत सरकार ने कोमर्शियल बैंक्स को यह हिदायत देदी है कि वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रुपया एडवान्स करना बन्द कर दे। तो अगर एक तरफ तो आप विद्युत का विस्तार कराना चाहते हैं घोषणायें करते हैं दूसरी तरफ भारत सरकार कार्मशियल बैंक्स को यह कह रही है कि आप विद्युत बोर्डों को रुपया मत दो तो इसके लिए वास्तव में क्या स्थिति है उसका पता लगायें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज आपने यह कम्पलसरी कर दिया है काश्तकार के लिये कि वह अपने ट्रान्सफोर्मर्स के लिये कैपिसिटर्स लगायें। क्योंकि उनके यहां पर जो ट्रान्सफोर्मर्स लगाये हैं वह उस बिजली का लोड नहीं खींच सकते हैं। इस लिये कन्ज्यूमर्स को चाहिये कि वह अपने कुओं पर जहां पर मोटरें लगी हुई हैं उनके लिये केपेसिटर्स लगायें ताकि उनके यहां पर बिजली नहीं बन्द हो या कम खर्चा हो। उपाध्यक्ष महोदय, एक एक ट्रान्सफोर्मर्स के पीछे 1200 से लेकर 1400 रुपये लग जाते हैं इससे काश्तकार को काफी नुक्सान हो रहा है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आपके यहां पर जो ट्रान्सफोमर्स हैं उनको चेन्ज किया जाय। इसके साथ 2 में यह भी कहा जाता है कि बिजली बोर्ड के पास ट्रान्सफोर्मर्स नहीं है उसके लिये मेरा निवेदन है कि बिजली बोर्ड ट्रान्सफोर्मर्स मंगायें और जो मोटर के साथ केपेसिटर्स लगाने की बात है वह समाप्त करें। नये ट्रन्सफोर्मर्स लगाये जो पुराने व्यर्थ पड़े हैं उन्हें ठीक करा कर काम में लें। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान धौलपुर की ओर दिलाना चाहता हूं अगर आपको ध्यान हो तो दो वर्ष पहले एक लाइन 33 के. वी. की भरतपुर से गयी थी। लाइन गिर पड़ी? कौन जिम्मेदार है इसके लिये? किसने यह बनाई थी? किसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। यह तो मैं आपको एक एक्जाम्पल बता रहा हूं। 50 बिजली के खम्भे गिर जाते हैं तो आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिये? किसी न किसी की तो नेग्लीजेन्स है? क्या आप इसकी जांच करायेंगे? खर्चा कितना हुआ? पैसे की बरबादी हुई। आपकी लाइन बन्द रही तो आपको ही कितना घाटा उठाना पड़ा।

जो चम्बल से धौलपुर को ग्वालियर से लाइन आती है, हर साल बारिश में चम्बल को बाढ़ में टेम्परेरी कार्ड बना रखे हैं वे टूट

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जाते हैं। वे टूट गये। धौलपुर को 45 दिन तक बिना बिजली के रहना पड़ा है। बाढ़ का पानी आता है। आप इसके लिये कोई व्यवस्था करें। सदन में भी पहले आपने आश्वासन दिया था लेकिन आज तक टावर नहीं पहुंचे। इसकी आप व्यवस्था कर दें ताकि लोगों को जो असुविधा होती है वह बन्द हो जाय।

हरिजन मोहल्लों के लिये निवेदन करूंगा कि जो रकम रखी है वह बहुत कम है। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वे अपने घरों में बिजली लगवा सकें। यदि स्ट्रीट लाइट लग जाती है तो उसके सहारे ही बहुत से बच्चे लिखे पढे लेते हैं। इसलिये इसके लिये अधिक से अधिक पैसा देना चाहिये। आपके विभाग के इन्जीनियर इसमें रुचि नहीं लेते हैं। जब उनको कहते हैं तो कहते हैं कि कर देंगे। इस मामले में आपको कोई फेज्ड प्रोग्राम पहले बनाना चाहिये। आपको इन्स्ट्रक्शन्स देने होंगे कि इतने समय में इतना इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा उसकी जिम्मेदारी अमुक की होगी। पैसा दिया वह खर्च नहीं किया गया तो एक्शन लिया जावेगा। और कार्यवाही की जावेगी। अमुक समय में काम करना पड़ेगा यह यदि इन्स्ट्रक्शन्स होंगे तब ही जाकर पैसा खर्च होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे मैंने उठाये हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, उनको ध्यान में रखकर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रद्युम्नसिंहजी, पूनमचन्दजी आदि माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि जिनके प्रयास से यह आज सदन में विचार के लिये लाया जा सका है।

बिजली विभाग के बजट पर लम्बे समय से चर्चा नहीं हुई थी। दो तीन वर्ष के बाद यह पहली बार हो रही है। यह राजस्थान का काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। आज राजस्थान में बिजली विभाग, या बोर्ड कहे, द्वारा खेती और इन्डस्ट्रीज पर बिजली दर बढ़ाई है वह बिना सोचे बढ़ा दी गयी हैं। आज देश में और राजस्थान में नौजवान विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके आते हैं वे खाली बैठे हैं। बिजली दरें बढ़ा देने से वे खेती का कार्य भी नहीं कर सकते हैं। यहां पर इतनी बिजली की दरें बढा दी हैं कि हिन्दुस्तान में कहीं भी राजस्थान से अधिक बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान की भूमि रेतीली है। झुंझुनूं, सीकर, चूरू, जयपुर और काफी सारे ऐसे जिलों में जिनमें सिंचाई के लिये पानी पहुंचाने में ही इतनी बिजली खर्च हो जाती है जब कि दूसरी स्टेट्स में इनके मुकाबले में 1/4 भी नहीं होगी। और उन काश्तकारों को क्यारी तक पानी पहुंचाने में इतना खर्चा करना पड़ता हैं। यह सब होते हुए भी आपने 13 पैसे के बजाय 21 पैसा कर दिया। रेतीली जमीन है वह काश्तकार शायद खेती न कर सके। आज देश के सामने बेरोजगारी की इतनी विकट समस्या है उससे कोई सबक लिये बगैर इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारी जो समस्यायें पहले से हैं वे और भी अधिक बढ़ जाती है महंगाई और बेकारी की।

(श्री शीशराम ओला)

42 रुपया प्रति होर्स पावर पहले था अब मिनिमम 65 रुपया चार्जेज कर दिया। 125 के बजाय 165 रुपया 10 होर्स पावर का कर दिया। उससे ऊपर 932) कर दिया। सिवाय खेती वालों पर जो आपने यह टैक्स लगाया, दुगना बढ़ा दिया, उतना आपने किसी पर भी नहीं बढाया है। अनाज के भाव पहले 76 रु० थे अब 105 किये। उस पर भी लेवी लेते हैं 105 के भाव में और नहीं दे तो जेल के सींकचों में। इस प्रकार आप काश्तकार पर एक ज्यादती थोप रहे हैं।

राजस्थान में बिजली बोर्ड के पास अर्थ का अभाव है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि दरें बढ़ा कर एक के बाद एक घाटे की पूर्ति करें। घाटे की पूर्ति और आय के तरीकों से भी हो सकती है।

सन् 72-73 में दो करोड़ यूनिट राजस्थान वालों के पास थी बिक्री के लिये। उसमें से 1, 47 करोड़ युनिट ही काश्तकारों को और कन्ज्यूमर्स को बेच सके और 53 लाख यूनिट बिजली नुक्सान में चली गयी। यह डिपार्टमेन्ट के अफसरों की गल्ती थी क्योंकि उन्होंने ठीक प्रकार से कन्ट्रोल नहीं किया। 26 परसेन्ट का नुक्सान हुआ मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। मंडलिया से चिड़ावा बिजली गयी। सात आठ साल पहले वहां पर बिजली के खम्भे गिर गये। लोग तार तोड़ कर ले गये। कई बार बताया गया लेकिन कोई तवज्जह नहीं दी गई। लोग उन तारों को ले गये। दूसरा नुक्सान यह हुआ कि समय पर बिजली नहीं मिली और इसके कारण लोगों की खड़ी फसल जल गयी। एक तरफ काश्तकार को समय पर बिजली न दें, मोटरें जल जायं और अर्थ के हिसाब से किसान कितना गर्त में चला जाता है कि उसको दो दो तीन तीन मोटरें लगा कर खेती करनी पड़ती है और वे कर्जदार होने की हालत में हो जाते हैं। तीन गांव ऐसे हैं जहां पर ट्रान्स्फोर्मर्स जले हैं। आज तक दूसरे नहीं लगे। काश्तकारों की फसल नष्ट हो गयी ठिकाना गुडेर, मुडा की ढानी। इन में बिजली नहीं है। टारगेट कैसे पूरे होंगे? इस विभाग के अधिकारी उन काश्तकारों से जाकर कहते हैं कि इतने युनिट महीने के लगेंगे तुम हम को दस मन गेहूं देना काश्तकारों से दस मन गेहूं ले लेते हैं। दस मन गेहूं नहीं दे तो 4 हजार रुपया उनसे ले लेते हैं। ये सारी स्थिति आपके यहां, आपके डिपार्टमेन्ट की है। झूंझुनूं जिले से एक करोड़ का टैक्स आता है। मैं समझता हूं राजस्थान में और किसी जिले से टैक्स नहीं आता है। एक करोड़ का टैक्स झुंझनूं जिला देता है और बिजली की बड़ी अव्यवस्था है। एक तरफ हमारे मुख्य मन्त्री जी घोषणा करते हैं राजस्थान के पास बिजली सरप्लस है, बिजली की कमी नहीं हैं और एक तरफ राजस्थान अपनी बिजली को कन्ज्यूम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यह होता है जो भारत सरकार से ज्यादा बिजली प्राप्त करने के लिये सहायता मिलनी चाहिये वह इसलिये नहीं दे पाते हैं, जो कुछ उन्हें मिला है वे युटिलाइज नहीं कर सके और दूसरी स्टेट्स वक्त पर युटिलाइज कर लेते हैं वे और दे देते हैं और हमारी स्टेट इसमें टोटे में रहती है। हम भाषण दे देते हैं बिजली बहुत है सरप्लस है लेकिन वह कन्ज्यूम कहां हुई? तो बिजली कागजों में सरप्लस है, खेत में

(श्री शीशराम ओला)

काश्तकार के पास नहीं जाती, इन्डस्ट्रीज में नहीं जाती। एक तरफ डी. सी. एम. साहू जैन, जे० के० सिन्थेटिक और दूसरे दूसरे कारखानों के लिये स्पेशल रेट्स बनाई। चाहिये तो यह था कि काश्तकार की रेट नहीं बढ़ाते। नतीजा यह होता अनाज की जो समस्या है, हल होती। काश्तकार को इसके नुकसान के लिये मुआवजा देना चाहिये और बिजली से काश्तकार को नुकसान हुआ है, इसका बोर्ड मुआवजा दे और काश्तकार को बिजली की छूट होनी चाहिये जिससे भुखमरी दूर हो। काश्तकार पर कमर-तोड़ टैक्स नहीं लगना चाहिये तब तो काम ठीक होगा।

मैं आपको एक और अर्ज करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से झुंझुनूं जिले में दो ढ़ाई हजार कुए हैं। राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। तीन से साढ़े तीन हजार का लोन है और इतनी ही करीब सब्सिडी है। इस तरह सात हजार खर्च होता है, मजदूरी अलग। आज एक साल से ज्यादा समय हो गया उनको बिजली का कोई जिक्र नहीं है। उस पर व्याज बढ़ता जा रहा है उसको भी वे उतार सकेंगे या नहीं – पिछले साल से झुंझुनूं जिले की यह स्थिति है। दूसरे जिलों की जानकारी नहीं रखता। पहले 400 रुपये डिपोजिट होते थे उसको बढ़ा कर अब 1350 कर दिये गये हैं 400 रुपये आज के दो साल पहले जमा करवाये थे आज उनसे 1350 मांगे जा रहे हैं। चाहिये तो यह था कि उसका व्याज देते मगर अब उनसे 1350 रुपये मांग रहे हैं। मैं नहीं समझता काश्त-कार को आपका डिपार्टमेन्ट कब तक पागल समझता रहेगा। आज अगर काश्तकार कोर्ट में चला जाता है तो इसमें सन्देह नहीं है कि उसको बोर्ड से हर्जाना दिया जाय.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पांच मिनिट। काश्तकार को कुआ तैयार करने में 20 हजार खर्च हो जाता है। मोटर खरीदना, पाइप लगवाना आदि में उसकी कीमत इतनी लग जाती है। अब एक एडवर्स स्कीम और निकाल दी है। 11 हजार के. वी. की लाइन लगाता है तो 900 रु०, ट्रान्समीटर जल गया तो 81 रु. दें और बड़ा बोर्ड चला गया तो 13 हजार दें। आपके विभाग के जो छोटे छोटे इंजी-नियर हैं वे काश्तकारों को बहुत परेशान करते हैं। एक खम्भा है उसकी तीन साल से सिक्योरिटी जमा है लेकिन नया कनेक्शन नहीं देते हैं। नये कनेक्शन के लिये 1350 रु. थे और आज नये कनेक्शन के लिये 21 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है तो कुए की कीमत 21 हजार हो गई। मोटर पाइप इस तरह सारे लगाकर 21 हजार काश्तकार पर आते हैं। 21 हजार से 15 बीघा जमीन में मुश्किल से पानी देगा। इतना बड़ा भारी टैक्स आज काश्तकार पर कर दिया है। काश्तकार मजबूर हो गया है और शायद अब बिजली लेना ही नहीं पसन्द करेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा यह टैक्स न लगायें बिजली चार्ज के 13 पैसे से 21 पैसे कर दिये। इसको वापिस लेने की तत्काल घोषणा करें ताकि राजस्थान का काश्तकार राजस्थान बिजली में, राजस्थान सिंचाई में, राजस्थान एग्रीकल्चर में बिलकुल पिछड़ा हुआ है। जब तक राजस्थान दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में नहीं आ जाता है तब तक

(श्री शीशराम ओला)

एकाएक जो इतनी बढोतरी की है वह शोभाजनक नहीं है। काश्तकार बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसको तत्काल वापिस लेने की घोषणा करवायें यह मैं आपसे निवेदन करूंगा और जो कुये सब्सिडी, कर्जे से बन गये हैं, उनको बिजली दें। सारे जिले को तत्काल बिजली दें ताकि विकास की दृष्टि से दूसरे जिलों के मुकाबले में आ जाय। इतना ही मैं निवेदन करता हूं।

(6.55 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

श्री सभापति : श्री सुरेशचन्द्र।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : सभापति महोदय आज काफी अर्से बाद सदन में विद्युत बोर्ड का मसला आया है। विद्युत प्रदेश के लिये ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमारे देश की, हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, विशेष कर जब हमारे यहां अकाल पड़ता है तो जरूरी है हम अपने प्रदेश का उत्पादन बढायें और उत्पादन बढाने के लिये सिंचाई के साधन हो और उन साधनों में बिजली का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहां बिजली से उत्पादन बढ़ सकता है। जब हम बिजली बोर्ड पर गौर करते हैं तो महसूस होता है कि यह एक ऐसा दुकानदार है जिसके पास पैसा है, सामान है, जिसके पास ट्रान्समीटर है, जिसके पास हीटर है, कन्डक्टर है, पोल है बल्कि मैं यह कहूं इस सारे विभाग में पोलमपोल है।

आज कनेक्शन मांगते हैं तो हालत यह है सभापति महोदय, जहां से आपकी लाइन चली गई है और स्वीकृति हो गई और किसान ने डेढ साल पहले सिक्योरिटी जमा कराई है

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, कोरम का अभाव है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रहेगा वह तो।

श्री सुरेशचन्द्र : .... (अश्रव्य) .... इसलिये कृषि का उत्पादन बढ़े, कृषि की उन्नति हो....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय कोरम नहीं है।

श्री केशरीमल : मान लीजिये कोरम है।

श्री सुरेशचन्द्र : इसलिए सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अभी हाल ही में....

(गणपूर्ति घन्टी)

सभापति महोदय, अभी कुछ अरसे पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की कि इस प्रदेश में जहां सिंचाई के साधन नहीं है अर्थात् इस प्रदेश के पूर्वी भाग के 5 जिलों के अन्दर सघन रूप में बिजली का काम हाथ में लिया जायेगा। सभापति महोदय, जब मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की तब तो बड़ी खुशी हुई और खास तौर से इसलिए खुशी हुई कि इस बार मुख्य मंत्री जी ने कुछ न्याय करने का इरादा किया है इसलिए इन पांच जिलों के जितने लोग थे उनको आशा थी अब हमारे यहां तेजी से बिजली आने वाली

(श्री सुरेशचन्द्र)

है। अब घोषणा करने की तो हमारी सरकार की आदत है लेकिन सभापति महोदय, घोषणाओं से हम जनता का पेट नहीं भर सकते। अब उस घोषणा का क्या असर हुआ कि उस घोषणा के बाद गांव वालों में और वहां की जनता में बिजली के लिए भूख जागी और जनता सोचने लगी कि बिजली तेजी से आयेगी और किसान चक्कर काटने लगे अधिकारियों के पास और सोचने लगा कि अब तो बिजली आने वाली है। इस सघन कार्यक्रम का तो क्या पता कब क्रियान्वित होगा, आपका पांच वर्ष का टर्म पूरा हो जायगा तब भी यह सघन कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। इस सघन कार्यक्रम को तो छोड़िये लेकिन जहां आपने बिजली दे रखी है वहां भी बिजली पूरी तरह से दे दें तो भी गनीमत है। यदि आप बिजली वाली जगह पर भी अच्छी तरह से बिजली दे देंगे तो भी मैं मानूंगा कि आपकी घोषणा कुछ हद तक सही है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर क्या इरादा है, आखिर प्लान क्या है? हमारे पास क्या कार्यक्रम है जिसके अनुसार हम इस काम को चलाना चाहते हैं। आज आपका एक ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है वह जल गया है तो आपकी हालत यह है कि आप उसको बदल नहीं सकते। विद्युत मण्डल की आज की हालत यह है कि कोई अकेला आदमी कनेक्शन मांग रहा है तो आप कनेक्शन दे नहीं सकते। तो किस प्रकार का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहते हैं, यह समझ में आने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि इन पांच जिलों का बिजली का सघन कार्यक्रम तेजी के साथ में आप लें तो निश्चित रूप से आपको इस बोर्ड की हालत को सुधारनी पड़ेगी।

आपने टेरिफ को बढाया और कहा कि बोर्ड की हालत खराब है इसलिए टेरिफ को बढ़ाया गया है। आप सचमुच चाहते हो कि बोर्ड की हालत सुधरे तो इस टैक्स को भी जनता बरदाश्त करने के लिए तैयार है। लेकिन सारे देश में अपने प्रान्त में सबसे ज्यादा टेरिफ बढाया है। टेरिफ बढ़ाने के बाद भी आपकी हालत नहीं सुधरी है और बराबर आपसे सम्पर्क स्थापित करो किसी भी काम के करने के लिए तो हर बात में आपका 'ना' का जवाब है। अब भी किसी बात के लिए कहा जाता है तो बस आपका यही जवाब होता है कि कन्डक्टर्स आ रहे है, मीटर आ रहे हैं, पोल आ रहे हैं लेकिन सभापति महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह चीजें आपकी कभी आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसलिए नहीं आ सकती कि आपके जो आर्डर्स प्लेस करने की फार्मेलिटीज बनी हुई हैं आप आर्डर देते हैं, टेन्डर भेजते हैं और उसको एप्रूव करते हैं तब तक रेट्स बढ़ जाती हैं। आप आर्डर देते हैं उसमें फिर 15 दिन लग जाते हैं तो फिर रेट्स बढ़ जाती हैं। सप्लाई आपकी होती नहीं है इसलिए आपके किए हुए वायदे वायदे ही रह जाते हैं। इस सारी स्थिति पर आप विचार कीजिए और इसके लिए निश्चित रूप से कोई योजना बनानी पड़ेगी। इसके लिए सभापति महोदय, हमारे पास एक जरिया है कि आर. ई. सी. स्कीम बनाये और कुछ बिजली दे सके। इसके लिए आपको बोर्ड में एक विशेष सेल बनाना चाहिए जो कि इस स्कीम को डील-विथ करें।

सभापति महोदय, हालत यहां तक है कि कुछ जगह स्कीम बन गयी लेकिन वह

(श्री सुरेशचन्द्र)

सेंक्शन नहीं हो रही है। आपने मेरे क्षेत्र की आर. ई. सी. स्कीम बनाई है और आपके केबिनेट से सेंक्शन भी हो गयी है, लेकिन सभापति महोदय, विडम्बना यह है कि वह स्कीम भी एक्सपेरीमेन्ट के रूप में आई और उसको कोआपरेटिव के आधार पर शुरू करने की बात कही। यह स्कीम सहकारिता के आधार पर चलाई जाये इसके लिए मुझे कतई ऐतराज नहीं है लेकिन आपके विभाग में भी झगड़े हो रहे हैं। पावर डिपार्टमेन्ट कहता है कि पता नहीं इसका कौन मालिक है और कोआपरेटिव विभाग कहता है कि हमारे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है ? इस स्कीम को सेंक्शन हुए दो महीने हो गए और इसके लिए आपका पैसा भी नहीं लगाना है बल्कि आपको इस स्कीम के अन्तर्गत 1½, 2 करोड़ रुपया मिलने वाला है और सेन्ट परसेन्ट इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। जहां कि फर्टाइल लेण्ड है वहां की स्कीम को आप टेक अप करलें तो आपको यह पैसा मिलने वाला है। केवल आपका विभाग है और दूसरे विभाग हैं उनमें कोआर्डीनेशन नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील नहीं हैं और आपस में बैठकर निर्णय नहीं कर सके कि इस स्कीम को कौन चलायेगा, कौन देखभाल करेगा ? किसी विभाग के पास कोई आर्डर्स नहीं है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि दो महीने तो आपने निकाल दिये लेकिन अब इस स्कीम को कम से कम निश्चित रूप से जो भी विभाग डील–विथ करेगा तेजी से इस कार्यक्रम को लिया जाये ताकि वहां के क्षेत्र की जो योजना हाथ में ली है उस पर जल्दी से काम हो सके।

इसी प्रकार से सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग में बिजली नहीं मिली वहां तक तो जो हालत है निवेदन कर दी लेकिन बिजली मिलती है तो किस प्रकार से मिलती है इस बात से मंत्री महोदय वाकिफ हैं, सदन के सभी माननीय सदस्य वाकिफ हैं लेकिन जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। कनेक्शन लेना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से सभापति महोदय, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना मुश्किल है उसी तरह से बिजली का कनेक्शन लेना भी मुश्किल है। बिना ठेकेदार के कोई काम नहीं बनता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका पूरा बोर्ड और बोर्ड के अधिकारी ठेकेदारों से मिले हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसानों को राहत देना चाहते हैं तो इसके लिए टाइम फिक्स होना चाहिए कि दरख्वास्त देने के कितने दिनों बाद सिक्योरिटी ले ली जायेगी, कितने दिनों बाद डिमाण्ड नोटिस होगा और फिर कितने दिनों में पैसा जमा होकर कनेक्शन आप दे देंगे। यदि इस क्राइटेरिया के अनुसार अधिकारी कनेक्शन नहीं देता है तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें। इसके बारे में निश्चित रूप से कोई क्राइटेरिया फिक्स हो जाना चाहिए जिसके आधार पर आप किसानों को कनेक्शन दे सकें।

सभापति महोदय, मैं मेरे यहां की एक समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी ठेकेदार या अधिकारी कितना गलत काम कर सकता है यह उदाहरण मैं सदन के सम्मुख दूंगा। मेरे क्षेत्र में एक गांव इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए संक्शन्ड नहीं

(श्री सुरेशचन्द्र)

था लेकिन वहां ठेकेदार ने कहा कि कनेक्शन दिला दिया जायेगा। वहां हरिजन ने कुआ बनाया था लेकिन ठेकेदार ने मिसगाइड किया और सारी खानापूर्ति करने के बाद ठेकेदार ने उससे पैसे ले लिए। वहां पर मीटर लग गया और पानी चलने लग गया। जितना पैसा देना तय हुआ था वह उसने नहीं दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां से कनेक्शन हटाया गया, मीटर हटाया गया। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब आपने कनेक्शन दे दिया है तो फिर किस प्रकार से कनेक्शन हटा रहे है और यदि हटा रहे हैं तो जो भी हो ए. ई. एन. हो, एक्स. ई. एन. हो या कोई भी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की आपने ? जिन्होंने हरिजन को बरबाद कर दिया उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं ? इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय, यदि आपकी स्कीम यह है कि जो काश्तकार सेन्ट परसेन्ट पैसा देने के लिए तैयार है और बिजली लेना चाहता है तो उसके लिए बिजली देने की व्यवस्था कीजिए। अगर आपकी हालत खराब है तो आप कोई आधार बना दें कि जो काश्तकार इतना पैसा देगा तो चाहे सेन्क्शन्ड लोकेलिटी हो या नहीं हो लेकिन आप यह आधार बना दें कि यदि इतना पैसे जमा करा दे तो आप उसे बिजली दे ही देंगे। सभापति महोदय, लालसोट और दौसा में कई काश्तकारों ने एप्लीकेशन्स दी हैं और वह लाइन का खर्चा देने के लिए तैयार है लेकिन उनको आप कनेक्शन नहीं देना चाहते हैं।

इसी प्रकार से एक जेबरा कन्डक्टर का काण्ड है। इसमें बड़ी अजीब स्थिति यह हुई है। एक अधिकारी पहले इन्सपेक्शन करने गया। उसने रिपोर्ट दे दी कि यह योग्य नहीं है इसलिए काम में नहीं आ सकते। लेकिन पता नहीं किस कारण से दूसरे इन्जीनियर को भेजा गया और उससे वह जेबरा कन्डक्टर्स पास कराये गये और 1½-2 करोड़ का सौदा हुआ और उस समय हुआ जिस समय कि हमारे मौजूदा मुख्य सचिव श्री खुराना साहब बोर्ड के अध्यक्ष थे। यह मामला इतने सालों से लटका हुआ है। क्योंकि इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल है इसलिए आज तक उसके बारे में कोई रेस्पान्सीबिलिटी फिक्स नहीं की गयी। इससे न केवल पैसों का ही नुकशान हुआ बल्कि जिस काम को करने के लिए हमारा टाइम फिक्स था कि कहां तक लाईन खींच देंगे और कब तक बिजली दे देंगे-इसका किसानों को नुकशान हुआ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी जो स्थिति है उसके बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए यह महत्वपूर्ण विषय है, आखिरी दिन है, इसलिए आशा है कि आप रियायत करेंगे। किशनगढ़ में ट्रांसफार्मर जल गया, कोटपुतली में ट्रांसफार्मर जल गया। किसानों की फसल खड़ी थी। न तो आप इसको बदल सकते हैं न ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए या तो नए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करें या इनको ठीक करने की व्यवस्था करे, वरना किसानों में असंतोष है, वह घेराव भी कर चुके हैं। इन्जीनीयर वहां से भागकर जयपुर आ चुका है। किशनगढ़ में आदित्य मिल है उसको बिजली देते रहे है लेकिन छोटे उद्योगों को बिजली के संबंध में असंतोष है। हमारी

(श्री सुरेशचन्द्र)

सरकार की नीति है कि हम गरीब लोगों के समर्थक हैं, तो फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए और समय पर बिजली देनी चाहिए। आपने किसान को बाध्य कर रखा है कि आपकी मिनिमम पैसा जमा कराना पड़ेगा लेकिन यदि आपकी वोल्टेज में गड़बड़ी हो, लाइन में गड़बड़ी हो, यदि बिजली इरेंगुलर हो जाए तो किसान को क्या गारटी देना चाहते हैं ? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं ? आप बिजली दें या नहीं, लाखों रुपए की फसल को बरबाद करें, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं ? बोर्ड को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे रेगुलर बिजली देगा और नहीं दे पाए तो किसान को कम्पेंसेट करेगा।

करीब 1½ साल पहले कोटपुतली क्षेत्र में 5 गांव थे, सेक्शन्ड थे, लाइन पहुंची। ट्रांसफार्मर के लिए विधान सभा में मैंने पिछले सत्र में सवाल रखा था तो ट्रांसफार्मर लग गया था और मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि यह बात गलत है कि ट्रांसफार्मर नहीं है लेकिन आप मेरे साथ चलिए, दिल्ली जाते समय, आपको ट्रांसफार्मर गायब मिलेगा, पता नहीं कहां लगाया। जो 5 गांव सेक्शन्ड हैं उनमें से एक गांव तो नेशनल हाई वे पर है, अभी तक वहां लाइन नहीं। हम सवाल पूछेंगे तो कहेंगे कि सेक्शन हो गए। आप वहां से तार हटा दे ताकि किसान परेशान न हो। कनेक्शन आप देते नहीं, सामान आपके पास है नहीं, कन्डक्टर्स आपके पास नहीं हैं, मीटर आपके पास नहीं है तो कह दीजिए कि दो साल तक हम इन गांवों को बिजली नहीं देंगे।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

आप बार बार आदेश दे रहे हैं, मैं अधिक नहीं बोलूंगा लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है। दौसा में आप 33 के०वी० लाइन डालना चाहते हैं, लेकिन वहां कब पावर हाउस बनायेंगे, आपने निश्चित रूप से घोषणा नहीं की। इस बारे में जल्दी से जल्दी ऊंचे, लेवल पर प्रयास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कोटपुतली में 33 के.वी. लाइन डालना चाहते है लेकिन अभी वहां नहीं पहुंची यद्यपि रास्ते में है और मेरे ढाई साल के कार्यकाल में पहुंच जाएगी लेकिन जब आपने स्कीम बनाई है और बोर्ड सेंट पर्सेंट विद्युतिकरण करना चाहता है कोटपूतली में तो 33 के.वी. लाइन आपको डालनी पड़ेगी। मुझे जानकारी मिली है कि स्कीम है लेकिन आपको बराबर परस्यू करना चाहिए। आपने जो स्कीम्स बनाई हैं, आर. ई. सी. की अधिक से अधिक स्कीम्स बनानी चाहिए तो उनके लिए स्पेशल सेल होना चाहिए और जहां जहां बिजली देते हैं, वहां प्रापर मेन्टेनेन्स होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर्स खराब हो गए हैं उनका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। जहां गांव सेंक्शन्ड हैं वहां किसानों को परेशानी न हो। निश्चित नीति होनी चाहिए कि कितने गांवों में कितने कनेक्शन्स दे सकेंगे। कम से कम कोटपुतली में आर. ई. सी. की स्कीम को जल्दी से जल्दी शुरू करें। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा यदि वह कोटपुतली में जल्दी विभिन्न कामों को हाथ में ले।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (भीनमाल): यदि कहा जाए कि बिजली किसी देश की प्रगति का परिचायक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज दुनिया में वही देश उन्नत माने जाते हैं जहां प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा बिजली खर्च होती है और कोई भी यह बात

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कह कर नहीं चल सकता कि इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। पिछले 25 सालों में राजस्थान में बिजली काफी नए स्थानों पर गई है और जितने यूनिट्स पहले उत्पादित होते थे उससे कई गुना अधिक कर रहे हैं। पहले शहरों के अन्दर ही बिजली सीमित थी, आज गांवों में जगह जगह बिजली लगी हुई मिलेगी, कुओं पर बिजली लगी हुई मिलेगी। यह भी नहीं है कि इसमें काम करने वाले आदमी अच्छे नहीं है। जहां तक कन्सट्रक्टिव साइड है मियाद के अन्दर इन्होंने कई बड़े बड़े काम किए लेकिन इसका कुछ कमजोर पक्ष भी है। एक तो जितना खर्चा इसमें लगा हुआ है उसके मुकाबले में आमदनी बहुत कम है और एक तरह से इनका मोनोपाली का धन्धा है और इसमें कस्टमर्स की कमी नहीं है। इसलिए इतनी पूंजी लगी हुई होते हुए भी इससे ज्यादा आमदनी न होना यह बताता है कि इसके मैनेजमेंट के अन्दर कहीं कमी है। इसके लिए बोर्ड को विचार करना चाहिए। जो अनइकानामिक लाइन्स पहले लगी हुई हैं वे इकानामिक कैसे बनें, अगर कोशिश के बाद भी नहीं बन सकें तो क्या कार्यवाही करनी चाहिए, जो नई लाइन्स दी जाएं वे इकानामीकल हों, इस पर सोचना है। कई लाइन्स मेरे ध्यान में ऐसी हैं जो पिछले वर्ष तक सेंक्शन हुई हैं और उन पर लगे हुए इंजीनियर भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कभी इकानामीकल नहीं हो सकेंगी। 20-25 मील तक लाइनें लग रही हैं और बहुत सी जगह ऐसी रह जाती हैं जहां पर बहुत कन्ज्यूमर्स को कुओं पर या छोटे उद्योगों वालों को बिजली नहीं दी है। तो बोर्ड को खास तौर से इस बात को गहराई से देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितने कुए हैं, कितनी दूरी पर हैं, किस क्षेत्र में ज्यादा फायदे की उम्मीद है। खाली दबाव से या पक्षपात से काम करना उचित नहीं होगा।

आपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक तरीका यह भी अपनाया कि दर बढ़ा दी जाए। मैं समझता हूं, आपने जो दर एकदम बढ़ाई है, अधिक है और किसी प्रदेश में इतनी दर एक साथ नहीं बढ़ाई और राजस्थान हिन्दुस्तान में पहले दो तीन राज्यों में है जहां सबसे ऊंची दर है। एकदम दुगुनी कर देना उचित नहीं है। दूसरी तरफ जैसे श्री शीशरामजी ने कहा, उद्योग धन्धों के लिए आपने बिजली की वही पुरानी रेट रखी है। जो उद्योग धन्धे अपना माल पैदा करते हैं, उनको पुरानी दर पर बेच रहे हैं क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत मंत्री): माननीय सदस्य को भ्रम है कि बड़े उद्योगों का टैरिफ रिवाइज नहीं किया है और पुराना टैरिफ ही है।

श्री पी० के० चौधरी : सब टैरिफ को रिवाइज किया है ? डी. सी. एम. और साहू जैन की रेट को रिवाइज किया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सीधा सादा सिद्धांत है, महंगाई होती है तो आपके कर्मचारी महंगाई के जितने यूनिट्स बढ़ते हैं उस हिसाब से महंगाई भत्ता चाहते हैं। मोटर कार निर्माण करने वाले कीमतें बढ़ा रहे हैं तो आप भी अपने उत्पादन में जितने सूचक अंक बढ़ जायं उस हिसाब से आप कर दीजिए तो न्यायोचित होगा लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि खेतीबाड़ी में काश्तकार से पहले ही बहुत से टैक्सेज

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

लिए जा रहे हैं और अब काश्तकार पर आपने बहुत ज्यादा बोझ बढ़ा दिया। उसके साथ साथ आपने मिनिमम चार्जेज फिक्स कर दिये हैं वह भारी पड़ेंगे। बहुत भार पड़ेगा और उसमें कई केसेज ऐसे आयेंगे जिनमें बड़े बड़े एक्सपर्ट डिफर कर सकते हैं। इसलिये खासतौर से निवेदन करना है कि मिनिमम चार्जेज हैं इनको रिड्यूज करने की आवश्यकता है और इसमें जगह जगह के आप और कुछ नहीं तो फैक्ट्स फिगर कलेक्ट कीजिये। उसके एवरेज के हिसाब से आप मिनिमम चार्जेज लगाने के बारे में देखियेगा।

दूसरी बात जो इसमें है वह है कि आपका कनेक्शन देने का सवाल है कंज्यूमर को। आप भी माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं और मंत्री महोदय भी परिचित होंगे, मैं ज्यादा स्पष्ट इस बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन इसके अन्दर जो कनेक्शन लेना चाहता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। उसका बड़ा पैसा खर्च होता है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। इस चीज के अन्दर आपको सुधार लाना चाहिये। फिर राजस्थान के अन्दर लाइनें बड़ी लम्बी लम्बी दूरी से आती हैं जिनमें बड़ा लीकेज होता है। 33 के वी. की लाइन, 11 के. वी. की लाइन, 132 के. वी. की लाइन जिसमें बहुत दूर से बिजली आती है और यह बात निर्विवाद है कि लीकेज बहुत ज्यादा है और उसके लिए ज्यादा आपको सतर्कता बर्तनी चाहिये। इस बारे में ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि मौके पर जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जो लाइनों को देखते हैं वह खुद कंज्यूमर्स को इसकी तरकीब बताते हैं कि इस तरह से इस फ्यूज पर इस तरह से पलट देने से खर्चा इतना हो जायगा। यह कई तरह की शिकायतें हैं। फिर जब जुर्माना होता है तो कंज्यूमर चिल्लाता है कि हमें वही तरकीब बता कर गये थे, यह बड़े शर्म की बात है। इन पर आपको सख्ती से नियंत्रण रखना चाहिये और जो चोरियां होती हैं बिजली की उनको आपको रोकना चाहिये, आपको इतना वीड आउट करना चाहिये।

फिर एक सवाल आता है और जिसके बारे में मैं खासतौर से माननीय सदस्यों के लिए कहना चाहता हूं। मेरे पास भी कई दफा शिकायतें आती हैं कि तीन तीन दिन तक बिजली नहीं मिलती, बिजली का करेण्ट बहुत लो है, वोल्टेज बहुत लो हो गया है, मशीन जल गई है, फसल जल गई है, यह जल रही है, वह जल रही है। एक बात सदस्यगण साफतौर पर समझ लें कि ये लोग इसका इलाज करने वाले नहीं हैं, इसकी इनको चिन्ता भी नहीं है। इसका सीधा सादा इलाज यही है कि ये भी कांट्रेक्टिंग पार्टी हैं। जो इलेक्ट्रिक विभाग है यह किसी भी कानून में देख लें और हम बराबर की पार्टीज हैं। इन्होंने हमको फसल पैदा करने के लिये करेण्ट देने का इकरार किया था। यदि यह टाइम पर नहीं दे पाते हैं और उससे फसल खराब हो जाती है तो इनको कम्पन्सेशन देना पड़ेगा। यह इनकी एक सिविल रेस्पांसिबिलिटी है, सिविल लायबिलिटी है डेमेजेज के लिये। मैंने अपने यहां पर कई लोगों को कहा है, जो मालदार अच्छे पैसे वाले आदमी हैं उनको इस बात के लिये तैयार किया है कि वे नोटिसेज दें और कोर्ट में केसेज हों। जब तक यह नहीं होगा बोर्ड जागृत नहीं होगा, इस काम के लिए सक्रिय नहीं होगा। इसलिए जगह जगह ऐसे केसेज

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में फंसा कर नोटिसेज लगें ताकि डिग्रियां होने लगें ताकि यह साबित होने लगे कि उस वक्त बिजली नहीं देने से कितना नुकसान होता है और बोर्ड पर कितना भार बढ़ता है। इधर तो यह थोड़ा सुधरें और उधर हम नोटिसेज बराबर दिलायें तो यह हर एक का फर्ज होना चाहिये। वह कम से कम पचास कंज्यूमर ऐसे तैयार करें इस मुकदमेबाजी के लिए जो इन पर दावे करें, डिग्रियां करावें ताकि हर्जे की समस्या का हल हो। इनके नाम पर ज्यूडिशियल प्रोनाउंसमेंट हो ताकि इसकी जो अपनी तरफ से लेने देने की बातें होती है वह खत्म हो जाय। कभी बिजली बन्द कर दी, कभी कोई लाइन बन्द कर दी, कभी पंजाब से जोड़ दिया और कभी कहां से जोड़ दिया और इस बीच में हमारे हजारों का नुकसान हो जाय, तो कोई हर्ज नहीं हमको तो पैसा दे दो, हर्जाना दे दो। फिर यह आपके हाथ हैं चाहे आप करण्ट दो चाहे काट दो किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से बिजली बन्द रहे। जब आप बिजली से आधुनीकरण कर रहे हैं तो आपको उसके लिये तैयार रहना चाहिये। तो यह लॉ में पोजीशन है जिसके लिये जनता को तैयार करना चाहिये। वी मस्ट नो टू सेफगार्ड अवर राइट्स। तो यह बात है।

दूसरा मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में दो 132 के. वी. की लाइनें अभी स्वीकृत हुई हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका निर्माण शीघ्र शुरू करा दें। इसके अलावा आर. इ. सी. की योजना भी स्वीकृत हुए दो महीने हो गए, अभी तक स्टाफ की नियुक्ति भी नहीं हुई है। इसी तरह से भंडार सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है इधर भी एक योजना स्वीकार होती है और इधर रानीवाड़ा तक का क्षेत्र है जहां 15-16 मील का बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है जहां कृषि की काफी गुंजाइश है। वहां तीन चार नदियां तो बारह मास चलती रहती हैं। उस क्षेत्र में वह क्षेत्र छूटा हुआ है, इसको जोड़ने के लिए बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए कार्यवाही की जाय तो यह बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी इससे आपको बड़ा फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, आज जिस विषय पर बहस हो रही है वह बहुत ही अहम विषय है। किसी भी देश के उत्थान के लिए दो चीजें सबसे बड़ी आती हैं जो प्राथमिक आवश्यकता है और वह है विद्या और विद्युत। अंधकार को हटाने के लिए, दिमाग के अंधकार को हटाने के लिए जहां विद्या की जरूरत है वहां देश के अन्धकार को और औद्योगिक पिछड़ेपन को हटाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। हमारे प्रान्त में विद्युत काफी है। विद्या का प्रचार कितना है यह बात अलग है किन्तु विद्युत काफी है। फिर यह खुशी की बात है कि हमारे यहां बिजली काफी पैदा हो रही है। लेकिन जो बिजली पैदा कर रहे हैं उस बिजली का कितना उपयोग कर रहे हैं, और उसका सही उपयोग कर रहे हैं, उससे जो ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग सहीरूप में होना चाहिए वह हो रहा है या नहीं यह बड़ा प्रश्न है।

सभापति महोदय, हमारे यहां बिजली का उपयोग राजनीतिक तौर पर किया

(श्री केशरीमल)

जाता है, व्यापारिक तौर पर नहीं किया जा रहा है। अगर व्यापारिक तौर पर यह बोर्ड काम करता तो कभी घाटे में नहीं जाता। नफा नुक्सान बराबर करके चल सकता था, लेकिन इस बोर्ड की, इस राज्य की नीति बिल्कुल यों कहना चाहिए कि यह गरीबों के पक्ष की नहीं है, यह छोटे वर्ग के पक्ष की नहीं है। ऐसे लोगों के पक्ष की है, जिसमें बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की नीति है। उस हिसाब से बोर्ड का इस्तेमाल मण्डल का इस्तेमाल किया जाता है। देश के बड़े 2 कारखाने जिनको बिजली दी जाती है इसके लिए यह कहते हैं कि चूंकि प्रान्त का औद्योगीकरण करना है इसलिए इनको सस्ती बिजली दी जाती है और उनके लिए टैरिफ भी कम रखते हैं लेकिन छोटे लोगों के ऊपर बहुत भार बढ़ाया जाता है। जब कहा जाय कि हमें इस प्रान्त में उद्योगों को बढ़ाना है, उद्योगों को पनपाना है तो उनको विद्युत भी सस्ती देना आवश्यक है। मैं सभापति महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री जी को निवेदन करूंगा और यह पूछूंगा कि फिर क्या कारण है कि एक बिड़ला के कारखाने को या जे. के. सिंथेटिक जैसे बड़े कारखानों को तो सस्ती दर पर बिजली दी जाय और छोटे 2 उद्योगों की टैरिफ ज्यादा हो, इसका कारण क्या है। छोटे उद्योग जो हैं उनके भाव आप बढ़ाते जाते हैं। जब आप छोटे उद्योगों को दी जाने वाली बिजली के भाव बढ़ाते जाते हैं तो बड़े उद्योगों के भाव क्यों नहीं बढाते। अगर उनकी रेट बढाना उचित नहीं समझते तो फिर छोटे उद्योगों पर ही यह भार क्यों डाल रखा है। सभापति महोदय, यह साफ सूचित करता है कि इस प्रकार ये बड़े 2 उद्योगपतियों, बड़े उद्योग घरानों को तो छूट दे रहे हैं, उनको तरजीह दे रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उनके घरों में तो जबरदस्ती माल डाल रहे हैं इस तरह से। उनकी थाली में तो घी डाल रहे हैं कि खाओ मजे से लेकिन छोटे लोगों को दबायेंगे। मेरा निवेदन है कि अभी जो टैरिफ रेट बढ़ी है उस टैरिफ में जो छोटे 2 काश्त वाले लोग हैं उन पर काफी भार बढ़ा दिया है। माननीय सभापति महोदय, यह राज्य सरकार को विचार करना चाहिए था कि एक हैक्टर जैसी सिंचाई करने वाले लोग हैं, एक हैक्टर पर खेती करने वाले लोग हैं, जो उनकी सिंचित भूमि है. उनके ऊपर तो कम से कम यह टैरिफ का भार नहीं बढ़ना चाहिए था। उनको छोटे-2 उद्योगपतियों पर भार नहीं बढ़ाना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं इनके ऊपर जहां यह फर्क इन्होंने करके सिखाया है वहां यह भी बात सामने आ गई है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने ज्यादा बिजली कंज्यूम की है. बड़े 2 लोग हैं उनके ऊपर मेरा ख्याल है अगर बकाया की राशि हम देखेंगे तो वह भी बहुत काफी नजर आएगी। मैं निवेदन करूंगा आपके जरिये से कि यह मण्डल का तरीका, यह राजनीतिक तरीके से प्रभावित होकर कार्य करने का तरीका है और जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उसका उदाहरण भी देखिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मण्डल में राज्य के अधिकारी, उनका प्रशासनिक ढांचा किस तरह का है। वहां जो बोर्ड है उस बोर्ड के

(श्री केशरीमल)

अन्दर ऐसे लोग बराबर जमा है जो एक दूसरे के लिए ही काम करते रहते हैं। तू मेरी न कह, मैं तेरी न कहूं। तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी तारीफ करूं। तू मेरी तर्क नहीं करे, मैं तेरी तर्क नहीं करूं। इस प्रकार का ढांचा गठित किया गया है। एक नयनपाल जी लगे हुये हैं, वह बोर्ड में किस प्रकार से तरक्की करते हैं। एक बोर्ड के मेम्बर का लड़का अगर आर. एस. इ. बी. की परीक्षा में बैठे और पास नहीं हो तो नियम ही बदल दिया जाये। तुम्हारा काम बनाना हो तो मैं नहीं बोलूं। वह एक दूसरे को इस प्रकार से मदद करते हैं।

सभापति महोदय, इस बोर्ड में जो अधिकारी बैठे हैं, उनकी मौज से छन रही है। नीचे वालों को तो मैं बाद में देखूंगा। जो प्रमोशन्स के तरीके हैं और जिस प्रकार से लोग बढ़ रहे हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड दबा चला जा रहा है। उसके ऊपर चार्जेज बहुत बढ़ रहे हैं। आज बोर्ड का ढांचा राज्य के बराबर गठित हो गया है। पहले यह राज्य की तरफ से चलाया जा रहा था। उस वक्त 5-10-15 आदमी होंगे। आज सैकड़ों की तादाद में भीड़ लगी हुई है। जैसे लूली लंगड़ी गायों को लेजाकर बैठा दिया। उनकी तादाद इतनी बढ़ गई हैं जिसकी सीमा नहीं है। इसके कारण बोर्ड को नुकसान होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है। मैं उसके बारे में बहुत सी बातें बोल रहा हूं क्योंकि मेरे बोलने पर बन्दिश है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बन्दिश क्या है?

श्री केशरीमल : पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी का मेम्बर होने के नाते मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इन्होंने जो बात कही है, वह ठीक है।

श्री केशरीमल : तो मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय, सारे मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाये। जिसमें विधान सभा के सदस्यों को भी सम्मिलित करें। वाटर और पावर की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी के मेम्बर हैं। वह यहां पर बोर्ड के बारे में इस प्रकार से बोल सकते हैं?

श्री पी. के. चौधरी : बोल सकते लेकिन पी. यू. सी. के मेम्बर होने की वजह से वैसे नहीं बोल सकते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जो जानकारी प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार वह नहीं बोल सकते हैं। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, उसके आधार पर बोल सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं। वह स्वयं इसका ध्यान रखते हुए बोल रहे हैं।

श्री केशरीमल : माननीय सभापति महोदय, मुझे खूब ध्यान है। उनको भी

(श्री केशरीमल)

कहना चाहिए था। हो सकता है माननीय सदस्य को कुछ बातें बुरी लगी हों। तो मैं निवेदन कर रहा था कि विधान सभा के मेम्बर्स की एक कमेटी बनाई जाये। क्या हमारे ओवर चार्जेज ज्यादा हैं। एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठा कर ली गई है। आखिर इस तरह से ज्यादा खर्चा क्यों बढ़ता जा रहा है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी की ओर से एक ही आदमी बोल रहा है। अपने दल की तरफ से मैं ही बोल रहा हूं। दो चार मिनट में पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि एक कमेटी इसकी जांच के लिए बैठायें। लीकेज के बारे में जो बात आई हैं, उनके बारे में, मैं निवेदन करूंगा, यह वायरों की वजह से हो रहा है। इस लीकेज के कारण, इलेक्ट्रिक की चोरी होती है। वह कुछ पकड़ी जा रही है। कुवों पर मोटरों के केस पकड़े गये हैं। जहां इस प्रकार के केस पकड़े गये हों, वहां उन अफसरों का तबादला किया जाये। लीकेज के मामले बहुत बड़े हैं। अगर इसके बारे में जांच कराई जाय तो कई अधिकारियों के हाथ मिलेंगे। मन्थली ऐसे बांध रखे हैं। चोरी करके पैसे बनाये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह मेरे इलाके की बहुत बड़ी समस्या हल होगी। इस बारे में टैक्निशियन्स को साथ लेकर जानकारी की जाये। यह चोरियों के केस हो रहे हैं। इसी प्रकार से मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा तादाद में बकाया है। सभापति महोदय, लाखों रुपया बकाया है। यह तो है ही। ऐसे कई व्यक्ति हैं, जिन पर करीब दो ढाई करोड़ रुपया बकाया है। केस चल रहे हैं। क्यों नहीं उन पर वसूल किया गया है। अगर 300-350 करोड़ रुपया बकाया रखेंगे, वह लेंगे नहीं, तो वह रुपया बढ़ रहा है। दुहरा नुकसान बोर्ड का हो रहा है। सभापति महोदय, इस प्रकार से बोर्ड को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़ी अजीब स्थिति है सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बोर्ड में दूसरी तरफ लोगों के मर्डर किये जा रहे हैं। उनको जान से मारा जा रहा है। कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। सभापति महोदय, ऐसे अजीब से मामले हैं। इनको समझा जाये। ये ऐसे मामले हैं जिनमें अधिकारियों के हाथ हैं। अगर कोई अधिकारी किसी मजदूर से नाराज हो जाये। किसी वजह से नाराज हो जाये। यूनियन का कार्यकर्ता है, इस वजह से ही नाराज हो जाये। वह अधिकारी समझ ले कि इसने हमसे कोई बात कही है जिसका उसे बदला लेना है। मजदूर ने उसको कोई बात कही है। माननीय सभापति जी, उस अधिकारी ने यूनियन के कार्यकर्ता, मजदूर की जान ले ली। ऐसी एक नहीं, दस घटना गिना सकता हूं जिसमें मजदूरों को अधिकारी ने उड़ा दिया भड़ाक से। ऐसी आठ दस घटना हैं। अलवर का हजारीलाल शर्मा, ब्यावर का गोपाल, केकड़ी की एक घटना है। परसों की घटना है। मैं ऐसी आठ–दस घटना गिना सकता हूं, मुझे आठ दस घटनाओं का मालूम है, उन कर्मचारियों को, जो यूनियन के कार्यकर्ता थे, उन अधिकारियों ने लाइन पर चढ़ाया और फड़ाक से उड़ा दिया....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह भयंकर मामला है। दिस इज ए वेरी सीरिअस आफेंस।

श्री केशरीमल : सीरियस मामला है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, नाम दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि इन आठ दस व्यक्तियों के मामलों की जुडिसियल अधिकारी से जांच करा कर छानबीन करनी चाहिए। जिस हजारीलाल शर्मा का मैंने नाम लिया, वह यूनियन का कार्यकर्ता था, लाइनमैन से उसकी कहा सुनी हो गई। उसने कहा कि मुझे सामान नहीं दोगे तो मैं काम पर नहीं चढ़ूंगा। उसने अधिकारी को लिख कर दिया, मैं लाइन पर नहीं चढ़ूंगा। मैं लाइन पर चढ़ूंगा तो मुझे उड़ा दिया जायगा। आप मुझे लाइन पर मत भेजिये। आप कारगुजारी देखिये, यह 19 जुलाई की, उसे थानागाजी भेजा, वहां उसको लाइन पर चढ़ा कर भड़ाक से उड़ा दिया। दो घटनायें अलवर में हुई केकड़ी में एक घटना हुई। एक मजदूर नया भर्ती हुआ था, उसका इंजीनियर से झगड़ा हुआ क्योंकि वह तिरंगे झण्डे को छोड़कर लाल झण्डे की यूनियन में आ गया। उसने इंजीनियर का कहना नहीं माना। उसने कहा, लाइन बन्द हैं, तुम चढ़ जाओ। वह चढ़ गया। उसने उसको भड़ाक से उड़ा दिया। ब्यावर में तीन घटनायें हुई हैं, अलवर में दो हुई हैं, केकड़ी में एक हुई हैं। ब्यावर में अजीब घटना हुई, मजदूर यूनियन का कार्यकर्ता था, इन्टक का, गोपाल। इस गोपाल नाम के इन्टक कार्यकर्ता का इंजीनियर से बखेड़ा हुआ। इंजिनियर ने तय कर लिया इसको उड़ा दूंगा। वह उसको अपने साथ मोटर में बिठा कर ले गया, लाइन ठीक करनी है, तुम चलो। वह चला गया। इंजिनियर ने कहा था कि इतने बजे इतने मिनिट पर लाइन बन्द करा दूंगा। डिस्टेन्स पन्द्रह बीस मिनिट का था वह वहां चला गया। वह मजदूर अगर अपने काम को अन्जाम नहीं देता तो कहते कि इसने काम को अन्जाम नहीं दिया, यह चढ़ा नहीं। वह इतने बजे इतने मिनिट पर लाइन पर चढ़ गया लेकिन वह लाइन बन्द नहीं थी, वह झटका खाकर गिर गया। वह मरने जैसा हो गया, आज अस्पताल में है। न मरा तो और मुश्किल। कैसे जिन्दा रहेगा, कैसे चलेगा। हजारीलाल शर्मा का जो जिक्र किया है, सभापति महोदय, उसे अधिकारी ने लाइन पर चढ़ा दिया। चढ़ा दिया और मार दिया। उसका इतना दुःख नहीं है, दुःख इस बात का है कि वह दिन भर लाइन पर लटका रहा। ऐसी दुःखद घटना है। ऐसी चीजें इस बोर्ड के अंदर यह लोग कर रहे हैं। यह दर्दनाक है। सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं, इससे मैं नहीं कहना चाहता कि आप इनको पैसा दीजिये, मुआवजा दे दीजिये, उसमें कौनसी अहसान की बात है, मुआवजा तो उसको मिलेगा लेकिन मुआवजे की क्या कीमत होती है जब इन्सान मर जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह आठ दस केसेज मैं बता रहा हूं, मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें कि इन आठ दस केसेज की जुडिसियल जांच करायेंगे कि यह हत्या है या एक्सीडेंट के केसेज हैं। इन चीजों को जब देखते हैं, सभापति महोदय, तो इनसे बोर्ड को नुकसान तो होता ही है, हमारा दिल भी जलता है। अगर मजदूर काम पर नहीं जाता है तो उसको निकालने की कार्यवाही चलती है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उसको तब्दील किया जाता है— यह सब तब्दीली वगैरह हम बर्दाश्त करते हैं, सोचते हैं, हमें हमारा काम करना है, यह हमारा बोर्ड है, यह बोर्ड

(श्री केशरीमल)

जनता का है, पब्लिक की थाती है, इसको बनाये रखना चाहते हैं । लेकिन हम सब तरह की कुर्बानी देकर भी इस प्रकार हत्या नहीं होने देंगे । इन्हें रोकना आवश्यक है । मैं निवेदन करना चाहता हूं यह हालत चलती है कि मजदूर सोचते हैं, हम काम क्यों करें। उनकी हालत ऐसी बना दी है जिसकी वजह से बोर्ड को नुकसान होता है । आज फिक्सेशन के मामले बड़े लम्बे अर्से से चल रहे हैं। 68 के केसेज हैं, 72 के केसेज हैं. उनके फिक्सेशन की कार्यवाही करनी चाहिए। इन्टक के लोग, मैं समझता हूं, समझौता इस मामले में कराने वाले हैं । लेकिन वह समझौता लागू न करें, 1968 के फिक्सेशन न करें, 1972 के फिक्सेशन न करें । इन सब मामलों पर सुनवाई करने के लिए एक चेयरमैन और बिठाया, जो एक चेयरमैन पहले थे, मैंने जैसा कहा, बड़े बड़े अधिकारियों की कहां किस प्रकार रोजी रोटी चले, इसके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं, इसलिए अपील सुनने के लिए उनको बिठाया। लेकिन वह अपील ऐसी सुनते हैं कि अपीलों का फैसला नहीं करते हैं, उनको वापिस लौटा देते हैं, उनको निपटाया नहीं जाता है। उन्होंने नीति ऐसी बना ली है कि जिसके आधार पर अपीलों का रास्ता खुलता जाता है। उनको इस काम के लिए वहां पर चेयरमैन बनाया और एक दूसरे चेयरमैन बैठे हैं, वह तनख्वाह ले रहे हैं मजदूरों को राहत देने के लिए लेकिन मजदूर बराबर परेशान हैं और उनको राहत मिलती नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन फिक्सेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई । यह फिक्सेशन करने का काम सरकार का है, यह प्रशासन का है, हम बहुत दफा बोर्ड और सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं कि यह गलत काम कर रहे हैं, इस गलती से बोर्ड का नुकसान होगा, मजदूरों का नुकसान होगा, इससे जबर्दस्त झगड़े होंगे । आप इनको निपटा दीजिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड की जो फिक्सेशन कमेटी है, उसमें इन्टक का आदमी लिया गया । इस इन्टक में भी दो इन्टक हैं । यह ठीक है कि आप लाल झण्डे वालों के साथ ज्यादती करें, लेकिन इस इन्टक में भी एक हिस्से की बात चलेगी और बाकी दूसरे हिस्से का बेड़ा गरक करेंगे । अगर इन बातों को लेकर मुकदमा लड़ने जाना चाहें तो मुकदमा भी नहीं लड़ सकते । हम लेबर कमिश्नर के पास जायें तो वह कहेगा, इन्टक और बोर्ड का समझौता हो चुका है, इसलिए अदालत में नहीं जाने देंगे । मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरा हक मार दिया गया, मेरी तनख्वाह कम हो गई, अब हम कहते हैं कि न्याय पाने के लिए हम अदालत में जायेंगे तो वह कहते हैं, लेबर कमिश्नर की इन्टक के साथ समझौता हो गया है, तुम्हें अदालत में नहीं जाने देंगे । अब अगर फिक्सेशन कमेटी के फैसले के खिलाफ अपीलेट आथोरिटी में जायं, जो कक्कड़ साहब की कमेटी है तो वह सुनेंगे नहीं, टालेंगे और वापिस भेज देंगे, इधर उधर टक्कर खाते रहें । इससे कर्मचारियों का नुकसान होता है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है । ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जिनका नुकसान हुआ है फिक्सेशन न होने के कारण नुकसान हुआ है । यही नहीं, अपील पेंडिंग पड़ी है, लेकिन दूसरों का फिक्सेशन कर दिया । उनका क्या होगा जिनकी अपील पेंडिंग पड़ी है । अगर किसी मजदूर से राजनैतिक द्वेष है तो इससे उसका नुकसान कर रहे हैं

(श्री केशरीमल)

इससे न केवल कर्मचारियों और मजदूरों का नुकसान कर रहे हैं बल्कि बोर्ड का भी भारी नुकसान कर रहे हैं।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट में, मैं अपनी बात अर्ज कर दूं। ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं, जो रिटायर हो गये हैं। रिटायर ही नहीं हुए हैं लेकिन उनके कागजात पेंशन के नहीं बनते है। ऐसे कई कर्मचारी मजदूर हैं जिनके दो दो, चार हिसाब के खाते चल रहे हैं। न मालूम क्या हो रहा है। बोर्ड में आप जिस तरफ आंख उठा कर देखेंगे, ऐसी मिसाल आपको मिलती जायेंगी। ऐसी हालत बद से बदतर की है कि जिसकी कोई हद नहीं है।

मैं एक मिनिट में बात समाप्त करना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं दो लाइन में कहना चाहता हूं कि 1969 में वेज बोर्ड आया और 1974 तक वेज बोर्ड रहा और उसके बाद वेज बोर्ड समाप्त हो गया, पांच साल की अवधि में एक दफा वेज बोर्ड आता है, यह 1969 से 74 के बीच में उसने सिफारिश की कि अब वर्क मजदूर नहीं रहने चाहिए, सबको कायम मजदूर रहना चाहिए और जिसका क्लेम है उसको रखना चाहिए। लेकिन आज दो तिहाई मजदूर ऐसे हैं जो वर्क चार्ज पर रखे हुए हैं और वेज बोर्ड की सिफारिश और दूसरे फैसलों को किसी हालत में मानने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा यह है कि कर्मचारी रोज लड़ते हैं और उनमें बखेड़े होते हैं जिनका होना न मुनासिब है, न मौका है। लेकिन इनके पास न ख्याल है न दिमाग है कि हमें न्याय करने के लिए बात सोचनी चाहिए। जब सरकार अदालत में नहीं जाने देगी, मजदूरों के फेवर में अदालत के फैसले को नहीं मानेगी, न वेज बोर्ड के फैसले को मानेगी तो आखिर सरकार क्या करना चाहती है। यह पिक्वेशन कमेटी के अन्दर बैठायेंगे उन लोगों को जो इनके साथ अन्याय करेंगे। इस प्रकार कई प्रकार की ज्यादती होने के कारण बोर्ड के कार्य का नुकसान हो रहा है। मैं अंत में निवेदन करना चाहूंगा, मैंने जैसा जिक्र किया, बहुत सी बातें मेरी जानकारी में हैं लेकिन मैं उन पर बोल नहीं सकता, चाहे वह कन्डक्टर का मामला हो, चाहे वह ट्रान्सफार्मर का मामला हो, पर्चेजिंग का मामला हो, यह सारे ऐसे मसले हैं, सभापति महोदय, सभापति महोदय, खुदा जाने, इनसे होने वाले लॉस को पूरा करने के लिए कितनी दफा आप टेरिफ बढ़ायेंगे। एक तरफ टेरिफ बढ़ा कर आप पैसा लेंगे, जैसे एक होज में एक नल चले, वह पांच दस गैलन पानी लाये, ऐसे दस नल चलें, तो वह दस गुना पानी लायेंगे लेकिन एक नल ऐसा चले जिसमें से एक मिनिट में पचास गैलन पानी निकल कर होज खाली है। तो कितना ही पानी नल लाते रहें, लेकिन एक बम्बा ऐसा खोल रखा है माननीय सभापति महोदय, इस तरह से इस बोर्ड में बहुत सी कमियां है। इस तरह की कमेटियां स्थापित की जायं और इसकी छान-बीन की जाये। चाहे परचेजेज के मामले हों, उनकी छान-बीन नहीं की तो कितना ही टेरिफ बढ़ा दीजिये यह उससे भी ज्यादा घाटे में जाएगा।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय सभापति जी, राजस्थान राज्य विद्युत

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मंडल का आय व्ययक 1974-75 प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : संक्षेप में ही कहूंगा। पहले जो लॉसेज हुए हैं 71-72 में 270.82 लाख, 72-73 में लॉसेज हुए हैं 590.72 लाख, 73-74 में लॉसेज हुए है 620.20 लाख और 74.75 के एन्टीसिपेटेड लॉसिज हैं 1267-12 लाख। यह लॉसेज बराबर बढ़ रहे हैं। अब इन लॉसेज के बढ़ने का कारण क्या है? कुछ कारण जो बतलाये गये हैं, वे कारण सही हैं और कुछ कारण यहां पर नहीं दिये गये हैं। हमारे क्षेत्र में डीज़ल सेट्स से बिजली प्रोवाइड की जाती है। डीजल सेट्स से जो बिजली प्रोवाइड की जाती है वह एक तरफ से इकोनोमिकल नहीं हो सकती है और लासेज में चलती हैं। वास्तविकरूप से यह लॉसेज सही हैं। राजस्थान विस्तृत है एरिया में। तो लाइन्स का एक्सटेन्शन जितना सरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में बढ़ायेंगे उतना ही यह अनइकोनोमिकल रहेगा, अनरेम्युनरेटिव रहेगा और यह कार्य करना आवश्यक है। अगर सरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम नहीं करते हैं तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। अब अगर कॉमर्शियल दृष्टि से देखें, कॉमर्शियल कन्सर्न मान कर चलें तो जो सोसल आब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन बढ़े, वह पूरा नहीं होगा। पूर्वी क्षेत्रों का विकास हो। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रों का विकास हो। देश की रक्षा का प्रश्न है, अगर पश्चिमी क्षेत्र विकसित नहीं होते हैं राज्य के नक्शे में जो पश्चिमी क्षेत्र हैं जैसलमेर, बाड़मेर हैं उनमें बिजली की व्यवस्था का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, इन क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता नहीं तो देश के प्रहरी आप हैं, देश की रक्षा करने वाले आप हैं और आप विकास नहीं होने देना चाहते हैं तो रक्षा कैसे होगी। इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए खर्चा करना होगा और वह खर्चा अन् इकोनोमिकली होगा। यह मैं स्पष्ट कह रहा हूं। इसके लिए अगर बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जाये तो उचित नहीं होगा।

श्री रामकिशन : दुश्मन को रास्ता रोशनी से नहीं दिखाना चाहते हैं।....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर इन क्षेत्रों को विकसित नहीं करेंगे तो इन क्षेत्रों की जनता का मोरल विकसित नहीं होगा। मोरल विकसित नहीं होगा तो वे स्टेन्ड नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सिटीजन मुकाबला नहीं कर सकते हों और मिलिटरी की चाहे कितनी ही ताकत हो, देश दुश्मन के आगे कभी भी नहीं ठहर सकता। यह आपको मानकर चलना होगा। हम जो वहां पर विकास का काम कर रहे हैं वह देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप बोर्डर को फेन्सिंग करवाना चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह आवश्यक है।

अब प्रश्न उठता है। यह मिनिमम चार्जेज हैं। यह जो मिनिमम चार्जेज रखे हैं इसके बारे में भी मैं कुछ कहना आवश्यक समझता हूं। मिनिमम चार्जेज जो अभी मुकर्रर किये गये हैं। पांच हार्स पावर पर 65 रुपये, 7.50 हार्स पावर पर 175 रुपये

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

और इसके अबाउ 225 रुपये मुकर्रर किये गये हैं। यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट में यह जो मिनिमम चार्जेज हैं, जहां कि विद्युत हाइडल से नहीं पहुंची है, मेरा निवेदन यह करना है कि वहां पर फ्लेक्च्यूएशन होते रहते हैं। बिजली रेगुलरेट नहीं है। समय पर नहीं पहुंचती है। किसी भी तरह से सप्लाइ एश्युरेड नहीं है। सप्लाइ एश्युरेड नहीं है और आप मिनिमम चार्जेज वसूल करेंगे तो आपको यह देखना चाहिये कि जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर भी यह मिनिमम चार्जेज करेंगे जो इन हालातों में प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है। वह क्षेत्र उन्नति नहीं कर सकता है।

रेट्स जो हैं, इसके लिए जो टेरिफ रेट्स हैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। यह जो बढाई है वह ज्यादा है। अब आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर की टेरिफ बढ़ायेंगे तो इसका भार काश्तकार पर पड़ेगा। अनाज वैसे ही महंगा है और इससे और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। इस रेट के बढ़ाने से अनाज महंगा होगा। अनाज महंगा होने से गरीब आदमी पर और अधिक वजन पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो लॉसेज हों उसको गवर्नमेंट बियर करे ताकि इससे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बाधा न पड़े। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े यदि आप यह चाहते हैं तो काश्तकारों को ऐनकरेजमेंट मिलना चाहिये। यह जो रिवाइज्ड टैरिफ है वह काश्तकारों के लिये 12 से 15 तक कर दें।

श्री जयनारायण : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय विद्युत मंत्रीजी का उत्तर हो जाये तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय माननीय विद्युत मंत्री का जवाब होने तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय; बाड़मेर जिले की जो विद्युत समस्या है, विशेष कर बाड़मेर नगर की ……

श्री सभापति : दो मिनट में समाप्त करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। बाड़मेर नगर के बारे में, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाड़मेर नगर में जो 14 सैट्स लगे हुए हैं उनमें कुछ ही सैट्स ऐसे हैं जो कि अच्छी कन्डीशन में हैं। जो ये 14 सैट्स लगे हुए हैं उसके बारे में मैंने प्रश्न पूछा था। जवाब इसके बारे में आया है कि यह सारी मशीनरी काम की नहीं है। इसलिये इनके जल्दी से जल्दी डिस्पोजल की व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रकार वहां पर एक म्यूजियम क्रियेट हो गया है। इन दी मन्थ आफ जुलाई वहां पर 15 दिनों तक बिजली की व्यवस्था खराब रही है जिसके कारण पीने के पानी की सप्लाइ भी अव्यवस्थित हो गई। इसके लिये कौन जिम्मेदार है। इसकी भी आपको जांच करना चाहिये। मैंने जहां तक इसकी जांच की है तो यह मालूम हुआ है कि वास्तव में स्थिति यह है कि कोई ए. इ. एन. आपने अपाइन्ट कर रखा है उसको कोई

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

एक्सपीरियन्स नहीं है इन डीजल सैट्स के बारे में। जो पहले कार्य करते थे, उनको रिलीव कर दिया है और जो कार्य कर रहे हैं उनको कोई एक्सपीरियन्स नहीं है और जो हैल्पर्स हैं उन से आप काम करा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पेट्रन का स्टॉफ होना चाहिये। आज वहां पर सभापति महोदय, पूरा स्टाफ नहीं है जो कि होना बहुत जरूरी है। आज वहां पर आपको ए० इ० एन० जनरेशन की पोस्ट रखनी चाहिये। सभापति महोदय, जब विद्युत मन्डल वहां पर जल्दी ही 33 के० वी० लाइन लगा रहे हैं तो आपको उसके पेट्रन का स्टाफ तो रखना चाहिये। वहां पर ए० इ० एन० की पोस्ट कायम की जावे जल्दी वहां पर और एक्स० इ० एन० का आफिस जोधपुर में आपने रखा है और वह एक्स० इ० एन० जैसलमेर, बाड़मेर, पोकरन आदि को डील करता है, तो मेरा निवेदन है कि एक्स० इ० एन० का आफिस बाड़मेर रहना चाहिये। इसके साथ साथ वहां पर आपको ए० इ० एन० जनरेशन की पोस्ट स्टेगरिंग ओपरेशन की पोस्ट भी वहां पर रखना अनिवार्य है। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह है स्पेअर पार्ट्स के बारे में। आज वहां पर आपको काफी स्पेअर पार्ट्स खराब हुए बेकार पड़े हुए हैं उनको ठीक कराने के लिये कोई व्यवस्था आपके यहां पर नहीं हो रही है। इसके अलावा आप जो खराब मशीनरी हो गयी है उसको ठीक कराने की कोई व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं जो कि होना अनिवार्य है। जिन जिन चीजों की कमी हो रही है उसके लिये आप क्या कर रहे हैं वह राज्य सरकार जल्दी करें ताकि लोगों को बिजली मिल सके।

(घन्टी)

सभापति महोदय, मेरा अन्त में यही निवेदन है कि आज आपने घोषणायें तो करदी हैं लेकिन वहां पर काम नहीं शुरू होने से जनता में भयंकर असन्तोष है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर एक तो पूरा ट्रेन्ड स्टाफ बाड़मेर डिविजन में लगायें तथा जो बाड़मेर तहसील के गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुँचाई गयी है उसे जल्दी से जल्दी पहुँचाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स तक बिजली अभी तक नहीं पहुंची है उसको जल्दी जल्दी पहुंचाने की व्यवस्था राज्य विद्युत् मन्डल को करना चाहिये।

(समय समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने खड़े होने पर)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। सभी को मौका मिलेगा।

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य विद्युत् मन्डल के बारे बहस चल रही है ....

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, यह भीमसेनजी विद्युत् मन्डल के बारे में क्या बोलेंगे और उनके कहने का उपयोग क्या होगा ? आप बोलना ही चाहें तो लूनकरनसर के बारे में बोलें।

Page No 164

164

श्री भीमसेन : तो सभापति महोदय, मैं विद्युत मन्डल के बारे में निवेदन कर रहा था। सभापति महोदय, हमारे यहां पर राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है उसके द्वारा वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी पैदा करने का प्रावधान था लेकिन अभी तक उस सम्बन्ध में राजस्थान विद्युत् मन्डल ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की है। उधर पुगल में 120 फीट ऊपर से पानी फाल करके 10 हजार युनिट बिजली पैदा करना चाहते है। लेकिन, सभापति महोदय, यह सारी स्कीम्स पूरी नहीं हो रही हैं। और विद्युत् मन्डल इस ओर उदासीनता बरत रहा है। इसलिए हमारे उधर के एरिया में बिजली के बारे में अनसर्टेन्टी रहती है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिये पानी की भी बहुत जरूरत है। और वर्षा का चूंकि अभाव रहता है इसलिये हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी का अभाव बना हुआ है। और जब बिजली का उत्पादन पूरा नहीं होता है वहां पर बिजली की पूरी तंगी रहती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सभापति महोदय, वहां पर कोल बेस लिग्नाइट का यूज करके बिजली क्यों नहीं पैदा की जाती है। आज पलाना में जो कोयला उपलब्ध है उससे आप 50 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते है वहां पर कोल के डिपोजिट की सर्टेन्टी अगर आपको कुछ कम महसूस होती है तो कम से कम 25 मेगावाट तो बिजली आप अच्छी तरह से पैदा कर सकते है। अगर आप 50 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करें तो कम से कम 25 मेगावाट बिजली पलाना कोयले से पैदा कर सकते हैं। सभापति महोदय, राज्य सरकार पंचम पंचवर्षीय योजना में कुल 400 मेगावाट कोल बेस बिजली पैदा करना चाहती हैं। तो वह कोल के बारे में क्या कर रहे है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेष आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटीबोर्ड को इस ओर सीरियसली ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसी तरह मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पावर की बहुत ज्यादा चोरी होती है। इसका कारण यह है कि जो ट्रान्सफोर्मर बिजली बोर्ड के लगे हुए हैं उनसे बिजली की चोरी की जाती है इसलिये वहां पर उनके लिये मीटर लगाना चाहिये। और उसके बाद में ट्रान्सफोर्मर से बिजली दी जानी चाहिये। इसके अलावा आज विद्युत मन्डल के पास आज लाखों रुपये के ट्रान्सफोर्मर खराब पड़े हुए हैं उसके बारे में अभी तक विद्युत् मन्डल ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ट्रान्सफोर्मर खराब पड़े हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कराने चाहियें। इसके अलावा जिन जिन सामानों की कमी है वह भी शीघ्र ही विद्युत् मन्डल को व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अलावा, सभापति महोदय, आज यह जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि कन्ज्यूमर्स के साथ विद्युत् मन्डल के स्टाफ का बर्ताव अच्छा नहीं है। विद्युत मन्डल के स्टाफ सर्विसेज चाहे विद्युत् मन्डल का अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो उपभोक्ताओं के साथ काफी भ्रष्टाचार करते हैं। वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है इससे जनता को काफी परेशानी होती है। आज आप रिश्वत दो तो आपको कनेक्सन्स जल्दी से मिल जाते हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वहां पर ऐसी व्यवस्था की जावे कि कन्ज्यूमर्स

(श्री भीमसेन)

को कम से कम परेशान किया जावे तथा जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके लिये तुरन्त एक्शन लिया जावे।

(समय समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय, चूंकि समय कम है अतः मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये उनके अनुसार कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (बाली)-: सभापति महोदय, आज सदन में विद्युत् मंडल के आय व्ययक पर बहस चल रही है। सभापति महोदय, हमारे विद्युत् मंडल द्वारा राजस्थान में और उस राजस्थान में जहां कि कुछ समय पहले विद्युत् का बहुत ही अभाव था वहां पर अब बहुत ही बड़े पैमाने पर बिजली विस्तार हुआ है। सभापति महोदय, यह तो निःसन्देह प्रशंसनीय है। लेकिन सभापति महोदय, जिस तरह मोर अपने रंग विरंगे पंखों को देखता है और अपने सिर पर किलंगी को देखता है तो वह मारे खुशी के नाच उठता है। लेकिन जब वह अपने पंखों के नीचे की तरफ देखता है, अपने पैरों की तरफ तो उसका मन बहुत ही दुखी होता है। तो सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में हालांकि इतना विद्युत् का प्रसार हुआ है लेकिन जिस प्रकार से बिजली का प्रसार जहां जहां पर होना चाहिये था उस प्रकार नहीं हुआ इसलिये आज जो हमें बिजली का लाभ मिलना चाहिये था वह हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसलिये मेरा निवेदन है कि विद्युत् मन्डल को बिजली के प्रसार के लिये शीघ्रातिशीघ्र ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि जिससे राजस्थान की जनता को बिजली का पूरा लाभ मिले। सभापति महोदय, चूंकि बिजली बोर्ड एक कॉमर्शियल कन्सर्न की तरह है इसलिये उसे अपने कन्ज्यूमर्स के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिये कि जिससे उपभोक्ता को पूरा लाभ हो तथा उनके बर्ताव से उपभोक्ता को दुख नहीं पहुंचे। आज विद्युत् मन्डल के कर्मचारियों का और अधिकारियों का जनता के साथ व्यवहार बहुत ही खराब है। उनके अधिकारियों में और कर्मचारियों में हुकूमत की बू आती है और इससे नतीजा यह होता है कि जनता और विद्युत् मन्डल के स्टाफ में दूरी बढ़ती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि विद्युत् मन्डल को इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देना चाहिये। आज कई माननीय सदस्यों ने उस सारी चीजों की ओर ध्यान दिलाया। मैं उनमें और अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा।

लेकिन मेरे क्षेत्र की कुछ बातें, मुझे जो संक्षिप्त समय दिया गया है उसमें, जो समस्यायें हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले तीन वर्षों में मेरे बाली क्षेत्र में किसी भी नयी लोकेलिटी को इलेक्ट्रिफाइ करना तो दूर रहा किन्तु एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया। इसके मुतल्लिक बार बार निवेदन किया और हर बार जबाब मिला कि सारे के सारे गांव बच गये हैं उनकी एक सम्मिलित स्कीम बनायी जा रही है तब बिजली मिल सकेगी। उस

(श्री मोहनराज)

बीच में कोई कनेक्शन या लोकेलिटी इलेक्ट्रिफाइ नहीं हो सकती। इतना लम्बा समय गुजरने के बाद भी न कोई स्कीम बनकर तैयार हुई और न ही किसी प्रकार से नजदीक से नजदीक गांव से आधा किलोमीटर, दो तीन फर्लांग दूरी के गांवों को इलेक्ट्रिफाइ करने को जस्टिफाइ नहीं किया गया। दूर का इलाका सुमेरपुर उसी दौरान में नये गांवों को इलेक्ट्रिफाइ किया गया। नयी लोकेलिटीज़ को इनरजाइज किया गया। मेरे क्षेत्र में दस बारह गांव ऐसे हैं जहां पर बीच में से लाइन गुजरती है और उनके नाम हैं, सभापति महोदय, डोंगली, लबवाई, पतोड़, मोरखो, छना, टनी, रितबड़ा, पचनावड़, साडराव, कोटरी पना, कबर आव आमलिया मयु, इन इन गांवों में होकर बिलकुल पास में से होकर लाइन गयी है और इसको गये हुए तीन साल से अधिक का अर्सा हो गया है लेकिन इन गांवों को बिजली देने की व्यवस्था नहीं की गयी है। जो लाइन गयी इससे दूर नहीं है। बिना विशेष खर्चे के और बड़ी सुविधा से यह लाइन दी जा सकती है।

इतना ही नहीं मेड़ता गांव दस बारह साल पहले इलेक्ट्रिफाइ किया गया। एक काश्तकार को, जैसी कि उस समय स्कीम थी, एस्टीमेट दिये गये कि तुम 7 हजार रुपया जमा कराते हो तो बिजली दी जावेगी। दस वर्ष पूर्व की बात है उसने चन्दा करके, अपने वेरे को दूसरे के गिरवी रखकर 7 हजार रुपया विद्युत् मन्डल में जमा कराये। आपके खजाने में वे रुपये जमा हैं। उस समय बिजली के खम्भे लगा दिये गये थे। लेकिन उनको उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया गया। आज तक वहां पर बिजली नहीं दी गयी है। काश्तकार यदि 7 हजार रुपया दूसरों के यहां पर जमा रखता तो उसको ब्याज मिलता। ब्याज का उसका नुकसान हुआ। फाइल अभी तक अधर भूल में भूल रही है। अधिकारियों से बात की। उनका कहना यह है कि हमारा यह कमिटमेंट था इतनी बड़ी रकम जमा कराने के लिये, रकम हमारे यहां जमा है। हम हमारे कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे लेकिन यह फाइल इतनी पुरानी होगई है कि इसको कैसे रिवाइज करें। अब उनको कौन तरीका बताये ? बड़े बड़े अधिकारी हैं आपके, चीफ इन्जीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, एक्जीक्युटिव इन्जीनियर, वे लोग दौरे पर जाते हैं ऐसे मामले भी यदि उनके ध्यान में न आयें तो ऐसे क्षेत्रों में विजिट उनकी क्या काम की ? यदि हमारा उनसे कान्टेक्ट हो तो हम भी उनके ध्यान में लायें। हमें मालूम नहीं होता कि कब आये और कब चले गये। उच्चाधिकारी उस क्षेत्र के दौरे पर आते रहते हैं, हमने मालूम किया तो पता चला कि कभी चीफ इन्जीनियर, कभी सुप० इन्जीनियर दौरे पर पधारे और दौरा करके वापिस पधार गये। हमें इत्तला नहीं। इलाके के प्रधान को नहीं। जो उपभोक्ता गए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम करते हैं उनका पता नहीं।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी बोर्ड के अधिकारीगए या बिजली विभाग के अधिकारीगण टूर पर आयें, उस क्षेत्र के विधायक, प्रधान को उनकी इत्तला देनी चाहिये ताकि वे इस तरह के मामलों

(श्री मोहनराज)

को उनकी नालेज में लायें। अलग ग्लास हाउसेज में रह कर जनता की समस्या को उनके सामने नहीं रखा जा सकता और न आ सकती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवश्यक चीज है जिस ओर आप ध्यान देंगे।

दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रानी पंचायत समिति के तीन गांव हैं, इनको पिछले वर्ष इलेक्ट्रिफाइ किया गया। ये गांव हैं भुखारिया, भादरलाऊ और सोमेश्वरा और इन तीनों गांवों पर ट्रांसफोर्मर्स लगाये गये और एक एक बल्ब लगाया गया। यह कहा गया कि 12 महीने चलेंगे। पिछले माह तीनों ट्रान्सफोर्मर्स चोरी चले गये। चोर ट्रक लेकर आये और ट्रान्सफोर्मर्स को तोड़ा, सारे तार अन्दर से निकाल कर ट्रक में भर कर ले गये। गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्रक वाले आये वे ले गये। पास के दूसरे गांवों में चोरी हुई। पुलिस को शिकायत हुई लेकिन पुलिस कहती है कि हमको इसका कोई सुराग ही नहीं मिला।

श्री केशरीमल : डिपार्टमेंट वाले ही ले गये होंगे। चोर थोड़े ही लेगा।

श्री मोहनराज : पुलिस वालों को पता नहीं लगा। अधिकारियों से मालूम किया कि ट्रक में कैसे लेजा सकते हैं। उनका कहना यह है कि जिसको खोलने की जानकारी होती है वह ही उसको खोल सकता है, दूसरा तो हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन इसके मुतल्लिक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जैसे मेरे से पूर्ववक्ता माननीय सदस्य ने कहा कि विभाग में ऐसा सैल होना चाहिये जो इन चोरियों को पकड़े और सजा दिलाये। फालना में भी बिजली के बड़ी मात्रा में तार चोरी चले गये। कुछ कर्मचारी सस्पेन्ड हुये थे परन्तु घूम फिर कर सारा मामला रफा दफा हो गया उनकी ओर कतई ध्यान नहीं दिया। चोरों का हौसला बढ़ा। हर साल घाटा बैठा इसका यह भी एक कारण है।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

अब ग्रामजनता की जो शिकायत है उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री दिनेशराय डांगी : तीन गांवों के नाम बताये। देवली गांव है। उसको दो दो माननीय सदस्य रिप्रेजेन्ट करते हैं। डेढ़ मील पर ही है लेकिन उसको बिजली नहीं मिली है।

श्री मोहनराज : माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है......

श्री सभापति : संक्षेप में समाप्त कर दीजिये।

श्री मोहनराज : संक्षेप में ही अर्ज कर रहा था। वह गांव जो देवली है, राजस्थान सरकार ने जयन्ती विलेज डिक्लेयर किया है और राजस्थान विधान सभा में आश्वासन दिया कि गत मास में बिजली पहुंच जावेगी। माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय को कह कर मुझे याद दिलाया है। वे मंत्री महोदय के पास बैठे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, वे उन्हें कह कर करवायेंगे।

कन्ज्यूमर्स को बिजली के बिल नहीं मिलने से दिक्कत होती है। दूर दूर गांवों

(श्री मोहनराज)

में बिजली गयी है, समय पर बिल नहीं मिलते। कई बार दफ्तरों के बाहर क्यू में खड़ा रहना पड़ता है और कुछ परेशानी उठानी पड़ती है। मैं सोचता हूं आप अपने रूल्स में प्रोविजन करके या स्थानीय अधिकारियों को निर्देश देकर पंचायतों के मार्फत, पोस्ट आफिस के मार्फत, बैंकों के मार्फत जो इस काम को करने को तैयार हैं और आपके नियमों के अनुसार जो कमीशन, जो पैसा मिलता है–कहीं कहीं तो ठीक है–यह उन लोगों के मार्फत कराया जाय ताकि जनता को इस सुविधा का लाभ मिल सके। मैं इतनी ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल।

श्री रामकिशन : सांचोर का फैसला हो जाता तो ठीक रहता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह क्या है ?

श्री रामकिशन : उसमें बिजली जरूरी है।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं आज इस पर बोलते हुए....

श्री सभापति : आप जो कुछ कहना चाहें संक्षेप में कहेंगे।

एक माननीय सदस्य : पांच मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं।

श्री रामगोपाल : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि कोटा जिला हमारे राजस्थान प्रान्त में बहुत ही महत्व रखता है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का विस्तार ज्यादा से ज्यादा किया जाय। माननीय मंत्री जी, आपको ज्ञात है कोटा जिले में जल बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त है चूंकि भौगोलिक स्थिति ही इस प्रकार की है। वहां पर एक चम्बल, पार्वती, परबन और काली सिंध ये चार बड़ी बड़ी नदियां हैं। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी भी नदियां हैं। माननीय मंत्रीजी, आपको याद होना चाहिये 1-1 नदी पर एक एक तहसील में 250-300 डीजल इंजिन लगे हुए हैं।

मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कोटा जिले में नदियों का सर्वे कराया जाय। सैकड़ों की तादाद में नदियों पर डीजल के इंजिन हैं। वहां बिजली की लाइन पहुंचाने की कोशिश कीजियेगा क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको डीजल खरीदना पड़ता है और कई बार डीजल की शोर्टेज होती है और वह उनको समय पर प्राप्त नहीं होता है तो मैं चाहूंगा बिजली की लाइन सर्वे करके दे दी जाय तो निश्चितरूप से हमारी सरकार को फायदा होगा, सरकार को आय होगी और साथ में किसानों को भी मदद मिलेगी और देश का जो अनाज है उसमें उत्पादन वृद्धि होगी। मैं यह कहना चाहता हूं उदाहरणस्वरूप तहसील सांगोद है उसमें उजाल नदा है उसमें 250...... विश्नोई जी डिस्टर्ब कर रहे हैं मंत्री जी का ध्यान चला जायेगा, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है।... उसमें 250 और 300 के इंजिन डीजल के लगभग आज भी है। किसानों को कितना डीजल लगाना पड़ रहा होगा। नये नये इंजिन लाने पड़ते हैं और उसमें खर्चा बहुत ज्यादा बैठ जाता है इसलिये मैं चाहूंगा ऐसे स्थान पर बिजली अवश्य पहुंचाई जाय ताकि उत्पादन बढ़े।

(श्री रामगोपाल)

आगे मैं आपको मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात बताता हूं। पंचायत समिति शाहबाद की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं दुख के साथ कह रहा हूं आपका जो ध्यान है वह नहीं हो सका फिर भी आपने मेरी ओर ध्यान दिया है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं आजादी के 25 वर्ष बाद कोटा जिले में शाहबाद तहसील है और वहां आदिवासी लोग निवास करते हैं उसमें एक ही गांव में बिजली है, केवल एक गांव में बिजली गई है बाकी के किसी भी गांव में बिजली नहीं पहुंचाई गई है जबकि वहां सारे आदिवासी लोग रहते हैं। कोटा जिले का आधा भू-भाग और इतना लम्बा एरिया जिसमें नदियों का हिस्सा है, आप वहां बिजली पहुंचायेंगे तो काफी मात्रा में लघु उद्योग भी पनपेंगे।

उदाहरण के तौर पर बताऊं छतरगढ़ है वहां आपके विभाग से इंजिन की व्यवस्था की गई थी और उसको बाद में बन्द कर दिया। आपकी ओर से जो वसूल किया जाता है, वह आया, जो सिंचाई है उसकी वसूली की जाती है.........

(8.25 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये अगर आप बिजली पहुंचायेंगे तो उस समस्या का भी हल होगा।

माननीय मंत्री महोदय, सरकार ने यह घोषणा की थी कि पंचायत हैड क्वार्टर और तहसील हैड क्वार्टर पर बिजली पहुंचा दी जायगी। आज शाहबाद में पंचायत हैड क्वार्टर है, तहसील हैड क्वार्टर है आपने घोषणा की थी वह आज तक नहीं पहुंची है। पी० एच० सी० सेन्टर में भी बिजली पहुंचाई जाय। मैं पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहूंगा ऐसा आदिवासी एरिया जिसमें 60 प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं उसकी उपेक्षा न करें और 25 वर्षों बाद अब तो बिजली पहुंचाने का कष्ट करें। आगे मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह भी कहना चाहूंगा जिला प्रोडक्शन कमेटी है उसमें यह प्रावधान हो कि प्रत्येक गांवों को प्राथमिकता दी जाय। उनका नाम भेज दिया जाता था लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें सर्वे के लिये फाइल चली जाती है लेकिन एक साल बाद भी सर्वे नहीं होती है और फाइल वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। उदाहरण स्वरूप मैंने एक प्रार्थना-पत्र पेश किया था, बिजली की जो प्रोडक्शन कमेटी है उन गांवों को प्राथमिकता देने के लिये रिपोर्ट पेश कर दी लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ है जबकि 3-4 बार मैं स्वयं जाकर मिल चुका हूं।

आगे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंचायत समिति अटरू जिसमें आपने बिजली की 65 गांवों की घोषणा की थी और कहा था कि मार्च के पहले पहले पहुंच जायेगी और इन्स्ट्रक्शन जारी किये थे। 65 गांवों की बिजली आप मार्च के पहले पहले पहुंचाना चाहते थे लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आज तक बिजली नहीं पहुंची है। अब आप फिर इन्स्ट्रक्शन जारी करें ताकि बिजली जल्दी से जल्दी पहुंच जाय।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रामगोपाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मुश्किल से पांच मिले हैं और अभी दो मिनिट बोल पाया हूं। माननीय मंत्री जी, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कोटा जिले में गर्मी के दिनों में पांच पांच घंटे बिजली चली जाती है और उससे आपको मालूम होना चाहिये कितना नुकसान हो जाता है। आज कोटा जिला इस प्रकार का है कि यहां पर अफीम की खेती होती है। अगर किसान को समय पर पानी नहीं मिल पाता है तो वह अफीम की खेती सूख जाती है और किसानों को हजारों-लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है और किसान को दिक्कत पड़ती है। बिजली की समस्या किसानों के सामने आती है। वह डिपार्टमेंट जो भारत सरकार से गवर्न है, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है अपने लाइसेन्स के पैसे लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं यह किसानों के ऊपर भारी वजन है जो इन्डस्ट्रीज है उनपर बढ़ाना चाहिये। किसान ऐसा वर्ग है जिसके खाद की दरें बढ़ गई हैं, बीज की दरें बढ़ गई हैं, डीजल में पैसे बढ़ गये हैं इसलिये बढ़ी हुई दरें किसानों से न लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से लें। मैं आगे उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कोटा जिले की शाहबाद पंचायत समिति है उसको प्राथमिकता दी जाये और आदिवासी एरिया है उसको भी बिजली के मामले में प्राथमिकता दी जाये। कोटा जिले में जो ऐसी नदियां हैं जहां हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं उनकी सर्वे करवाई जाये और वहां लाइन खींची जाये। कुओं को कनेक्शन्स दिये जायें और जो लघु उद्योग पनप सकते हैं वहां बिजली का विस्तार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी अरसे से बिजली बोर्ड की अलग अलग कार्य-प्रणाली के बारे में यहां बहस हो रही है। मैं आंकड़ों के मायाजाल में न जाते हुए अपने क्षेत्र के मुद्दों पर प्रकाश डालूंगी। आपने जो समय दिया है उसका उपयोग करते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आज की जो हमारी राष्ट्रीय समस्या है उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आज की जो विशेष समस्या है वह प्राडक्शन बढ़ाने की है और दूसरी समस्या है हमारे रिसोर्सेज बढ़ाने की। कम लागत और रा-मेटेरियल जो भी हमारे पास है उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा प्राडक्शन को मिले इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा आज की हमारी परिस्थितियों में होना चाहिये। हमारी नीतियों का निर्देशन देने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी यह फैसला लिया था कि हम हमारे रिसोर्सेस को इस तरह से मोबीलाइज करें कि उनका जल्दी से जल्दी हमको रिटर्न मिले और प्राडक्शन को इससे सीधा फायदा हो। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इतना ही सरकार से निवेदन करूंगा कि बहुत से जो हमारे प्राडक्टिव एरियाज हैं, जहां फूड की ग्रेनरीज हैं, आज के फूड क्राइसेस में प्रायोरिटीज देकर आर. एस. इ. बी. को ऐसी नीति बनानी चाहिये कि जिससे हमारी वह नीतियां हमारे प्राडक्शन बढ़ाने में सहयोग दे सकें।

(श्रीमती उषा प्रकाश)

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 1972-73 में रबी का प्राडक्शन बढ़ाने के लिए एक रबी क्रेश प्रोग्राम आया था और उसका भी उपयोग हमने किया था। मुझे बड़ा अफसोस है उपाध्यक्ष महोदय कि उस फण्ड का जो डिस्ट्रिब्यूशन किया था, हाउस में जो रिपोर्ट पेश की गयी है आडिटर जनरल की उसमें भी बहुत विशद चित्र उस क्रेश प्रोग्राम का हमारे सामने आया है मुझे बहुत अफसोस है इस बात से कि इमरजेन्सी टाइम के लिए जो फण्ड्स आते हैं उनका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं और इससे हमारी राष्ट्रीय नीतियों में और जो राष्ट्रीय टारगेट्स हैं उनसे पिछड़ जाते हैं। तो आज उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इतना सा निवेदन करूंगी कि मैं आंकड़ों की मायाजाल में नहीं फसूंगी और इतना ही निवेदन करूंगी कि जहां अपने रिसोर्सेस हैं उनको मोबीलाइज करके मेक्सिमम प्राडक्शन कर सकते हैं तो उन एरियाज के बारे में आप ध्यान दें ताकि राष्ट्रीय समस्या को जल्दी से जल्दी हल कर सकें।

आज भरतपुर और अलवर जिले के लिए इतनी समस्या नहीं है लेकिन भरतपुर और सवाई माधोपुर में इन्टेन्सिव इलेक्ट्रीफिकेशन करने के लिए हमारे सामने समस्या वोल्टेज की आती हैं। तो यह जो क्षेत्र राजस्थान को अन्न देने वाला है उनको ऐसी सुविधायें दीजिए जिससे कि वोल्टेज सिस्टम इम्प्रूव हो और वह ऐसी हो कि आप इस एरिया का इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकें और आप अपने प्लान के अनुसार बिजली का इन्टेन्सिव प्रोग्राम इन जिलों में कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करती हूं कि एक तरफ तो आपने सपना दिया है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, उसमें आपके सामने बाधायें आ रही हैं और उन बाधाओं को दूर करने का कैसे रास्ता निकलेगा यह अभी तक मालूम नहीं है। शायद मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे। परन्तु मुझे एक निवेदन करना है कि कहीं इन्टेन्सिव इलेक्ट्रिफिकेशन का सपना दिखाकर इन जिलों को आप वंचित नहीं कर दें—ऐसा मुझे डर है। मैं निवेदन करूंगी कि जिन योजनाओं को आपने माना है कि वह आपका प्रोडक्शन बढ़ायेंगी उन योजनाओं को आप कृपा करके एक्सपीडाइट कीजिए। मैं किसी पर्टीकुलर क्षेत्र के लिए नहीं कह रही हूं बल्कि आमतौर पर प्राडक्शन बढ़ाने के बारे में और नेशनल प्राब्लम्स को सॉल्व करने की दिशा में इतना ही निवेदन करूंगी कि जो टेबुल वर्क हो चुका है उन वर्क्स को जल्दी से एक्सपीडाइट करके उस एरिया के लोगों को बिजली दें ताकि हमारा फूड प्राडक्शन बढ़े और जो हमारे टारगेट्स हैं, हम रबी का टारगेट फिक्स करने जा रहे हैं, जो प्राडक्शन बढ़ाना चाहते हैं वह तभी हो सकेगा जब कि आर. एस. इ. बी. अपनी नीतियों में यह डीसीजन ले कि मिनिमम रिसोर्सेस से मेक्सीमम फायदा उठा सकें और जो स्कीम पेंडिंग हैं उनको एक्सपीडाइट करके जल्दी से प्रयोरिटी बेसिस पर लें ताकि नेशनल प्राडक्शन में हम अधिक से अधिक सहयोग दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लालाराम....

श्री लालाराम (फलासिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला उदयपुर, तहसील कोटड़ा और फलासिया से आता हूं। हमारी तहसील में कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है और बिजली देखने के लिए हमारे क्षेत्र के

(श्री लालाराम)

लोग उदयपुर आते हैं। इस मामले में हमारी सरकार ने हमारी तहसील की तरफ ध्यान नहीं दिया। घोषणाओं के अन्दर आदिवासियों का नाम आगे रखते हैं लेकिन कोटड़ा और फलासिया की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तहसील मुख्यालय झाड़ोल कोरड़ा में तो कम से कम बिजली पहुंचा दें।

इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गौरीशंकर मुनीम।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत के संबंध में मुझे भी थोड़ा निवेदन करना है। तो वैसे काफी बोल चुके है लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में ही कहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि बिजली का इतना प्रोडक्शन हो रहा है और बिजली की रेट भी बढ़ा दी है फिर भी आप लाखों और करोड़ों रुपयों का घाटा बता रहे हैं। यह समझ में नहीं आता कि क्या वजह है। मैं आपको निवेदन करूंगा· · ·

(व्यवधान—अश्रव्य:)

बणिये तो बैठे ही हैं, उन्हीं को तो मैं कह रहा हूं। बणिये नहीं होते तो और भी ज्यादा घाटा होता। तो मेरा निवेदन है कि घाटा क्यों होता है। घाटे का कारण यह सरकारी मशीनरी है। इसका कारण यह है कि यह जानते हुए भी कि इसमें घाटा होगा या मुनाफा होगा ये सब जानते हैं पर आप हम सबको मूर्ख बना करके फायदा उठा लेते हैं। यह सही अर्ज कर रहा हूं चाहे आप हंसो। तो मेरा निवेदन है, खैर ठीक है खैर ठीक है ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा निवेदन यह है कि यदि बिजली दी जा रही है तो उस बिजली का किसानों पर भार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बिजली का पैसा बहुत ज्यादा बढा दिया गया है जब कि किसानों की हालत तो वैसे ही बहुत खराब है। वैसे कहां से तो खाद लेते हैं, हरएक बीज लेते हैं और दूसरा सामान लेते है, उस में ही वे पिट रहे हैं और अब बिजली की दरें और ज्यादा बढा कर सिरदर्द बढा दिया है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि खैर आपने बढा भी लिया उसकी भी कोई बात नहीं लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त पानी देने की जरूरत होती है उस वक्त आपके फोरमैन बिजली बन्द कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कि पैसे लाओ। मैं यह सही अर्ज कर रहा हूं। गांवों में जाते है तो लोग यह कहते हैं कि जब पानी देने की जरूरत होती है खेतों में तो उस वक्त बिजली बन्द कर देते हैं। जिसने पैसा दे दिया उसके तो पानी पहुंच जाता है और जिन्होंने नहीं दिया उनके बिजली बन्द कर देते हैं। इससे देश को कितना नुकसान होता है, राजस्थान को कितना नुकसान होता है। उधर अनाज की कमी है और इधर बिजली बन्द कर अनाज पैदा नहीं करने देना चाहते हैं। ये लोग ऐसे कार्य करके देश को गर्त करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि आप जरा विचार करें।

(समय समाप्ति-सूचक-घन्टी)

दो मिनिट भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, उपाध्यक्ष महोदय।

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

मुझे कृपा करके थोड़ा समय दीजिए। मैं सही बात कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आपकी घन्टी तो दम निकाल देती है।

श्री उपाध्यक्ष : मुद्दे की बात तो आप कह चुके कि घाटे का क्या कारण है। इस के बाद क्या रह जाता है।

श्री गौरीशंकर मुनीम : मुद्दे की बात ही कह रहा हूं कि घाटा जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। जो घाटा हो रहा है वह इसलिए हो रहा है कि जेबें भरी जाती हैं। किस तरह से बिजली के कनेक्शन देने में गड़बड़ होती है यह अर्ज करता हूं। मैं आपको सही अर्ज करता हूं, मैं अभी खानपुरा क्षेत्र में गया था, उन लोगों ने कहा कि बिजली के कनेक्शन नहीं देते हैं। और गांवों में भी गया था वहां पर लोगों ने कहा कि दो सौ रुपये मांगते हैं।

(व्यवधान–अश्रव्य:)

हमारे यहां दो सौ रुपये हैं तो आपके यहां पांच सौ होंगे तब कनेक्शन देते हैं और डेढ़ सौ रुपये कनेक्शन फीस लेते हैं वह अलग। आप फरमायेंगें तो रसीद भी आपको दिखा दूंगा। आपने मुझ से वायदा किया है कि आप आठ दस पन्द्रह दिन में खानपुर पधारेंगे, उस समय मैं आपके सामने सारे किसानों को पेश करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनके साथ क्या क्या गुजरती है। कृपा करके इस ओर ध्यान दें। मेरा निवेदन है कि इधर तो हमारे यहां अनाज की कमी है, उधर हमारे साथ में ऐसा हाल हो रहा है, तो यह घाटा कैसे पूरा हो सकता है, यह बतलाओ आप। यह अनाज का घाटा, यह पैसे का घाटा, यह घाटा ही घाटा नजर आता है, मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी 27 जून को मेरी भतीजी की शादी थी हरसोली में। फोरमैन ने कहा कि दो सौ रुपये लाओ।

(व्यवधान–अश्रव्य:)

एक माननीय सदस्य: शादी में लगायी होगी टेम्प्रेरी बिजली।

श्री गौरीशंकर मुनीम : जी हां, शादी में थोड़ी सी बिजली लगाई थी टेम्प्रेरी। उसने कहा कि दो सौ रुपये लाओ। हमने कहा कि भाई दो सौ रुपये तो नहीं दे सकते सौ रुपये दे देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो दो सौ ही लेंगे और रोस खा कर चले गए। उसने डूंगरी आकर हरसोली पर फोन किया। हमारे यहां पर फोन है, वहां पर फोन किया कि बिजली आ रही है कि नहीं। हमने कहा कि बहुत ठीक तरह से जल रही है। उसके पन्द्रह मिनिट बाद बिजली बन्द हो गई और गांव की औरतें थी सब अंधेरे में पड़े रहे। बारिश अलग आगई, अंधेरे में शादी हुई और रात्रि को दो बजे जाकर बिजली दी।...

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यह तो बहुत गम्भीर बात है। इस पर तो कार्यवाही होनी चाहिए। आप नाम बताइये।

श्री गौरीशंकर मुनीम : मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आप ध्यान दीजिएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या फरमाया आपने ?

श्री गौरीशंकर मुनीम : मेरा निवेदन है कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। गरीबों की हालत पर ध्यान देकर कृपा करके यह जो कुछ हो रहा है, उसको रोकिए और किसानों को कृपा करके टाइम पर पानी दिला दें। उनको कहते हैं तो कह देते हैं कि लाइन खराब है और अगर पैसा दे दिया तो लाइन ठीक हो जाती है। कृपा करके आप देखिए यही मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने इस वक्त बड़ा आकर्षक विषय चल रहा है। कुछ देर पहले........

श्री रामकिशन : एक जानकारी चाहता हूं। मोहरसिंह उन गांवों के नाम बता दें जहां बिजली लेना चाहते हैं। दो तीन गांवों के नाम ही बता दें।

श्री मोहरसिंह : हमारे इलाके में पानी भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर पहले अकाल के विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद यह बिजली का सवाल आता है। इससे जहां तक ट्यूब वेल्स के निर्माण का सवाल है, ट्यूबवेल्स बनाने का सवाल है वह उस बीमारी की एक दवा भी है। ऐसी स्थिति में बिजली का एक बहुत बड़ा महत्व है। वास्तव में आज के वैज्ञानिक युग में विद्युत इन्सान के लिए, मानव के लिए एक वरदान है। हम इसको केवल आय के जरिये के रूप में इस्तेमाल करें तो उस ओर तो हमारे कदम बढ़ चुके हैं लेकिन इधर भी हमें सोचना पड़ेगा। जहां तक आमदनी के सीगे का सवाल है ट्यूबवेल्स के लिए जिस इलाके में सबसे ज्यादा खेती के लिए साधन हो सकते हैं वहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। चम्बल इलाके के अन्दर जहां पर ज्यादा उपयोग हो सकता है वहां पर काम में लिया जा सकता है। पहले जिन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी फायदा हो सके उस दृष्टि से भी हमें विचार करना होगा। लेकिन जहां तक ट्यूबवेल्स का सवाल है, जहां जहां एक्सपेरीमेंटल तौर पर चलाते हैं, किसी प्रकार से फायदा हो रहा है या किसानों को आगे बढ़ाने के अन्दर कोई किसानों को सुविधाजनक भी है या असुविधाजनक है यह भी देखना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पूर्वी राजस्थान का सवाल है यहां ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग हो सकता है, यह मैं मानता हूं इसलिए ट्यूबवेल्स के हिसाब से बिजली का जहां जहां ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके, जो ज्यादा से ज्यादा प्रान्त के हित में हों, यह इन इलाकों को देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जहां तक सारे राजस्थान के विद्युतिकरण का सवाल है वहां ग्रामों के अन्दर हिसाब लगावें तो विद्युत का भाग बहुत कम है। इण्डस्ट्रीज के प्रश्न पर यह इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ घरों की रोशनी के लिए, इण्डस्ट्रीज के लिए जहां तक बिजली का सवाल है यहां पर बिजली दी जानी चाहिए। पर जहां तक ट्यूबवेल्स का सवाल है सबसे

(श्री मोहरसिंह)

प्राथमिक आवश्यकता राजस्थान के जो अकाल की बीमारी से ग्रस्त इलाके हैं, अकाल की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कोई स्थाई दवा देने के लिए टयूबवैल्स से वहां ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध कराया जा सके, उन इलाकों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां टयूबवैल्स का सवाल आया एक्सपेरीमेंटल तौर पर हमारे कस्बों में, झुंझुनूं, सीकर जिलों के इलाके, कुछ इलाके सीकर शेखावाटी का और चूरू जिले का और कुछ इलाका राजगढ़ का है, जहां पर कि मीठा पानी है वहां पर टयूबवैल्स की आवश्यकता है और वहां पर इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है लेकिन जहां तक मैं अभी तक अपने सज्जनों से, अपने माननीय सदस्यों से सुन पाया हूं, वहां की हालत भी काफी गड़बड़ मिली है उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि अनुभव के आधार पर, एक्सपेरीमेंटल तौर पर, परीक्षण के तौर पर हम लोग टयूबवैल्स बनाने में भी जब इस प्रकार की गड़बड़ होती है और जैसा भाई हमारे साथी अजमेर से आने वाले, ब्यावर से आने वाले सदस्य ने बताया कि इसके अन्दर भी इस प्रकार से ईर्षा और द्वेष से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाने के बाद आदमी को इंजीनियर मार देता है, लेबर को मार देता है, यह तो इस प्रकार की बात है कि वास्तव में ही बहुत ही विचारणीय चीज है। हमारे इन इलाके के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, इंजीनियर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इंसान का खून हो जाता है तो हम उसको बख्श नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते यह वास्तव में बड़ी भारी चिन्ता की चीज है। इसके साथ साथ मैं

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

जल्दी ही कहूंगा। जहां यह अव्यवस्था है, यह गड़बड़ी है वहां पर साथ साथ में जो टयूबवैल्स हैं उनके ऊपर जहां तक मुझे मालूम है मेरे विलेजेज में भी रोजाना यही शिकायत आती है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक जब कि फसल पक कर तैयार है, उस वक्त तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता है। शुरू से आखिर तक भ्रष्टाचार बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक भयंकर बीमारी भ्रष्टाचार की चालू हो गयी है और कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं रह पाया है। जिस तरह की हमारे इलाके की मिसालें हैं, जहां कहीं नहरों का इलाका है, वहां फसलें सूख जाती हैं उसके पहले पानी नहीं पहुंचता है, कोई भी महकमा जनता की तरक्की के लिए हो उसमें भी भ्रष्टाचार पहले चलता है। और यह हमारा बिजली विभाग और जिसमें टयूबवैल्स का प्रश्न है उसमें भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। शुरू से आखिर तक भ्रष्टाचार की बीमारी फैल रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

जो बिजली देने का तरीका है वह भी बड़ा डिफेक्टिव है। कोई ऐसा स्तर, नियम नहीं बनाया गया है कि किन लोगों को प्राथमिकता दी जावे। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिये।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

जहां पर ज्यादा कुएं खुद गये हैं जैसे कि सीकर जिले में खुदे हैं, 5 हजार कुए बैंक

(श्री मोहरसिंह)

से लोन लेकर लोगों ने बनाये हैं, मुझे मालूम हुआ है कि उनको कनेक्शन लेने में कितनी दिक्कत आ रही है। ढाई करोड़ रुपया बैंक से लोन दिया गया है और ढाई हजार कुए आज वहां पर तैयार हो गये हैं और कनेक्शन कितने कुओं को दिया गया है 76 को। 76 कुओं को कनेक्शन मिला है। यह जो रफ्तार है इस रफ्तार से इन आदमियों को कनेक्शन मिले तो जो कार्य उपज बढ़ाने का हम करना चाहते वह कम से कम 90/95 वर्षों में जाकर पूरा होगा। वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इन शब्दों के साथ ही मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सब से जरूरी जो बात है वह यह है कि कुओं को कनेक्शन शीघ्र दिये जायें ताकि वे उपज बढा सकें। इसमें जो अवरोध है उसको हल करना आवश्यक है। किसान को चिंता हो रही है वह किस प्रकार से बैंक कर्जे को चुका सकूंगा। इसके अलावा जो रेट हैं, उस पर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ भी अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

एक माननीय सदस्य : हम लोगों को भी समय मिलना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास का जो पड़ोसी प्रदेश है हरियाणा, वहां पर बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहां की दो स्थितियों की ओर मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर एक निवेदन यह करना है कि इतने वर्ष हो गये हमारे प्रार्थना-पत्र बिजली विभाग में पड़े हुए हैं, सैकड़ों कुए हैं जिनमें से कई कुए अकाल राहत कार्यक्रम के तहत बने हैं, उनको बिजली नहीं दी गई है। बहुत से कुए ऐसे हैं जिनको की लोगों ने बैंक के लोन से कर्जा लेकर बनाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली विभाग इन कुओं को कनेक्शन नहीं देता है तो वे लोग जिन्होंने कर्जा लिया है तो वे बैंक के लोन को मय ब्याज के कब लौटाएंगे। यह एक सीधा-सा प्रश्न है। इससे लोगों के सामने विकट समस्या आगई है। यह एक आर्थिक प्रश्न खड़ा हो गया है। यह एक आर्थिक समस्या है। बैंक वाले किसानों को रिमाइन्डर दे रहे हैं कि किश्त जमा कराओ। दूसरी योजना है एडवांस्ड स्कीम कि कुओं पर पम्पिंग सेट लगा देंगे। जयपुर जिले के कोटपूतली क्षेत्र और कई स्थानों पर विद्युत विभाग ने यह योजना बनाई कि 500 रु० प्रति पोल के हिसाब से जो आदमी दे देगा उसको प्रायोरिटी दी जायेगी। हजारों लोगों ने रुपया जमा करा दिया। सम्पूर्ण जयपुर जिले में दस परसेन्ट लोगों को कनेक्शन नहीं मिले हैं। इस प्रकार पांच सौ रुपया जमा कराने के बाद भी विद्युत के कनेक्शन नहीं मिलते हैं। किसी प्रकार जो अधिकारियों को खुश कर दें, पैसा दे दें, वे लोग तो अपना काम करवा लेते हैं। इस प्रकार यह जो आपकी एडवांस स्कीम थी उससे लोग दुःखी हैं। दूसरा निवेदन यह करना है कि समय पर बिल लोगों को नहीं मिलते हैं। कल की तारीख है और आज बिल दिया जाता है। इस प्रकार बिजलीघर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वाले मनमानी रकम वसूल करते हैं। दूसरी ओर जो न्यूनतम चार्जेज हैं वे भी आपने बढ़ा दिये हैं। लोग इन न्यूनतम चार्जेज को नहीं दे सकते हैं। ये बहुत अधिक हैं। जिसके पास एक दो बीघा जमीन है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह पूरे महीने भर पानी का उपयोग करें, बिजली जलावे तो भी जो आपने न्यूनतम चार्जेज रखे हैं उतनी बिजली नहीं जला पायेगा। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की हालत है कि वहां पर ट्रांसफॉरमर जल गया। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती है, ढंग से काम नहीं होता है। 45 गांवों के विद्युतीकरण का यह आपने फैसला किया है। ढाई साल हो गये। कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार ने इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। यह भी निवेदन है कि बिजली विभाग ने एक लाख का सामान खरीदा जून के महीने तक इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। यह आपकी आडिट रिपोर्ट बतलाती है। ओल्ड फैक्टरी के नाम से 13 लाख की परचेजेज की गई है। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ने यह रिपोर्ट पेश की है। न तो आपके पास पोल हैं, न सीमेंट है और न और जरूरत का सामान है जब कि जयपुर जिले में काफी स्टाक रखा हुआ है और उन पर लाखों रुपया खर्च होता है। जयपुर जिले में जहां जनरेशन का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, विद्युत विभाग की रिपोर्ट है, उससे अप्रत्यक्ष रूप से यह मालूम होता है कि माह जनवरी, 74 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने कुछ कनिष्ठ अभियन्ताओं और अधिदर्शकों के इन्टरव्यू लिये गये थे और उपाध्यक्ष महोदय, आज तक उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया है। इस प्रकार बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कई इन्जीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। कहीं पर ट्रान्सफॉर्मर जल गये, किसकी गलती से जल गया इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कहीं पर जली हुई मोटर है तो वह वहीं पर पड़ी है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

अब जयपुर शहर के बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं। जयपुर शहर में आधे से अधिक लाइनें खराब हैं और अन्धेरा छाया रहता है। कहीं फ्यूज हो जाये तो 4/5 रुपये दिये बिना वह ठीक नहीं होता है। लाइन्स खराब हो जाती है। चार दीवारी के अन्दर आप जाइये और देख लीजिये आपके लाइन्स की हालत क्या है? जो सामान खराब हो गया है वह किसी प्रकार से बदला नहीं जाता है। किसी प्रकार से कोई लाइन जल गई तो कोई सुनने वाला नहीं है। वर्षा हो जाये तो तत्काल बिजली गुल हो जाती है। मोटर खराब हो जाये, मोटर का फ्यूज खराब हो जाये तो वह ठीक नहीं होता है। सामान नहीं मिलता है। जयपुर शहर में इस प्रकार बिजली की भयंकर समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, आप पधारें, यहां पर बिजलीघर के अधिकारी भी हैं, सम्माननीय सदस्य भी हैं वे अभी सिरेह ड्योडी बाजार में जाकर देख लें वहां पर सारी की सारी लाइन बन्द है। त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता की सारी लाइटें बन्द हैं। और इस समय बाजार बन्द हो गया है। अगर आप अपनी मोटर की लाइट बन्द कर के चलेंगे तो भली प्रकार घर नहीं पहुंच सकते हैं। कई बार विद्युत विभाग के साथ बात हुई। दो लाख नगर परिषद को, दो लाख

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यू. आइ. टी. को दिया गया । विद्युत् विभाग ट्यूब लाइट बदलेगा । लेकिन खेद की बात है कि चीफ सेक्रेटरी के सामने बात हो जाने के बाद भी जयपुर की सड़कों पर अन्धेरा है । लोग नालों में गिरते हैं । विद्युत् विभाग कानों में तेल डालकर सो गया है । आज जिस प्रकार से मकानों के बिल आते हैं । वह इस प्रकार के क्यों आते हैं ? चेयरमैन महोदय वह है जिन्होंने हाथ जोड़ लिये हैं । ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, जो उस टेक्निकल काम को कुछ जानता ही नहीं है । इसमें भी आप आइ. ए. एस. को बैठा दें । कैसे काम हो सकेगा ? इस प्रकार से तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना भी हो जाये तब तक भी काम नहीं हो सकेगा ।

पलाना में 20 मेगावाट लगाने की योजना थी । वहां पर सारा का सारा कोयला खराब हो रहा है । सरकार की इस बारे में रिपोर्ट है ।

सरकार ने 13 पैसे से 21 पैसे कर दिये हैं । माउन्ट आबू में कम्पनी बिजली घर चलाती है । 15 पैसे यूनिट कर दिया है । माउन्ट आबू में प्राइवेट कम्पनी है । वह सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए । वहां लाखों के मकान हैं, वह कम्पनी बेचने जा रही है । विद्युत विभाग सामान लेने को प्रयास नहीं कर रहा है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सभी बातों से हालत खराब होती जा रही है । बेरोजगारों ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया । उनको लोन दिया गया । दूकानदारों से कहा गया 6 बजे दूकान बन्द कर दो । बिजली का अभाव है । लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश को बिजली दी है । राजस्थान के दूकानदारों और उपभोक्ताओं को परेशान किया गया है, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए पड़ौसी राज्यों को बिजली दी जाये । राजस्थान की प्राथमिकता को पूरा करने की जरूरत है । इस प्रकार से विद्युत् विभाग में धांधली चल रही है । कोई मकान मालिक है, किरायेदार है । यहां ही एक सामने वाली गली में एक मांगीलालजी हैं । धनड़ी कामा महल, जयपुर, पास की गली में हैं । बगैर मकान मालिक से पूछे बिजली का कनेक्शन ले लिया । अब कहा गया, विद्युत् विभाग में केस दिया तो कहा गया—

"Shri Mangilal has also intimated to this office on 26-7-1972 that he is not a tenant, but is owner of the house, of which evidence can be produced by him. However, he has not produced any written document and map from which his ownership can be justified. Shri Mangilal has further intimated to this office that if Shri Phoolchand treats him to be tenant, then tenancy deed may be asked from him. Shri Phoolchand has been requested to produce the tenancy deed vide this office letter No. 6257 dated 23-12-72."

मैं कहना चाहूंगा कि मकान मालिक ने डाक्यूमेण्ट प्रोड्यूस किये । सरकार ने माना है । अब कल कोई व्यक्ति कहे कि राजस्थान विधान सभा तो मेरी है । और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कम्पनी कनेक्शन लगा दे। फिर यह पूछना तो चाहिए। श्रीजी की मोरी में एक राजस्थान ट्रक कम्पनी है। विद्युत् विभाग की जमीन है, उस पर वह मकान बनाने जा रही है। विद्युत् विभाग के अधिकारी वहां से सामान को हटा रहे हैं। इस प्रकार से सरकारी सम्पत्ति को छोड़ेंगे तो मालिक कौन होगा।

यहां पर जयपुर में लोकल मजदूरों की यूनियन है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मजदूर यूनियन की चिन्ता क्यों है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोकल यूनियन है, जिसके महामन्त्री हैं दामोदर मौर्य। एक ही व्यक्ति हर जगह आपको मिलेगा। जिसका नाम है दामोदर मौर्य। राजस्थान में एक विद्युत् मजदूर फेडरेशन है, तो दामोदर मौर्य हैं। इंटक हैं तो दामोदर मौर्य है। मैं कहना चाहूंगा कि विजयनगर में 27-28 तारीख को बृजसुन्दर शर्मा इंटक के अध्यक्ष चुने गये।

श्री फूलचन्द जैन : इसका कोई मतलब तो है नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों का लाभ होना चाहिए। वह इसलिए नहीं हो रहा है कि फेडरेशन अलग है। वहां पर अगर किसी का प्रमोशन होगा तो वह एक ही व्यक्ति के कहने से होगा। 1954 से एक ही व्यक्ति बैठा है। दूसरे का प्रमोशन होता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन्टक के मार्फत सरकार पर कांग्रेस के लोग अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मजदूरों पर प्रभाव जमाना चाहते हैं। इसलिए बिजली मजदूरों के हित के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खुले रूप से चुनाव होने चाहिएं वरना एक व्यक्ति दादागिरी के आधार पर मजदूरों की भलाई के नाते हर जगह पर रहेगा। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस सम्बन्ध में सरकार इस विधान सभा में घोषणा करे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मजदूरों की भलाई करने में आप पूरी तरह जुटे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह।

श्री रणजीत सिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का मसला एक महत्वपूर्ण मसला है। दूसरी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन पर माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं दो तीन बातों की तरफ आपकी, मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिजली बोर्ड एक कॉमर्शियल बोर्ड है, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में चलें तब तक तो ठीक है, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, इसका इतना विस्तार होने के बाद में भी यह बोर्ड घाटे की स्थिति में है। यह बोर्ड के सोचने की बात है। स्टेट के टाइम के वक्त हमारे जोधपुर के अन्दर बिजली डीजल सेट से बनती थी। उसके बाद में जब नवीनीकरण हुआ तो बिजली पैदा करके वहां तक पहुंचाई गई। आज हम बिजली गांवों में किस बात के लिए मांगते हैं? हमें कोई वहां फ्रीज रखना नहीं है, वहां कूलर हैं नहीं और

(श्री रणजीतसिंह)

न हम पखे चलाना चाहते हैं। हम सिर्फ बिजली से हमारा पेट भर कर जो गरीब तबका है, जो शहरों में निवास करता है, उनको भी अन्न-उत्पादन करके पेट भरना चाहते हैं। अभी जो माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं, उन्होंने शहरों के बारे में काफी लम्बी चौड़ी ट्यूब लाइट की बात कही। आज आप ट्यूब लाइट लगाना चाहते हैं, हो सकता है, पांच दस साल तक यह और लगा लीजिये, उसके बाद जब उत्पादन नहीं होगा, और जब आपका पेट भूखा होगा, पेट में कुछ नहीं होगा तो उस समय आपको ट्यूब लाइट अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका विस्तार गांवों में हो। गांवों में वैसे काफी विस्तार हुआ है, यह बात नहीं है कि नहीं हुआ हो परन्तु जिस रफ्तार से हुआ है उसी रफ्तार से गांवों की डिमाण्ड बढ़ी है। डिमाण्ड इसलिए बढ़ी है कि हमारे यहां राजस्थान में सिचाई तीन तरह से होती है, एक नहरों से है, दूसरी कुओं से है, पम्पिंग सेट से, तीसरी जहां बिजली पहुंची है, वहां बिजली के माध्यम से पानी निकालते हैं। इन तीनों में सबसे सस्ती सिचाई है नहरी इलाकों में, दूसरे नम्बर पर है जहां बिजली है और तीसरे नम्बर पर आते हैं पम्पिंग सेट। पम्पिंग सेट आज इतने महंगे हो गये हैं चलने में कि जो क्रूड आॅइल, एल. डी. ओ, लाइट डीजल आॅइल है, उसके भाव आज आसमान को छू रहे हैं। उसके लिए मैं किसी को दोष देता नहीं, वह अपने यहां की चीज भी नहीं है, इस चीज के लिए विदेशों पर हम निर्भर हैं, विदेश चाहे जो भाव लें, जो अपने यहां नहीं होती है वह उनके भाव से लेना पड़ेगा। उस हिसाब से वह भी आज महंगा है, और एल. डी. ओ. से जो इंजन चलाते हैं उनकी हालत दयनीय है। जो एल. डी. ओ. का भाव पहले 429 रुपये थे एक किलो लीटर का, उसका आज भाव बढ़ कर 958 रुपये हो गये हैं। इसलिए हमारी क्षमता रही नहीं कि एल. डी. ओ. के जरिये पानी निकाल कर हमारा पेट पाल कर फिर दूसरों का पेट पालें। अब तीसरा नम्बर है बिजली का, तो बिजली जहां गांवों में पहुंची है, वहां कुछ राहत मिली है। हालांकि इस डिपार्टमेंट में काफी गड़बड़ी है, जैसा हमारे साथियों ने कहा है, उसमें मुझे भी गिला नहीं है। मुझे एक बात की ही शिकायत है, आज विद्युत् मंडल के पास में पैसा नहीं है और वह यह क्षमता नहीं रखता है कि गांवों में और विद्युतीकरण करे। तो उसने एक स्कीम और निकाली, वह निकाली कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। हालांकि यह गरीब किसानों के हित में नहीं है फिर भी जो अमीर किसान हैं, जो इस भार को सहन कर सकते हैं, उनके हित में है और उसके बाद अपने मुल्क के हित में है। ज्यादा व्यक्तियों के पास साधन नहीं हैं, और साधनहीन हैं। लेकिन जो साधन-सम्पन्न हैं वह बिजली लेजाना चाहते हैं, अपने पैसे से बिजली लेना चाहते हैं, तो उनके कुओं पर बिजली दी जाय। एक बात इसमें मेरी समझ में नहीं आती कि इतनी रेट आपने बढ़ाई है, बिजली पर रेट बढ़ाई है-एक तो इसमें खास कारण है कि या तो आपस में होड़ लगी हुई है, सब फेक्ट्रियों ने रेट बढ़ा दी, दूसरों ने रेट बढ़ा दी तो बिजली विभाग ही पीछे न रह जाय, या फिर जो लाॅसेज हैं, उन लाॅसेज की वजह से रेट बढ़ाई है। लाॅस हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन लाॅस हुए हैं वह किस बात

(श्री रणजीतसिंह)

से हुए हैं ? एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जो प्रशासनिक ढांचा है इस पर खर्च ज्यादा कर रहे हैं, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है कर्मचारियों पर। कर्मचारियों पर खर्च के बाद अगर हमें सुविधा हो तो हम उस बात को भी सहर्ष सहन कर सकते हैं। आज किसान को आप भेड़ मत समझिये जिस तरह से भेड़ के ऊपर से ऊन निकालते हैं, वापिस ऊन बढ़ जाती है, वैसी हालत किसान की आप मत समझिए। किसान की हालत दयनीय है, अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो किसान को सहूलियत देनी चाहिए मैं निवेदन कर रहा था कि एल. डी. ओ. की रेट बढ़ गई है, इसलिए शायद सरकार ने बिजली की रेट बढ़ाई है। दूसरे देशों में ऐसा है कि किसान उत्पादन करते हैं तो मुल्क उनको सब्सीडाइज करता है। ऐसे मुल्क हैं जहां 20 पर्सेन्ट खेती वाले हैं, अस्सी पर्सेन्ट का पेट भरने के लिए 20 पर्सेन्ट पैदा करते हैं और अपने को धनी महसूस करते हैं। हिन्दुस्तान की हालत यह है कि 80 पर्सेन्ट खेती करने वाले हैं, वह अपना पेट भर नहीं सकते हैं और 20 पर्सेन्ट का पेट उनसे भराना चाहते हैं तो उनको दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि अभी चर्चा चली, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का सवाल आया। वह इसलिए सवाल आया क्योंकि उनके दिल में दर्द है। हम पश्चिमी राजस्थान वाले हैं, हमारी ऐसी भौगोलिक स्थिति हैं, ऐसी जगह है कि अकाल हमेशा पड़ता रहता है। जब अकाल पड़ता है तो सरकार जो काम करती है, उसका समस्त राजस्थान पर भार पड़ता है। इस इलाके की स्थिति खराब है, भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इस युग में क्या नहीं हो सकता ? आज अण्डर ग्राउन्ड बोर्ड ने सर्वे की है, भू-जल मण्डल ने सर्वे की है, उसके आधार पर जो पानी है जमीन के तल के अन्दर उस पानी को ऊपर लाने के लिए ट्यूब वैल की स्कीम लागू है–उसके लिए वहां पर बिजली मिले तो हम काफी भार पूर्वी राजस्थान का कम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमारे यहां पर एक क्लस्टर ट्यूब वैल स्कीम लागू हुई है, वह जोधपुर जिले में भी है और दूसरे जिलों में भी है। उस स्कीम में तीन सौ, चार सौ फीट नीचे से पानी निकालने का काम दूसरे साधनों से सम्भव नहीं है, बिजली ही ऐसी चीज है जो उस काम को कर सकती है और इस काम को आगे की ओर चला सकती है। मैंने निवेदन किया कि बिजली मंडल के पास पैसा नहीं है कि वह वहां बिजली पहुंचाने के लिए विचार करे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं पर बिजली लाइन निकली है, आज से पहले, दो तीन साल पहले, उन गांवों को आप इलेक्ट्रिफाइ राज्य के कर्मचारियों की गलती से नहीं कर पाये हैं जब कि वहां कुओं में पानी का श्रोत है। इसलिए मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, उन गांवों को आप इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर दीजिये। अगर वह हो जाता है तो यह कन्ट्रीब्यूट्री स्कीम है, यह लागू हो जायगी। यह लागू हो जायगी तो ठीक है, काश्तकार बैंक से पैसा ले सकता है और लेकर अपना पेट पाल सकता है।

दूसरा मैं निवेदन कर दूं, मेरे इलाके में काफी गांवों में बिजली है। मेरे इलाके में तीन हजार कुएं हैं, जिनमें से 1 हजार कुओं में पम्पिंग सैट लगे हुए हैं, लेकिन सब जगह

(श्री रणजीतसिंह)

बिजली नहीं पहुंची है, बहुत कम जगह पहुंची है। परन्तु जहां पहुंची है, वहां काश्तकार राहत फील करते हैं। परन्तु यह जो घाटा हुआ है मंडल को, यह किस बात का घाटा है। आज काश्तकार भी सोचते हैं कि मंडल का घाटा है, यह इनके कर्मचारियों की गलती से घाटा है या जो चोरी कर रहे हैं, उसकी वजह से घाटा है। हमारे यहां पर कुछ जगह सबमर्सिबल पम्प लगे हुए हैं, जो ढाई सौ फीट नीचे से पानी निकालते हैं। लेकिन कुछ जगह सबमर्सिबल पम्प नहीं है, वहां स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर बिजली के पम्प लगा रखे हैं। जो सबमर्सिबल पम्प हैं, वह चौबीस घण्टे चलते हैं, वह नीचे से पानी खींचते हैं। लेकिन जहां पर इंजन लगे हुए हैं, दस हॉर्स पॉवर के वह दस घण्टे चलते हैं, उन पर बिजली का खर्च बहुत आता है। जो आठ दस घंटे चलते हैं 10 हॉर्स पॉवर के, उनका खर्च आता है, पांच सौ और हजार और जो सबमर्सिबल पम्प हैं, जो चौबीस घण्टे चलते हैं, उनका खर्च 300 आता है। गांव का आदमी सोता है, यह चोरी और कहीं नहीं है, यह डिपार्टमेंट की चोरी है। डिपार्टमेंट वाले चोरी किस होशियारी से करते हैं— इसका मैं एक उदाहरण दे दूं। डिपार्टमेंट वाले भी नीचे के लेवल के हैं, ऊपर के तबके नहीं हैं। नीचे लेवल का कर्मचारी मीटर चैक करने जाता है, वह काश्तकार से मिलता है। वही आदमी हर महीने मीटर चैक करने जाता है, लगातार दो तीन चार महीने गया और जब उसको पता लगता है कि इस इलाके में मीटर को एक्स. इ. एन. कभी भी चैक करने को आयेगा तो वह उससे पहले ही मीटर को जला देता है क्योंकि उनसे मीटर की रीडिंग कम लिखी हुई है और मीटर ज्यादा चला है। तो जब जला देगा तो जलने के बाद 150 रुपये खर्चा आयेगा। काश्तकार डेढ़ सौ रुपये जमा करा देगा और नया मीटर ले लेगा और इस प्रकार हजारों की चोरी करने के बाद वह डेढ़ सौ रुपये देकर बच जाता है। हमने एक्स. इ. एन. से शिकायत की और वह दो दफा गया। उसने हालत देखी और यह पाया कि वास्तव में हमारे डिपार्टमेंट की गलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों में इस बात का रोष है कि इस ढंग से चोरी हो रही है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जैसे सास गलती करे, बहू दण्ड भुगते, उसी तरह यह बोर्ड गलत काम करे उसका दण्ड काश्तकार भुगते। इसलिए जब बिजली मण्डल में घाटा पड़ा तो इस तरह की चोरी आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? आप मीटर पर बाक्स लगा दीजिये, जिसमें ताला लगा हुआ हो और जिस पर आपके विभाग का कर्मचारी हाथ नहीं लगाये तो यह चोरी रुक सकती है। यह भी हो सकता है कि दूसरा रास्ता निकले लेकिन फिलहाल चोरी रुक सकती है।

बाकी एक निवेदन और कर दूं, कलेक्टर ट्यूब वैल है, उसके तहत हम बिजली लेना चाहते हैं तो उसमें सरकार का कुछ नहीं है। बैंक वाले पैसा देंगे हम आपके पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं। हम उस भार से मुक्त करेंगे जो फेमिन पर पैसा खर्च होता है। फेमिन के टाइम पर पैसा नहीं चाहिए, पेट पालने के लिए पैसा नहीं चाहिए अगर आप पॉवर देंगे। मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय, जहां लाइन लगी हुई है आलरेडी उस गांव को इलेक्ट्रिफाइड

(श्री रणजीतसिंह)

घोषित कर दीजिये। इसके साथ ही जो बिजली की चोरी हो रही है, इसको किसी तरह से रोकेंगे तो आपका लॉस निकल जाएगा। काश्तकारों पर भार डालेंगे तो इसका नतीजा चार पांच महीने बाद भुगतेंगे। काश्तकारों की हालत नहीं रही है कि अन्न उत्पादन कर सकेंगे। अन्न उत्पादन में वह कमी करेंगे क्योंकि वह घाटा सहन नहीं कर सके। इसका नतीजा यह निकलेगा कि आज गेहूं के भाव हैं वह छ: महीने के बाद आसमान को छूएंगे। अन्न के उत्पादन की बढ़ोतरी करनी है, तो बिजली की और कामों में कमी करें। मंत्री महोदय, यह काम नहीं करना है तो अब किसानों की शक्ति उत्पादन बढ़ाने की नहीं है। इसलिए साल भर आप एक्सपेरीमेंट के तौर पर लीजिये, फिर घाटा पूरा नहीं हो तो कहिये। मैं जोधपुर जिले की बात कर रहा हूं, हमारा पैसा मत बढ़ाइये, आपका जो यह 25 पर्सेन्ट लॉस है, मुझे अन्दाज है कि पांच पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट की तो कह नहीं सकता, लेकिन 15 पर्सेन्ट लॉस है वह काश्तकारों से निकलवा देंगे।... इससे आपकी चोरी रुक जायेगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार पर जो वजन है, वह कम करिये। सिक्युरिटी भी आप बहुत ज्यादा लगा देते हैं, उनको काश्तकार सहन नहीं कर सकता। आप जो डिमांड-नोटिस-काश्तकार को देते हैं, पैसा भरने के लिये उसमें भी आप यह लिख देते हैं कि सामान मिला तो काम काज पूरा किया जायेगा, अगर सामान नहीं मिला तो वह अधूरा रह जायेगा (घण्टी) - मैं आशा करता हूं आप इस ओर भी ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत मन्त्री।

एक माननीय सदस्य : मैं दो मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दिस इज एन्डलैस। विद्युत मन्त्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के 1974-75 के बजट पर इस सदन के 16 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। विद्युत मंडल ज्यादा अच्छी तरह काम कर सके, इस सम्बन्ध में आपने उपयोगी सुझाव दिये। कमियों की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कर, माननीय सदस्यों ने जो आमतौर पर मुख्य मुद्दे उठाए हैं, उस पर ही कुछ निवेदन करना चाहूंगा और स्पष्टीकरण करना चाहूंगा मुझे इस बात की खुशी है कि विधान सभा का यह सदन विद्युत के सम्बन्ध में दिलचस्पी रखता है और राजस्थान के विकास को विद्युत के साथ जोड़ता है। यह सही है कि आज देश जिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है, उसमें प्रोडक्शन के कार्यक्रम में और कार्यक्रमों में, बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। इस दृष्टि से हर व्यक्ति को और खासतौर से जिसका सीधा सम्बन्ध प्रोडक्शन से है, उसको इस सम्बन्ध में दिलचस्पी होना स्वाभाविक है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर विद्युत का जो विस्तार हुआ है वह माननीय सदस्यों से छुपा नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पंचवर्षीय योजना तक जो स्थिति थी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद जो कदम प्रगति की ओर हमने बढ़ाए हैं, वह भी माननीय सदस्यों से छुपे हुए नहीं हैं, उस संबंध में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा।

राजस्थान जब बना था, विभिन्न रियासतों को मिलाकर यह प्रांत बना था और रियासतों की क्या स्थिति थी, यह भी माननीय सदस्यों की जानकारी में है और आज उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, वह भी माननीय सदस्यों की जानकारी में है। बार बार राजस्थान में विद्युत की प्रगति की तुलना पड़ौसी राज्य हरियाणा से की जाती है। यहां तक कहा गया कि राजस्थान हरियाणा के मुकाबले में विद्युत के अन्दर विकास नहीं कर सका, तरक्की नहीं कर सका। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं हरियाणा और राजस्थान की तुलना करना उपयुक्त नहीं है। उचित भी नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल और हरियाणा का क्षेत्रफल देखा जाये तो मालूम पड़ेगा कि यह तुलना उचित नहीं। हरियाणा में कुल मिलाकर 6 हजार गांव हैं, जबकि राजस्थान में 35 हजार गांव है। जहां हरियाणा 6 हजार गांवों को इलेक्ट्रीफाइ कर गया है, वहां राजस्थान उससे कुछ अधिक गांवों को इलेक्ट्रीफाइ कर सका है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में 220 के.वी. लाइन, 539 किलो मीटर लम्बी है वहां राजस्थान में उसकी तुलना में 220 के. वी. लाइन, 919 किलो मीटर है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, 132 के. वी. लाइन हरियाणा में सन् 71-72 में 887 किलो मीटर लम्बी थी वहां राजस्थान में 132 के. वी. लाइन, 2118 किलो मीटर लम्बी लाइन खींची हुई है। और वही आज उपाध्यक्ष महोदय, 2420 किलो मीटर लम्बी लाइन राजस्थान में है। उपाध्यक्ष महोदय, आज 33 के.वी. लाइन सन् 71-72 में हरियाणा में 2249 किलो मीटर है वहां पर राजस्थान में 6792 किलो मीटर 71-72 में थी वह आज उपाध्यक्ष महोदय, 8862 किलोमीटर है। इस प्रकार की स्थिति है। अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें उपाध्यक्ष महोदय, तो आपको मालूम हो जायेगा कि हम बिजली की प्रगति के मामले में हरियाणा से पीछे नहीं है। हम बराबर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर माननीय सदस्यों का यह कहना कि हम हरियाणा से पिछड़े हुए हैं यह कहना वाजिब नहीं है। राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया है कि राजस्थान में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत कम हुआ है और लोगों को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से लोन भी नहीं मिला है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि यह कहना माननीय सदस्यों का गलत है क्योंकि मेरे पास ऐसी सूचना है कि लोगों को आर. इ. सी. से लोन मिला है और हमारा राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगातार इस बारे में प्रयास करता है कि आर. इ. सी. से ज्यादा से ज्यादा पैसा मिला तथा इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगातार इस प्रकार का प्रयास कर रहा है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली मिले। सन् 71-72 में हमारे यहां जितनी बिजली थी उससे कई गुना ज्यादा सन् 72-73 में बिजली का

(श्री हीरालाल देवपुरा)

प्रसार हुआ। इससे भी ज्यादा सन् 73-74 में लोगों को बिजली दी गयी। हमने एक दम बिजली का प्रसार किया और काफी बिजली हमने गांवों के अन्दर दी, इसके साथ साथ बिजली कुओं का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उपाध्यक्ष महोदय, जब आप एकदम बिजली का प्रसार करेंगे और दूर दूर स्थानों पर बिजली पहुंचायेंगे तो यह निश्चित मानना होगा कि इसमें बिजली के ट्रान्सफोर्मर्स पर ज्यादा भार पड़ेगा तो बिजली नेचुरली ज्यादा खर्च होगी। इससे लोसेज भी होंगे। फिर भी उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जहां 71-72 में 20.70 प्रतिशत लोस थे वह बिजली का प्रसार अधिक 72-73 में होने से लोसेज की प्रतिशत 25.08 हो गयी। लेकिन बाद में हमने जब ट्रान्सफोर्मर्स के साथ केपेसिटर्स व कन्डेन्सर्स लगा दिये जिससे कि बिजली के लोसेज सन् 73-74 में 25.08 से घटकर 16.33 प्रतिशत हो गया। और मैं समझता हूं कि सन् 74-75 में इससे भी कम प्रतिशत लोसेज की रह जायेगी जैसा कि आज मैंने प्रश्न काल में निवेदन किया था कि विद्युत मन्डल इस बारे में गम्भीरतापूर्वक प्रयत्नशील है कि लोसेज कम से कम हो। इसके लिये जो ट्रान्समीशन्स लाइन लोसेज हो रहे हैं जिसमें टेक्नीकल और बिजली की चोरी दोनों ही शामिल हैं क्योंकि आप उनको इससे यह अलग अलग नहीं कर सकते कि ट्रान्समीशन लाइन लोस में इतना चोरी से लोसेज हुए व इतना दूसरी प्रकार से। हमारे यहां तो इस प्रकार से लोसेज का हिसाब लगाया जाता है कि जितना पैसा यूनिट पर मिलता है और कितना मिलना चाहिये जो कमी रहती है वह लोसेज में गिनी जाती है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, सी. पी. डब्ल्यूसी. के आधार पर भी राजस्थान के अन्दर लोसेज की परसेन्टेज 14 से लेकर 16 प्रतिशत होगी। ऐसा होना स्वाभाविक है। इसलिये सिर्फ यह कहना कि राजस्थान में बिजली की चोरी अधिक होती है यह अतिशयोक्ति वाजिब नहीं है। लम्बी लाइनें खींचने के कारण ट्रान्समीशन लाइन लोसेज होते हैं। हालांकि विद्युत मन्डल इस बारे में लोसेज कम हो, काफी प्रयास कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अब लाइन लोसेज पर चैक विद्युत मन्डल द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत मन्डल लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली देने के लिये भी कदम उठा रही है। वैसे दो बातें राज्य सरकार के सामने रहती हैं या तो ज्यादा से ज्यादा बिजली का प्रसार करे या जो बिजली है उसे ठीक तरह से प्रोड्यूस करे ताकि ज्यादा लोस नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर हम बिजली का ज्यादा प्रसार नहीं करें तो हमारे यहां जो प्रोडक्शन है उसको हम मीट आउट कैसे करेंगे। इस दृष्टि से ही हमने ज्यादा से ज्यादा बिजली लोगों को इन पिछले सालों में दी हैं और लोसेज के लिये मैंने आपसे निवेदन कर दिया है कि कैपेसिटर्स लगाये जा रहे हैं जिससे काफी प्रभाव पड़ा है लोसेज कम हुए हैं। 33 के. वी. लाइन के साथ हमने 11 के. वी. के ट्रान्सफोर्मर्स लगाये हैं 132 के. वी. लाइन के पीछे हमने केपेसिटर्स लगाये हैं हम यह भी चाहते हैं कि आज लोगों के जो मोटरें लगी हुई हैं उनके भी केपेसिटर्स लगाये जायं ताकि बिजली में उन्हें कमी नहीं रहे कम नुकसान हो इससे कन्ज्यूमर को काफी फायदा हो जायेगा।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हमने अब यह जरूरी कर दिया है कि कन्ज्यूमर भी अपने यहां पर जो मोटरें लगी हुई है उनके केपेसिटर्स लगाये। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफोर्मर्स के केपेसिटर्स लगने से लोसेज में चेकिंग रहता है। जहां पर माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान में बिजली की चोरी ज्यादा होती हैं उसके लिये जैसा कि पहले ही मैंने निवेदन किया है कि हमने विजीलेन्स स्क्वेड एक तैयार किया है जिसका कि हैड क्वार्टर जयपुर में रहेगा। इसका मतलब यह माननीय सदस्य नहीं समझें कि वह सिर्फ जयपुर के लिये ही है। वहां तो पूरे राजस्थान के लिये रखा है वह कहीं जाकर चेक कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये यह भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि कहीं भी बिजली की चोरी पकड़ी जायेगी तो चोरी करने वाले व्यक्ति को कठोर सजा दी जायेगी। विद्युत मन्डल के इन प्रयासों से काफी लोसेज की प्रतिशत कम रही है। जैसा कि मैंने आंकड़े बताये है कि 72-73में जो लोसेज का प्रतिशत 25.08 था वह 73-74 में 16.33 प्रतिशत रह गया। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सबसे कम बिजली के लोसेज 5 प्रतिशत है और ज्यादा से ज्यादा 28 प्रतिशत है। उपाध्यक्ष महोदय, 5 प्रतिशत लोसेज वहां होते हैं जहां पर कि सिटीज कोम्पेक्ट हो, बड़े बड़े शहर हो जैसे बोम्बे, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह हैं वहां पर लम्बी लम्बी लाइनें नहीं खिंची हुई हैं इसलिये ट्रांसमीशन लोसेज कम होते हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा से ज्यादा लोस 28 परसेन्ट हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यहां राजस्थान का तो सिर्फ 16 परसेन्ट ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया है लोसेज का मेन कारण एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा है। यहां जो ओ. एण्ड- एम. पर जो अधिक खर्चे की बात कही गयी है वाजिब नहीं है। यहां पर जो स्टाक पर खर्चा है उसकी वजह से लोसेज नहीं हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह माननीय सदस्यों का भ्रम है कि राजस्थान में एस्टेब्लिशमेंट आफ दी स्टाफ पर ज्यादा खर्च है। हमारे यहां पर इसके लिये 52.4 प्रतिशत खर्चा ओ. एण्ड. एम. पर है जबकि और दूसरी स्टेट्स में हमारे से काफी ज्यादा खर्चा ओ. एण्ड. एम. पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, केरला ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि हमारे से कम खर्चा ओ. एण्ड. एम. पर होता है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि कौन कौन सी स्टेट में ओ. एन्ड. एम. पर कितना कितना प्रतिशत खर्च होता है:—

1.	मैसूर	60.8	प्रतिशत
2.	बिहार	70.00	,,
3.	आन्ध्र	56.1	,,
4.	पन्जाब	52.7	,,
5.	महाराष्ट्र	59.1	,,
6.	केरला	51.31	,,
7.	गुजरात	64.00	,,
8.	उड़ीसा	58-4	,,
9.	वेस्ट बंगाल	66 8	,,

राजस्थान के अन्दर जैसा कि माननीय सदस्य सोच रहे है कि स्टाफ पर खर्चा अधिक है वह ज्यादा नहीं है। वैसे विद्युत मन्डल का इरादा हेवी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यह व्यूपोइन्ट है कि कन्ज्यूमर पर ज्यादा भार नहीं पड़े।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

फिर भी क्या कारण ऐसे पैदा हो गये कि टेरिफ को रिवाइज करना पड़ा। यह कहा गया कि दूसरे खर्चे बोर्ड के बढ़ गये इसलिये इस टेरिफ को रिवाइज कर दिया। यह नहीं है। जो टेरिफ राजस्थान का पहले था उस पर बिजली बोर्ड नहीं चल सकता था। आर.एस.इ.बी को नौ पैसे पर बिजली मिलती है। सारे स्टेशन्स हैं, सब स्टेशन्स हैं एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा है, इसलिये 13.8 परसेन्ट पर वह बिजली कदापि सप्लाइ नहीं कर सकता। जब इस पर बहुत बड़ा भार पड़ा और राजस्थान में जिस्स्थ फाइनेन्शियल कमिशन आया तो उसने भी कहा कि बिजली बोर्ड चल नहीं सकता जब तक इसकी रेट्स नहीं बढ़ायेंगे और इसको यदि कामर्शियली रन करना है तो आपको इसकी रेट्स बढानी होगी। इसलिये रेट्स को रिवाइज किया। यह भी कहा जाता है कि राजस्थान में बिजली की रेट्स सबसे अधिक है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन आंकड़ों और तथ्यों की ओर जिससे आप अन्दाज लगा सकेंगे कि राजस्थान कहां पर आकर टिकता है। महाराष्ट्र में 20 पैसे की रेट है, पंजाब में 21.4 परसेन्ट है। हरियाणा में रेट्स रिवाइज होने वाली है. 15.20 दिन में रिवाइज करने वाले हैं। मौजूदा जो रेट है वह 15 पैसे है। मेरे पास जो इन्फोर्मेशन है उसके अनुसार वहां पर रिवाइज्ड रेट 20 पैसे से कदापि कम नहीं होने वाली है। गुजरात 18.72 पैसे, मध्यप्रदेश 25.8 पैसे, राजस्थान 21 पैसे और यू. पी. 23.51 पैसे की रेट है। यह कहना कि राजस्थान में बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं और इससे बिजली की मोटरें लगाना बन्द हो जावेगा या रुक जावेगा। यह केवल कल्पना मात्र है। रेट बढ़ाने के बाद में कई गांवों में गया हूं। हमने कहा कि रेट्स ज्यादा गयी। किसान ने हमें कभी नहीं कहा। किसान यह जानता है कि आज हर चीज बढ़ी है मंहगाई बढ़ी है........

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पौने दो सौ रुपये क्विन्टल गेहूं बाजार में बिक रहे थे उस समय आपने उससे एक सौ पांच रुपये क्विन्टल में लेवी के रूप में गेहूं लिया तब भी किसान तो नहीं बोला।

श्री हीरालाल देवपुरा : गेहूं तो 72), 75) में भी लिये हैं। कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है। आयन्दा बढ़ेगी तो उसको रोका नहीं जा सकता यह कह कर किसान के गेहूं का पैसा नहीं बढ़ाया जावेगा। उसका भी नहर से पानी निकालना तो क्या रेट पड़ेगी, पंपिंग सेट लगायेगा तो क्या रेट पड़ेगी। 21 पैसे की रेट ज्यादा नहीं है। एग्रीकल्चर पर ही रेट नहीं बढ़ाई है। इंडस्ट्रीज पर भी बढ़ाई हैं। लार्जर इन्डस्ट्रीज हैं, उस पर पहले 5 लाख युनिट तक 11.2 पैसे की रेट थी, उसको 18.7 पैसे किया। 5 लाख से 10 लाख की युनिट की जो इन्डस्ट्रीज हैं पहले 10.25 पैसे पर युनिट थी उसको 16 पैसे किया है। इससे ऊपर की को 14 किया है।

श्री रामकिशन : जिनसे एग्रीमेंट हुए हैं उनका क्या किया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : सब के लिये यही लगाई है। कोई भी डिबार नहीं है। डी. सी. एम. के लिये आपको भ्रम है। सन् 71 में उससे यह फैसला किया था बोर्ड ने कि जो भी चालू रेट होगी वह हम लेंगे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

डी. सी. एम. का केस हाइकोर्ट में चल रहा है। स्टे किया हुआ है। यह कहा गया है वहां से कि इनसे तीन पैसे ही लेते रहियेगा और जब केस डिसाइड हो जावेगा तो सारा का सारा बाकी का उसको भरना पड़ेगा।

इसी प्रकार डी. सी. एम. साहू जैन और कोई भी इन्डस्ट्री हो, मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में उनसे करेन्ट रेट ही वसूल हो रही है और सारी की सारी वसूल हो रही है। बाकियात का जहां तक प्रश्न है तीन करोड़ की, डी. सी. एम. कुछ ज्यादा है, कुछ लाख साहू जैन में है और हाइकोर्ट द्वारा स्टे करने के कारण ही यह है वरना और किसी में बाकी नहीं है और कोई नहीं कह सकता कि बाकियात में हमने छूट दी है।

टैरिफ को बढ़ाना आज के हालात में बहुत आवश्यक है। सब ही प्रान्तों में बढ़ा है। इस प्रकार मैंने आपको लोसेज और टैरिफ के बारे में निवेदन किया।

अब मिनिमम चार्जेज क्यों लगाये यह प्रश्न किया गया ? 42) रुपया प्रति होर्स पावर के हिसाब से बढ़ा कर स्लेब के अनुसार क्यों किया। यह सही है कि यह बढ़ाया है। 42) से 65) रु० 5 होर्स पावर तक की मोटर तक के किये गये हैं। पांच होर्स पावर से 10 होर्स पावर से ऊपर तक की मोटर को लिया है। मैं आंकड़ों के आधार पर आपको कहना चाहता हूं कि जो मिनिमम चार्जेज हमने बढ़ाये हैं वह आरबिटरेरिली नहीं किए गए हैं। प्रति होर्स पावर जो मिल रहा है उसके हिसाब से सब बातों को ध्यान में रख कर मिनिमम चार्जेज बढ़ाए हैं।

गंगानगर और हनुमानगढ़ के लिए कहा जाता है कि अब भी समझ में नहीं आता है कि अलग अलग सब डिवीजन की क्यों बात करें। गंगानगर में पुरानी रेट के हिसाब से प्रति होर्स पावर का जो एवरेज निकाला है वह 117)49 पैसे प्रति होर्स पावर मिलता रहा है, आज की रेट है वह 187)8 पैसे प्रति होर्स पावर है। 10 होर्स पावर के ऊपर मोटर लगाई है वहां 225 रुपया चार्ज किया है। हनुमानगढ़ में 101) प्रति होर्स पावर मिला है। आज की रेट से है। मेड़ता में 177)71 पैसे पुरानी रेट से मिले थे अब 284 रुपया 34 पैसे किये हैं। मेड़ता में 10 होर्स पावर से अधिक मोटर नहीं है। 5 होर्स पावर की मोटर नहीं है।

झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत अधिक रेट्स हो गई हैं। झुंझुनूं में आज की तारीख में 242 रुपया है और पुरानी रेट के हिसाब से मिल रही है, 45 होर्स पावर के हैं। 225 मिनिमम रखा है। कहीं ज्यादा नहीं रखा है।

इसी प्रकार भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा का कहा कि वहां पर मिनिमम चार्जेज बहुत बढ़े हैं शाहपुरा में 87.5 पैसे प्रति होर्स पावर थे। 139 रु. 28 पैसे प्रति होर्स पावर है पांच होर्स पावर से अधिक की आज भी वहां पर मोटर नहीं है।

हम यह नहीं चाहते हैं कि मिनिमम चार्जेज बढ़ा कर किसी को बचाना चाहें। हम यह चाहते हैं कि पूरी बिजली का उपयोग हो और बिजली का पूरा पैसा मिले। एक तरफ तो चोरी होती है और दूसरी तरफ मिनिमम चार्जेज न दें यह संभव नहीं है। जो चीजें स्वभाव में आ गई हैं उनको

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रुकना मुश्किल है। उसका इतना पैसा देना है तो उसको उपयोग में लेंगे और क्यों चोरी करेंगे। हम यह नहीं चाहते हैं कि मिनिमम चार्जेज बढ़ा कर बोर्ड की आय को बढ़ावें और एक सोर्स ढूंढ लें। इसका फोर्स हम मानते नहीं है। यह तो सेफ्टी का हिस्सा है। वैसे हनुमानगढ़, गंगानगर का इलाका है वहां तो 95 एकड़ जमीन पर ट्यूब वैल लगाना पड़ता है। वहां 40-30 होर्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं इतना इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता है और अगर करता है तो उसको उसका लाभ मिलता होगा। 225 प्रति होर्स पावर अधिक चार्जेज नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो मिनिमम चार्जेज के बारे में बात कही गई है और दूसरी तरफ लोसेज के बारे में कहते हैं तो ये दो बातें हो सकती है। उसके बारे में मैंने निवेदन किया। पी.एच. सी. के बारे में कहा गया 41 स्कीम्स सेंक्शन होकर आई हैं जो चालू हैं। इसके अलावा 8 स्कीम्स मंजूरी के लिए भेजी हैं। उसके साथ साथ 8 स्कीम्स····

श्री रघुनाथ विश्नोई : नाम बतायें····

श्री हीरालाल देवपुरा : बताता हूं। 9 स्कीम ऐसी हैं जो काफी एडवान्स स्टेज पर हो गई हैं। जल्दी ही स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कुछ नाम तो बतायें ··

श्री हीरालाल देवपुरा : बताता हूं। आपको जल्दी क्या है। 26 स्कीम्स जिनको सर्वे के लिए निश्चित कर लिया है। इसको तैयार करके भेजी जायगी। नाम है वह भी मैं बताता हूं–जो 26 स्कीम्स हैं बिलोरा, जहाजपुर, भीमलवाड़ा, कुशलगढ़, सूरजगढ़, नवलगढ, खानपुर, पिड़ावा, बिलाड़ा, शेरगढ़, नीम का थाना, चित्तौड़ा, घोसियां, फलोदी जैतारण, पाली, अराई अजमेर, अलवर···· इस तरह हर जगह की ···

श्री रघुनाथ विश्नोई : ठीक है।

श्री हीरालाल देवपुरा : दो तरह की स्कीम हैं ··

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर बोर्ड घाटे में जायगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक तो रेमुनरेटिव है दूसरी बेसिक नीड प्रोग्राम में लेना है। यह सही है कि आज का डवलपमेंट हम क्षेत्र को देखकर कहां पर किस चीज की आवश्यकता हैं और जहां ज्यादा इन्कम हो सकती है और किस चीज का सारे देश में इफेक्ट पड़ने वाला है वहां प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब यह नहीं है दूसरे एरिया को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें। दूसरे जिलों को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। यह बोर्ड के अन्दर परसेन्टेज है और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसमें बराबर ध्यान रखा गया है। जहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर की ···

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो मिनिस्टर की कान्स्टीट्यूएन्सी जो ली है यह भारी पड़ती दिखती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मिनिस्टर बन जाने से यह मतलब नहीं होता है कि उस क्षेत्र को नेगलेक्ट कर दिया जाय और बिलकुल छोड़ दिया जाय। आप भी किसी समय मिनिस्टर ये····

श्री केसरी मल : माननीय मिनिस्टर साहब की कान्स्टीट्यूएन्सी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। फिर मिनिस्टर होने का मतलब ही क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जब माननीय सदस्य बोल रहे थे मैंने बहुत शांति से सुना है, अब आप भी कृपया मुझे शान्ति से सुनें। राजस्थान की विकास की दृष्टि से....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हम तो इस डिबेट को लम्बी बनाना चाहते हैं और कोई मतलब नहीं हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सही है उस क्षेत्र को महत्व दिया जाना चाहिए जहां जो चीज उपलब्ध होती है। जहां वाटर पोटेन्सियलिटि है उस स्थान को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। जहां डाम बन सकते है, उस स्थान को नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर है, सवाई माधोपुर है उनको प्रायरिटि में लेना होगा क्योंकि यहां पर अन्डर ग्राउन्ड वाटर है। राजस्थान के 6 जिलों में जयपुर, सीकर, झूंझुनूं, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर यहां अन्डर ग्राउन्ड वाटर की पोटेन्सियलिटि अधिक है और इनके लिए 68 करोड़ की योजना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नाम बता दें तो अच्छा हो।

श्री हीरालाल देवपुरा: जिन 6 जिलों की बात की है उसका आधार यह है कि यहां पानी की पोटेन्सियलिटि अधिक है। और यहां के लिये 68 करोड़ की योजना बनाई है। जो कुछ हमें प्लान में पैसा मिला है उसके अतिरिक्त पैसा मिल जायगा तो उपयोग हो सकता है क्योंकि प्लान से नये काम नहीं हो सकते हैं। कुछ बैंक्स भी मदद के लिये आये हैं, बड़ौदा बैंक ने हमारे साथ सहयोग किया है। झूंझुनूं के लिये सहयोग किया है लेकिन आज स्थिति दूसरी पैदा हो गई। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इन बैंक्स पर यह प्रतिबन्ध लगाया है जो कुछ बैंक्स की लोनिंग कैपेसिटि है वह पैसा जो प्लान बना हुआ है उसमें एडजस्ट किया हुआ है। आज इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारी बातचीत चल रही है। बैंक्स पी. एच. सी. को भी एडवांस करें ताकि वे प्रोग्राम को एक्सीलरेट कर सके। इस दृष्टि से यह किया है तो यह बोर्ड इस बात को निश्चितरूप से मानता है कि जहां पोटेन्सियलिटि है उस प्रोग्राम को प्राथमिकता दी जाय और उसी दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं। यह कहना पर्टीक्यूलर एरिया को इगनोर किया जा रहा है या पर्टीक्यूलर एरिया को डवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, बिलकुल गलत है। हमारी इस प्रकार की कतई मंशा नहीं है और न रहेगी। मैं किसी कन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं. इस बात को कहने से दूसरों पर तो चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा जिस से दूसरे लोगों में दुर्भावना न फैले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं राजस्थान मंत्री मंडल की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें भेदभाव किया गया हो, पार्शियलिटी की गई हो। जो विकास के और फायदे के कार्यक्रम हैं वे बराबर लिये जाते रहे हैं........

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे क्षेत्र का नाम नहीं आया।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो 8 स्कीम्स की बताई उसमें निम्न प्रकार गांव हैं :—

राजगढ़	अलवर
रैनी	अलवर
बानसूर	अलवर
सिवार	भरतपुर
मावली	उदयपुर
हिन्दूमलकोट	गंगानगर
मालपुरा	टोंक
श्रीमाधोपुर	सीकर
श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
नोहर	श्रीगंगानगर
बीदासर	श्रीगंगानगर
देसूरी	पाली
बस्सी	जयपुर
गंगापुर	स. माधोपुर
नादोती	स. माधोपुर
भोपालगढ़	जोधपुर
बैर	भरतपुर
करौली	स. माधोपुर
रामगंज मंडी	कोटा
आसींद	भीलवाड़ा
माण्डलगढ़	भीलवाड़ा
झूंझनूं	झूंझनूं
बोली	स. माधोपुर
कुम्हेर	भरतपुर
पाली	पाली
पिपरोली	सीकर
वल्लभनगर	उदयपुर
हिन्दूमलकोट	श्रीगंगानगर
मालपुरा	टोंक
मावली	उदयपुर
भोपालसागर	चित्तौड़
नाथद्वारा	उदयपुर

श्री रघुनाथ विश्नोई : और सिरोही जालोर नदारद ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जालोर है उसमें।

लाडनूं	नागौर
कुचामन	नागौर
सपोटरा	सवाई माधोपुर
रामगंज मण्डी	कोटा
धरियावद	उदयपुर
बैर	भरतपुर
भोपालपुर	उदयपुर

इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई सारे राजस्थान की योजना नहीं बना ली गयी हो। जो चीज इस समय है वह मैंने आपके सामने रखी यह बताने के लिए कि यह कहा कि राजस्थान विद्युत मंडल आज कोई कार्यक्रम लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है, या रिसोर्सेस की कमी है—यह कहीं सवाल नहीं है। आज जो लोगों को कनेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं उसका कारण यह नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है क्योंकि अब जो स्कीम चलेगी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की वह सिंगल विलेज की स्कीम चलने वाली नहीं है। जो भी स्कीम होगी वह क्लस्टर स्कीम लेकर हाथ में ली जायगी। माननीय सदस्यों को यह ख्याल है कि पहले स्केटर्ड विलेजेज होते थे उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाता था। आज उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कमी दूसरी बातों की है। जो सामान हमें चाहिए और खासतौर से एल्यूमिनियम कन्डक्टर वह आज देश में उपलब्ध नहीं हैं और यही एक कारण है कि आज कनेक्शन्स के देने में देरी हो रही है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कई लोगों के पैसे जमा हो गए और फिर भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि आज बोर्ड के पास करीब 22 हजार एप्लीकेशन्स पेन्डिंग हैं और उनमें से लगभग 600 एप्लीकेशन्स हो सकती हैं कि जिनके हमारे पास पैसे जमा हैं इन्कार नहीं करता और यह भी मानता हूं कि उनके पैसे जमा हुए भी काफी समय हो गया लेकिन कन्डक्टर नहीं है इसलिए कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। इस दिशा में करप्शन को कम करने के पाइन्ट आफ व्यू से हमने कहा है कि प्रायोरिटी के आधार पर कनेक्शन दिये जायेंगे और जहां प्रायोरिटी को तोड़ कर कनेक्शन दिया जायगा तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित असिस्टेन्ट इन्जीनियर की होगी कि उसने प्रायोरिटी तोड़ कर कैसे कनेक्शन दिया। यह हमने स्टेप्स लिये हैं और मैं यह कहूंगा कि हमने पूरा पैसा लेकर कनेक्शन देना तय किया कि जो कनेक्शन हम देना चाहते हैं। हमारा आखिर अपना बजट है लेकिन उसके अलावा कुछ लोग जो कनेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे प्लान की पहले की प्रायोरिटी बनी हुई है उसको बरकरार रखते हुए उस पैसे से उनको कनेक्शन देने की बात कही है। जो प्रायोरिटी हमारी बनी हुई है उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया है। ऐसा ध्यान रखा गया है कि कहीं भी ऐसी बात नहीं हो कि बोर्ड की तरफ से ऐसी बात की जा रही है जिससे सीधी बात कोई उसके ऊपर आये।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि बोर्ड के अन्दर सारे काम करने वाले आफिसर्स बहुत ही ईमानदार हैं। करप्ट भी हैं, शिकायतें भी आई हैं और उनके खिलाफ कार्यवाहियां भी की गयी हैं। आज कई एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स और जूनियर इन्जीनियर्स सस्पेन्डेड हैं। उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। आज कई लोगों के खिलाफ इन्क्वायरीज भी चल रही हैं। तो जो स्पेसिफिक केसेज सामने आते हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जाती है और सजा भी दी जाती है। इस मामले में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी और जिसके खिलाफ भी करप्शन की शिकायत आयेगी इमीडियेट कार्यवाही की जायेगी।

झालावाड़ जिले से जहां से श्री गौरी-शंकर जी मुनीम आते हैं उन्होंने एक केस का रेफरेन्स भी दिया और सुन कर मुझे पीड़ा भी हुई। मैं तत्काल एक्शन लूंगा और कल की तारीख में उसको सस्पेण्ड किया जायेगा जिसने 200 रुपये लेकर आपको कनेक्शन देने की बात कही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा आदमी बोर्ड में नहीं रह सकता। उपाध्यक्ष महोदय, खासतौर से मेरा तो मानना है कि जितना करप्शन कम करने की कोशिश करें वह कम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्यायें भी रखीं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्यक्रम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हाथ में लिये जायेंगे हमें ज्यों ज्यों सामान उपलब्ध होगा उन क्षेत्रों के अन्दर जहां जहां आवश्यकता होगी उन कार्यक्रमों को हाथ में लेकर चलना चाहेंगे।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके अतिरिक्त तीन बातें और बताई। पहली बात तो रिसोर्सेस के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि आप इन्टरनल रिसोर्सेज नहीं बढ़ा रहे हैं और प्रॉडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं और उन्होंने तीन केसेज रेफर किये। एक तो जेबरा कन्डक्टर के केस को रेफर किया, दूसरे मीटर के केस को रेफर किया और तीसरा उन्होंने मान इन्डस्ट्रीज के स्टील टावर्स वाले केस के बारे में कहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह पुराने पेन्डिंग केसेज हैं। जेबरा कन्डक्टर्स के बारे में जो बिड़ला की फर्म से खरीदे थे मैं कहना चाहता हूं कि हमने फैसला किया कि उस कन्डक्टर को जो अच्छा है हमने लॉ डिपार्टमेन्ट से राय लेकर फैसला किया। कन्डक्टर उन्होंने सप्लाइ किये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी देना चाहता हूं कि कन्डक्टर्स रोल किये हुए होते हैं इसलिए उनके बारे में नहीं कह सकते कि खराब हैं। कन्डक्टर के दो ग्रुप थे। एक तो ठीक चल रहा था और दूसरे ग्रुप में कहीं कहीं खराबी नजर आई तो उसको रोक दिया गया। केस चला और वह सेटल नहीं हो सका। आर्बीट्रेशन में केस गया तो मैंने यह फैसला किया कि जो कन्डक्टर हमारे अच्छे हैं उनके बारे में हमने कमेटी बैठा कर जिसमें फाइनेन्स के मेम्बर थे, लॉ डिपार्टमेन्ट के भी थे और सब दृष्टि से एग्जामिन करके फैसला किया कि जो अच्छे कन्डक्टर्स हैं उनका उपयोग किया जाये और जो खराब हैं उनको स्क्रेप में निकाल कर बेच दिया जाये। जो अच्छे हैं उनको युटिलाइज किया जाये जिससे हमारा रुपया ब्लाक नहीं हो जाये।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, आपने मीटर्स वाली बात कही कि राजस्थान के अन्दर करीब 60 हजार मीटर्स खरीदने थे। जयपुर मेटल्स ने हमको एक रेट पर मीटर्स सप्लाइ किये और मध्य प्रदेश को हमने 10 रुपये कम की रेट पर दे दिये - यह बात यहां पर खासतौर से कही गयी और कहा गया कि यह घोटाला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत मण्डल ने जब टेन्डर्स काल किये थे तो जिन्होंने टेन्डर्स दिये वह तीन फर्म थीं। दो तो बिड़ला की थी और एक जयपुर मेटल्स की थी। जयपुर मेटल्स की रेट हायर थी और बिड़ला की फर्म का रेट मिनिमम था। कायदे से बिड़ला वाली फर्म को टेन्डर मिलना चाहिए था लेकिन स्टेट गवर्नमेन्ट के बोर्ड को निर्देश थे कि मिनिमम रेट के ऊपर अगर राजस्थान की कोई फर्म सप्लाइ करे तो उसको प्रियोरिटी देनी चाहिए। उस आधार पर हमने जयपुर मेटल्स को कहा कि इस रेट पर यदि आप सप्लाइ करने के लिए तैयार हैं तो हम आप से ले लेंगे। जयपुर मेटल्स इस बात के लिए एग्री कर गया और हमने इस तरह से यह मीटर्स जयपुर मेटल्स से ले लिए।

थोड़े दिनों बाद बिड़ला ने उससे और लोअर रेट दे दी तो जयपुर मेटल्स ने और भी लोअर रेट दे दी। तो जिस समय राजस्थान का टेन्डर गया था तो यह नहीं सोच सकते थे कि टेन्डर में कम भाव हो जायेगा....

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि उस वक्त उनको दिया लेकिन यह तो साधारण सी बात है कि आज जो प्राइज हैं उसके आधार पर टेन्डर काल किए और कल मार्केट में भाव बढ़ जाते हैं तो जो आज टेंडर में भाव दिये हैं वे कल भाव टेंडर में दूसरे हो जायेंगे। उसके लिए यह कहना कि घोटाला हुआ है, यह बात तो जभी कही जा सकती है जब कि जिस दिन टेंडर दाखिल किया और उसके दूसरे दिन ही, एक दो दिन बाद ही ऐसा कोई डील हो गया हो और राजस्थान विद्युत मण्डल की जानकारी में आ गया हो और फिर भी अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया हो, वहां पर तो यह कहा जा सकता है और अधिकारियों पर सन्देह किया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में किसी पर सन्देह करने का कारण नहीं है। इस प्रकार से सन्देह करके यदि बोर्ड को इतना बांध देंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम इसको कमर्शियल कंसर्न बना कर चलना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से बैलेन्सेज एण्ड चैक्स लगा देते हैं और फिर चाहते हैं कि कोई काम हो तो काम कभी हो नहीं सकता। आज स्टेट एण्टरप्राइजेज और प्राइवेट पार्टीज के अन्दर भी डिफरेंस रहता है। स्टेट एण्टरप्राइजेज पर जहां बहुत सारी पाबन्दियां हैं वहां प्राइवेट पार्टीज अपने आप में फ्री रहती हैं। किसी भी वक्त मार्केट से किसी भी भाव में किसी भी तरह से माल खरीद कर अपना काम चला सकते हैं लेकिन स्टेट एण्टरप्राइजेज ऐसा नहीं कर सकती है। उनको यह भी सोचना पड़ेगा कि काम ठीक तरह से कर देना ही काफी नहीं है आम लोग यह महसूस करें कि ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। इसलिए उनके सामने वैसे ही बहुत से चैक हैं, रुकावटें हैं और फिर भी इस तरह की बात कह कर चलेंगे तो मुझे खेद है उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात को मान कर नहीं चल सकते।

तीसरी बात थी मान इण्डस्ट्रीज की। हमने स्टील दिया था टावर पर लगाने के लिए, यह टावर के ऊपर लगता है स्टील। तो कुछ मैटीरियल हमको मिला, कुछ मैटीरियल नहीं मिला जो मिलना चाहिए। अभी यह मामला डिस्प्यूट में है। चम्बल एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है और वहां राणाप्रताप सागर में भी काम चल रहा था तब यह कान्ट्रेक्ट दिया हुआ था, अब जाकर चार्ज हमारे पास आया है। अकाउण्ट्स भी दो जगह पर हैं। एक अकाउण्ट चम्बल प्रोजेक्ट के चीफ इन्जीनियर के पास है और कुछ अकाउण्ट्स राजस्व विद्युत मण्डल के पास हैं और अपने अकाउण्ट्स मान इण्डस्ट्रीज के पास है। तो आज डिस्प्यूट इस बात का है कि वे तो कहते हैं कि जितना स्टील दिया उतने टावर दे दिए। हमारा कहना है कि स्टील के हिसाब से टावर नहीं मिले, इतने भेजे। जो जिंक दिया था टावर पर लगाने के लिए उनका कहना है कि हमको आवश्यकता से कम दिया हमारा कहना था कि जो जिंक दिया गया वह पर्याप्त था। तो यह मामला इस डिस्प्यूट में है और इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए मैंने यह मामला हाथ में लिया है और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस मामले का फैसला हो जाय। तो जो भी पेन्डिंग मामले हैं उनको निपटाने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों ने जो कुछ मुद्दों पर इस बजट के विचार विमर्श के दौरान में

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यहां पर बातें उठायी हैं उनका अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश का है....

श्री केशरीमल : एक्सीडेंट वाली बात रह गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ एक्सीडेंट का जिक्र किया कि कहीं पर केजुएल्टी हुई है और उसमें कोई इन्जीनियर इनवोल्व्ड है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसकी जानकारी करूंगा और उसमें यदि जान बूझ कर किया गया, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा उसी तरह से बात होना पाया गया तो निश्चितरूप से सम्बन्धित अधिकारी या अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। लेकिन आज मैं यह नहीं कह सकता कि जो कुछ यहां बताया गया है वह सही है, मैं मानता हूं कि आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आपके पास भी कोई तथ्य होने चाहिये, मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन इसकी इन्क्वायरी करनी पड़ेगी और अगर इन्क्वायरी से मामला साबित हो गया तो निश्चितरूप से कार्यवाही की जायगी। हम यह कभी नहीं चाहते कि एक्सीडेंट इस प्रकार जान बूझ कर करवाए जायं।

श्री केशरीमल : मैंने भी इन्क्वायरी के लिए ही कहा है। आप मालूम करिये कि कहां तक सच है।

श्री हीरालाल देवपुरा : साथ साथ यह भी कहा गया कि आज अगर यह समझा जाय कि राजस्थान विद्युत मण्डल के अन्दर जो काम करने वाले लोग हैं वे काम करने वाले लोग एक तरफ तो इण्टक से सम्बन्धित हों दूसरी तरफ किसी दूसरी यूनियन से भी सम्बन्धित हों तो उनसे भी बात की जाय तो मैं स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि जो यूनियन मण्डल द्वारा रिकोग्नाइज्ड हैं, जो यूनियन मान्यता प्राप्त हैं उसी यूनियन के साथ बात चीत की जायगी और उसी यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया जायगा। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भले ही वह यूनियन किसी भी पार्टी से एफिलियेटेड हो हम उसको रिकोग्नाइज्ड यूनियन को इग्नोर करके नहीं चल सकते। जहां तक इण्डिविजुअल केसेज का सवाल है जिसमें कोई जो भी बोर्ड में काम करता है, वह कोई भी अपने ग्रिवेंसेज को लेकर अधिकारियों के पास आता है तो अधिकारियों को उसको सुनना उनका कर्तव्य है, उनको सुनना पड़ेगा और ग्रिवेंसेज दूर करना चाहिए, जहां तक सम्भव हो सके उसको मैं ना नहीं कह सकता। हमारा यह भी कोई मतलब नहीं है कि हम चूंकि इण्टक को मान्यता देते हैं इसलिए दूसरी यूनियन को महत्व नहीं दें। जहां पर दूसरी यूनियन रिकोग्नाइज्ड है वहां पर उनसे बात करेंगे। इण्टक रिकोग्नाइज्ड है तो उससे बात करेंगे। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कुछ मुद्दे रखे और उन्होंने कहा कि यूनियन के चुनाव नहीं होते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत मण्डल का यह काम नहीं है, यह मजदूरों का अपना इन्टरनल मामला है कि वे कब चुनाव कराते हैं, किसको अध्यक्ष बनाते हैं और किसको नहीं बनाते हैं। गिरधारीलालजी अगर समझें कि हम उनको अध्यक्ष बना देंगे....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे नहीं बनाएं साहब लेकिन चुनाव तो हों।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कह कर चलें कि इसमें....

(निरन्तर व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा: यह मामला लेबर का अपना मामला है, उनका अपना काम है इस बारे में राजस्थान विद्युत मण्डल कुछ नहीं कर सकता। राजस्थान विद्युत मण्डल तो एक ही बात कह कर चल सकता है आज के दिन कि जो लेबर के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनको उनका जो ड्यू राइट मिलना चाहिए, जो लेबर के ग्रिवेंसेज हैं वे रिड्रेस होने चाहिए और आज की परिस्थितियों में जो लेबर का अधिकार है उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकारों का सही ढंग से निडर होकर उपयोग कर सकें इसकी राजस्थान विद्युत मण्डल गारण्टी दे सकता है। यह नहीं कह सकता कि किस को नेता बनाओ और किसको नेता मत बनाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में फिर····

श्री मीठालाल : एक प्रश्न का उत्तर रह गया साहब। जो लोकेलिटीज में कनेक्शन लगा दिए हैं उनमें कुछ को तो स्वीकृति दे दी और कुछ को नहीं, इस बारे में बता दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर में दो लाख रुपये खर्च कर दिए और बाजारों में अंधेरा पड़ा है इसके बारे में भी बताइये।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है वह इस बहस के दौरान नहीं आया था। यह सेंकशन्ड और अन-सेंकशन्ड लोकेलिटीज में से कुछ में दिया और कुछ में कनेकशन नहीं दिया इसका सवाल है। इसमें स्थिति यह थी उपाध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार की जो अन-सेंक्शन्ड लोकेलिटीज हैं जिनके पास की लोकेलिटी जो सेंक्शन्ड है और जिसके कुए को कनेक्शन मिला है उसके पड़ौस में ही दूसरा कुआ है, जो बहुत लम्बी दूरी पर नहीं है उसको पावर कनेक्शन दिया है। लेकिन जब हमने देखा कि इसमें करप्शन होता है, मनमानी होती है तो हमने इस प्रथा को बन्द कर दिया कि इस प्रकार से अनसेंकशण्ड लोकेलिटीज में इस प्रकार का अवसर नहीं होना चाहिए कि उनको कनेक्शन दे दिया जाय।

एक बात यहां पर यह कही गई कि जो लाइन गांव पर होकर निकलती है वहां के कुओं को कनेक्शन दे दिया जाय। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था और अब फिर मैं आपकी मार्फत सदन को निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिन गांवों के ऊपर से 11 के. वी. की लाइन गई है, वैसे लाइनें कई तरह की जाती हैं, 33 के. वी. की भी जाती हैं, 132 की भी जाती हैं तो जहां पर 11 के. वी. के अलावा जो भी लाइन जाएगी उससे कुओं को कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा। जहां तक 11 के वी लाइन के गांवों के ऊपर से होकर जाने का सवाल है, हमारा दृष्टिकोण

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इस ओर है और हम उनको प्राथमिकता देते हैं कि इन गांवों को जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं हो पाये हैं, उनको प्राथमिकता देकर इलेक्ट्रिफाइड किया जाय। यह तो हम पहले ही एग्री कर चुके हैं।

श्री मीठालाल : जिन गांवों में एक कनेक्शन दे दिया है उन गांवों में और कनेक्शन देने के बारे में तो कर दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप तसल्ली रखिए। जो कुछ बातें कही हैं मैं सब कुछ बता दूंगा उनके बारे में हमने इन गांवों को इलेक्ट्रिफाइड करना शुरू किया है। जिन गांवों में इस प्रकार से कुछ कुओं को अनइलेक्ट्रिफाइड किया है। ऐसी गांवों की काफी लम्बी लिस्ट बनी है–और उनको सैंक्शन्ड डिक्लेयर करके कनेक्शन जारी किए हैं।

कुछ कुए ऐसे हैं जैसे एक कुआ तो है गांव के एक छोर पर जिसका कनेक्शन दिया गया और गांव वहां से डेढ़ दो मील दूर दूसरे छोर पर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक ले जाने के लिए भी उतना ही खर्चा करना पड़ता है इसलिए इनको हम आर्बीट्रेरिली नहीं ले सकते। हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लिया है और हम कुछ गाइड लाइन्स बना कर चलना चाहते हैं लेकिन आर्बीट्रेरिली नहीं कर सकते।

तो माननीय सदस्यों ने, उपाध्यक्ष महोदय, जो इतना कष्ट करके इतने लम्बे समय तक बैठ कर अपने विचार राजस्थान विद्युत मण्डल पर विचार व्यक्त किये····

श्री रणजीतसिंह : कण्ट्रीब्यूटरी स्कीम के बारे में क्या था, यह भी बता दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसको हमने इसलिए रखा था कि चूंकि अर्थाभाव था, पैसे की कमी थी इसलिए हमने सोचा था कि कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम लगाकर हमारी योजना को पूरा करें। जो लोग चाहते थे कि उनको निश्चितरूप से कनेक्शन मिले तो उसके लिए हमने कहा कि अगर वो पैसा जमा करा दें तो जिन लोकेलिटीज में हमारे प्लान के अनुसार कनेक्शन देने की जिम्मेदारी है उनको तो कनेक्शन देंगे ही लेकिन साथ में जो इसमें कण्ट्रीब्यूट करें उनको एडीशनल कनेक्शन भी दिए जा सकें और उनको प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन मिल सके·······

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए सधन्यवाद स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 10 बज कर 21 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गयी)

परिशिष्ट- 1

(ता. प्र. सं 152 की सूची)

सूची के मामले जिनमें जिलेदार द्वारा आदेश की अवहेलना की गई।

क्रम सं.	नाम चक	नाम जिलेदार मय सर्कल
1	2 डी डो	श्री रमेशचन्द्र पदमपुर

श्रवण कुमार

अधीक्षण अभियन्ता,
बीकानेर सिचाई वृत्त,
श्रीगंगानगर।

नई बाराबंदी केसों की सूची जो 31-3-75 को गंगनहर उत्तर खण्ड, में विचाराधीन थे।

क. सं.	नाम चक	केस निपटाने का माह
1.	7 एफ एफ	4/74
2.	10 एफ एफ	4/74
3.	12 एफ एफ	4/74
4.	6 एन एन	4/74
5.	19 बी. बी.	4/74
6.	25 बी. बी. फर्स्ट	4/74
7.	5 सी. सी.	4/74
8.	39. जी. जी. फर्स्ट	4/74
9.	6 जी सैकिण्ड	4/74
10.	49 जी. जी. ए	4/74
11.	49 एफ	4/74

Page No 199

199

क्र. सं.	नाम चक	केस निपटाने का मा
12.	36 एफ	4/74
13.	2 ओ.	4/74
14.	22 ओ. सैकिण्ड	4/74
15.	37 एफ.	4/74
16.	5 एस. ए.	4/74
17.	3 टी.	4/74
18.	3 सी. छोटी	4/74
19.	4 सी. छोटी	4/74
20.	7 सी. बड़ी सैकिण्ड	4/74
21.	7 डी. सैकिण्ड	4/74
22.	9 एफ एफ	5/74
23.	3 बी. बी.	5/74
24.	37 बी. बी.	5/74
25.	3 जे. जे.	5/74
26.	23 बी. बी.	5/74
27.	2 एफ. सी.	5/74
28.	3 एफ. डी	5/74
29.	11 ओ. बी.	5/74
		29

तालिका—'क

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 154 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED BY THE LOKAYUKTA DURING THE PERIOD 28th AUGUST 1973 to 31st MARCH, 1974.

		Public Servant involved				Filed u/s 9 & 10 of the Act. (For one or more of the following reasons)							Preliminary enquiry									
Serial Number	No. of complaints received	G. O.	N. G. O.	Non-official	Total of columns 3-5	Filedbeing Auon./Pseud	Being from public servant	Other remedies being available	Only copy of complaint received.	Being outside purview of L.A. under the Act.	Allegations being vague and unverifiable	Total of columns 7 to 12.	Affidavit called for.	Fileafter enquiry and whenever necessary after recording evidence	Evidence being recorded.	Investigation undertaken	Complaints under scrutiny on 31-3-74	Total of columns 14 to 18	Referred to U.L.A.	Grand total column 13 & 19 & complaints transferred to Up-Lokayukta	Cases in which law including the provisions of the Act interpreted	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19A	20	21	22
Total	386	97	89	12	198	28	2	23	97	6	10	166	6	3	2	–	9	20	200	386	3	—

तालिका – 'ख'

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED BY THE LOKAYUKTA DURING THE PERIOD 1st APRIL 1974 to 31st JULY, 1974.

Public servant involved						Filed u/s 9 & 10 of the Act (for one or more of the following reasons)							Preliminary enquiry								
Serial Number	No. of complaints received	G. O.	N. G. O.	Non-official	Total of columns 3-5	Filed being anon./pseud	Being from public servant.	Other remedies being available	Only a copy of complaint received	Being outside purview of L.A.	Allegations being vague and unverifiable.	Total of columns 7 to 12	Affidavit called for.	Filed after enquiry and whenever necessary after recording evidence.	Evidence being recorded.	Investigation under taken	Total of columns 14 to 18.	Referred to U. L. A.	Grand total columns 13 & 19 and complaints transferred to Up-Lokayukta	Cases in which law including the provisions of the Act interpreted	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18A	19	20	21
Total	471	173	190	7	370	66	75	71	28	104	18	362	96	1	3	–	100	9	471	–	–

202

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

मेडिकल कॉलेज, जयपुर

159. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार और डिमॉन्स्ट्रेटर के पद पर कौन कौन कब कब से नियुक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने हेतु इनकी क्लासेज निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है ?

(3) मेडिकल कॉलेज जयपुर में 72-73 तथा 73-74 में किन किन प्रोफेसरों, रीडर, लेक्चरार्स और डिमोन्स्ट्रेटर ने किस किस माह में कितनी कितनी क्लासेज ली और उनको कितनी क्लासेज लेनी चाहिए थी ? इसमें यदि अन्तर है तो क्यों ?

(4) क्लासेज लेने या न लेने के संबंध में क्या कोई रेकार्ड रखा जाता है ? यदि हां, तो कैसा ? इसका पालन किस किस डाक्टर द्वारा किया गया और किस द्वारा नहीं ?

(स्थगित किया गया)

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले

160. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से किन किन जिलों को पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित करने में क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ? जिन जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित किया उनके लिये उक्त मापदण्ड को अपनाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला जो कि रंगाई, छपाई, जूट, ऊन एवं खनिज आदि उद्योगों के फैलाव से विकसित हो रहा है और जो जिले पिछड़े हुए घोषित किये हुए हैं उनके अनुसार मापदण्ड की आवश्यकता की पूर्ति करता है, को अभी तक पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया गया है ? यदि यह सही है तो उसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले को इस वर्ष के अगस्त महीने में भी पिछड़ा हुआ घोषित कर उक्त जिले के विकास में सहयोग देगी ?

उत्तर

(1) सूची (क) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) भारत सरकार, योजना आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक आधारों के अनुसार भारत सरकार द्वारा समय समय पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किये गये हैं। सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उत्तर)

(3) जी हां। बाड़मेर 1971 में ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया जा चुका है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची (क)

औद्योगिक दृष्टि से घोषित पिछड़े जिलों की सूची

1. जालोर
2. बांसवाड़ा
3. डूंगरपुर
4. नागौर
5. चूरू
6. अलवर
7. टोंक
8. उदयपुर
9. जोधपुर
10. झुंझुनूं
11. सिरोही
12. झालावाड़
13. सीकर
14. भीलवाड़ा
15. जैसलमेर
16. बाड़मेर।

सूची (ख)

Criteria taken into consideration for declaring districts as Industrially Backward

(i) Per capita foodgrains/commercial crops production depending on whether the district is predominantly a producer of foodgrains/Cash Crops.

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita industrial out-put (Gross).

(iv) Number of factory employees per lakh of population or, alternatively, number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अव्यवस्था

161. श्री दीपंकर (लाडनू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकटें कार्बन लगाकर परिचालक काट-कर देता है जिसमें अक्सर मनमाने स्थान से मनमानी जगह की यात्रा का वर्णन अस्पष्ट शब्दों में दर्ज किया जाता है और इस प्रकार प्रतिदिन हजारों रुपये की आमदनी चालक, परिचालक व निरीक्षक के बीच बंट जाती है ? अगर हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि रोडवेज की कुछ बसों की जांच करने पर बिना टिकट यात्रा करते हुए यात्री पाये गये हैं ? अगर हां, तो इस प्रकार की कार्यवाही में किस किस दर्जे के कितने कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं तथा कितनों का चालान किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि रोडवेज की बसों की छतों पर यात्रियों को बैठाकर सैकड़ों मीलों की यात्रायें करवायी जाती हैं ? अगर हां, तो इस प्रकार की जानलेवा कार्यवाही के लिए कौन जिम्मेदार है तथा सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि रोडवेज की बस के चालकों को स्टेपनी तथा संबंधित औजार गाड़ियों के साथ नहीं दिया जाता इस कारण से बाज वक्त गाड़ियें पंक्चर हो जाने अथवा टायर ट्यूब फट जाने अथवा मशीनरी में साधारण खराबी आ जाने की सूरत में बसें जंगल में ही घंटों सामान अथवा मिस्त्री के आने तक खड़ी रहती हैं और यात्री परेशान होते रहते हैं ? अगर हां, तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि निगम की डी-लक्स बसों में सवारियां सीटों से ज्यादा ली जाती है जबकि यात्रियों से विशेष सुविधा के नाम पर विशेष किराया वसूल किया जाता है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि परिचालक टिकट कार्बन लगाकर काटता है। जहां कहीं परि-चालक द्वारा गलत टिकट बनाने के मामले पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में ली जाती हैं।

(2) जी हां, निरीक्षक द्वारा जब भी वाहन का निरीक्षण किया जाता है और कोई परिचालक बिना टिकट यात्री लेजाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध नियमा-नुसार अविलम्ब कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों में अदालत में चालान नहीं किये जाते। प्रश्न में किस वर्ष निलम्बित कर्मचारियों के विषय में सूचना चाही है इसका उल्लेख नहीं है। यदि निगम बनने के समय से यह सूचना चाहें तो संकलित होने में समय लगेगा।

(3) जी नहीं। माह मई, 74 में रेल्वे की हड़ताल के कारण कुछ बसों में यात्री संख्या बहुत अधिक रही। अब कभी यात्रियों का दबाव बढ़ता है तब अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था की जाती है।

(उत्तर)

(4) चालकों को टूल बक्स दिया जाता है। जो चालक टूल बक्स गाड़ी के साथ नहीं ले जाता उस पर जुर्माना किये जाने की व्यवस्था है। टायरों की राष्ट्रव्यापी कमी के कारण कई बसों में स्टेपनी नहीं है लेकिन लम्बे मार्गों की बसों में स्टेपनी का प्रबन्ध है। मशीनरी की खराबी के कारण रिपोर्ट मिलते ही नजदीक की कार्यशाला से यांत्रिक भेजा जाता है जो गाड़ी ठीक करता है। ब्रेकडाउन वाहनों के यात्रियों को पीछे आने वाली बस से गन्तव्य स्थान तक भेजा जाता है।

(5) डीलक्स वाहनों में सीटों का आरक्षण होता है तथा उसी के अनुसार टिकटें जारी की जाती हैं। ऐसी बसों में सीटों से अधिक यात्री नहीं लिये जाते हैं।

छात्रों से पुस्तकों की जमा कराई गई राशि

श्री अजीतसिंह (टोंक): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय श्री जी. डी. रुइया सेकेन्डरी स्कूल, रामगढ़ शेखावाटी (जिला सीकर) के प्रधानाध्यापक श्री आर. पी. गर्ग ने स्कूल पुस्तकालय की पुस्तकें जो छात्रों द्वारा खोयी जा चुकी थीं, की मूल्य उनसे प्राप्त कर स्कूल के विषयवार रजिस्टर में अंकित किया है किन्तु इस प्राप्त धनराशि का स्कूल की रोकड़ बही में कहीं भी अंकित नहीं किया है? और इस राशि का गबन प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया है? यदि हां, तो इन पुस्तकों की सूची एवं इनकी राशि का विवरण सदन के पटल पर रखा जावे।

(2) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक द्वारा बहुत सी अन्य पुस्तकों की राशि छात्रों से प्राप्त की गयी है और पुस्तकों के जाली वाउचर बनाकर पुस्तकालय की सूची में भी अंकित किया गया है? यदि हां, तो इन पुस्तकों की सूची एवं मूल्य का विवरण सदन के पटल पर रखा जाये।

(3) क्या यह सही है कि स्कूल के राज्याधीन के अवसर पर प्रधानाध्यापक ने बहुत सी मूल्यवान पुस्तकें दीमक खा जाने के कारण टाइटल आदि की "जानकारी नहीं मिली" नामक सूची में अंकित की है? यदि हां, तो इन पुस्तकों की सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

(4) क्या यह सही है कि इन पुस्तकों में से बहुत सी बहुमूल्य पुस्तकों का गबन प्रधानाध्यापक श्री आर. पी. गर्ग द्वारा किया गया है और इनके स्थान पर विभाग को दी गयी सूची के अनुसार घटिया किस्म की पुस्तकें रखा गयी हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जांच की जा रही है।

(2) जांच की जा रही है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जांच की जा रही है।

206

प्रपत्र

जीर्ण शीर्ण पुस्तकें/अनुपयोगी पठ्यपुस्तकों की सूची

क. सं.	नाम पुस्तक		केटेलोग क्रमांक	कीमत	कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही
	पाठ्य पुस्तक				
1	पत्र-व्यवहार	पा०	2	3-50	
2	स्वास्थ्य व योगासन	,,	3	2-00	
3	पत्र लेखन कला	,,	5	1-25	
4	ब्रह्मचर्य साधन	,,	7	1-00	
5	भारतीय शिष्टाचार	,,	12	0-19	
6	श्री भगवद् गीता	,,	137	0-12	
7	एडीसन	,,	139	2-50	
8	साहित्य लोचन	,,	141	5-50	
9	यूरोप का प्रा० इतिहास	,,	164	15-00	
10	सामान्य विज्ञान	,,	165	6-00	
11	सरल विज्ञान	,,	189	2-25	
12	भारत का व्या. भूगोल	,,	263	2-50	
13	अशोका सेम्पल पेपर	,,	348	1-50	
14	अशोका आ. व्या. भूगोल	,,	349	1-50	
15	भारत की मो. समीक्षा	,,	355	11-00	
16	भारतीय प्र. एवं ना. जीवन	,,	380	2-00	
17	भारतीय प्र. एवं ना. जीवन	,,	381	2-00	
18	भारत नवीन प्रा. व्या. भूगोल	,,	408	4-25	
19	स्पेशल लाइट इन ज. इ.	,,	487	3-50	
20	प्रेरणा के स्त्रोत	,,	493	1-56	
21	नवीन रेखा गणित	,,	502	3-90	
22	जीवन ज्योति	,,	505	1-90	
23	सं. स्कूल बीज गणित	,,	530	4-00	
24	संस्कृत प्रवेशिका	,,	591	1-12	
25	संसार के इ. की रूपरेखा	,,	610	3-50	
26	भारत के इ. की रूपरेखा	,,	678	5-95	

1	2	3	4
27	दीपक रीडर भाग 2	पा. 695	1-20
28	प्राइमर न्यू मेथड	,, 696	0-60
29	प्रा. बहीखाता	,, 714	4-50
30	प्रा. बहीखाता	,, 715	4-50
31	प्रा. बहीखाता	,, 716	4-50
32	भारत का आ. व्या. भूगोल	,, 732	4-25
33	सामाजिक ज्ञान कक्षा 4	,, 752	0-75
34	सामाजिक ज्ञान कक्षा 4	,, 753	0-75
35	व्यापार पद्धति रचना	,, 788	1-80
36	अशोका ऐच्छिक गणित	,, 789	1-50
37	सं. भौतिक शास्त्र	,, 790	1-50
38	सं. रसायन शास्त्र	,, 795	1-50
39	आ. सैकण्डरी गणित	,, 829	4-50
40	सरल मा. भौतिकी	,, 835	6-80
41	मा. गद्य-पद्य संग्रह	,, 836	3-80
42	द. अरेबियन नाइट	,, 849	1-30
43	आदर्श न्यूटाइप जीव.	,, 852	1-50
44	न्यूप्लान इंगलिश रीडर	,, 874	1-10
45	फिजिक्स मेड इजी	,, 887	5-00
46	सरल गृह-विज्ञान	,, 888	4-00
47	सुलभ संस्कृत कक्षा 8	,, 902	0-50
48	नवीन पाठमाला कक्षा 8	,, 906	1-30
49	विजय आ. प्रश्न पत्र संस्कृत	,, 922	1-50
50	अशोका अनिवार्य हिन्दी	,, 923	1-50
51	नवीन सं. भूगोल भाग 2	,, 944	4-10
52	सं. स्कूल भूगोल भाग 2	,, 946	4-10
53	हिन्दी कक्षा 7	,, 983	1-60
54	भूगोल कक्षा 7	,, 996	1-15
55	मा. जीव विज्ञान	,, 1006	8-80
56	राजस्थान इंगलिश कक्षा 8	,, 1009	1-30
			167 69

महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर के चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर्स

163. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उनमें से कितनों को चिकित्सालय के पास प्रवास के लिये राजकीय क्वार्टर्स आवंटन किये गये हैं। कृपया उनकी पूर्ण सूची मय कर्मचारी के नाम के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि विद्युत उपलब्ध होते हुए भी उपरोक्त किसी भी क्वार्टर में विद्युत का फिटिंग नहीं हुआ है जिससे उनको इस सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है ?

(4) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त क्वार्टर्स में कोई लेट्रिन नहीं है अत: केवल आठ पुरानी टूटि पब्लिक लेट्रिन से लगभग पचास परिवार अत्यन्त कष्टमय दशा में अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं जो पूर्णतया अपर्याप्त है ?

(4) राज्य सरकार कब तक उपरोक्त क्वार्टर्स में बिजली की फिटिंग एवं कितनी अतिरिक्त नई लेट्रिन्स का निर्माण एवं पुरानी की मरम्मत करवा देगी।

उत्तर

(1) 244 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(2) 50 कर्मचारियों को राजकीय क्वार्टर आवंटित किये हुए हैं। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) यह सही है कि इन क्वार्टरों में विद्युत का फिटिंग नहीं है।

(4) प्रत्येक क्वार्टर के लिये अलग से लेट्रिन नहीं है। लेकिन इन क्वार्टरों के लिये 12 लेट्रिन बनी हुई हैं।

(5) इस वर्ष बजट में इस कार्य के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

List of Government Quarters allotted to Class IV Servants of M. G. Hospital, Jodhpur

S. No.	*Name*	*Post*	*Q. No.*
1.	Shri Shivpal Singh	Peon	C/84/33
2.	,, Janki	W/M	C/84/34
3.	,, Gyanmal	Cook	C/84/35
4.	,, Narayan Singh	Cycle Sawar	C/84/36
5.	,, Narayan Singh	Peon	C/84/37
6,	,. Kamala	W/B	C/84/38
7.	,, Hanuman	Gardner	C/84/17

S. No.	Name	Post	Q. No.
8.	Smt. Kasi Bai	W/B	C/84/18
9.	„ Pushpa	W/B	C/84/39
10.	„ Rami Bai	W/B	C/84/40
11.	Shri Shafi Mohd.	Gardener	C/84/41
12.	„ Shree Bhagwan	W/B	C/84/42
13.	Smt. Meena	W/M	C/84/43
14.	Shri Karni Singh	W/M	C/84/44
15.	„ Chandar Singh	Chowkidar	C/84/45
16.	„ Megh Singh	Peon	C/84/46
17.	Smt. Seeta	W/M	C/84/47
18.	Shri Jabar Singh	W/B	C/84/48
19.	„ Shree Kishan	W/B	C/84/49
20.	„ Asharaf Khan	Peon	C/84/50
21.	Smt. Chota Bai	W/M	C/84/51
22.	Shri Kaloo Singh	W/B	C/84/52
23.	„ Ram Kumar	Cook	C/84/53
24.	„ Kaloo Singh	Chowkidar	C/84/54
25.	Smt. Ram Pyari	W/M	C/84/55
26.	„ Gatoo Bai	W/M	C/84/56-57
27.	Shri Atma Ram	Dhobi	C/84/62
28.	Smt. Dhapi	Dhobin	C/84/63
29.	Shri Ram Singh	W/B	C/84/64
30.	„ Chhagan	Dhobi	C/84/65
31.	Smt. Janki	W/M	C/84/66
32.	Shri Vijai Singh	W/M	C/84/67
33.	„ Saitan Singh	Chowkidar	C/84/68
34.	„ Prahlad	W/B	C/84/69
35.	„ Kashi Ram	W/B	C/84/70
36.	„ Bhanwar Lal	W/B	C/84/71
37.	„ Radha/Chhagan	W/M	C/84/72
38.	„ Jethu Singh	Cook	C/84/73
39.	„ Chotu/Shankar	Sweeper	C/84/74
40.	„ Kesara	„	C/84/75
41.	„ Haria	„	C/84/76
42.	„ Charan Dass	„	C/84/77

1	2	3	4
43.	Shri Kaloo	Sweeper	C/84/78
44.	„ Mohan/Kirori	„	C/84/79
45.	Smt. Jamuna	„	C/84/80
46.	„ Naine	„	C/84/81
47.	Shri Kaloo	„	C/84/×2
48.	„ Mohan	„	C/84/83
49.	„ Atma Ram	„	C/84/84
50.	Smt. Soni	„	C/84/85

Superintendent
Associated Group of Hospitals,
Jodhpur.

विद्यालयों में वाणिज्य विषय की पढ़ाई हेतु जमा कराई गई राशि

164. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस वर्ष जून व जुलाई 1974 में वाणिज्य वर्ग खुलवाने के लिए किन किन विद्यालयों ने 5500) रुपये की राशि जमा कराई थी। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा जिन 2 विद्यालयों में वाणिज्य वर्ग खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई उनके नामों की सूची व उनमें कक्षा 9 व 10 के छात्रों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिन विद्यालयों ने वाणिज्य वर्ग खुलवाने की मांग की थी जिन्होंने 5500) रु. की राशि जमा करा दी थी या कराने को तैयार थे उससे राज्य सरकार पर दो वर्ष तक कक्षा 9 व 10 के लिए कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ता था केवल मात्र एक अध्यापक बदलना या देना पड़ता था।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) बीस ऐसे विषय खोलने के लिये राज्य सरकार ने मन्जूरी दी है। वाणिज्य विषय के लिए निर्धारित राशि 14,000/- रुपये है।

सूची (क)

जून व जुलाई, 74 में वाणिज्य विषय खोलने के लिए रुपया 5500/- की राशि जमा करवाने वाली संस्थाओं की सूची—

		जमा राशि
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चिड़ावा (झुंझुनूं)	5,500/-
2.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेरदा (पाली)	5,500/-
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बगड़ी (पाली)	5,000/-
4.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खिवान्दी (पाली)	5,000/-
5.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रिछेड़ (उदयपुर)	10,000/-
6.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, करकेडी (अजमेर)	4,500/-
7.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, देवगढ़ (उदयपुर)	5,000/-
8.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मानपुर (जयपुर)	3,500/-
9.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हनुमानगढ़ (श्री गंगानगर)	10,000/-

सूची (ख)

जिन शालाओं को सत्र 74—75 में राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य विषय खोलने की अनुमति दी गई की सूची—

1. राज. मा. वि. भाप (जोधपुर)
2. रा. मा. वि., बावड़ी (जोधपुर)
3. रा. मा. वि., बासनी (नागौर)
4. रा. मा. वि., भगवतगढ़ (सवाई माधोपुर)
5. रा. मा. वि. खेजरोली (जयपुर)
6. रा. उ. मा. वि., लम्बाहरीसिंह (टोंक)

7. रा. उ. मा. वि. रेलमगरा (उदयपुर)

8. रा. मा. वि. करड (सीकर)

9. रा. मा. वि. मानकासह, (जयपुर)

10. रा. उ. मा. वि. किशनगढ़ रेनवाल (जयपुर)

11. रा. मा. वि., नैनवा (बूंदी)

12. रा. मा. वि., हनुमानगढ़ (श्री गंगानगर)

13. रा. उ. मा. वि., गुमानपुरा (कोटा)

14. रा. उ. मा. वि., बालोदर (जोधपुर)

15. रा. उ. मा. वि., उनियारा (टोंक)

16. रा. उ. मा. वि., भीण्डर (उदयपुर)

17. रा. मा. वि., कोलायत (बीकानेर)

18. रा. उ. मा. वि., सिम्बलवाड़ा (डूंगरपुर)

19. रा. उ. मा. वि., सलूम्बर (उदयपुर)

20. रा. मा. वि., वजीरपुरा (सवाई माधोपुर)

अकलेरा तहसील क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण

165. श्री भैरूँलाल (अकलेरा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत तहसील अकलेरा क्षेत्र के कितने ग्रामों का अभी तक विद्युतिकरण हुआ है ?

(2) तहसील क्षेत्र के कुल गांवों की संख्या के अनुपात में विद्युतिकरण हुए ग्रामों की संख्या कितने प्रतिशत है ?

(3) तहसील क्षेत्र के कितने और ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों की ओर से अपने ग्रामों को विद्युतिकरण में लिये जाने हेतु विद्युत विभाग में प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ?

(4) क्या यह सच है कि कई ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण जनता ने अपने ग्राम व कुओं पर सिंचाई व विद्युत लेने हेतु विद्युत विभाग में एक लम्बे अर्से से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं किन्तु उन पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ ?

(5) क्या यह भी सच है कि सन् 1971 के बाद तहसील अकलेरा क्षेत्र के एक भी ग्राम को विद्युतिकरण में नहीं लिया गया है ?

(श्री भैरुंलाल)

(6) क्या यह भी सच है कि उक्त क्षेत्र में बिजली के विस्तार से कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में काफी विकास की गुंजाइश है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तहसील अकलेरा के ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हेतु विद्युत का विस्तार करने का विचार रखती है और कब तक ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़, तहसील अकलेरा के 30 ग्रामों का विद्युतिकरण 31-7-74 तक हो चुका है ।

(2) इस तहसील के 60% ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है ।

(3) तहसील के 16 ग्रामों के निवासियों ने विद्युतिकरण के लिए प्रार्थना की परन्तु जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं होने के कारण अगली कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं । सन् 1971 के बाद इस तहसील के आठ ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है ।

(6) बिजली के विस्तार से विकास संभव है । राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में विद्युत के विस्तार का विचार रखती है । किन्तु धनाभाव तथा आवश्यक सामान उपलब्ध न होने से निश्चित समय नहीं बताया जा सकता ।

हनुमानगढ़ में जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज

166. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंकशन और हनुमानगढ़ टाउन में सरकारी आदेश के अनुसार चौधरी जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री तथा एक आध और फैक्टरी को छोड़ कर अन्य कोई जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री नहीं लग सकती ? यदि हां, तो यह आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है और क्या यह फैसला कारखानों के विकास के हित में है ?

(2) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ टाउन में चाचना जिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल्स के नाम से कुछ व्यापारियों ने मिलकर अपनी निजी शहरी जमीन में फैक्ट्री लगाई जो काफी बन चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि यह फैक्ट्री सरकारी आदेशों से बन्द कर दी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस प्रेस का रजिस्ट्रेशन डाईरेक्टर ने आज तक नहीं किया और न ही प्रेस का नम्बर अलाट किया, जबकि इस पार्टी को यह नम्बर काटन कमिश्नर बम्बई से लाकर अपना कार्य करना पड़ा ?

(5) क्या यह भी सही है कि मुकुन जिनिंग फैक्ट्री के नाम से डाइरेक्टर ने तब रजिस्ट्रेशन किया जब उससे हलफनामा ले लिया कि वो चरखियों के अलावा प्रेस का कारखाना नहीं लगायेगा ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(6) क्या उपरोक्त समस्त कदम यह स्पष्ट नहीं करते कि राज्य सरकार केवल कुछ लोगों की इजारेदारी गंगानगर में कपास की प्रेसिंग के क्षेत्र में कायम करना चाहती है ?

(स्थगित किया गया)

एस. टी. सी. ट्रेंड अध्यापक

167. **श्री रामलाल** (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 71-72 में कितने एस. टी. सी. ट्रेंड अध्यापक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार बेकार थी और उनमें से कितने नियुक्त किए गए ?

(2) क्या यह सही है कि जिन एस. टी. सी. ट्रेंड अध्यापकों को शिक्षा विभाग ने सन् 71-72 में नियुक्त किए उनमें से अधिकांश अध्यापक पंचायत समितियों में से अपना पद छोड़ कर शिक्षा विभाग में आए ? यदि हां, तो कितनी संख्या में ?

(3) सन् 71-72 में कुल कितने एस. टी. सी. ट्रेंड अध्यापक शिक्षा विभाग एवं पंचायत समितियों में नियुक्त किए गए ?

(4) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के पास एस. टी. सी. ट्रेंड बेकार अध्यापकों के सही आंकड़े न होने के कारण सन् 71-72 में शिक्षा विभाग एवं पंचायत समितियों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक न मिलने के कारण शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल खोलने पड़े ? यदि हां, तो कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु और कितने प्रशिक्षण केन्द्र ?

(स्थगित किया गया)

सार्वजनिक छात्रावास सांचोर

168. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर सार्वजनिक छात्रावास का पंजीकरण होते हुए भी सालाना अनुदान की धनराशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती ? अगर हां, तो क्यों और अब कब तक धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सार्वजनिक छात्रावास का सरकारी भवन भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में गिरने की स्थिति में आ चुका है ? अगर हां, तो इसकी विशेष मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । धनाभाव के कारण छात्रावास को अभी तक अनुदान नहीं दिया गया ।

(2) जी हां । भवन की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । आवश्यक मरम्मत के लिए कार्यवाही की जावेगी ।

केकड़ी तहसील के गांवों में बिजली

169. **श्री चतरभुज** (टोड़ा रायसिंह) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बघेरा, नया गांव, देवरिया, तहसील केकड़ी में विद्युतिकरण की योजना घोषित हो चुकी है ? तथा इन ग्रामों में से बघेरा में इन दोनों ग्रामों में करीब 40 डिमांड नोटिस

(श्री चतरभुज)

विद्युत पम्प के लिए एवं 10 डिमांड नोटिस पावर कनेक्शन के लिए, 50 डिमांड नोटिस डोमेस्टिक के लिए जमा हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश का एल फार्म भी दिया जा चुका है परन्तु अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग को वहां कार्य करवाने की मंशा नहीं है ? अगर है तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां, ये गांव केकड़ी पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की स्वीकृत योजना में शामिल है और इसका विद्युतिकरण हो चुका है । इन ग्रामों से विद्युत पम्पों के लिए 29, पावर कनेक्शन के लिए 4 व घरेलू बिजली के लिये 31 डिमान्ड नोटिस की राशि जमा हो चुकी है ।

2. इनमें से विद्युत पम्प के 11 तथा घरेलू बिजली के 14 कनेक्शनों के लिये एल फार्म आ चुके हैं । आवश्यक सामान, खासतौर से तार (कन्डक्टर) की कमी के कारण अभी तक कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं ।

3. जी नहीं, कन्डक्टर आते ही कनेक्शन दे दिये जायेंगे ।

सीकर जिले की औद्योगिक इकाइयां

170. श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं ? इनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) जिले में किन किन औद्योगिक कार्यों के लिये कच्चा माल कोटे के रूप में दिया जाता है, उसकी वितरण व्यवस्था क्या है तथा कितना 2 कोटा कब से मासिक, वार्षिक या इसी प्रकार दिया जाता रहा है ?

(3) माल तैयार होने के पश्चात बिक्री की क्या व्यवस्था है तथा जो माल तैयार किया जाता है उस पर सरकार किस प्रकार का नियंत्रण रखती है ?

(स्थगित किया गया)

छबड़ा क्षेत्र की सिंचाई योजना

171. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में आज तक एक भी सिंचाई योजना लागू नहीं की गई है जब कि इस क्षेत्र में पार्वती, रेतडी, एवं अंधेरी तीन नदियां बहती हैं जिनमें अथाह जल रहता है ?

(2) क्या अब इन क्षेत्र के लिए किसी सिंचाई योजना का सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो वे कौन 2 सी हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा अभी हाल में ही कृषि उत्पादन की दृष्टि से सिंचाई के साधन बढ़ाये जाने के निर्णय को ध्यान में रख कर इनमें से किसी

(श्री जगमोहनसिंह)

योजना का क्रियान्वित किए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस का? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) छबड़ा क्षेत्र में अब तक कोई सिंचाई योजना नहीं बनाई जा सकी।

(2) जी हां। हिण्डलोट सिंचाई परियोजना का सर्वे किया जा चुका है।

(3) जी-हां। हिण्डलोट सिंचाई योजना की पांचवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

धांधडे की नीलामी

172. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गत वर्षा में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निकाला गया धांधडा जो बिना सड़क पर बिछाकर कुटेपड़ा हुआ है उसे जिला स्तर की कमेटी बनाकर नीलाम करने का आदेश दिया है?

यदि हां, तो चूरू जिले में ऐसा धांधडा कितने स्थानों पर कितनी मात्रा में था और उसमें कितना नीलाम कर दिया गया? यदि नहीं किया तो नीलाम न करने का क्या कारण रहा?

उत्तर

जी हां।

चूरू जिले में इस प्रकार जो धांधडा विभिन्न स्थानों पर पड़ा हुआ है, उसका विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है। अभी तक इसमें से कोई नीलामी नहीं की जा सकी है। नीलामी न कर सकने का कारण यह है कि सरदारशहर तहसील में जो धांधडा विभिन्न सड़कों पर पड़ा हुआ है, उसके लिये बुक वेल्यू से बहुत कम बोली नीलामी के समय लगायी गई। अन्य तहसीलों में पड़ा हुआ धांधडे के लिये कोई बोली नहीं लगायी गई। फलतः नीलामी नहीं की जा सकी।

चूरू जिले में जो धांधला विभिन्न स्थानों पर पड़ा हुआ है, उनकी सड़क वार सूची

क्रम सं०	सड़क का नाम	धांधला जो पड़ा हुआ है
1.	हरियासर नोहर सड़क	19,377-81 घन मीटर
2.	सरदारशहर कोहिना सड़क	9,489-49 ,,
3.	भोजरासर रामपुरा सड़क	7,117-65 ,,
4.	भानीपुरा सोमासर सड़क	18,808-86 ,,
5.	मोजूसर आसलसर सड़क	12,772-02 ,,
6.	मालेरी रतनगढ़ सड़क	23,869-27 ,,
7.	फूलासर फोगा सड़क	12,007-38 ,,
8.	खीवनसर खारिया सड़क	23,225-72 ,,
9.	भानीपुरा महाजन	8,450-22 ,,

1	2	3	
10	बोबेरा बिल्यू सड़क	9,786-97	घन मीटर
11.	सिधमुख सिवानी सड़क	1,939-00	,,
12.	साखू हुडियाल सड़क	800-00	,,
13.	राजगढ़ बाय सड़क	3,875-84	,,
14.	चूरू तारानगर सड़क	23,840-84	,,
15.	तारानगर कोहिना सड़क	4,443-17	,,
16.	डाबरी कालवास सड़क	2,301-19	,,
17.	तारानगर पूनसीसर सड़क	1,083-21	,,
18.	तारानगर टमकोर सड़क	22,537-75	,,
19.	रतननगर कमवारी सड़क	3,511-81	,,
20.	रामपुरा उदासर विदावतान सड़क	5,690-83	,,
21.	चूरू दूधवाखारा ,,	4,186-53	,,
22.	डाडर बाघू सड़क ,,	1,831-37	,,
23.	छापर आवसर सड़क ,,	2 381-64	,,
24.	रामदेवरा गोगास सड़क	19,540-86	,,
25.	बीदासर लाछड़सर सड़क	15,876-00	,,
26.	बीदासर मिल्ली गनोरा तक	14,851-00	,,
27.	बीदासर कानूता सड़क	8,638-41	,,
28.	छापर राजलदेसर सड़क	14,185-72	,,
29.	रतनगढ़ सालासर सड़क	43,936-00	,,
30.	मासीना मगरासर सड़क	7,403-90	,,
31.	लालगढ़ भिल्ली सुजानगढ़ सड़क	25,202-00	,,
32.	पड़िहारा मोमासर सड़क	29,922-00	,,
33.	भोमासर गोगासर सड़क	27,576-00	,,
34.	आडसर पूनरासर सड़क	13,786-87	,,
35.	डूंगरगढ़ कालू सड़क	8,679-95	,,
36.	बाना बापेऊ सड़क	706-43	,,
37.	डूंगरगढ़ उनियारा सड़क	8,514-53	,,
38.	टोलियासर बिग्गा सड़क	1,915-32	,,
39.	ठकुरियासर भादासर सड़क वाया मोमासर	24,569-17	,,
40.	डूंगरगढ़ बीदासर सड़क	600-52	,,
41.	बाय से गंगानगर जिले के बोर्डर तक सड़क	2,515-84	,,
42.	तारानगर सहावा सड़क	211-60	,,

सवाई माधोपुर जिले में नये उद्योगों को बिजली

173. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सवाई माधोपुर जिले में इस समय नये लघु उद्योगों को चालू करने के लिये नये विद्युत् कनेक्शन लेने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र पिछले कितने समय से विभिन्न ए. इ. एन. तथा एक्स इ. एन. कार्यालय में विचाराधीन पड़े हुए हैं तथा अब तक किस कारण से कनेक्शन नहीं दिये गये ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सच है कि गंगापुर सिटी स्थित कुछ उद्योगों को कनेक्शन देने के सम्बन्ध में बोर्ड के उच्च अधिकारियों के आदेश देने के पश्चात् भी कनेक्शन नहीं दिये गये ?

(ग) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर स्थित एक्स. इ. एन. कार्यालय नये कनेक्शन देने के मामले में भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिससे जानबूझ करके फाइलों को पेंडिंग रख दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों तथा पेन्डिंग फाइलों पर कब तक नये कनेक्शन देने की स्वीकृति दे दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (जिला खंड), सवाई माधोपुर के अधीन उपखंडों में जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र में लघु उद्योगों के कनेक्शन के लिये कुल 310 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, जिनकी उपखण्ड वार एवम् वर्षानुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ऐसे कोई विशिष्ट आदेश नहीं दिये गये।

(ग) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अधिशाषी अभियन्ता सवाई माधोपुर के कार्यालय में स्वीकृति हेतु कोई केस फाइल पेंडिंग नहीं है।

APPENDIX 'A'

Yearwise No of pending applications of Small Scale Industries, Sub-Divisionwise in Distt. Division Sawai Madhopur.

Year	Sub-Division Sawai Madhopur (L/D)	Sub-Division Karoli
68—69	—	1('L' Form not recd.)
69—70	—	—
70—71	—	5('L' Form not recd.)

1	2	3
71—72	—	4('L' Form in 3 Cases not received and in one case augmentation is required.)
72—73	—	24
73—74	44	181
74—75	18	38
Total	57	253

Grand Total:— 310

Reasons for pending applications:

(i) 'L' Form in 24 cases (including those as stated above) where the work is complete has not been received.

(ii) 22 application are not technically feasible.

(iii) 7 applications are of unsanctioned localities and would not be considered.

(iv) 3 applications are of sanctioned localities but not yet electrified.

(v) In 12 cases L. T. work is under progress.

(vi) 242 cases pending for augmentation of sub-stations/ Lines etc. and for want of material and equipment.

उर्दू एवं सिंधी विषय की पढ़ाई

174. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में किन किन सरकारी संस्थाओं में उर्दू और सिन्धी पढाई जाती है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कई सरकारी संस्थाओं में जहां उर्दू और सिन्धी नहीं पढाई जाती है वहां पर उर्दू और सिन्धी पढाने वाले अध्यापकों का पोस्टिग किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के निर्णयानुसार उर्दू और सिन्धी पढ़ाने वाले अध्यापकों को उन्हीं संस्थाओं में लगाने का आदेश है जहां पर उर्दू और सिन्धी पढाई जाती है ? यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है और इसके पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। अभी तक ऐसी कोई शिकायत, निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज० बीकानेर में प्राप्त नहीं हुई है। यदि इसके विपरीत कोई शिकायत प्राप्त हुई तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिद्धमुख नहर एवं नोहर फीडर की योजनाएं

175. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ में सिचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता नोर्थ के नये कार्यालय का उद्घाटन करते समय तत्कालीन सिचाई मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि सिद्धमुख नहर व नोहर फीडर की योजनाओं की स्वीकृति की जा चुकी है व इन पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जावेगा ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिये सर्वे डिवीजन खोलने के गत वर्ष आदेश हो चुके थे ?

(2) यदि हां, तो नोहर फीडर व सिद्धमुख नहर की योजनाओं का कार्य किस स्तर पर चल रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिद्धमुख नहर का सर्वे करीबन 20 वर्ष पहले हो चुका है ?

(4) यदि नहीं तो सिद्धमुख नहर की कब तक सर्वे को आकर स्वीकृति की जा सकेगी ?

(5) क्या यह सही है कि सिद्धमुख नहर की योजना के लिये हरियाणा व राजस्थान सरकारों के बीच जल का समझौता हो चुका है ?

(6) यदि नहीं तो सिद्धमुख नहर योजना के लिये हरियाणा व राजस्थान

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

सरकारों के बीच में जल का समझौता किस स्तर पर है व समझौते के पूरे होने में क्या कठिनाइयां हैं ?

(7) सिद्धमुख नहर योजना के अन्तर्गत कुल कितने व कौन कौन से भागों की भूमि सिंचित होगी ?

(8) सिद्धमुख नहर की योजना पर कुल कितना व्यय होगा व इस योजना को पूरा करने के कितने समय का लक्ष्य निर्धारित किया है ?

उत्तर

(1) तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा ऐसी कोई घोषणा रिकार्ड में नहीं है । इन योजनाओं हेतु सर्वे डिविजन खोलने के कोई आदेश नहीं हुए ।

(2) यह योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ?

(3) सिद्धमुख नहर का सर्वे वर्ष 60-61 में हुआ था ।

(4) सिद्धमुख नहर की स्वीकृति कब तक हो सकेगी निश्चित समय बताना अभी संभव नहीं है ।

(5) जी नहीं, अभी नहीं हो पाया है ।

(6) सिद्धमुख नहर के विषय में विवाद मुख्यतया पंजाब राज्य से है । राजस्थान में सिंचाई मंत्री ने पंजाब के राज्य सिंचाई मंत्री से इस विषय में दिनांक 13-7-74 को देहली में विचार-विमर्श किया था जिस पर यह तय हुआ था कि दोनों राज्यों के उच्चाधिकारी इस समस्या पर विचार-विमर्श करने हेतु बैठक करें । यह बैठक दिनांक 22-8-74 को होने वाली थी जो आवश्यक कारणवश स्थगित की गई ।

(7) सिद्धमुख योजना के अन्तर्गत श्री गंगानगर जिले की नोहर व भादरा तहसीलों की एवं चूरू जिले की राजगढ़ तहसील की कुल मिला कर 90,000 एकड़ बहाव द्वारा एवं 60,000 लिफ्ट द्वारा सिंचाई योग्य भूमि प्रस्तावित है ।

(8) सिद्धमुख योजना पर लगभग बारह करोड़ रुपये का व्यय होगा । योजना की स्वीकृति होने पर ही इस कार्य की पूर्ति के समय का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा ।

गलवा बांध की मरम्मत पर व्यय की गई राशि

176. **श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) गलवा बांध पर गत फ्लड वर्क्स के अन्तर्गत कितनी राशि रिपेयर के लिये अलॉट की गई थी ?

(2) इस राशि में से जून, 1974 तक कितना कार्य हुआ और कितनी राशि खर्च हुई । कार्य पूर्ण न करने को किसकी गलती रही ? क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

(3) क्या सन् 1973 की बाढ़ के समय गलवा बांध पर कार्यरत मजदूरों को पेमेन्ट कर दिया गया है ?

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(4) क्या यह सही है कि लगभग 18 हजार रुपये की राशि का भुगतान अभी तक पेंडिंग पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसका तुरन्त पेमेन्ट कराने के आदेश जारी करेगी ?

उत्तर

(1) जून, 1974 तक 1,96,000 रुपये की राशि आवंटित की गई।

(2) जून, 1974 तक गलवा की नहरों के नाके बन्द किए गए, नहरों की सिल्ट, सफाई करवाई गई तथा बांध की मरम्मत हेतु लगभग 1,60,000 घनफीट मिट्टी डाली गई, लगभग 37,000 घनफीट नई पिचिंग एवं लगभग 35,000 घनफीट पुरानी टूटी हुई पिचिंग मरम्मत की गई। इन कार्यों के अलावा वर्ष 1973 की बाढ़ में समयानुकूल बांध के बचाव कार्य किए। इस प्रकार इन कार्यों पर आवंटित 1,96,000 रुपए की सारी राशि उपयोग में लाई गई जब कि समस्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु लगभग 5,40,000 रुपए की राशि की आवश्यकता थी। इस कारण समस्त कार्य पूर्ण न हो सकने में कोई दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी हां। केवल अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों के वेतन का भुगतान करना शेष है।

(4) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों का 13,156 रुपए 75 पैसे की राशि का भुगतान करना शेष रहा। सरकार द्वारा भुगतान किए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं।

राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय बानूड़ा

श्री हनुमान सहाय (बैराठ) :

श्री गोरधनसिंह (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय बानूड़ा जिला–सीकर की स्थापना कब हुई और जब से यह बना है, तब से वर्ष, 1974 के सत्र तक कक्षा वार छात्र संख्या क्या रही ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त विद्यालय में बालिकाएं भी पढ़ती हैं ? अगर हां, तो 1974 तक वर्ष व कक्षावार उतीर्ण छात्रा-छात्राओं के प्रतिशत की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस विद्यालय का कभी इन्सपेक्शन हुआ है ? अगर हां, तो आज तक की इन्सपेक्शन रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के प्रार्थना-पत्र

178. श्री चेतराम (टोडाभीम) :

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 5 (182) एफ.प्लान/एस.डब्ल्यू/71/

(श्री चेतराम
,, रामगोपाल)

50455 दिनांक 17 जुलाई, 1971 के अन्तर्गत कितने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ब्याज के रिएम्बर्समेंट के प्रोसीजर में बहुत ही कठिनाई होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने में अति विलम्ब एवं कठिनाइयां होती हैं तथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं हो पाते हैं? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुए तथा कितने विचाराधीन हैं?

(3) क्या सरकार इस रिएम्बर्समेंट के बजट हैड एवं प्रोसीजर के सरल करने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह आदेश सिर्फ बांसवाड़ा हेतु ही निकाला गया है? यदि नहीं तो इसकी प्रतिलिपि सिर्फ इन्हीं जिलों को क्यों एन्डोर्स की गई?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 5(182) एफ.प्लान/सं.क 71/50455 दिनांक 17-7-71 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जन जातियों के कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

(2) यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब प्रार्थना-पत्र प्राप्त ही नहीं हुए तो इनकी स्वीकृति में अति विलम्ब एवं कठिनाई होना कैसे माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि नये आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित एवं जनजाति के कृषकों को कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है।

(8) राज्य सरकार के उक्त आदेश दिनांक 17-7-71 के पश्चात राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 5 (182) एफ. प्लान/स. क. 71/58412 दिनांक 18-8-72 जारी हो चुके हैं जिसके अन्तर्गत कृषकों को आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं रही तथा बैंक की सूची के आधार पर ही पुनर्भरण किया जा सकेगा।

(4) जी नहीं। यह आदेश समस्त राजस्थान के लिये है और दोनों आदेशों की प्रतिलिपियां राज्य के समस्त जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारियों को एन्डोर्स की गई है।

सहायक अभियन्ता जयपुर द्वारा दिया गया बिजली का कनेक्शन

179. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक अभियन्ता, जोन-ए-1, सिटी डिवीजन-1, आर. एस. इ. बी. जयपुर द्वारा विद्युत् सर्विस नं. 58802, बिजली का कनेक्शन, किसको किस आधार पर कितनी प्रतिभूति जमा कराने पर दिया गया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने मकान का स्वामी बन कर प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाकर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचा कर धोखा दिया है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

Page No 224

224

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(3) क्या यह सही है कि उक्त संबंध में सहायक अभियन्ता को शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर उक्त अधिकारी ने कार्यवाही क्यों नहीं की ? यदि की तो कब कब क्या क्या कार्यवाही की ? पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सहायक अभियन्ता से कोई डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में प्रस्तुत किरायेदारी के प्रमाण-पत्र का उल्लेख किया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सर्विस कनेक्शन संख्या 58802 पर विद्युत् कनेक्शन श्री मांगीलाल पुत्र श्री धनजी को दिनांक 4-10-69 को दिया गया था। यह कनेक्शन मण्डल के नियमानुसार आवश्यक फीस व सिक्यूरिटी 10 रु. राशि जमा होने पर दिया गया था।

(2) श्री मांगीलाल ने अपने आवेदन-पत्र में अपने आपको मकान मालिक बताया था और इसी आधार पर उनको नियमपूर्वक कनेक्शन दिया गया था। किसी भी मकान के स्वामित्व का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा होने पर ही धोखा दिया गया है अथवा नहीं कहा जा सकता है।

(3) जी हां, श्री फूलचन्द द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत दिनांक 27-6-72 को प्राप्त हुई। शिकायत प्राप्त होने पर सहायक अभियन्ता ने श्री मांगीलाल व श्री फूलचन्द दोनों को क्रमश: दिनांक 11-7-72 व 20-7-72 को पत्र लिखे, जिनकी प्रति सूची 'अ' व 'ब' पर सदन की मेज पर रख दी गई है। सहायक अभियन्ता इस सम्बन्ध में कानूनी राय मांगने हेतु विधि अधिकारी राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को भी एक पत्र दिनांक 5-2-73 को लिखा जिसका प्रति सूची 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, सहायक अभियन्ता से रिपोर्ट मांगी गई थी। उक्त रिपोर्ट के साथ समस्त पत्रावली जिसमें इस केस के सारे कागजात मौजूद थे। विधि अधिकारी को भेजे गये थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू से नागौर वाया रतनगढ़ व लालगढ़ मार्ग का राष्ट्रीयकरण

180. श्री रावतराम आर्य (छापर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला चूरू से नागौर वाया रतनगढ़, छापर, बीदासर, लालगढ़ एक महत्वपूर्ण बस मार्ग है जो एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ता है ? यदि हां, तो इस बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर के कब तक रोड़वेज की गाड़ियां चालू कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में चूरू से नागौर वाया रतनगढ़, छापर, बीदासर मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना निगम के विचाराधीन नहीं हैं।

परिशिष्ट—4

अता. प्र. सं. 49 की सूची

LIST OF APPLICATIONS RECEIVED UNDER Advance Deposit Scheme in Dausa Sub-Division

			Date of receipt of application
BANDIKUI Sub-Office			
1.	Shri	Sarwan Mangya	4-6-74
2.	,,	Bhonria Meena	5-8-74
3.	,,	Shyonath Meena	5-8-74
DAUSA Sub-Office			
4.	Shri	Ganinder Ganesh	9-6-74
5.	,,	Govind Singh	19-6-74
6.	,,	Gopal Singh	19-6-74
7.	,,	Mool Chand	19-6-74
8.	,,	Ghashi	19-6-74
9.	,,	Mishrilal Jain	19-6-74
10.	,,	Chauthmal	19-6-74
LALSOT Sub-Office			
11.	Shri	Hari Narain	2-4-74
12.	,,	Gendha Lal	2-4-74
13.	,,	Meetha Lal Meena	3-4-74
14.	,,	Ram Swaroop	9-4-94
15.	,,	Narsingh Pd.	9-4-74
16.	,,	Kanhiya Lal	9-4-74
17.	,,	Kalyan Bux	29-4-74
18.	,,	Gopal Das	29-4-74
19.	,,	Gopal Das	19-4-74
20.	,,	Hari Jhandu	29-4-74
21.	,,	Subash Chand	7-5-74

226

1	2	3
22.	Shri Chotta Jeevan Meena	15-5-74
23.	,, Mool Chand Meena	15-5-74
24.	,, Gulab Singh	21-5-74
25.	,, Bhoma Ram Gujar	4-6-74
26.	,, Kedar Lal	4-6-74
27.	,, Badri Lal	14-6-74
28.	,, Mahesh Chander Patel	4-6-74
29.	,, Sukkaram Meena	4-6-74
30.	,, Ganga Ram Bhonria	4-6-74
31.	,, Panchoo Ram Patel	4-6-74
32.	,, Ramanand Mahadev	22-6-74
33.	,, Ram Swaroop Patwari	22-6-74
34.	,, Kedar Pd.	22-6-74
35.	,, Ram Chandra	22-6-74
36.	,, Ram-raj Ram-sahai	24-6-74
37.	,, Narain Mangi Lal	2-7-74
38.	,, Radhey Shyam	27-6-74
39.	,, Prabhulal	5-7-74
40.	,, Jaina Meena	9-7-74
41.	,, Bhenra Bhuwana	12-7-74
42.	,, Ramji Lal Sharma	31-7-74
43.	,, Subhash Chand Meena	31-7-74
44.	,, Palya Kanhiya Chamar	31-7-74
45.	,, Kedar Pd.	31-7-74
46.	,, Pannalal Mangi Lal	31-7-74
47.	,, Ganesh Mali	31-7-74
48.	,, Sri Narain Sharma	5-8-74
49.	,, Rameshwar Pd.	14-8-74

परिशिष्ट—5

(अता. प्र. सं. 59 की सूची)

श्री बी० डी० रुइया सैकिन्डरी स्कूल
रामगढ़-सीकर (राजस्थान)

(श्री घनश्यामदास चैरिटी ट्रस्ट बम्बई द्वारा संचालित)

पत्रांक दिनांक 1-8-71

श्री राधेश्याम निर्मल,
कनिष्ठ लिपिक कम पुस्तकालयाध्यक्ष,
रामगढ़ (सीकर)

विषय :– कनिष्ठ लिपिक कम-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति ।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30-6-71 के संदर्भ में आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आपके ट्रायल पीरियड के कार्य को देखते हुये आपको अस्थाई नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक कम-पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर दिनांक 1-8-71 से 30-6-72 तक कर दी गई है । विभागीय नियमानुसार तृतीय वेतन शृंखला के अन्तर्गत आपका वेतन 110+98+15 कुल 223 प्रतिमास होगा ।

कार्यालय संबंधी जो भी कार्य आपको सौंपा जावेगा उसे पूर्ण रुचि और ईमानदारी से करते रहेंगे । आपसे आशा की जाती है कि आप विद्यालय के सभी नियम व उप-नियमों का पूर्णरूप से पालन करते रहेंगे ।

आपका कार्य सन्तोषप्रद न रहने पर आपको किसी भी समय एक माह की सूचना पर कार्यभार से मुक्त किया जा सकेगा । यह शर्त दोनों ओर से लागू रहेगी ।

कृपया अपनी स्वीकृति प्रदान कर अनुगृहीत करें ।

ह०
प्रधानाचार्य,
श्री बी० डी० रुइया सैकिण्डरी स्कूल,
रामगढ़, शेखावाटी (सीकर, राज०)

Page No 228

228

परिशिष्ट—6

(अता. प्र. सं. 6 की सूची)

19 से 25 जुलाई, 1974 के दरमियान आई बाढ़ में मकानों को जो क्षति हुई, उसकी ग्रामवार सूची जिला भरतपुर ।

क्र. सं.	नाम ग्राम	पूर्णरूप से नष्ट हुए कच्चे मकानों की संख्या	आंशिकरूप से हुए क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या
1.	खेड़ली गूजर	28	22
2.	वेंबर	—	—
3.	बाई	41	26
4.	बैरी	—	38
5.	मूढियाखा धार	2	–
6.	रामनगर	7	25
7.	खरबेरा	30	—
8.	चक धरसोनी	1	1
9.	उगला धरसोनी	—	--
10.	चक खेड़ली गूजर	1	3
	योग	110	115

परिशिष्ट—7

(अता. प्र. सं 64 की सूची)

राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उपलब्ध सुविधायें

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राजस्थान में 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किया गया है। इन जिलों का कुल क्षेत्रफल राज्य का 62 प्रतिशत व जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 54 प्रतिशत है। ये जिले निम्न हैं :—

1. अलवर, 2. बाड़मेर, 3. बांसवाड़ा, 4. झालावाड़, 5. भीलवाड़ा, 6. चूरू, 7. डूंगरपुर, 8. जैसलमेर, 9. जालौर, 10. झूंझुनूं, 11. नागौर, 12. सीकर, 13. सिरोही, 14. टौंक, 15. उदयपुर, 16. जोधपुर।

इन पिछड़े जिलों मे सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधायें उपलब्ध हैं :—

(क) केन्द्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेन्ट कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया आदि से लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को (जिनमें कुल लागत एक करोड़ रुपयों से अधिक नहीं है) उदारतापूर्वक शर्तों पर वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। जो रियायतें उपलब्ध हैं वे निम्न है :—

(1) ब्याज की निम्न दर :—

इन क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को ऋण 7% ब्याज की दर से दिया जाता है। इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया ने धन देने वाली उन संस्थाओं के व बैंकों के मामले में फिर धन लगाने (   ) के लिये ब्याज की दर कम करदी है जो पिछड़े इलाकों के छोटे कारखानों को 7% दर पर कर्ज मंजूर करेंगे।

2. ऋण की किश्तों की अदायगी की शुरुआत में दी गई मोहलत को प्रारम्भिक अवधि को सामान्यतः 2-3 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दिया गया है।

3. ऋण की अदायगी का सामान्यतः अनुबद्ध अवधि 10-12 वर्ष से बढ़ाकर 15-20 वर्ष करदी गई है।

4. इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया के मामले में जमानत की गुंजाइश को मौजूदा 50% से घटाकर 30-35% कर दिया है।

Page No 230

230

5. सेवा प्रभार में 50% की कमी कर दी गई है।

(ख) राजस्थान वित्त निगम द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में ऋण साढ़े छः प्रतिशत की दर से दिया जाता है। इस ऋण का भुगतान साधारण से अधिक समय में किया जा सकता है और प्रतिभूति के समय में विशेष बरती जाती है।

विशेष अनुदान के लिए चुने हुए जिले

उपरोक्त पिछड़े जिलों में से 6 जिले भारत सरकार द्वारा विशेषरूप से अनुदान देने हेतु स्वीकृत किये गये हैं। ये जिले निम्न हैं:—1. अलवर, 2. जोधपुर, 3. उदयपुर, 4. भीलवाड़ा, 5. नागौर, 6 चूरू। इन जिलों में निम्नलिखित विशेष सुविधायें उपलब्ध हैं:—

1. उद्योगों को सीधा अनुदान :—

इन जिलों में लगे उद्योगों को स्थिर पूंजी के दसवें हिस्से के मूल्य के बराबर अनुदान दिया जाता था। दिनांक 1–3–73 के पश्चात् लगने वाले उद्योगों पर यह अनुदान 15% की दर से दिया जाता है। ऐसे उद्योगों में, जिनमें स्थिर पूंजी एक करोड़ रुपयों से अधिक लगने का प्रस्ताव है, अनुदान की राशि 15 लाख रुपयों से अधिक नहीं होगी।

2. मशीनरी व कच्चे माल का उदारतापूर्वक आयात :—

(क) प्राथमिकताप्राप्त प्रस्तावित उद्योगों को कच्चे माल संघटकों व अतिरिक्त पुर्जों की आयात सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिये मशीनों के मूल्य के आधार पर अधिक से अधिक एक लाख रुपयों का आयात लाइसेन्स छःमाही दिया जा सकता है।

(ख) प्राथमिकता वाले उद्योगों में लगे हुये कारखानों की मशीन के मूल्य आधार पर अधिक से अधिक 1-50 लाख रुपये वार्षिक तक का आयात लाइसेन्स दिया जा सकता है। ये सुविधा लघु उद्योगों का क्षेत्र के लिए आरक्षित सिर्फ 124 प्रकार के उद्योगों के लिये ही उपलब्ध है।

3. मशीनों की सप्लाइ में प्राथमिकता :—

स्वदेशी और आयातित दोनों किस्म की मशीनरी के वितरण के मामलों में चुने हुये पिछड़े जिलों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राथमिकता के आधार पर विचार करता है।

इन उद्योगों से बयाना राशि 20 प्रतिशत की बजाय स्वदेशी मशीन पर 10% व आयातित मशीन पर 5% ही ली जाती है।

4. कच्चे माल की उपलब्धिः—

प्राथमिकता वाले उद्योगों का उत्पादन क्षमता के आधार पर कच्चे माल का आयात लाइसेन्स, विशेषरूप से आरक्षित कोटे में से, अधिक मूल्य का दिया जा सकता है।

ग्रामीण उद्योग परियोजना

राजस्थान के निम्न पांच जिलों में उद्योग परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं, ये सभी जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले भी घोषित हो चुके हैं :—1. नागौर, 2. चूरू, 3. टांक, 4. बांसवाड़ा, 5 झालावाड़।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजना में निम्नलिखित विशेष सुविधायें उपलब्ध हैं :—

1. ग्रामीण औद्योगिक परियोजना द्वारा उपलब्ध धनराशि से ऋण घटी हुई दर की ब्याज पर उद्योगों को दिया जाता है।
2. ग्रामीण दस्तकारी का बैंक द्वारा 5 हजार रुपयों तक का ऋण बिना किसी प्रतिभूति के दिया जाता है।
3. ग्रामीण दस्तकारी का औजार खरीदने हेतु कुल लागत मूल्य का 25% अनुदान दिया जाता है।
4. कच्चे माल व बने हुये माल को अधिकृत प्रयोगशालाओं में जांच करवाने हेतु मूल्य का 50% तक का अनुदान दिया जाता है।
5. औद्योगिक सहकारी समितियों में प्रबन्धक रखने हेतु अनुदान दिया जाता है।
6. कुछ कच्चे माल का कोटा इन जिलों के लिये आरक्षित रहता है।

232

शुद्धि-पत्र

दिनांक 21 अगस्त, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
10	नीचे से 14	निरोषक	निरोषक
14	,, 9	शिक्ष	शिक्षा
49	,, 11	देनपुरा	देवपुरा
53	,, 14	विद्यत	विद्युत
90	उपर से 7	श्री प्रोफेसर केदार	प्रोफेसर श्री केदार
148	ऊपर से 21	जल	जंगल
150	नीचे से 8	व्यस्था	व्यवस्था
169	ऊपर से 16	व्ययस्था	व्यवस्था
171	,, प्रथम	(वृद्धिचन्द्र जैन)	(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
171	नीचे से 6	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष महोदय :
181	ऊपर से 10	उपाध्यक्ष :	श्री उपाध्यक्ष :
181	,, 23	परे	पर
191	नीचे से 11	आक्षेप	आपत्ति
209	ऊपर से 9	पी. डब्लू.	पी. डब्लू. डी.
226	ऊपर से 13	मिलती है	मिलते हैं
226	नीचे से 14	वहां	—
226	,, 12	रुक	रुक सकें ।
227	ऊपर से 15	उधर	उधार
229	शीर्षक	सदन के अवमान	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 21 अगस्त 1974-सदन के अवमान का मामला
230	ऊपर से 2	—	(सदन के अवमान का मामला)
235	ऊपर से 14	प्रिवान्सेज	प्रिवान्सेज

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
237 } 238 }	शीर्षक ,,	सदन के अवमान का मामला	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
237	ऊपर से 11	—	समितियों का गठन
237	नीचे से 8	श्री विजयसिंह/	श्री विजयसिंह । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
237	नीचे से 1	उसमें दा	उसमें दावा
239-240	शीर्षक	सदन के अवमान-21 अगस्त, 1974-का मामला	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-21 अगस्त, 1974-समितियों का गठन
241-242	शीर्षक	सदन के अवमान-21 अगस्त, 1974 का मामला	समितियों का गठन 21 अगस्त, 1974-ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
243-258	शीर्षक	सदन के अवमान 21 अगस्त, 1974 का मामला	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 21 अगस्त, 1974 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
369	ऊपर से 18	के पोसेटर्म	केपेसिटर्स